षोडश माला, खंड 13, अंक 5 बुधवार, 2 दिसंबर, 2015
11 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 13, छठा सत्र, 2015/1937 (शक)

अंक 05, बुधवार, 2 दिसंबर, 2015/ 11 अग्रहायण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 43 और 47	19-45
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 44 से 46 तथा 48 से 60	46
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 490	46
	47-49

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन 50

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा, (2015-16)

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन 50

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

227वें से 229वां प्रतिवेदन 52

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति पर चर्चा 53

नियम 377 के अधीन मामले 59-85

(एक) देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय 59

(दो) गुजरात सफाई कामदार विकास निगम के कर्मचारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) से छूट दिये जाने की आवश्यकता

डॉ. किरिट पी. सोलंकी 60

(तीन) सीकर और दिल्ली के बीच दैनिक रेलगाड़ी चलाने और सीकर-लोहारू-रेवाड़ी मार्ग पर रेलगाड़ियों की सेवा में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्री सुमेधानन्द सरस्वती 61

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में लिप्त लोगों को कठोरतम दंड दिये जाने की आवश्यकता

डॉ. उदित राज 62

(पांच) मानवों की सुरक्षा और मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय परीक्षण (क्लिनीकल ट्रायल) की निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 63

(छह) देश में मिट्टी के तेल में व्यापक मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता

श्री रत्न लाल कटारिया 64

(सात) किसानों को दिये गए कृषि ऋण पर ब्याज राजसहायता से संबंधित निधियों के संवितरण की पद्धति को बदले जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्रा टेनी 65

(आठ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल वितरण की उचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सभी ऑटोमेटिक गेज रिकॉडर्स को चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 66

(नौ) मध्य प्रदेश के सीवनी और बालाघाट जिलों में कम वर्षा और कीटों के हमले के कारण फसल को हुई क्षति से परेशान किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता

श्री बोध सिंह भगत 67

(दस) विद्युत समस्या से जूझ रहे कर्नाटक को केंद्रीय पूल से कम से कम 1000 मेगावाट विद्युत प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद जोशी 68

(ग्यारह) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्साल्य के ब्लड बैंक में एक कंपोनेंट यूनिट स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी 69

(बारह) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता

कर्नल सोनाराम चौधरी 70

(तेरह) उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी से लगे क्षेत्रों में बुंदेलखंड क्षेत्र जैसी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्र सिंह भोले 71

(चौदह) भारत और श्रीलंका के बीच पवित्र रामसेतु की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री केशव प्रसाद मौर्य 72

(पन्द्रह) देश में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण 74

(सोलह) केरल में समस्या से जूझ रहे काजू उद्योग हेतु पुनरुद्धार पैकेज घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 75

(सत्रह) तमिलनाडु में मदुरै और धनुषकोडी के बीच राष्ट्रीय हाइवे संख्या 49 को चार लेन का बनाये जाने की आवश्यकता

श्री ए. अनवर राजा 76

(अट्ठारह) श्रीलंका से कच्छाथीवू द्वीप वापस लिये जाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू 77

(उन्नीस) वर्ष 2015-16 हेतु पैकेजिंग मानदंडों में खाद्यान्नों और चीनी के लिये पटसन के बोरों का शत-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल 79

(बीस) छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के प्रस्तावित सुपर थर्मल विद्युत परियोजना का उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता

डॉ. प्रभास कुमार सिंह 81

(इक्कीस) देश में निजी कोचिंग/ट्यूशन केंद्रों को विनियमित किये जाने की आवश्यकता

श्री कृपाल बालाजी तुमाने 82

(बाईस) आईआईटी और एनआईटी में अध्ययन के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता

श्री जैदेव गल्ला 83

(तेईस) केरल के कन्नूर में अरालाम फार्म के अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स (टीआरआई) स्थापित किये जाने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर 84

(चौबीस) देश के काजू क्षेत्र के विकास हेतु उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 85

नियम 193 के अधीन चर्चा

तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति	86-218
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	86-93
श्री पी.सी. मोहन	94
श्री सुदीप बंदोपाध्याय	95-98
श्री अधीर रंजन चौधरी	99-101
श्री भर्तृहरि महताब	102-111
श्री एम. वेंकैया नायडू	112-116
श्री थोटा नरसिम्हम	117-119
श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर	120-124
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	125-126
श्री ए. अरूणमणि देवन	127-133
कुमारी सुष्मिता देव	134-135
डॉ. कंभमपति हरिबाबू	136-138
श्री धर्मेन्द्र यादव	139
श्री आर. राधाकृष्णन	140
श्री भगवंत मान	141-142

श्री बदरूद्दीन अजमल	143-144
श्री एस. आर. विजय कुमार	145-146
डॉ. जयकुमार जयवर्धन	147-148
डॉ. प्रभास कुमार सिंह	149
श्री राजेश रंजन (पप्पू यादव)	150-152
श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली	153
श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवन्ति)	154-155
श्री फैजल पी. पी. मोहम्मद	156
श्री रामेश्वर तेली	157
श्री कौशलेन्द्र कुमार	158
श्री निनोंग ईरींग	159-160
श्री भैरों प्रसाद मिश्र	161
श्री रवीन्द्र कुमार जेना	162
श्रीमती कोथापल्ली गीता	163-167
श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	168
श्री वीरेंद्र कुमार चौधरी	169
श्री देवजी एम. पटेल	170-172
श्रीमती के. मरगथम	173-176
श्री जुगल किशोर शर्मा	177
प्रो. रिचर्ड हे	178
श्री पी. करूणाकरन	179-180
श्री अजय मिश्रा टेनी	181
श्री अरविंद गणपत सावंत	182-183

श्री दुष्यंत चौटाला	184
डॉ. (श्रीमती) ममताज संघमिता	185-186
श्री पी. के. बीजू	187-188
डॉ. कुलमणि सामल	189
श्री सी.आर. चौधरी	190-191
श्री आर. ध्रुवनारायण	192
डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	193-198
श्रीमती अपरूपा पोद्दार	199-200
श्री एस. पी. मुदाहनुमे गौड़ा	201
कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल	202
श्री के.सी. वेणुगोपाल	203
श्री संजय धोत्रे	204-205
श्री एम. चन्द्राकाशी	206
डॉ. पी. वेणुगोपाल	207
श्री पी. पी. चौधरी	208-218
विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015	219-256
विचार के लिए प्रस्ताव	219
श्री अशोक गजपति राजू	219, 252-253
श्री एंटो एन्टोनी	220-223
श्री जी. हरि	224-229
श्री राजीव प्रताप रूडी	230-232

डॉ. तपस मंडल	233-235
डॉ. कुलमणि सामल	236-237
श्री थोटा नरसिम्हम	238-239
श्री मोहम्मद बदरूद्दोजा खान	240-241
डॉ. बूरा नरसैय्या गौड	242-244
श्री कौशलेन्द्र कुमार	245
श्री शरद त्रिपाठी	246-247
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	248-250
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	251
खंड 2, 3 और 1	254-255
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	256

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

श्री रामविलास पासवान	259-262

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुकुमदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्रा

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

बुधवार, 2 दिसंबर, 2015/11 अग्रहायण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्य मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके लिए आगे की कार्यवाही में व्यवधान डालना उचित नहीं है। इन मुद्दों को अन्य माध्यमों से भी उठाया जा सकता है और कुछ मुद्दों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। इसलिए, मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

… *(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्निल सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको बाद में अवसर मिलेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका कोई नोटिस ही नहीं है, आप बैठ जाइए

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आपका विषय क्या है? आपने कोई नोटिस नहीं दिया है।

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, आमतौर पर हम स्थगन प्रस्ताव पर सहमत नहीं होते हैं। पहले भी यही प्रथा थी और अब

भी... (*व्यवधान*) आप मेरी बात सुनें। यह क्या है? क्या आपके पास हर काम के लिए वीटो है? ऐसे मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य भागों में स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। इसलिए, यदि किसी मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाना है, तो वह चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य भागों तथा आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति होनी चाहिए... *(व्यवधान)* पिछले 22 दिनों से चेन्नई शहर पानी में डूबा हुआ है। हवाई अड्डे का रनवे पानी में डूबा है। इसीलिए, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, मुझे विभिन्न पक्षों के हमारे मित्रों द्वारा इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाने के लिए दिए गए नोटिस को अपवाद के रूप में स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 180 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों यात्री विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं। इसके कारण रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की है। सेना और नौसेना को सतर्क कर दिया गया है। इसलिए, हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सभा को राज्य के बारे में कुछ चिंता दर्शनी चाहिए जहां स्थिति खतरनाक होती जा रही है। चेन्नई बहुत ज्यादा पानी में डूबा हुआ है।

इसलिए मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के मित्रों सहित सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया मानवीय आधार पर इस मुद्दे पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा करें। हमें उन लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना चाहिए जो पिछले 25 दिनों से पीड़ित हैं। इसका उद्देश्य किसी सरकार की आलोचना करना नहीं है। केन्द्र और राज्य सरकारें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं। इसलिए, संसद को ऐसी स्थिति पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। इसीलिए मैं अध्यक्ष सहित पूरे सभा से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: इस मुद्दे पर एक नोटिस है। हम इस बारे में निर्णय लेंगे।

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब प्रश्न संख्या 41, श्री सुशील कुमार सिंह।

(प्रश्न संख्या संख्या 41)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग 'क' में स्वीकार किया है कि चालू वित्त वर्ष में भारत में कुल 136 भूकंप आ चुके हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, 25 अप्रैल, 2015 को जो भूकंप आया, उसमें नेपाल के साथ-साथ भारतीय क्षेत्र में भी भारी जान-माल का नुकसान हुआ। ...(व्यवधान) उसमें कुल 102 मौतें हुई हैं, जिसमें बिहार में सबसे अधिक 79, उत्तर प्रदेश में 19, पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान में 1 मौत हुई है। ...(व्यवधान) मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया है कि इसमें लगभग 13 हजार घरों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट मिली है। ...(व्यवधान) सबसे अधिक हानि बिहार में हुई है, जिसमें 140 लाख रुपये की आवासीय सम्पत्ति का नुकसान हुआ था। ...(व्यवधान)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

महोदया, मुझे इस 140 लाख रुपये की आवासीय सम्पत्ति के नुकसान पर ही संदेह है। ...(व्यवधान) संभवतः यह आंकड़ा कहीं न कहीं गलत है। ...(व्यवधान) 13 हजार मकानों को नुकसान हुआ और मात्र एक करोड़ 40 लाख रुपये का नुकसान कहीं असंगत लगता है। ...(व्यवधान) एक तरफ मंत्री जी ने यह कहा है कि भारतीय विवतरनिकी प्लेट की गतिविधि के अध्ययन तथा विश्लेषण हेतु किसी समिति का गठन नहीं किया गया, फिर भी ईएसएसओ, एनसीएम, एनजीआरआई, एफपीआई बैंगलुरू, आईआईजी मुम्बई, डब्ल्यूआईएचजी देहरादून के अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय प्लेट 5 से.[हिन्दी] मी. प्रति वर्ष की दर से पूर्वोत्तर की ओर खिसक रही है। ...(व्यवधान)

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब प्रति वर्ष 5 से.मी. की दर से भारतीय प्लेट खिसक रही है ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए कृपया आप सब अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

... (व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह : क्यों नहीं, इन सारे अनुसंधान संस्थानों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाये, जो इसका व्यापक रूप से अध्ययन करे और भूकंप से होने वाली क्षति का पूर्वानुमान करे। ...(व्यवधान) उसका आकलन करे, ताकि भूकंप से पहले लोग सचेत हों और नुकसान कम हो सके। ...(व्यवधान)

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं एक समिति का गठन करे। ...(व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदया, मैंने माननीय सदस्य को अपने उत्तर में यह जानकारी दी है कि यह विषय इतना बृहद् और विस्तार के साथ अध्ययन करने का है। ...(व्यवधान) सरकार के बड़े-बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के बहुत सारे वैज्ञानिक लगातार इसके ऊपर विचार-विमर्श करते हैं और सारे डाटाज को एक्सचेंज करते हैं। ...(व्यवधान) इस प्रकार के विषय को कोई दो-चार लोगों की कमेटी अध्ययन नहीं कर सकती है, क्योंकि यह बहुत ही विस्तार का विषय है। ...(व्यवधान) उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस संबंध में रिलीफ

आपरेशन इत्यादि करना आवश्यक है। ...(व्यवधान) इसके लिए देश में नैशनल डिजास्टर मैनेजमैंट अथारिटी और स्टेट में स्टेट डिजास्टर मैनेजमैंट अथारिटी है। ...(व्यवधान) एक नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। हम अभी नेपाल के अर्थक्वेक से प्रभावित हुए थे, जिसके कारण बिहार, बंगाल और राजस्थान में नुकसान हुआ। ...(व्यवधान) हमारी सरकार के नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की प्रमाणिकता को सारे विश्व ने देखा। ...(व्यवधान) यानी नेपाल से पहले भारत ने वहां पर अपना रिलीफ आपरेशन शुरू कर दिया था। हमारी ये सारी एक्टिविटीज प्रारंभ हो गयी थी। प्रधान मंत्री जी के ट्विटर से वहां के राष्ट्राध्यक्ष को, उनके देश में जो कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी मिली। ...(व्यवधान) जहां तक अर्थक्वेक की बात है, तो दुनिया में इसके लिए जितनी भी एडवांसमैंट हुई है, भूचाल को पहले से प्रिडिक्ट करना तो संभव नहीं है। ...(व्यवधान) यह दुनिया में जितने भी बड़े भूचाल आए हैं, चाहे चीन में भूचाल आया, 1995 में कोबे में आया, 1992 में कैलीफोर्निया में आया लेकिन पहले से भूचाल को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। लेकिन हमने गढ़वाल और कुमाऊं रीज़न में 100 ऐसे स्टेशन बनाए हैं और आईआईटी रुड़की ताईवान के साथ अध्ययन कर रहा है। अभी अफगानिस्तान में भूचाल आया, मान लीजिए हमें एमरजेंसी ऑपरेशन मिनटों में करना है, हम इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डैवलप करने के लिए एक मॉडल विकसित कर रहे हैं। इस मॉडल को आने वाले समय में दिल्ली से भी कनैक्ट किया जाएगा। पूरे देश में कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, कोलकाता को इसमें लिया जा चुका है, काफी हद तक बंगलौर को भी लिया जा चुका है, इसके अलावा तीन और शहरों को माइक्रो जोन्स में लिया जा चुका है। एक बड़े जोन के अलावा चार जोन्स में भूचाल के हिसाब से सारे देश को डिवाइड किया गया है कि किस इंटेन्सिटी का भूचाल आने और कितने रिस्क की संभावना है। हम इस तरह से माइक्रो जोनेशन भी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विज्ञान की दृष्टि से जो भी संभव हो सकता है, सब कुछ भारत में हो रहा है। इस समय भारत अर्ली वार्निंग सिस्टम या सुनामी के अर्ली वार्निंग की दृष्टि से दुनिया के समकक्ष खड़ा है। हम बहुत सी चीजों में दुनिया से बेहतर हैं।

श्री सुशील कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में इस विषय की व्यापकता को स्वीकार किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने नेपाल में नेपाल सरकार से पहले राहत पहुंचाई। इस कार्य को पूरी दुनिया ने देखा और सराहा है। यह विषय बहुत व्यापक है और कम से कम चार मंत्रालयों से जुड़ा मामला है। जहां यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मामला है, वहीं एनडीआरएफ, गृह मंत्रालय, भवनों का नक्शा डिजाइन, नगर विकास मंत्रालय के साथ जुड़ा मामला भी है। मुआवजे की बात वित्त मंत्रालय से जुड़े मामले में आती है। चार मंत्रालयों से जुड़ा यह विषय बहुत व्यापक है। मैंने पहले ही कहा कि बिहार में 13,000 घरों का नुकसान हुआ जबकि मात्र 140 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया गया। मुझे यह आंकड़ा सही नहीं लगता है। क्या माननीय मंत्री जी इस आंकड़े की जांच दोबारा कराएंगे?

जहां तक मुआवजे की बात है, बीमा कंपनियां भूकम्प आने पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं करती बल्कि कह देती हैं कि यह एक्ट आफ गॉड है। वह इसे नैचुरल कैलेमिटी न मानकर एक्ट आफ गॉड मान लेती हैं और मुआवजे का भुगतान नहीं करती हैं। जब चार मंत्रालय इस विषय में सन्निहित हैं तो क्या इनके कोऑर्डिनेशन के लिए कोई ऐसी कमेटी बनेगी या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी जिससे कि भुकम्प आने से पहले से भूकम्प आने तक राहत दी जा सके? इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार मकान के डिजाइन्स और मुआवजे के भुगतान करने की कोई योजना बनाएंगी?

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कई बातें एक साथ कही हैं। उन्होंने शक जताया है कि शायद 140 लाख रुपए के नुकसान की सूचना ठीक नहीं है। मैंने यह जानकारी बिहार की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी के माध्यम से प्राप्त की है। कहने के लिए ये 13,000 मकान हैं, छोटे-छोटे कच्चे मकान हैं। मुझे भी सुनकर शुरु में आश्चर्य हुआ था कि यह सूचना कहां से और कैसे प्राप्त की गई है, जब मैंने इसे वेरिफाई करने की कोशिश की तो मेरा शक कम हुआ। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य ने कहा है, इसलिए मैं दुबारा से बिहार के जो आधिकारी हैं, उनसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा। जहां तक सरकार का सवाल है,

सरकार के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है। उसके माध्यम से अलग अलग जोन्स जहां पर भूचाल के दुष्प्रभाव से प्रभावित होने की संभावना होती है, वहां किस प्रकार के मकान उनके लिए होने चाहिए, क्या क्या बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हो, मान लीजिए कि कोई दूसरे रेलवे स्टेशंस हैं, दूसरी ऑथोरिटीज हैं, उन सबके लिए क्या क्या बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए या जो पुराने बने हुए मकान हैं, उनके लिए क्या रिट्रोफिटिंग्स के कोड होने चाहिए, इन सबको सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रसारित किया है। जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी है, वह स्टेट ऑथोरिटीज के साथ मिलकर लगातार ड्रिल्स करती हैं, जिसमें मॉक एक्सरासाइजेज होती हैं, वह स्कूलों में होती हैं, कॉलेजों में होती हैं, रेलवे स्टेशंस पर होती हैं, सड़कों पर होती हैं, तमाम सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में होती हैं, समय समय पर होती हैं, निरन्तरता के साथ होती हैं जिसमें लोगों को यह बताया जाता है कि भूचाल आने पर क्या किया जाए, किस प्रकार से उनको शिक्षित किया जाए, किस प्रकार के उनको प्रिकाशंस लेने चाहिए, इन सबकी जानकारी दी जाती है। उन्होंने कमेटी के बारे में जो कहा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके प्रश्न में ही उत्तर निहित है क्योंकि यह इतना बड़ा विषय है जिसके लिए हमारे सारे बड़े विभागों के बड़े आधिकारी लगातार कोआर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, उसको दो चार व्यक्तियों की कमेटी के माध्यम से इतने बृहद विषय को डील नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थानों पर वापस लौट जाएँ।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : देखिए, यह अच्छी बात नहीं है, कल दिन भर इस विषय पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने इस पर विस्तृत उत्तर दिया है। [अनुवाद] यह उचित नहीं है। अब कृपया अपनी सीटों पर चले जाइये।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री पी. नागराजन: हमारी माननीय नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के आशीर्वाद से, मैं इस महती सदन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूं।

भूकंपीय और टेक्टोनिक गतिविधियों पर किया जाने वाला शोध अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर अधिक हो और उसका उपकेंद्र निकट हो, तो वह जान-माल को भारी क्षति पहुँचा सकता है। समुद्र में आने वाले भूकंप और भी अधिक खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सुनामी को जन्म देते हैं, जो विनाशकारी सिद्ध हो सकती है जैसे 26 दिसंबर, 2004 को तमिलनाडु में आई भीषण सुनामी। उस समय हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा जो राहत और आपदा प्रबंधन कार्य किए गए, उनकी सराहना न केवल देश के नेताओं ने, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राहत संगठनों ने भी की।

अब, तमिलनाडु में वर्षा के कारण ऐसी ही राष्ट्रीय आपदा घटित हुई है। तमिलनाडु में भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई तथा संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि विनाशकारी सुनामी 2004 के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में भूकंपीय और टेक्टोनिक गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई विभिन्न रसद, तकनीकी और वित्तीय सहायता के बारे में क्या कहा गया है।

डॉ. हर्ष वर्धन: मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूँ। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूँ कि 26 दिसंबर, 2004 की त्रासदी के बाद, भारत ने सुनामी से संबंधित विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली विकसित की है। हमारा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली आज विश्व की अग्रणी प्रणालियों में से एक मानी जाती है। हम लगभग दो दर्जन समुद्र तटीय देशों को भी यह जानकारी प्रदान कर रहे हैं।

मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद और चेन्नई स्थित INCOIS (भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा संस्थान), जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है, ने अत्याधुनिक प्रणाली विकसित की है, जो चौबीसों घंटे, हर क्षण, हर सेकंड जानकारी एकत्र करती है। इस जानकारी के आधार पर प्रारंभिक चेतावनी संकेत जारी किए जाते हैं। हाल का उदाहरण 'हुदहुद' चक्रवात और वर्ष 2012 में समुद्र में आए भूकंप का है, जहाँ इस प्रणाली ने सफलतापूर्वक कार्य किया।

हाल की वर्षा का भी उल्लेख किया है, जिस पर इस सदन में चर्चा किए जाने की संभावना है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों पर गर्व करता हूँ कि चेन्नई में यह सब घटित होने से चार दिन पहले ही हमारे विभाग ने अत्यंत सटीकता के साथ इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। हमने राज्य सरकार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बाढ़ राहत दल, मछुआरों तथा किसानों सहित सभी संबंधित पक्षों को समय रहते सूचित कर दिया था। हम लगातार उनके संपर्क में रहे हैं। तमिलनाडु का यह क्षेत्र सामान्यतः 49 प्रतिशत वर्षा प्राप्त करता है, अतः जो कुछ हो रहा है, वह मौसम के सामान्य स्वरूप के अनुरूप ही है। फिर भी, हमारा विभाग जो कुछ वैज्ञानिक विश्लेषण और पूर्व सूचना देने के लिए कर सकता है, वह सब हमने पूरी दक्षता से किया है। इस क्षेत्र में हमारे पास अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली उपलब्ध है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरी तरह सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्री डी.एस.राठौड़: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में भूकम्प की एडवांस जानकारी प्राप्त हो सके, इस विषय में ज्यादा शोध करने के लिए क्या विकसित देशों जैसे हाईटेक रिसर्च सैंटर स्थापित किए गए हैं? क्या ऐसा कोई शोध सैंटर स्थापित करने का आयोजन किया गया है या किसी तरह की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है? क्या राज्यवार ऐसे शोध केंद्र स्थापित करने की किसी तरह की कोई योजना है?

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदया, मैंने शुरू में ही बताया था कि जहां तक भूकम्प के प्रिडक्शन का सवाल है, आज की तारीख में दुनिया के अंदर जो भी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध है उसके तहत हम भूकम्प की जानकारी पहले से नहीं दे सकते हैं। अगर किसी स्थान पर भूकम्प आया है, उसकी जानकारी हम जल्दी से प्राप्त करके अपने देश में ऐसे सिस्टम्स को समय पर सूचित कर सके जैसे मान लीजिए कि हमें अपने यहां पावर सिस्टम को बंद करना है, रेल को बंद करना है या गैस पाइप लाइन में गैस की सप्लाई को रोकना है, इस तरह की आपातकालीन स्थिति के लिए हमारे यहां पहले से ही आईआईटी रुड़की और ताइवान की सहायता से हमारे गढ़वाल-कुमाऊं रीजन में 100 स्टेशन स्टेट आफ दि आर्ट लगाए हैं और उनके आधार पर हम सारी सूचना, डेटा क्लेक्ट करके भूकम्प के संदर्भ में जो भी पहले से किया जा सकता है, उसे करने की तैयारी कर रहे हैं।

इसके अलावा हमारा नेशनल सैंटर फार सिसमोलोजी है, उसने भूकंप की मोनिटरिंग के लिए सारे देश में 80 स्टेशंन का एक नेटवर्क बनाया है। इसके अलावा दो टेलीमीटरी क्लस्टर्स हैं। एक दिल्ली में है और इसके आस-पास के इलाके में है जिसके अंदर 16 स्टेशंस हैं। एक नार्थ-ईस्ट इंडिया में है, जिसके अंदर 20 स्टेशंस हैं। इसके अलावा करीब 150 ओब्जर्वेटरीज भी हम लोग मेनटेन कर रहे हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मदद से, यूनीवर्सिटीज की मदद से, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और दूसरी एजेंसीज की मदद से की जा रही हैं। इन 80 नम्बर स्टेशंस को अगले साल तक 150 स्टेशंस के अंदर बढ़ाकर परिवर्तित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में जो भी मार्डन रिसर्च इस संबंध में हो रही है, उसके समकक्ष भारत के अंदर भी इसी संदर्भ में काम हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री प्रेम दास राई: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विभाग द्वारा विशेषकर भूकंप और भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। मैं सिर्फ यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आज विश्व भर में, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र में, हम न केवल भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं, बल्कि भूकंप के कारण भूस्खलन और ऐसी ही अन्य आपदाएं भी आती हैं। इसलिए

मैं माननीय मंत्री महोदया, आपके माध्यम से यह बात पूछना चाहूंगा। आने वाले वर्षों में जलवायु परिवर्तन और भूकंपीय गतिविधियां दोगुनी हो जाएंगी। हम ऐसी आपदाओं के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं? जहां तक सिक्किम और उस विशेष क्षेत्र का प्रश्न है, हम भलीभांति जानते हैं कि किसी भी समय हम बड़े भूकंप के लिए तैयार हैं। हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इसका उत्तर दें? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कृपया अपनी सीट पर जाएँ। देश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. हर्ष वर्धन: मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि यह रणनीति किसी विशेष शहर या स्थान के लिए सीमित नहीं है। हमने संपूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए उसे चार क्षेत्रों में विभाजित किया है... (व्यवधान)। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक क्षेत्र और नगर में भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने सूक्ष्म-क्षेत्र निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई है, जिसमें यह देखा गया है कि कौन-सा क्षेत्र अधिक संवेदनशील है और कौन-सा क्षेत्र कम संवेदनशील। इन सूक्ष्म क्षेत्रों के अनुसार भी सलाह, योजना आदि के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ बनाई गई हैं ... (*व्यवधान*)

जहाँ तक जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि का प्रश्न है, हमारे मंत्रालय के अंतर्गत जो भी अनुसंधान और सुझाव आवश्यक हैं, वे सभी कार्य किए जा रहे हैं। हम पर्यावरण मंत्रालय सहित सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सिक्किम और

आस-पास के क्षेत्रों को लेकर उनकी चिंता पूरी तरह उचित है, क्योंकि वे भूकंपीय गतिविधियों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इन मुद्दों के समाधान हेतु कोई भी कसर न छोड़ी जाए।

(प्रश्न संख्या 42)

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, सवाल का जवाब मुझे मिला, लेकिन जब मैं आदरणीय मंत्री महोदय से फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में पूछ रही थी, तो दो विषयों के उत्तर के संदर्भ में मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया। हम इस देश में हर वक्त सूखा और बाढ़ को एक्सट्रिमिटी में देखते हैं। सूखे के लिए मॉइस्चर सिक्युरिटी का अभ्यास होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से हम बाढ़ के संबंध में जितनी जल्दी लोगों को वार्निंग दे सकेंगे, उतना ही किसानों के लिए फलदायी होगा। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि 24 घंटे पहले रेन-फोरकास्ट हो सकता है या नहीं, तो उसमें लिखा गया था, नहीं। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की जो 255वीं रिपोर्टर्स थीं, उसमें डिपार्टमेंट के सेक्रेट्री ने कहा था कि 31 मार्च, 2015 में "हमारे पास वर्षा से 24 घंटे पहले पूर्वानुमान लगाने की क्षमता है।" लेकिन यहाँ पर उत्तर 'नहीं' में दिया गया था। मैं यहाँ पर इस प्रकार से सवाल पूछना चाहती हूँ कि बंगलादेश हमारा नजदीकी राष्ट्र है और मित्र राष्ट्र है, उसने ज्वाइंट इनिसिएटिव नासा और यूएस एड के साथ जेएसएन-2 सैटेलाइट के साथ अपना संदर्भ रखा और उस सैटेलाइट के द्वारा बंगलादेश में नौ जगहों पर दिन पहले फ्लड वार्निंग सिस्टम से आठ दिन पहले फोरकास्ट किया जाता है कि ज्यादा वर्षा कब होगी और नौ जगहों पर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी से कितनी बाढ़ आ सकती है। वहाँ इतने अच्छे रूप से काम हो रहा है और आठ दिन पहले वहाँ के लोगों को इसकी वार्निंग मिल जाती है। क्या हम सार्क देशों के रूप में इस काम को कर सकते हैं? प्रधानमंत्री खुद ही वर्ष 2014 में अमेरिका गये थे और वहाँ पर यूएस इन द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में सिविल स्पेस पर एग्रीमेंट किया था। वर्ष 2021 में नासा और इसरो का एक निसार सैटेलाइट भी आ रहा है। लेकिन उसके पहले नासा का उपयोग करके बंगलादेश और नेपाल उसका फायदा उठा रहे हैं। सार्क के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का पूर्ण केन्द्र दिल्ली में है। सार्क के साथ टाय-अप करके, जिस प्रकार से बंगलादेश इसका फायदा ले रहा है, क्या हम उसका फायदा लेकर भारत में इसका उपयोग कर सकते हैं?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, आदरणीय सदस्या की चिन्ता उचित है और आज की परिस्थिति में इसका एक महत्व यह भी बनता है, जैसा उल्लेख आ रहा था कि तमिलनाडु में भी इस प्रकार की वर्षा हुई है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। उनके प्रश्न में दो-तीन बातें आ गयी हैं। पहले तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारा जो डिजास्टर प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है, वह किसी भी तरह से किसी भी दूसरे देश की तुलना में कम नहीं है।

जहां तक दूसरे देशों का उससे लाभ उठाने का सवाल है, निश्चित ही सेटेलाइट के द्वारा जो इमेजेज उपलब्ध होती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि कहां हिन्दुस्तान की हद खत्म होती है और पाकिस्तान की हद शुरू होती है, इसलिए आस-पास के सारे देशों को उसका लाभ मिलता है। अजीब संयोग है कि आज फ्लड की प्रेडिक्शन की जो बात आई है, होता यह है कि रेनफाल की प्रेडिक्शन एकुरेटली करने का प्रावधान है और आज भी जब मैं इस समय यहां बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में इस समय जो वर्षा चल रही है, उसके बारे में 72 घण्टे पहले हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से भविष्यवाणी की गयी थी कि 175 सेंटीमीटर वर्षा होने वाली है। अभी मैं यह नहीं कह सकता कि 175 सेंटीमीटर वर्षा हो गयी या नहीं। [अनुवाद], जो सीधे तौर पर वर्षा की भविष्यवाणी से संबंधित नहीं है। यह कई अन्य निर्धारकों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, वहां पानी का बहाव कैसा है, नदी का डिस्चार्ज कैसा है और आजकल के जमाने में जो बातें सामने आती हैं कि कहीं एनक्रोचमेंट हो गयी, जिससे उसका आउटफ्लो ब्लॉक हो गया, कहीं रिवर बेड इरोड हो गया। ...(व्यवधान) जिस प्रकार चेन्नई में छोटी-छोटी नदियों के निकास के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। हालांकि लगभग हर दस वर्ष में इस प्रकार की वर्षा तमिलनाडु और चेन्नई में देखने को मिलती है। पिछले कुछ महीनों में एवं गत एक-दो वर्षों में इस प्रकार की परिस्थिति अन्य जगहों पर भी देखने को मिली, जैसे पिछले वर्ष श्रीनगर में बाढ़ आई थी। उस समय भी ऐसा हुआ। ...(व्यवधान) परन्तु जहां तक फोरकास्ट का प्रश्न है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि तमिलनाडु के सन्दर्भ में बात करें, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बारे में हमने पिछले तीन-चार दिनों के अंदर ही, 11 नवम्बर, 14 नवम्बर, 17

नवम्बर और 22 नवम्बर को बताया गया था। 11 नवम्बर को बाढ़ आने से पहले ही यह भविष्यवाणी कर दी गयी थी कि चिदम्बरम और कुडुलूर के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। फ्लड आएगी या नहीं, वह रेनफाल के बाद पता चलता है। जहां तक फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात है, माननीय सदस्य ने उत्तर पूर्व और बांग्लादेश को लेकर बहुत अच्छा सुझाव दिया। वास्तविकता यह है कि फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम का विचार उत्तर पूर्व क्षेत्र को लेकर ही आया था और असम की ओर से उसका सुझाव आया था। पहले हमारी रेनफाल प्रेडिक्शन मात्र सेटेलाइट इमेजेज पर आधारित थी, परन्तु सेटेलाइट इमेजेज और डॉप्लर रडार, दोनों को मिलाकर उसकी एकुरेसी बढ़ गयी। यह प्रयोग बड़ा सफल रहा है, अब इसको आन्ध्र प्रदेश और बिहार में भी उपयोग में लाया जा रहा है, ग्लेशियर लेक्स पर भी प्रयोग में लाया जा रहा है और तमिलनाडु के संबंध में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह कह दिया जाए कि फ्लड क्यों आया, यदि भविष्यवाणी हुई थी, तो यह उचित नहीं होगा क्योंकि किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है, [अनुवाद] इसका परिणाम क्या होगा यह वहां की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

श्रीमती पूनम महाजन: मैडम, दो प्रश्नों का उन्होंने पहले ही अच्छा जवाब दिया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने चेन्नई के बारे में कही, जो मैं पूछने वाली थी। चेन्नई ही नहीं, मैं मुंबई शहर से आती हूं, जिस प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन जैसे बहुत से कारण होंगे, जिनकी वजह से नेचुरल डिजास्टर और मैनमेड डिजास्टर्स साथ में आकर लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। लेकिन चाहे मुंबई शहर हो...(व्यवधान) सूरत में भी बाढ़ आई थी और ऐसी ही बाढ़ अभी चेन्नई में आई है। इसके लिए आइएमडी, सेंट्रल वाटर कमीशन और इसरो साथ में मिलकर ...(व्यवधान) मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, वर्ष 2011 की तीन पेज की रिपोर्ट थी, उसमें यह लिखा गया था...(व्यवधान) कि हम किसानों को, अंतरिक्ष में जो सेटेलाइट इमेजेज हैं, जहां पर ज्यादा बाढ़ आने वाली है, वह दे सकते हैं। अब तक उसके लिए अंतरिक्ष कारपोरेशन के साथ टाई-अप हुआ है, लेकिन लोगों तक वह पहुंच नहीं पा रहा है। अब चेन्नई में जो बाढ़ आई है, आपने बहुत

अच्छे करेक्टिव मेजर्स लिए हैं, लोगों को बताया है, लेकिन जैसा मुंबई में मीठी नदी की वजह से हुआ, सूरत और चेन्नई में हुआ था, क्यों न वाटर लेवल राइज होते वक्त हम म्यूनिसिपल कारपोरेशन के साथ इसरो टाइ-अप करे और उनको अगर ज्यादा सेटेलाइट इमेजेज पहले दें तो वह ज्यादा लाभदायी होगा।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की चिंता उचित है। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की वार्निंग दी भी जा रही है। स्पेस इसरो की ओर से भुवन पोर्टल है, वेबसाइट पर उसको समय-समय पर अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ गृह मंत्रालय की ओर से नेशनल डिजास्टर एजुकेशन मैनेजमेंट का एक पोर्टल अलग से चलता है। वहां वर्षा क्यों आयी और उसके क्या परिणाम, यह तो वहां की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसा कि इन्होंने सूरत और मुम्बई का उल्लेख किया, लेकिन हम उस सब में न जाते हुए, जहां तक ईसरो का संबंध है फोरकॉस्ट और मौसम की भविष्यवाणी अब लगभग शत-प्रतिशत एक्योरेट हो रही है। हालांकि इस एक्योरेसी में तीन दिन पहले जो फोरकॉस्ट की जाती है, वह एक्योरेट होती है। उसके बाद भी हम उन तीन दिनों के भीतर अपडेट्स देते रहते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (नाग): माननीय अध्यक्ष महोदया, हाल ही में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली से बहुत मदद नहीं मिली है। इसलिए, यदि हम एक सफल बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि समुद्र में जाने वाले किसानों और मछुआरों को बाढ़ के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किस प्रकार की निगरानी क्षमता का निर्माण किया है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: महोदया, मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यह विषय इतना गंभीर है कि इसे केवल एक मंत्री द्वारा नहीं निपटाया जा सकता। वास्तव में, तीन या चार मंत्रालय इस विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक अंतरिक्ष विभाग और इसरो का प्रश्न है, तो इस विभाग की जिम्मेदारी है कि उपग्रहों और रडार की सहायता से पूर्वानुमान उपलब्ध कराए। इसके साथ ही, गृह मंत्रालय की भी इसमें

अहम भूमिका होती है क्योंकि यह विषय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तीसरा मंत्रालय, जो इस विषय से जुड़ा है, वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जिससे संबंधित प्रश्न पहले भी पूछा गया था। इन तीनों मंत्रालयों एवं अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से—रेडियो प्रसारण, एसएमएस प्रणाली आदि के जरिए—जनता तक पहुँचाई जाती हैं। वर्तमान में किसानों को भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से एसएमएस के ज़रिए मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

इसलिए, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं, लेकिन पूर्वानुमान अपने आप में एक बहुत ही जोखिम भरी प्रक्रिया है। कल रात मैं 'पूर्वानुमान' की परिभाषा पर विचार कर रहा था, तभी मुझे लगा कि आज मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। लेकिन मुझे इसका उचित अर्थ नहीं मिल सका। एक शब्दकोष में 'पूर्वानुमान' की एकमात्र परिभाषा यह है कि यह भविष्य में किसी समय किसी चर के मूल्य का पूर्वानुमान है। तो, आप समझ सकते हैं कि यह कितना कठिन है। लेकिन इसके बावजूद, इन विभिन्न मंत्रालयों की तालमेल के कारण, काफी अच्छा काम हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी के द्वारा दिए गए लिखित उत्तर को पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन्स हैं, जो अलग-अलग राज्यों के साथ काम कर रहे हैं। असम के साथ नॉर्थ-ईस्ट अप्लीकेशन सेंटर है और गोदावरी फ्लड के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है। हमारा एक और स्पेस अप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है जो एक्सपैरिमेंट लेवल पर काम कर रहा है। इस तरह से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन्स हैं जो इंडीपेंडेंटली आइसोलेशन में काम कर रहे हैं, जबकि हमारा मकसद एक ही है कि हमें फ्लड वॉर्निंग सिस्टम को प्रिडिक्ट करना है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई एक नोडल एजेंसी बनाने का विचार है, जिससे हम इन सभी सेंटर्स और अप्लीकेशन्स को इंटीग्रेट कर सकें। जब हमारा मकसद एक ही है। हम सभी को इंटीग्रेट करके एक एजेंसी

बनाएं। आज वातावरण में इतना बदलाव आ चुका है कि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। उसका उदाहरण चेन्नई और दक्षिण आंध्र प्रदेश है। हमारे रायल सीमा डिस्ट्रिक्ट चित्तूर, कड़प्पा या नेल्लोर की बात करें तो पिछले 60-70 साल में कभी इतनी वर्षा नहीं हुई, जितनी अब हो रही है। पूरे साल का एवरेज देखा जाए तो 1.94 सेंटीमीटर्स ही वर्षा होती थी, लेकिर इस बार 5 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वहां हुई है। हमारे पास प्रिडिक्शन के लिए एक भी एजेन्सी नहीं है, जहां से हम कुछ कंसल्ट करें या कुछ सलाह लें। इसलिए यह मेरा प्रश्न भी है और सजेशन भी है कि ऐसी एक एजेन्सी बना सकते हैं और जो होलिस्टिक एप्रोच की हो। रत्ना जी भी कह रही थीं कि बाकी मिनिस्ट्रीज से भी एक इंफार्मेशन लें। [अनुवाद] ऐसा इसलिए है, क्योंकि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण अब समय आ गया है कि हम इस समस्या को गंभीरता से लें। धन्यवाद, महोदया। … *(व्यवधान)*

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का सुझाव अत्यंत सराहनीय है... (व्यवधान)। पहले से ही केंद्र स्तर पर अंतर-मंत्रालयी टीमें, अंतर-केंद्र टीमें तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु अंतर-राज्यीय टीमें कार्यरत हैं... (व्यवधान)। जैसे केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) कार्य कर रहा है, वैसे ही प्रत्येक राज्य में भी आपदा प्रबंधन से संबंधित अपनी-अपनी इकाइयाँ स्थापित हैं। ...[हिन्दी] उसका आपस में भी समन्वय करने का प्रोसैस चलता रहता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अब कहीं-कहीं पहले जो प्रदेश प्रति वर्ष या समय-समय पर ही बाढ़ से ग्रस्त होते रहते थे, वहां उसकी विजिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। इसी कारण जो फ्लड एडवांस वार्निंग का सिस्टम था, इसकी शुरूआत असम से हुई, क्योंकि असम एक ऐसा प्रदेश था। अब जम्मू-कश्मीर में इसे लेकर उस प्रदेश की ओर से ज्यादा कोई रुचि नहीं थी, शायद इसका कारण यह था कि वहां पहले कभी बाढ़ नहीं आई थी। लेकिन पिछले वर्ष जब बाढ़ आई तो उसके बाद वहां भी उन्होंने इसका पूरा उपयोग लेना शुरू कर दिया है।

जहां तक स्पेस डिपार्टमैन्ट का संबंध है, जैसा मैंने कहा कि हमारे पास भुवन का जो पोर्टल है, उसमें सभी प्रदेशों को लेकर तथा प्रदेशों से बाहर भारत की सीमा से बाहर के भी कुछ क्षेत्र चूंकि उसमें रिफ्लैक्ट हो

जाते हैं, इसलिए उनकी समय-समय पर भविष्यवाणी दी जाती है। [अनुवाद] इसके लिए निरंतर विकास की आवश्यकता है। [हिन्दी] जैसा आपने कहा कि अब समय-समय पर मौसम का भी मिजाज बदलता जा रहा है। जहां पहले रेनफाल कम होता था, अब अधिक होने लगा है और जहां होता था, वहां नहीं होता। हमारे आंकड़े यह दर्शाते हैं कि देश में फ्लड्स, ड्राउट और अर्थक्वेक, ये इतना अधिक लैंडमास है, [अनुवाद] यदि आप मुझसे आंकड़े पूछें तो भारत का लगभग 60 प्रतिशत भूभाग भूकंप प्रवण है, 68 प्रतिशत सूखा प्रवण है तथा 8 प्रतिशत चक्रवात प्रवण है। ... *(व्यवधान)* यह लगातार विकसित हो रहा है। इसलिए, हमारे तंत्र को भी निरंतर विकसित करना होगा। … *(व्यवधान)* मुझे आशा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी सलाह अच्छी तरह से ली गई है और यह निश्चित रूप से हमारी चिंता भी है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43

मेरा एक सुझाव है कि प्रश्न संख्या 43 एवं 47 करीब-करीब एक जैसे ही हैं, मैं प्रश्न संख्या 47 वालों को भी इसमें अलाऊ करूंगी। ।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप क्लब कर सकती हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न लगभग एक जैसे हैं।

(प्रश्न संख्या 43 और 47)

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे देश से बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अरब कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। अभी 2022 में कतर में फुटबाल वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में भारत से श्रमिक वहां काम करने के लिए जा रहे हैं। यह संख्या लगभग पांच लाख तक पहुंच सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में यह आया है कि भारत से जो श्रमिक वहां पर जा रहे हैं, वहां भवन निर्माण के काम में, सड़क निर्माण के काम में और बाकी अन्य कामों में उनका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन वहां बड़ी मात्रा मे भारतीय श्रमिकों का शोषण हो रहा है और यह शोषण आगे भी होगा, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। क्योंकि उनका मानना है कि कतर में उनकी कोई आत्मा ही नहीं होती है। सबसे ज्यादा असहिष्णुता भारतीय श्रमिकों के प्रति वहां पर देखने को मिलती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या सरकार कतर के मजदूरों की सुरक्षा के मुद्दों को देखने के लिए नये सिरे से पहल करेगी और लेबर संधि के प्रावधानों पर भी कुछ बातचीत करेगी, ताकि भारतीय मजदूरों की सेफ्टी के साथ-साथ उनके शोषण को रोकने और समाप्त करने की दिशा में पहल की जा सके और क्या इस संबंध में कोई टास्ट फोर्स भी बनाने की पहल की जायेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूंगी कि केवल कतर में ही नहीं बल्कि खाड़ी के छः के छः देशों में लगभग 70 से 72 लाख भारतीय श्रमिक काम कर रहे हैं। बीच-बीच में उनके शोषण की शिकायतें आती थीं। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि इस शोषण को समाप्त करने के लिए हमारी वर्तमान सरकार पुरानी व्यवस्थाओं में भी कसावट लाई है और नई व्यवस्थाएं भी खड़ी की है। जहां तक पुरानी व्यवस्थाओं का सवाल है, ओपन हाउस की एक व्यवस्था थी। लेकिन हमने तय किया है कि हमारे एम्बैसेडर स्तर पर ओपन हाउस हुआ करेंगे। कुछ तो ऐसे देश हैं, जहां के एंबेस्डर्स रोज़, विदाआउट फेल ओपन हाऊस करते हैं, 11 से 12 बजे तक, जैसे यूएई के एंबेस्डर रोज़ बैठते हैं। इसी तरह से कतर में जो हमारे एंबेस्डर हैं, वे बहुत ज्यादा श्रमिक फ्रेंडली माने जाते हैं।

यह कहना कि उनका शोषण हो रहा है, कतर की कोई आत्मा ही नहीं है, ऐसी बातें यहां कहना अच्छा नहीं लगता है। मैं यह बताती हूँ कि हमने जो नई व्यवस्थाएं खड़ी की हैं, उसमें ई-माइग्रेट और मदद के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है। ई माइग्रेट में तो रिक्रुटमेंट का जो सारा प्रोसिजर है, उसको हमने पारदर्शी बनाया है। लेकिन जो मदद पोर्टल है, उसमें हमने कलर कोडिंग भी रखी है कि आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है, तो पहले वह ग्रीन होगा, अगर उतने समय में कर दिया गया तो ग्रीन हट जाएगा, अगर नहीं हुआ तो ग्रीन का पीला हो जाएगा, फिर पीले में भी नहीं हुआ तो लाल हो जाएगा। इससे एंबेसीज़ में भी प्रतियोगिता बढ़ी है। क्योंकि कोई यह बदनामी नहीं चाहेगी कि मेरी कलर कोडिंग रेड रहे। इसके ऊपर डायरेक्ट मॉनिट्रिंग मैं भी कर रही हूँ और प्रधान मंत्री जी भी कर रहे हैं। मैं माननीय सांसद को बताना चाहूंगी कि कोई भी ट्वीट अगर मेरे ट्वीटर पर आता है तो 24 घंटे के अंदर मैं उसका निराकरण करती हूँ। प्रधान मंत्री जी जब भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं तो सबसे पहले एंबेसी को कहते हैं कि पराए देश में तुम्ही इनके दोस्त हो, तुम्ही अपने हो और यहां तक कि यूएई में तो बोलते हुए, उन्होंने ई-माइग्रेट की एक शिकायत थी, उसका भी ज़िक्र मंच से किया और कहा कि 17 दिसंबर तक इसको ठीक करो। क्या कभी पहले कभी किसी प्रधान मंत्री ने इन चीजों को अपनी प्राथमिकता में रखा है? इसलिए मैं अपने सांसद महोदय से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल चिंता नहीं करें। एक-एक श्रमिक की, चाहे वह कतर में हो, चाहे वह यूएई में हो, चाहे वह सऊदी अरब में हो, चाहे वह कुवैत में, बहरीन में हो या ओमान में हो, हम लोग पूरा मन लगा कर के अपने श्रमिकों का शोषण समाप्त करने की तरफ काम कर रहे हैं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार: महोदया, जो बड़ी संख्या में श्रमिक हमारे देश से जाते हैं, उसमें से बहुत सारे श्रमिक आशिक्षित होते हैं। इस कारण से उनमें से कई श्रमिकों को फर्ज़ी वीज़ा पासपोर्ट के आधार पर ले जाया जाता है। उनकी अवधि समाप्त होने पर, उनको वहां से वापस आने के लिए अंतिम वीज़ा मिलना चाहिए, उनके नियोक्ता वीज़ा नहीं देते हैं। छुट्टी के बाद वापस जाते हैं, तो उसके लिए पुनः प्रवेश परमिट लगता है। वह देने में भी उनको परेशान किया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि अभी जो कतर

वाली बात कही, कतर में गिरीडीह-पचम्मा के चार श्रमिक आज भी पर फंसे हुए हैं, जो लगतार वहां से प्रार्थना कर रहे हैं, वहां के सांसद से भी वे लगातार संपर्क कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार, इन गल्फ देशों में जो भारतीय मिशन हैं, वहां कार्यरत हमारे आधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनांएगे, जिससे वे भारतीय मज़दूरों के दस्तावेज़ों की समय-समय पर जांच पड़ताल कर सकें और समय-समय पर उनके रहन-सहन और कार्य करने की परिस्थितियों तथा हालातों की समीक्षा कर उनसे फीड बैक ले सकें। क्या सरकार रियाद के साथ एक विस्तृत लेबर माइग्रेशन पॉलिसी बनाने की पहल करेगी, ताकि भारत सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जो श्रमिक भेजता है और रियाद ही ऐसा जीसीसी देश है, जिसने भारत के साथ ऐसा कोई एग्रीमेट नहीं किया है। क्या माननीय मंत्री जी इस सबंध मे बताएंगी कि कोई पहल करने वाली हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि अगर मेरा पहला उत्तर अच्छे से उन्होंने सुन लिया होता तो शायद यह प्रश्न ही नहीं निकलता। क्योंकि मैने खुद ही कहा है कि हम लोग एंबेसीज़ में इतनी कसावट ले कर आए हैं, और मैं माननीय सांसद को यह भी बात दूं कि नियोक्ता वीज़ा नहीं देता है। वीज़ा तो सरकार देती है। इसलिए वे अपने पास पासपोर्ट रख लेते हैं। आपकी यह शिकायत जायज़ है कि वे पासपोर्ट रख लेते हैं और पासपोर्ट नहीं देते हैं। वीज़ा से नियोक्ता का कोई लेना-देना नहीं है। वीज़ा तो एंबेसी देती है। जब उनका वीज़ा खत्म हो जाता है तो वे एंबेसी के पास आते हैं और एंबेसी वीज़ा देती है, नियोक्ता वीज़ा नहीं देता है। हाँ ये शिकायतें होती थीं कि वे पासपोर्ट रख लेते थे, इसलिए आने नहीं देते थे। जैसा मैंने कहा कि ओपन हाऊस होता है, वह एंबेसी में आ कर बात करते हैं तो हम कोशिश यह करते हैं कि नियोक्ता से ही पासपोर्ट ले लें। अगर नियोक्ता से पासपोर्ट नहीं मिलता है तो वे एग्ज़िट सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट बना कर देते हैं। जिन चार श्रमिकों की बात वे कर रहे हैं। ऐसा कोई केस मेरे सामने नहीं आया है। मैं आज ही कहना चाहती हूँ कि चाहे वीरेंद्र कुमार जी स्वयं या वहां के सांसद मुझे चारों श्रमिकों का केस दे दें, हम तुरंत उसका निराकरण करवाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री कलिकेश एन. सिंह देव - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.आर. पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री महेश गिरी।

श्री महेश गिरी: महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कामगारों, विद्यार्थियों सहित विदेशों में काम करने वाले भारतीयों का कोई डाटा बेस रखा जाता है या नहीं? अगर हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह मूल प्रश्न था और मूल प्रश्न का जवाब मैंने लिखित में भी दे दिया है। ...(व्यवधान) वैसे भी मैं बता दूँ कि जो ईसीआर कंट्रीज हैं, केवल उनका डाटा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय रखता है, स्टूडेंट्स का कोई डाटा नहीं रखता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री महेश गिरि, मुझे लगता है कि आपका कोई अन्य अनुपूरक प्रश्न नहीं है।

श्री महेश गिरी: जी हां, महोदया... *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.आर. सुंदरम।

... *(व्यवधान)*

श्री पी.आर. सुन्दरम: माननीय अध्यक्ष महोदय, विदेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति दयनीय है तथा बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों को गैरकानूनी अनियमित एजेंटों द्वारा फंसाया गया है तथा खाड़ी देशों में श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। विशेषकर, बिना किसी सुरक्षा के महिला घरेलू कामगारों का जीवन भी गंभीर खतरे में है।

हाल ही में तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले की श्रीमती कस्तूरी मुनिरथिनम, जो एक घरेलू कामकाजी महिला थीं, सऊदी अरब में अत्याचार का शिकार हुईं। वहाँ के निर्दयी नियोक्ता द्वारा उन पर हमला किया गया और अंततः उनका दायां हाथ काट दिया गया। श्रीमती कस्तूरी की इस पीड़ादायक स्थिति को देखते हुए

हमारी माननीय डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने ₹10 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। ... *(व्यवधान)*

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आगे आएगी? साथ ही, क्या सरकार उनकी आजीविका की सुरक्षा हेतु किसी प्रकार का मुआवजा पैकेज प्रदान करने की योजना बना रही है?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो-तीन प्रश्न इकट्ठे पूछे हैं।...(व्यवधान) पहले तो मैं यह बता दूँ कि उन्होंने यह ठीक कहा कि जो अनरजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट्स हैं, वे अनस्क्रूप्लस भी होते हैं।...(व्यवधान) उनके माध्यम से इस तरह से जो लोग जाते हैं, वे फर्जी जाते हैं।...(व्यवधान) हमारे यहाँ यह कहा गया है कि रजिस्टर्ड एजेंट तो हमारे यहाँ ई-माइग्रेट पर आ जाते हैं। अनरजिस्टर्ड एजेंट, यह अपने आप में एक अपराध है।...(व्यवधान) इसलिए अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट्स को स्टेट एजेंसीज, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्रावधान अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट के थ्रू जाने का नहीं है।...(व्यवधान) वास्तव में वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। हम तो इस पर भी विचार कर रहे हैं कि अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट के द्वारा जो महिलायें खासतौर पर भेजी जाती हैं, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग की परिभाषा में, एक्ट में लाया जाए।...(व्यवधान)

जहाँ तक कस्तूरी मणिरत्नम की बात है, वह बहुत ही कष्टदायक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मैं जयललिता जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनको दस लाख रूपए की मदद की।...(व्यवधान) हम उनको वहाँ से 7.पूर्वाह्न 11.15 को यहाँ लेकर आए।...(व्यवधान) यह 5.10.15 का केस है। ...(व्यवधान) 5 अक्टूबर को हमारी एम्बेसी को पता चला कि कस्तूरी मणिरत्नम नाम की एक महिला जो हाउस मेड के तौर पर सऊदी अरब में काम करती थी, किंगडम हॉस्पिटल, रियाद में भर्ती है।...(व्यवधान) हमारी एम्बेसी के लोगों ने उनसे संपर्क किया और बयान लिया, तो उसने कहा कि मेरा दाहिना हाथ, मेरे स्पांसर यानी जिनके यहाँ मैं काम करती थी, उस मालिक ने काट दिया है।...(व्यवधान) उसी समय हम लोगों ने फॉरेन मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री से सम्पर्क किया और पुलिस स्टेशन से सम्पर्क करके रिटेन नोट दिया। जिसमें हमने कहा कि इस केस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया जाए, यह हम लोगों ने उन्हें बोला है।...(व्यवधान) लेकिन मुझे दुखः है कि 16 तारीख को सऊदी अरब की सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति दी और उसमें यह कहा कि यह हाथ काटे जाने की घटना नहीं है। यह तो वह घर छोड़कर भाग रही थी, इसलिए

ऊपर से नीचे गिर गई, यह केस है। मुझे आपको यह भी बताते हुए खुशी है कि हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अभी न्यूयार्क में प्रधानमंत्री जी की भेंट सऊदी नरेश से हुई और वहाँ उन्होंने यह कहा कि मैं अपनी बात इससे शुरू करना चाहता हूँ कि कस्तूरी मणिरत्नम को न्याय मिलना चाहिए और अभी भी स्वयं प्रधान मंत्री जी ने उसके लिए न्याय की मांग सऊदी नरेश से की है। [अनुवाद] लेकिन 7 नवंबर को उसकी जो सेलेरी बनती थी, वह देकर हम उसको यहाँ वापस ले आए हैं। अब उसका इलाज तमिलनाडु के एक हॉस्पिटल में हो रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं। [अनुवाद] मुझे खेद है, कृपया अपनी सीटों पर चले जाइये।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आपने दोनों सवालों को जोड़ दिया, यह अच्छा है। सरकार हमेशा कहती आई है कि इसको ऑर्गनाइज़ कर रहे हैं। [अनुवाद] हमारे देश से गरीबी या बेरोज़गारी के कारण जो लोग विदेश जाते हैं, खासकर असंगठित मज़दूर और डोमैस्टिक हैल्पर जाते हैं और यहाँ तक चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग होती है, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने कहा कि इसमें ट्रैफिकिंग का मामला भी है जो अनॉथराइज्ड एजेन्ट्स द्वारा जाते हैं। [हिन्दी] खासकर गल्फ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब में वे स्लेवरी का शिकार हो रहे हैं। अक्सर ये हमारे देश के ऐसे क्षेत्रों से जाते हैं जो गुर्बत का शिकार हो रहे हैं। आज इंटरनेशनल एंटी स्लेवरी डे है। मैं मंत्री महोदय से खासकर पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की बाँडेड लेबर है और विदेश में जाकर हमारा देश गुलामी का शिकार हो रहा है, देश की गरीब जनता शिकार हो रही है, उसके लिए सरकार द्वारा घोषित अनुसूची के अलावा अक्सर जो शिकायत आपके पास दी जाती है कि उनको पकड़ा गया, अंदर रखा गया, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, गुलामी की ज़िन्दगी जी रहे हैं, क्या सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कोई ऐसा सैल राज्य सरकारों के साथ उन

आइडैंटिफाइड जिलों में बनाएगी जहाँ से ये आउटसोर्स होते हैं और कोई भी शिकायत हो तो दोनों तरफ से, सप्लाई और डिमांड एंड से सरकार कोआर्डिनेटेड कार्रवाई करे? ...(व्यवधान)

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, मुझे माननीय सदस्य सलीम जी को यह बताते हुए खुशी है कि जो बात उन्होंने कही है, वह हमने पहले ही कर ली है। खास तौर पर जो डोमैस्टिक वर्कर्स अनॉथराइज्ड तरीके से जाती हैं, वे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गोदावरी और कडप्पा जिले की हैं। मैंने दोनों के मंत्रियों को बुलाया। [अनुवाद] जो ऐसी महिलाएँ गई हुई थीं और जिनको शोषण के कारण हम लोग वापस लेकर आए, उनको भी बुलाया और उनके साथ बैठकर हमने मीटिंग की। उन्होंने रो-रो कर कहा कि आप उनका जाना बैन कर दीजिए, बिल्कुल डोमैस्टिक वर्कर्स भेजिए ही मत।

मैंने फिर कंसलटेटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई जहाँ राय बँट गई। वहाँ सबने एकमत से नहीं कहा कि आप इसको बंद कर दीजिए। यह कहा कि यह पेट की भूख का मामला है, इसलिए इसमें कुछ और करिये। इतना मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हमने यह शोषण रोकने के लिए यह काम किया कि कोई भी रिक्रुटमैंट एजेन्ट के माध्यम से ऐसी महिला नहीं जाएगी, कोई डोमैस्टिक वर्कर नहीं जाएगा। केवल सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से जाएँगी और सरकारी एजेन्सियों को हमने कह दिया कि आप कोई पैसा लिए बिना उनका रिक्रुटमैंट करेंगे और केवल सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से जाएँगी। कोई ऐसी जो स्लेवरी वाली बात है जो इन रिक्रुटमैंट एजेन्सियों के माध्यम से जाती थीं, उसको हमने बंद कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अब, आज की स्थिति में, 1983 का आव्रजन विनियमन अधिनियम केवल उन भर्ती एजेंटों को नियंत्रित करता है जो अधिनियम के दायरे में आते हैं, और वे इसमें कम कुशल श्रमिकों की भर्ती करते हैं। लेकिन जो

लोग उच्च-कुशल श्रमिकों और पेशेवरों की भर्ती करते हैं, वे कानून के दायरे से बाहर रहते हैं। इतना ही नहीं, जिन छात्रों ने बाहर दाखिला लिया था, वे भी आव्रजन विनियमन अधिनियम 1983 के दायरे से बाहर हैं।

इसे देखते हुए, क्या सरकार किसी ऐसे कानून या विधेयक पर विचार कर रही है, जो विदेशों में रोजगार के लिए संपूर्ण भर्ती उद्योग को कवर करता हो, चाहे वे किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए श्रमिकों की भर्ती करते हों या यहां तक कि उन छात्रों को भी कवर करता हो जो पढ़ाई के लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही है कि हमारा जो एक्ट है, वह केवल उन्हें रेगुलेट करता है जो ईसीआर कंट्रीज़ में जाते हैं। उस एक्ट का नाम ही ई.सी.आर. 1983 एक्ट है तो 1983 का जो एक्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षा उन्हें ही चाहिए। वे दसवीं फेल हैं, उनकी शिक्षा इतनी कम है कि उनको सुरक्षा चाहिए, इसलिए यह जो 1983 का एक्ट है, यह केवल उन्हें ही रैगुलेट करता है, बाकियों को रैगुलेट नहीं करता। लेकिन हम इस कोशिश में हैं कि हम इस एक्ट को बदलें। जो नया एक्ट है, वह कंसल्टेटिव कमेटी के माध्यम से बाकी हम ओपन रख लें, क्योंकि ये कह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि यह एक्ट बदला जाये, यह पुराना भी बहुत है, 1983 का है, इसके प्रावधान भी बहुत आउटडेटिड हैं। इसकी जगह एक नया इम्मीग्रेशन बिल हम लोग लाना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : शॉर्ट क्वश्चन का ही टाइम है।

श्री भगवंत मान: शुक्रिया, मैडम, बहुत शॉर्ट है। क्योंकि पंजाब से बहुत भारी संख्या में गल्फ कंट्रीज़ में पंजाबीज़ काम करते हैं, मैडम सुषमा स्वराज जी के साथ जब इराक के मामले में काम किया था, इनको सब डिटेल्स पता हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि वे पासपोर्ट रख लेते हैं। भारतीयों को एक एजेण्ट दूसरे एजेण्ट को हैंडओवर कर देता है, किसी न किसी वजह से कोई बीमार हो जाये या किसी की मृत्यु हो जाये या कोई न कोई जो कम्पनी के चंगुल से बच जाते हैं तो वे जब भारतीय दूतावास में सम्पर्क करते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप कम्पनी से एन.ओ.सी. लेकर आइये।

कम्पनी तो एन.ओ.सी. देती नहीं तो क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान हो सकता है कि जो जख्मी हो गये हैं या कम्पनियों के चंगुल से बचकर निकल गये हैं, उनको भारत के इमरजेंसी कार्ड पर वापस बुलाने का प्रावधान हो सके? ऐसा बता सकते हैं, मंत्री जी।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है। आपने उत्तर दिया है।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्रीमती सुषमा स्वराज : जो बात भगवन्त मान जी ने कही है, वह सऊदी अरब में लागू है कि वे एन.ओ.सी. मांगते हैं और हम लोग इसलिए इस पर बातचीत उनके साथ भी कर रहे हैं कि जिसके शोषण से निकल कर भागा है, उसे वह एन.ओ.सी. कैसे देगा। इसलिए जो एम.ओयूज़. हम उनके साथ कर रहे हैं, उन एम.ओयूज़. में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, वहां पर उनका अपना शरीयत का एक रूल है, जिसमें वे कहते हैं कि आप एन.ओ.सी. लाकर के दीजिए। लेकिन यह अपने आपमें एक अन्याय है और मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जिसके शोषण के कारण से वापस आना चाह रहे हैं, वह एन.ओ.सी. कैसे देगा। इसके ऊपर हमारी बातचीत सऊदी अरब से चल रही है।

*प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 44 से 46, 48 से 60
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 490)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>**अपराह्न 12.02 बजे**</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सदन की पटल पर कागजात रखे जाने हैं।

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, उमियम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, उमियम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 3216/16/15]

(2) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 3217/16/15]

(3) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 3218/16/15]

(4) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2015 जो 25 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में आधिसूचना संख्या सा.का.नि. 655(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 3219/16/15]

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

(2) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखें संख्या. एल.टी. 3220/16/15]

... *(व्यवधान)*

<u>अपराह्न 12.02 ½ बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

15वां प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

… *(व्यवधान)*

<u>अपराह्न 12.03 बजे</u>

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर समिति, लोक सभा (2015-16),

तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) पशु एम्बुलेंस के क्रय तथा एक ही गांव/स्थानीय क्षेत्रों में एक से अधिक सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु एमपीलैंड मार्गनिर्देशों में आशोधन के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का तीसरा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

(2) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सुजित आस्तियों के नाम सुविख्यात हस्तियों राष्ट्रीय नायकों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे जाने और संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों का उपयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सन्नियमों के अनुरूप विद्यालयों में असैन्य निर्माण कार्य के लिए किए जाने हेतु एमपीलैंड्स के दिशा-निर्देशों में आशोधनों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा का चौथा प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

<u>अपराह्न 12.03 1/2 बजे</u>

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

227वां से 229वां प्रतिवेदन

मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप): मैं परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 227वां प्रतिवेदन।

(2) पोत-परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/ सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 228वां प्रतिवेदन।

(3) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 229वां प्रतिवेदन

… *(व्यवधान)*

<u>अपराह्न 12.04 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा उद्घोषणा</u>

तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, भारी वर्षा के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति के साथ-साथ देश के कुछ भागों में सूखे पर विचार करते हुए माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज एक चर्चा शुरू कराने का अनुरोध किया गया है। यदि आप सभी सहमत हों तो हम नियम 193 के अधीन इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा शुरू कर सकते हैं। मुझे इस मुद्दे पर कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और डॉ. वेणुगोपाल ने सबसे पहले सूचना दी है। इसलिए, यदि सभा सहमत हो तो हम 193 पर तुरंत चर्चा कर सकते हैं।

… *(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य: हां महोदया, हम सभी सहमत हैं। … *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, मैंने आपका स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं किया है। मैंने यह भी कहा है कि जो इश्यू आप उठाना चाहते हैं, वह कल ही डिस्कस हो चुका है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर गृह मंत्री जी ने पूरे तरीके से उत्तर दिया है। इसलिए आज इस इश्यू को उठाने का कोई कारण नहीं है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम इसमें सहयोग करना चाहते हैं।… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, यह को-ऑपरेशन नहीं है। कल आपने उत्तर सुना भी नहीं है। [अनुवाद] मुझे खेद है।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर जाएं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। [अनुवाद] समझने की कोशिश करें।

… *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: खड़गेजी, मुझे पता है।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग खड़े हैं। ऐसे में मैं बात नहीं करूंगी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): उन्हें अपनी सीटों पर जाने दीजिए।

अपराह्न 12.06 बजे

(इस समय श्री कोडिकुन्नील सुरेश और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपनी सीटों पर वापस चले गए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जब वे यहां थे, तो आपने बात की थी।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमने चेयर से रिक्वेस्ट किया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन, एक का रिक्वेस्ट मानना और दूसरे का नहीं मानना, यह भी ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित में नहीं किया जाएगा।

… (व्यवधान)… *

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : स्पीकर के ऊपर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मेरा सुझाव है कि अगर आपको स्पीकर अनुमति दें, तो आपको जो बोलना है, आप बोलें।

मगर, चेन्नई में बहुत भयंकर स्थिति है। मैं उसके बगल में रहता हूं। मैंने खुद अनुभव किया है। मुझे मालूम है कि चेन्नई का दर्द क्या है। इसलिए मैंने कहा कि चेन्नई के ऊपर चर्चा को पहले लिया जाए।...(व्यवधान)

खड़गे जी, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आप लोग हमारे मंत्री के बारे में इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप प्रधान मंत्री जी के खिलाफ़ नारा लगाते हैं। यह क्या तरीका है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप थोड़ी-सी सहिष्णुता दिखाइए। [अनुवाद] कृपया अधिदेश के प्रति भी कुछ सहिष्णुता रखें। [हिन्दी] जनता ने हमें जनादेश दिया है। आप थोड़ी सी उसकी मर्यादा रखिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय खड़गे जी, पहले आप मेरी बात भी सुनिए। आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, यह हाउस भी जानता है कि उस स्थगन प्रस्ताव पर, कल ही नहीं, बल्कि परसों भी पूरा दिन इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। वह विषय, जिसे आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में दिया था, और यह भी विषय, सब विषय चर्चा में उठा था। [अनुवाद] यदि मैं गलत नहीं हूँ, [हिन्दी] जब गृह मंत्री जी ने पूरी बात का जवाब दिया, उसमें भी वह इश्यू आया था। लेकिन, उस समय आप लोग कोई भी यहां सुनने के लिए बैठे ही नहीं थे, आप चले गए। इसलिए ऐसा नहीं होता है। रोज़-रोज़ एक ही बात पर चर्चा नहीं होती है। मैंने स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य किया है। इसलिए अब इसको उठाने का कोई सवाल नहीं होता है।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको आपके विषय के बारे में बोलने नहीं दूंगी।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप नियम-193 के तहत चर्चा चाहते हैं या नहीं, इतना बता दीजिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मुझे बस एक मिनट बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, मैं आपसे कोई विवाद करना नहीं चाहता हूं। मैंने उनका पूरा भाषण यहीं बैठ कर सुना है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं, विवाद का कोई कारण ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। [अनुवाद] मुझे खेद है।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, मेरा कहना यही है कि हमने एक नोटिस दिया था। उस नोटिस में यही था।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपसे कोई विवाद नहीं करना चाहता हूं। मैंने उनका पूरा भाषण यहीं बैठकर सुना है। [अनुवाद] मेरा कहना यह है कि हमने जो नोटिस दिया था, उसमें यह लिखा था कि ... *

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है।

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मैडम, ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।...(व्यवधान) यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।...(व्यवधान) यह गलत है।...(व्यवधान) यह एक राजनीति से प्रेरित अभियान है। हम इसको चैलेंज करते हैं और हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। मैंने *दलित* समुदाय पर उनकी टिप्पणी की अनुमति नहीं दी है। नहीं, मुझे खेद है, यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, नहीं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

इस समय, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गये।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

[हिन्दी] शून्य काल शाम को छः बजे लिया जाएगा।

(एक) देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित पुरातात्विक महत्व के स्थलों के रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : देश के दूरस्थ क्षेत्रों में तमाम ऐसे मठ और मंदिर मौजूद हैं, जो अपने आप में देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। [अनुवाद] लोगों का ध्यान देश के शहरी क्षेत्रों में मौजूद इन स्थलों की ओर ही आकृष्ट होता है, जबकि देश के दूरस्थ कस्बों तथा ग्रामीण इलाकों में स्थित इन पुरातत्व के आति महत्व के स्थलों की तरफ ध्यान न जाने से सदियों पुराने स्थल उपेक्षित तथा उपयुत्त रख-रखाव के बगैर अपनी जीर्णावस्था में खड़े हैं।

---

* सभा पटल पर रखा माना गया।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन स्थलों के संरक्षण तथा उपयुत्त रख-रखाव हेतु तत्काल उचित कदम उठाए।

(दो) गुजरात सफाई कामदार विकास निगम के कर्मचारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 बी) से छूट दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी] **डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) :** गुजरात सरकार द्वारा किये गये अथक प्रयासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10(26बी) आई.टी. एक्ट-1961 के अंतर्गत आयकर से छूट का मामला अभी तक विवाद में फंसा हुआ है। उपरोत्त अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोत्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर लगा दिया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी आते हैं।

गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले। ''गुजरात सफाई कामदार विकास निगम'' को विशेष तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों के लगे लोगों के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था। गुजरात सफाई कामगारों की नियुत्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुत्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएं केंद्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ''गुजरात सफाई कामदार विकास निगम'' को बिना किसी शर्त के आयकर मुत्त किया जाए।

(तीन) सीकर और दिल्ली के बीच दैनिक रेलगाड़ी चलाने और सीकर-लोहारू-रीवाड़ी मार्ग पर रेलगाड़ियों की सेवा में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर) : मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीकर (राजस्थान) को दिल्ली से जोड़ने वाले रेल मार्ग पर ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद जो रेल सेवाएं आरंभ की गई हैं, उसमें कुछ रेलगाड़िया बढ़ाई जाएं। वर्तमान में सीकर से दिल्ली के लिए सप्ताह में केवल दो दिन एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाई जा रही है, इसे सप्ताह में सभी दिन नियमित रूप से चलाया जाए। चूंकि यह गाड़ी दिन के समय है, अतः एक अन्य रेलगाड़ी रात्रि के समय चलाई जाए जा सीकर व दिल्ली दोनों स्थानों से रात्रि के समय चलकर सुबह अपने गंतव्य पर पहुंचे। इसके अलावा, कुछ लोकल सेवा सीकर-लुहारू-रेवाड़ी भी बढ़ाई जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता को यात्रा में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके।

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में लिप्त लोगों को कठोरतम दंड दिये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान देश के लगभग सभी भागों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अत्याचारों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं को रोकने में सरकारी तंत्र पूरी तरह विफल रहा है। ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों को कठोर और उदाहरणीय दंड दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है। फरीदाबाद में एक दलित परिवार के दो मासूम बच्चों की हत्या, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों में अत्याचार की बढ़ती घटनाएं और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही घटनाएं — इन सबका उल्लेख राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़ों में मिलता है। इन स्थितियों में यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा आम जनता को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए। इसके साथ ही, एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जाए जिससे ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इन सभी मामलों में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए ताकि न केवल अपराधियों को बल्कि जिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही सामने आए, उन्हें भी उचित दंड मिल सके।

(पाँच) मानवों की सुरक्षा और मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु चिकित्सीय परीक्षण (क्लिनीकल ट्रायल) की निगरानी हेतु तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारत में दवाइयों के चिकित्सीय परीक्षण (क्लीनिकल ट्रायल) से मरने वालों या घातक रूप से पीड़ित होने वाले लोगों की तादाद 17 हज़ार से भी ज्यादा है, जिसमें से 3458 मौतें हुई हैं और 14,320 ऐसे मरीज हैं जिनके ऊपर इन परीक्षणों का घातक असर हुआ है। वर्ष 2005 से क्लीनिकल ट्रायल के कानून में जो ढील दी गई, उसक चलते नागरिकों के ऊपर दवाओं के परीक्षण बेलगाम हो गए हैं। जिन लोगों पर यह परीक्षण किया जाता है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। इसके चलते भारत को ''गिनी पिग'' बनाया जा रहा है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि देश में 'क्लीनिकल ट्रायल' को सही ढंग से निगरानी करने, मुआवजा देने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर ध्यान दिया जाए तथा जब तक यह व्यवस्था पुख्ता नहीं हो जाती, तब तक के लिए इस पर रोक लगानी चाहिए। तभी भारत को ''गिनी पिग'' बनने से रोका जा सकेगा।

(छह) देश में मिट्टी के तेल में व्यापक मिलावट को रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मैं उपभोक्ता मामलों के आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूँगा कि विभाग की सख्त कार्रवाई के बाद भी पिछले कुछ वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिकने वाले मिट्टी के तेल में काले तेल को मिलाने का धंधा ज़ोरों से चल रहा है। इस गिरोह ने देश के कई राज्यों में अपने पैर पसार लिए हैं। यहां तक कि इस गिरोह ने वाहनों को भी ऐसा रंग दे दिया है, जैसा कि इण्डियन ऑयल कंपनी (आई.ओ.सी) व भारत पेट्रोलियम के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पी.डी.एस.) से बांटने वाले ट्रक का होता है। इन्होंने अपने वाहनों के अंदर ही अंदर काले तेल की टंकियां लगा ली हैं। मिलावट का यह खेल 500 करोड़ रूपयों से भी अधिक का है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार मिट्टी के तेल में काले तेल की मिलावट करने वाले इस गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए तत्काल उपयुकत कदम उठाए।

(सात) किसानों को दिये गए कृषि ऋण पर ब्याज राजसहायता से संबंधित निधियों के संवितरण की पद्धति को बदले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : किसानों को खाद, बीज व अन्य कृषि संबंधी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु किसानों से 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है परंतु शेष ब्याज में से 6.7 प्रतिशत ब्याज दर केंद्र सरकार तथा एक प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारों द्वारा अदा किया जाता है, जिससे बैंकों को नुकसान न हो। बैंकों द्वारा किसानों को जो ऋण दिया जाता है, उसकी वसूली के समय किसान से तीन प्रतिशत ब्याज लेकर शेष ब्याज पहले प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा देकर बैंक का भुगतान कर दिया जाता है परंतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा बाद में भुगतान करने के कारण प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण समितियों द्वारा किसानों को उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं पर असर पड़ता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केंद्र सरकार बाद में प्राथमिक समितियों को जो ब्याज सब्सिडी का भुगतान करती है, उससे सीधे बैंकों का भुगतान कर दे तथा किसानों के ऋण भुगतान के समय आतिरित्त ब्याज प्राथमिक सहकारी समितियों से बैंक द्वारा न लिया जाए। इससे प्राथमिक सहकारी समितियों का कार्य भी ठीक चल सकेगा तथा समिति किसानों को सुविधाएं समय पर उपलब्ध करा सकेंगी।

(आठ) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल वितरण की उचित निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सभी ऑटोमेटिक गेज रिकॉडर्स को चालू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद काफी वर्षों से चला आ रहा है। इस संबंध में राजस्थान द्वारा अनेक बार केंद्र सरकार व माननीय उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर हुए समझौतों के अनुसार राज्यों में जल का वितरण नहीं हो रहा है। पंजाब व हरियाणा राज्य प्रायः राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध नहीं कराते हैं, विशेषकर बुवाई के समय राजस्थान को कम मात्रा में पानी दिया जाता है, जिससे किसानों के हितों पर विपरीत असर पड़ता है।

इस संबंध में 31 दिसंबर, 1981 को हुए समझौते के अनुबंध (3) के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन मंडल को सभी संबंधित राज्यों को निधाररित मात्रा में पानी वितरण सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक उपाय तथा गेज डिस्चार्ज कर्व, स्वचलित गेज रिकॉर्डर लगाने हेतु आधिकृत किया गया है ताकि पानी का समुचित वितरण हो सके। वर्ष 2011 में हुई बी.बी.एम.बी. बोर्ड की 208बीं बैठक में स्वचलित गेज रिकॉर्डर लगाने हेतु 22 साइटों का अनुमोदन किया जा चुका है। 6 साइटों पर स्वचालित गेज रिकॉर्डर स्थापित कर चालू कर दिए गए हैं तथा 15 साइटों पर विश्व बैंक द्वारा पोषित हाइड्रोलॉजी परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वचालित गेज रिकॉर्डर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन अभी तक संचालन प्रारंभ नहीं किया गया है।

अतः मेरा माननीय ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी स्वचालित गेज रिकॉर्डर का संचालन इसी वर्ष से प्रारंभ करने के निर्देश देने की कृपा करें ताकि राज्यों में जल के बंटवारे का विवाद सुलझाने के साथ-साथ पानी के सही बंटवारे की सही मॉनिटरिंग की जा सके।

(नौ) मध्य प्रदेश के सीवनी और बालाघाट जिलों में कम वर्षा और कीटों के हमले के कारण फसल को हुई क्षति से परेशान किसानों को पर्याप्त मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री बोध सिंह भगत (बालाघाट) : देश में मध्य प्रदेश के अंतर्गत सिवनी एवं बालाघाट जिलों की अनेक तहसीलों एवं ग्रामों की खरीफ 2015 की धान, सोयाबीन एवं अन्य फसलें कम वर्षा एवं कीट प्रकोप (भूरामाहो, पीला रोग) तथा अन्य बीमारियों के कारण भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कृषक काफी चिंतित एवं परेशान हैं। जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं होने के कारण कृषकों के सामने जीने-मरने का संकट उत्पन्न हो चुका है। फसल नुकसान के सर्वे के आंकलन के अनुसार कृषकों को कोई मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने के कारण उनमें तीव्र आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सरकार कृषकों के इस संकट की घड़ी में तत्काल मुआवजा राशि दिलाने हेतु व्यवस्था करने की कृपा करें।

(दस) विद्युत समस्या से जूझ रहे कर्नाटक को केंद्रीय पूल से कम से कम 1000 मेगावाट विद्युत प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): कर्नाटक इस समय भीषण बिजली संकट का सामना कर रहा है। राज्य को वर्तमान में लगभग 1500 मेगावाट से 2000 मेगावाट तक बिजली की कमी झेलनी पड़ रही है। जबकि राज्य की प्रतिदिन की आवश्यकता 167 मिलियन यूनिट (एमयू) है, उसे केवल 127 मिलियन यूनिट ही प्राप्त हो रही है, जिससे प्रतिदिन 40 मिलियन यूनिट की भारी कमी उत्पन्न हो रही है। स्थिति को और अधिक गंभीर बनाने वाला तथ्य यह है कि उदुपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का ताप विद्युत संयंत्र, जो 1200 मेगावाट बिजली उपलब्ध करा रहा था, अचानक ठप हो गया है। रायचूर ताप विद्युत स्टेशन (आरटीपीएस) की 200 मेगावाट की इकाई भी बंद है। बेल्लारी ताप विद्युत स्टेशन (बीटीपीएस) की इकाई में भी समस्या अब तक हल नहीं हो सकी है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पादक स्टेशनों से भी केवल 250 मेगावाट की आपूर्ति ही हो रही है। पवन ऊर्जा उत्पादन भी अत्यंत चिंताजनक रूप से 1000 मेगावाट से घटकर केवल 300 मेगावाट रह गया है। इस संकट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव छोटे एवं मध्यम उद्यमों पर पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास निजी बिजली संयंत्र नहीं होते और वे पूरी तरह राज्य की बिजली व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। इस गंभीर बिजली संकट को दृष्टिगत रखते हुए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि कर्नाटक राज्य को केंद्रीय पूल से कम-से-कम 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति अविलंब सुनिश्चित की जाए।

(ग्यारह) राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्साल्य के ब्लड बैंक में एक कंपोनेंट यूनिट स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के जिला मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में स्थित सांवलिया जी राजकीय सामान्य चिकित्सालय क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवा का केन्द्र है। पूरे जिले से सैंकड़ों मरीज प्रतिदिन विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए यहां आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के महत्वपूर्ण केंद्र के कारण जिला मुख्यालय के चारों ओर स्थित राजमार्ग से हजारों वाहन प्रतिदिन निकलते हैं। दुर्घटनाओं के कारण यहां पर नियमित रूप से मरीजों को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में उपरोक्त चिकित्सालय में जिले का एकमात्र सरकारी ब्लड बैंक है जिसमें वार्षिक रूप से 9 हजार यूनिट रक्त संग्रहण होता है। इस चिकित्सालय के आतिरिक्त भी अन्य चिकित्सालयों में मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। वर्तमान में संग्रहित रक्त दुर्घटनाओं, थैलिसीमियां, कैंर रोगियों एवं आपातकालीन सेवाओं में 40 से 50 प्रतिशत उपयोग हो पाता है। क्षेत्र की आवश्यकता एवं रक्तदान द्वारा उपलब्ध रक्त का अधिकतम मरीजों के उपयोग के लिए ब्लड कम्पोनेन्ट यूनिट होना आवश्यक है। इस सुविधा के उपलब्ध होने के बाद रक्त का सर्वोत्तम उपयोग हो पाएगा। कंपोनेन्ट यूनिट होने से रक्त के वर्गीकरण द्वारा मरीज को आवश्यक कंपोनेन्ट ही दिया जा सकेगा एवं दान दाताओं द्वारा दिए गए रक्त से अधिक से अधिक मरीज लाभान्वित हो सकेंगे।

अतः मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से अनुरोध है कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय के वर्तमान ब्लड बैंक में कम्पोनेन्ट यूनिट को स्थापित कर आमजन को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

(बारह) राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम वीएसएम चौधरी (सेवानिवृत्त) (बाड़मेर): राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के कारण विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट स्थान रखता है। मैं जिस संसदीय क्षेत्र का इस प्रतिष्ठित सभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें कई प्रमुख स्थल हैं जैसे जैसलमेर का ऐतिहासिक सोनार किला जो वर्ष 1156 में बना था, पटवा, नाथमलजी और सालमसिंहजी की हवेलियां, पार्श्वनाथ मंदिर और कपवृक्ष (सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध वृक्ष), बाड़मेर में केराडू के मंदिर, बाटाडू का प्रसिद्ध कुआं आदि जो पत्थर की नक्काशी के जीवंत उदाहरण हैं। इसी प्रकार मुगलकालीन सिवाना का ऐतिहासिक किला, जैसलमेर के छप्पन, कुलदरा और खरवा गांवों की पहाड़ियों में स्थित वीर दुर्गादास की पाल राजपूताना की वीरता के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती हैं। इसके अलावा यहां धार्मिक महत्व के स्थान भी प्रचुर मात्रा में हैं, जैसे जैसलमेर में तनोटराय, मोहनगढ़ में डूंगरराय मंदिर, रामदेवा में प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर, जैन तीर्थस्थल जैसे लोदरवा, नाकोड़ा मंदिर, हिंगलाज मंदिर, आसोतरा में ब्रह्माजी का प्रसिद्ध मंदिर आदि। रेत के टीले, चोहटन का कपालेश्वर, मिनी माउंट अबु के नाम से प्रसिद्ध हल्देश्वर महादेव मंदिर सभी आकर्षण के स्थान हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले ये सभी स्थान पर्यटकों के लिए बहुत रुचि के स्थान हैं। घरेलू और विदेशी पर्यटक इन स्थानों पर आते हैं और एक सर्वेक्षण के अनुसार 20% विदेशी पर्यटक जैसलमेर आते हैं। हालाँकि, जमीनी हकीकत के अनुसार, पर्यटन को बढ़ावा देने के मामले में यह क्षेत्र उपेक्षित है। यदि उपरोक्त सभी स्थलों को स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना तथा विशेष मरुस्थल परियोजना की सूची में शामिल कर लिया जाए तो इन स्थलों का महत्व स्वतः ही बढ़ जाएगा तथा राजस्थान को विश्व पर्यटन मानचित्र पर और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

मैं माननीय प्रधानमंत्री एवं पर्यटन मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे राजस्थान को पर्यटन के लिए पैकेज प्रदान करें।

(तेरह) उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में यमुना नदी से लगे क्षेत्रों में बुंदेलखंड क्षेत्र जैसी सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर) : मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में कानपुर नगर की चार विधान सभाएं कल्याणपुर, महाराजपुर, घाटमपुर, बिठूर एवं कानपुर देहात जनपद की अकबरपुर रनियां विधान सभा सम्मिलित हैं। लोक सभा का क्षेत्र माँ गंगा नदी के बिठूर से शुरू होकर दक्षिणी सीमा में यमुना नदी से सीमांकित होता है। दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र में कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपदों का आधिकांश भाग उबड़-खाबड़, पठारी, अनुपजाऊ एवं यमुना नदी के किनारे का क्षेत्र बीहड़ के रूप में है। इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं वनस्पतिक स्थितियां बुन्देलखण्ड जैसी हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के सीलिंग एक्ट में यमुना की गहरी धारा से 16 किलो मीटर तक उत्तर की ओर जोत सीमा का निर्धारण बुन्देलखण्ड के समान निधाररित करने का प्रावधान किया गया है जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने भी इस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड जैसा माना है परंतु अत्यंत खेद का विषय है कि बुन्देलखण्ड जैसी परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हुए अभी तक इस क्षेत्र को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधाओं से कानपुर नगर एवं कानपुर देहात को वंचित रखा गया है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर सहित कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के क्षेत्र जो यमुना नदी के किनारे से बुन्देलखण्ड क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, को बुन्देलखण्ड जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए शीघ्र उचित कदम उठाये जाएं, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिल सके।

(चौदह) भारत और श्रीलंका के बीच पवित्र रामसेतु की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर) : मैं सरकार का ध्यान संपूर्ण भारत एवं संपूर्ण हिंदुओं की आस्था का महाकेन्द्र, श्री रामचरितमानस में उल्लिखित श्री भगवान राम द्वारा लंका पर विजय प्राप्त करने हेतु बनाए गए अत्यंत प्राचीन भारतीय धरोहर भारत-श्रीलंका के मध्य स्थित श्री रामसेतु की ओर दिलाना चाहता हूं।

भारतीय ज्योतिषों, पुरातत्व विभाग तथा नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार रामसेतु का निर्माण लगभग साढ़े 17 लाख वर्ष पहले हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार संपूर्ण विश्व में इतनी प्राचीन मानव निर्मित कोई भी धरोहर नहीं है। रामसेतु भारत-श्रीलंका के मध्य ऐसा जलमार्ग है जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को गुजरने हेतु भारत को कर देना होगा। यदि यह नहीं होगा तो कोई भी विदेशी जहाज अपने मनमाने ढंग से आवागमन कर सकता है। सबसे हैरत कर देने वाली बात तथा शोध का विषय तो यह है कि यह रामसेतु ईंट-पत्थर से न बनकर अत्यंत मूल्यवान 'लीथियम' तत्व से बना है। रामसेतु के नीचे लीथियम का अपार भण्डार है जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरबों-खरबों में है।

किंतु बड़े दुख की बात है कि पिछली सरकार द्वारा 'पचौरी कमेटी' बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इसे तोड़ने से बंगाल की खाड़ी में भारत के पश्चिम तट के जहाजों को आने-जाने में धन और समय की बचत होगी। यहां तक कि इस कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में रामसेतु के आस्तित्व से ही इंकार कर दिया था। पिछली सरकार इसे तोड़कर इसका सौदा विदेशों से करना चाहती थी। इसके लिए उसे तोड़ने हेतु मशीनें भी लगाई गई।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि रामसेतु की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सख्त से सख्त कानून बनाया जाए अथवा वर्तमान कानून को और अधिक कड़ा किया जाए जिससे कोई भी सरकार अथवा देश भविष्य में उसे किसी प्रकार की क्षति न पहुंचा सके।

(पंद्रह) देश में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानदंडों में छूट दिये जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण(चामराजनगर): मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार हर वर्ष भारी धनराशि खर्च करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। हम देख सकते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश में बढ़ोत्तरी हुई है, विशेषकर शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम और मिड-डे मील योजना के बाद। लेकिन उपलब्ध बुनियादी सुविधाएं उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही हैं, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानदंडों में बदलाव के कारण स्कूलों में शौचालय बनाने का काम शुरू नहीं हो पा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्तमान मानदंडों के अनुसार, केवल व्यक्तिगत शौचालय और सामुदायिक शौचालय ही बनाए जा सकते हैं, स्कूल स्तर के शौचालयों को छोड़ दिया जाता है। स्कूलों में, विशेषकर बालिकाओं के स्कूलों में शौचालय की सुविधा का अभाव होने के कारण उन्हें लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि देश में स्कूलों में शौचालयों के निर्माण को सुविधाजनक बनाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत मानदंडों में छूट दिये जाने की अनुमति प्रदान करे।

(सोलह) केरल में समस्या से जूझ रहे काजू उद्योग हेतु पुनरुद्धार पैकेज घोषित किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): मैं देश में काजू उद्योग के सामने आ रही समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। काजू उद्योग में लगभग 5 लाख श्रमिक कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और दलित समुदाय से हैं। इनमें से लगभग 2 लाख लोग अकेले केरल के कोल्लम जिले से हैं। अब यह उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है और फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। इसका कारण यह है कि फैक्ट्री प्रबंध विदेशों से ऊंचे दामों पर कच्चा काजू आयात करता है, यहां प्रसंस्करण करता है और तैयार उत्पाद बनाकर बाजार में बेचता है। अब तैयार उत्पाद, उत्पादन लागत की तुलना में लागत प्रभावी नहीं है और मालिकों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके कारण उन्हें अपने कारखाने बंद करने पड़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप हजारों परिवार कर्ज में डूब रहे हैं। इसलिए, मैं वाणिज्य मंत्रालय तथा उद्योग से आग्रह करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और काजू उद्योग के लिए पुनरुद्धार पैकेज की घोषणा करें।

(सत्रह) तमिलनाडु में मदुरै और धनुषकोडी के बीच राष्ट्रीय हाइवे संख्या 49 को चार लेन का बनाये जाने की आवश्यकता

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुर): देश में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण को विशेष बल प्राप्त हुआ जब पूर्ववर्ती एन.डी.ए. सरकार ने सड़क संपर्क को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत चार-लेन राजमार्गों का निर्माण एक ऐतिहासिक उपलब्धि सिद्ध हुआ। इस दिशा में कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उस समय दिल्ली से रामेश्वरम को जोड़ने की योजना को व्यापक प्रचार के साथ घोषित किया गया था। दुर्भाग्यवश, यह परियोजना आज तक अपूर्ण ही है। हाल ही में एक नई घोषणा की गई, जिसके तहत मदुरै से धनुषकोडी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के माध्यम से 192.7 किलोमीटर की दूरी तक चार-लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्देश्य मदुरै (मुख्यालय) को रामनाथपुरम् से जोड़ना, देशभर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए मदुरै और रामेश्वरम जैसे पवित्र स्थलों को जोड़ना तथा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमांत बिंदु धनुषकोडी को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ना है। किन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस नवीन परियोजना को भी सीमित कर केवल परमकुडी तक 87 किलोमीटर की चार-लेन सड़क निर्माण की योजना बनाई जा रही है, जबकि रामनाथपुरम को केवल दो-लेन पक्की सड़क की सुविधा मिलेगी, जिसकी लंबाई 120 किलोमीटर होगी। यह अत्यंत निराशाजनक स्थिति है। जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री स्वयं भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए 'गोल्फ ऑफ बंगाल' में स्काय रोड बनाने की बात कर रहे हैं, तब धनुषकोडी तक की संपूर्ण सड़क परियोजना को बिना किसी और देरी के पूरा करना आवश्यक है इसलिए, मैं केंद्र से आग्रह करता हूं कि वह समग्र लाभ को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में तत्काल कदम उठाए।

(अठारह) श्रीलंका से कच्छाथीवू द्वीप वापस लिये जाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): तमिलनाडु के मछुआरों की दुर्दशा के प्रति केंद्र की परेशानी अभी भी बनी हुई है। श्री लंकाई नौसेना द्वारा अब तक 1000 से अधिक मछुआरे मारे जा चुके हैं अथवा अपंग हो चुके हैं। श्रीलंका में सत्ता परिवर्तन के बाद भी यह क्रूरता जारी है। एक छोटे से क्षेत्र में सिमट जाने के कारण वे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और उनकी जीविका नष्ट हो जाती है।

कच्छाथीवू विवादित क्षेत्र था अथवा उसे हस्तांतरित किया गया था, यह मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में विवाद का विषय है, जहां तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अधिग्रहण को चुनौती दी है।

रामनाद के राजा को कच्छाथीवू पर संप्रभुता प्राप्त है। भूविज्ञान के प्रोफेसर एम.एस. रामासामी ने कहा कि कच्छाथीवू, लेकिन उसका भूभाग, तमिलनाडु का अभिन्न अंग है। वहां स्थित चर्च का निर्माण तमिल निवासी रामासामी पडैयाची ने करवाया था। ये सभी दस्तावेज हैं। इसलिए कोई विवाद नहीं हो सकता। यह तमिलनाडु के मछुआरों के स्थायी कब्जे में भी था।

बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में मध्य रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क़ानून के अनुसार समदूरी के आधार पर खींचा गया, परंतु पाक जलडमरूमध्य में ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि कच्चतीवु द्वीप तमिलनाडु के अधिक निकट स्थित है।

1974 और 1976 के समझौते केवल कार्यपालिका आदेश थे, जिन्हें 1974 के समझौते की धारा 8 के अनुसार संसद से अनुमोदित नहीं किया गया।

वर्तमान सरकार एक ओर तो इस द्वीप को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर, कच्छाथीवू के प्रश्न से बचने के लिए केंद्र सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को एक विकल्प के रूप में

प्रस्तुत कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र को ₹1520 करोड़ की विशेष निधि और ₹10 करोड़ वार्षिक रखरखाव तथा ड्रेजिंग हेतु आवर्ती अनुदान देना आवश्यक है।

श्रीलंका इस मुद्दे के किसी भी समाधान को बार-बार विफल कर रहा है।

इसलिए, इसका समाधान कच्छाथीवू को पुनः प्राप्त करने में निहित है, जो तमिलनाडु का सम्प्रभु अधिकार है।

(उन्नीस) वर्ष 2015-16 हेतु पैकेजिंग मानदंडों में खाद्यान्नों और चीनी के लिये पटसन के बोरों का 100-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किये जाने के आवश्यकता

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर): जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, कपास के बाद पटसन सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक तंतु है तथा विश्व के सभी प्राकृतिक तंतु में इसका उत्पादन दूसरे स्थान पर है। पर्यावरण संबंधी पहलू, जूट की जैवनिम्नीकरणीयता तथा पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में जूट उद्योग के महत्व के कारण जे.पी.एम. अधिनियम के तहत 100% अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों की मांग की गई है।

नवंबर 2012 से खाद्यान्नों की पैकेजिंग के लिए पटसन के बोरे के उपयोग को 90% तक अनिवार्य बनाए रखने का प्रावधान किया गया था। इसी प्रकार, नवंबर 2012 में ही चीनी की पैकेजिंग के लिए यह अनिवार्यता 100% से घटाकर 40% कर दी गई। जूट उद्योग को और अधिक झटका तब लगा जब फरवरी 2013 में चीनी के लिए अनिवार्य पटसन की पैकेजिंग को घटाकर मात्र 20% कर दिया गया, और यह स्थिति पिछले दो वर्षों से बनी हुई है। वर्ष 2014-15 पटसन उद्योग के लिए अत्यंत कठिन वर्ष रहा। वर्ष 2012-13 में जहाँ 16 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, वहीं यह गिरकर 2014-15 में मात्र 12.5 लाख मीट्रिक टन रह गया। कच्चे पटसन की ऊँची कीमतों और इस आशंका कि कच्चे जूट की माँग उपलब्धता से अधिक हो सकती है, ने पश्चिम बंगाल, असम, बिहार जैसे राज्यों में कच्चे पटसन की कीमतों में तीव्र वृद्धि कर दी है। निर्यात के मामले में भी भारत का पटसन उद्योग नए बाजार प्राप्त करने और पुराने बाजारों की रक्षा करने में विफल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश से तैयार जूट माल के निर्यात के लिए बांग्लादेश सरकार द्वारा 75% नकद सब्सिडी मंजूर की जा रही है। इससे भी गंभीर बात यह है कि भारत में 01.04.2007 से अब तक कोई निर्यात प्रोत्साहन नीति ही नहीं है। यह उद्योग न केवल 3 से 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से जुड़ा है, बल्कि 40 लाख किसानों की जीविका का भी प्रमुख साधन है, जो मुख्य रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में पटसन की

खेती करते हैं। चीनी और खाद्यान्न दोनों के लिए 100% अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों की बहाली से पटसन उद्योग के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र को भी सही संकेत मिलेगा।

पटसन उद्योग भारत के सबसे पुराने विनिर्माण उद्योगों में से एक है और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के विनिर्माण क्षेत्र के अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वर्ष 2015-16 हेतु पैकेजिंग मानदंडों में खाद्यान्नों और चीनी के लिये पटसन के बोरों का 100-प्रतिशत उपयोग अनिवार्य किए जाए।

(बीस) छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के प्रस्तावित सुपर थर्मल विद्युत परियोजना का उचित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किये जाने के आवश्यकता के बारे में

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): एनटीपीसी छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही है और यह स्थल ओडिशा-छत्तीसगढ़ अंतरराज्यीय सीमा से केवल 2 किलोमीटर दूर है। परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में ही की गई थी। ओडिशा के उन गांवों में जन सुनवाई के संबंध में कोई सूचना प्रसारित नहीं की गई, जो इस परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही भी संयंत्र की ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा से निकटता के बारे में मौन है। मेरी आशंका यह है कि परियोजना का पर्यावरण मूल्यांकन ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा के पास स्थित ओडिशा के गांवों पर प्रदूषण के प्रभाव का विचार किए बिना किया गया है। मेरी मांग है कि उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए तथा आगे बढ़ने से पहले संयंत्र स्थल के पास रहने वाले ओडिशा के लोगों की राय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रभावित क्षेत्र में हैं।

(इक्कीस) देश में निजी कोचिंग/ट्यूशन केंद्रों को विनियमित किये जाने के आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : देश में प्राइवेट ट्यूशन संस्थान/क्लास चलाने वालों की मनमानी चल रही है तथा विद्यार्थियों से मनमानी ट्यूशन फीस 1,25,000/- से 2,50,000/- तक ले रहे हैं और संचालक कुछ किए बिना ही मालामाल हो रहे हैं। इसका बोझ गरीब परिवार के विद्यार्थियों पर बढ़ता जा रहा है।

स्कूलों/महाविद्यालयों की प्राइवेट ट्यूशन संस्थानों/क्लासों के संचालकों की सॉठ-गॉठ होती है तथा शिक्षक विद्यार्थियों को ट्यूशन लगाने की सलाह देते हैं। ट्यूशन क्लासों में परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को पढ़ाया जाता है। इस वजह से विद्यार्थियों में गुणवत्ता का अभाव होता है। ऐसे विद्यार्थी अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं? देश में अवैध रूप से चल रहे ट्यूशन संस्थान/क्लास पर अंकुश लगाने वाला कोई भी बोर्ड न होने के कारण गली-गली में ट्यूशन क्लास/संस्थान खुल रहे हैं जिनका लेखा-जोखा किसी के पास नहीं है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ट्यूशन संस्थानों/क्लासों का पंजीकरण, फीस निर्धारण, उनके लिए नियमावली और निरीक्षण होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बोर्ड का गठन किया जाए जिससे उन पर बोर्ड का नियंत्रण रहेगा और मनमाने तरीके से वूसली जा रही ट्यूशन फीस पर लगाम लगाने में सहायता मिलेगी।

(बाईस) आई.आई.टी. और एन.आई.टी. में अध्ययन के बीच में ही पढ़ाई छोड़ने की समस्या पर ध्यान दिये जाने के आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री जैदेव गल्ला (गुंटूर): आईआईटी प्रीमियम राष्ट्रीय संस्थान हैं। देशभर से मेधावी और श्रेष्ठ छात्र इन संस्थानों में अध्ययन हेतु चयनित होते हैं। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में आई.आई.टी. से छात्रों के ड्रॉपआउट दर में तेजी से वृद्धि हुई है। स्कूल छोड़ने की दर साल-दर-साल बढ़ती जा रही है। वर्ष 2012-13 में यह संख्या सबसे अधिक थी और 2014-15 में यह 757 थी। सबसे अधिक ड्रॉप आउट दर रुड़की में है, जहां वर्ष 2013-14 में 188 छात्र थे और वर्ष 2014-15 में यह 228 हो गई। चिंताजनक बात यह है कि अपेक्षाकृत नए आईआईटी, हैदराबाद में भी 2013.14 (15 ड्रॉपआउट) और 2014-15 (39 ड्रॉपआउट) के बीच 100% से अधिक ड्रॉपआउट दर दर्ज की गई है। एन.आई.टी. में भी स्थिति बेहतर नहीं है। वर्ष 2012 और 2015 के बीच 2350 से अधिक छात्र एन.आई.टी. से बाहर हो गए।

मैं समझता हूं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकांश छात्र अभिभावकों के दबाव के कारण इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्र शैक्षणिक दबाव का सामना करने में असमर्थ होते हैं।

इसलिए, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह प्रवेश के समय अभिभावकों को परामर्श दे, तथा उन विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखे जिनका आई.आई.टी. या एन.आई.टी. में प्रवेश के बाद प्रदर्शन अपेक्षानुसार नहीं रहा है, तथा आई.आई.टी., मद्रास और कानपुर के मॉडल को अपनाया जाए, जहाँ उक्त अवधि में मात्र 8 ड्रॉपआउट हुए हैं।

(तेईस) केरल के कन्नूर में अरालाम फार्म के अनुसूचित जनजाति समुदाय के कल्याण हेतु ट्रायबल रिसर्च इंस्टीट्यूटस (टीआरआई) स्थापित किये जाने और मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने के आवश्यकता के बारे में

श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर):मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कन्नूर संसदीय क्षेत्र, केरल राज्य में अरालाम फार्म के अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) स्थापित करने की आवश्यकता के संबंध में आकर्षित करना चाहती हूं।

अरालाम फार्म की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। यह कन्नूर जिले के थालास्सेरी तालुक के कप्पड़ और अरालाम गांवों में स्थित है, जो थालास्सेरी और कन्नूर शहर से 56 कि.मी. दूर और इरिट्टी शहर से 16 कि.मी. दूर है। बाद में इसे केरल सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने अपने अधीन ले लिया और इसका आधा क्षेत्र भूमिहीन आदिवासियों को वितरित कर दिया तथा शेष क्षेत्र को आदिवासियों के कल्याण के लिए फार्म के रूप में चलाया।

आज पहाड़ी क्षेत्र अरालाम फार्म में लगभग 2000 अनुसूचित जनजाति परिवार रहते हैं। आदिवासी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का पूर्ण अभाव है तथा आंगनवाड़ी, स्कूल, अस्पताल और उचित परिवहन आदि जैसी सुविधाओं का भी अभाव है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे प्रशिक्षण के माध्यम से और इस क्षेत्र में टी.आर.आई. स्थापित करके विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जनजातीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए तत्काल कदम उठाएं और साथ ही केरल के कन्नूर जिले के अरालाम अनुसूचित जनजाति कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करें।

(चौबीस) देश के काजू क्षेत्र के विकास हेतु उपाय किये जाने के आवश्यकता के बारे में

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): काजू श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। औसत कुल व्यय औसत आय से काफी अधिक है। काजू श्रमिकों की जीवन स्थिति कुल कार्य दिवसों की संख्या पर अत्यधिक निर्भर है। आयात-निर्यात नीति और कर लगाने के कारण कारखाना मालिक पर्याप्त संख्या में कार्य दिवस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। काजू क्षेत्र गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाकर 250 करने, कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए वित्तीय सहायता, कच्चे मेवों की खरीद के लिए विशेष व्यवस्था, कच्चे मेवों की खरीद और गिरी की बिक्री पर नीति को सरल बनाने, विपणन को बढ़ावा देने और विस्तार करने, मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता, विविधीकरण के लिए परियोजना आदि के लिए सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह देश में, विशेषकर कोल्लम, केरल में काजू क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई आरंभ करे।

<u>अपराह्न 12.10 बजे</u>

<u>नियम 193 के अधीन चर्चा</u>

तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में बाढ़ और सूखे की स्थिति

माननीय अध्यक्ष: अब, डॉ. पी. वेणुगोपाल ने श्री टी. जी. वेंकटेश बाबूको बोलने के लिए अधिकृत किया है।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी ओर से श्री वेंकटेश बाबू को इस चर्चा में भाग लेने के लिए अधिकृत करता हूं। धन्यवाद।

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): तमिलनाडु में उत्पन्न बाढ़ और सूखे की स्थिति पर नियम 193 के अधीन चर्चा करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.10 ½ बजे</u>

(इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): अध्यक्ष महोदया, समुदाय के बारे में टिप्पणियां रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… *(व्यवधान)…* *

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : उन्होंने जाते समय भी बोला। उन्होंने कहा कि दलित के खिलाफ बोला। दलित के खिलाफ किसी ने नहीं बोला। वी.के. सिंह ने भी नहीं बोला। ...(व्यवधान) इसलिए इसको बार-बार उठाना, उनका अपमान करना, यह अच्छा नहीं है। वह बाढ़ के बारे में चर्चा नहीं चाहते, तो यह उनकी च्वाइस है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही कहा है कि कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। जो ईश्यू मैंने डिसएलाऊ किया हुआ है, तो इसका कारण ही नहीं कि इसे लिया जाए।

… *(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष: श्री वेंकटेश बाबू, कृपया आगे बोलें।

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू: सबसे पहले, मैं हमारी माननीय नेता डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा का धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे तमिलनाडु में लगातार वर्षा के कारण उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

तमिलनाडु के अधिकांश भागों में अक्टूबर से दिसंबर के महीनों के दौरान उत्तर-पूर्वी मानसून के माध्यम से वर्षा होती है। लेकिन इस वर्ष तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में असामान्य रूप से बहुत भारी और अत्यधिक वर्षा हुई। तमिलनाडु के चार उत्तरी जिलों *चेन्नई, तिरुवल्लूर,* कुड्डालोर और कांचीपुरम में अभूतपूर्व वर्षा हुई। कई क्षेत्रों में अल्पावधि में ही बहुत भारी वर्षा हुई।

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सामान्यतः मानसून के दौरान तीन महीने तक लगातार वर्षा होती है, जिससे जल निकासी और पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। लेकिन इस वर्ष तीन महीने तक होने वाली वर्षा लगातार तीन दिन हुई। कुड्डालोर जिले का नेवेली, जो तीन साल पहले ठाणे तूफान से तबाह हो चुका था, वहां अकेले 9 नवंबर को 437 मिलीमीटर वर्षा हुई। चेन्नई में नवंबर 2015 के मात्र 20 दिनों में पिछले 100 वर्षों में दूसरी सबसे भारी मासिक वर्षा दर्ज की गई।

8 नवंबर से 16 नवंबर के बीच तमिलनाडु के लगभग सभी जिलों में व्यापक वर्षा हुई। 8 नवंबर से 26 नवंबर तक भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा हुई। 4 नवम्बर से 12 दिनों में राज्य में औसत वर्षा 217 मिलीमीटर थी। कुछ ही घंटों में औसतन 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई। चार जिलों में इस मौसम में 15 नवंबर तक वास्तविक वर्षा 382 मिलीमीटर थी, जबकि पूर्वोत्तर मानसून के तीन महीनों के पूरे मौसम के लिए सामान्य औसत वर्षा केवल 290 मिलीमीटर है।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना उच्च तीव्रता का गहरा दबाव 10 नवंबर को कुड्डालोर जिले के मरक्कनम से टकराया। इसके बाद एक और निम्न दबाव प्रणाली आई, जिससे तमिलनाडु में अतिरिक्त वर्षा हुई और स्थिति और भी खराब हो गई।

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में 1 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच 32 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। यहां तक कि विभाग भी हैरान रह गया, क्योंकि वह इतनी विनाशकारी और अभूतपूर्व वर्षा तथा इतने बड़े चक्रवाती प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं लगा सका।

आंध्र प्रदेश में कृष्णनपल्लम बांध से कोसस्थलाई नदी तक तथा पिचतुर बांध से अरानी नदी तक भारी वर्षा के कारण पानी का अतिप्रवाह हुआ, जिससे समस्या और भी बढ़ गई। पूर्वानुमान के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त एहतियाती कदम उठाए गए तथा सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया। मुख्य सचिव द्वारा 1 अक्टूबर को मानसून की तैयारी बैठक आयोजित की गई, जिसके बाद 26 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच

प्रधान सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, ताकि प्रशासन को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा सके और आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकें।

आपदा प्रबंध योजना तैयार कर ली गई है। तालुका स्तरीय जिला प्रबंध योजना भी तैयार की गई तथा सभी संबंधितों को सतर्क कर दिया गया। ये सभी एहतियाती कदम तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के निर्देश पर उठाए गए थे, लेकिन अम्मा के नेतृत्व और समय पर की गई कार्रवाई के बिना अनगिनत दुखों और अभूतपूर्व विनाशों को टाला नहीं जा सकता था। सभी सावधानियों के बावजूद, लगभग सभी जिलों में अप्रत्याशित वर्षा से भारी क्षति हुई। यह उत्तरी तमिलनाडु के चार जिलों में व्यापक था। एक प्रमुख पत्रिका के शब्दों में कहें तो, 'यह एक बाढ़ थी'।

विनाश से विचलित हुए बिना, राज्य की सुव्यवस्थित मशीनरी ने तत्काल राहत और पुनर्बहाली कार्य शुरू कर दिया।

भरे हुए टैंकों और जलाशयों से पानी के ओवरफ्लो होने से समस्या और भी बढ़ गई। अम्मा की सरकार ने हाल ही में पूरी जल निकासी तंत्र की मरम्मत कराई थी, लेकिन इससे भी बाढ़ का पानी नहीं निकल सका। राज्य सरकार मानसून के भारी प्रहार से पहले वर्षा जल के भंडारण के लिए चेन्नई शहर में 121 जलाशयों को बहाल करने की तैयारी में थी। यहां तक कि अम्मा द्वारा कार्यान्वित की गई बहुप्रशंसित वर्षा जल संचयन योजना भी पर्याप्त नहीं हो सकी।

तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई शहर की जनसांख्यिकीय प्रकृति इसके लिए विनाशकारी रही। प्रमुख जलाशयों और उनके जलमार्गों पर पूर्ववर्ती डी.एम.के. सरकार की मिलीभगत से लालची रियल एस्टेट कारोबारियों ने अतिक्रमण कर लिया था। शहर में स्थित पल्लीकरनई की 3,000 एकड़ दलदली भूमि, जो काफी वर्षा जल को रोक सकती है, पर भी अतिक्रमण किया गया। इन सबके कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई।

अप्रत्याशित वर्षा और प्रकृति के प्रकोप से राज्य में व्यापक क्षति हुई है - 14,35,695 घर जलमग्न हो गए, चार लाख लोगों को 539 राहत शिविरों में पहुंचाया गया और उन्हें आश्रय, भोजन, पानी, कपड़े और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। प्रभावित लोगों को लगभग 21,30,000 भोजन पैकेट वितरित किये गये। पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सैकड़ों पानी के टैंकर लगाए गए, 85,111 मवेशियों को टीका लगाने के लिए 121 विशेष शिविर आयोजित किए गए, 32,551 कृमिनाशक खुराकें दी गईं तथा 120 टन निःशुल्क चारे की व्यवस्था की गई।

जिन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई थी, वहां बिजली आपूर्ति तत्काल बहाल करने के लिए जनरेटर चलाए गए। अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया। कुछ ही समय में सैकड़ों ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभे और कंडक्टर बदल दिए गए।

बाढ़ से आवासों, फसलों, सड़कों, पुलों, जल निकासी और सीवेज प्रणालियों, सरकारी भवनों आदि सहित बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान हुआ। सैकड़ों किलोमीटर तक फैली सड़क की रुकावटों की मरम्मत की गई और कुछ ही घंटों में यातायात बहाल कर दिया गया।

क्षतिग्रस्त झोपड़ियों की गणना दैनिक आधार पर की गई तथा राहत सामग्री तुरन्त वितरित की गई।

नुकसान का आकलन करने के लिए कई टीमें गठित की गईं। अकेले चार जिलों में एन.डी.आर.एफ. की 12 टीमें, एस.डी.आर.एफ. की चार टीमें और तटीय सुरक्षा बल की पांच टीमें, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के 500 कर्मी, सेना के 160 जवान, आठ इन्फ्लेटेबल और चार पैडल बोट तथा एक ऑल-टेरेन वाहन तैनात किए गए थे। इसके अतिरिक्त, नौसेना की दो टुकड़ियाँ, छह नौकाएँ और वायु सेना के छह हेलीकॉप्टर भी सेवा में लगाये गये। एस.डी.आर.एफ., तटीय सुरक्षा गार्ड, राज्य सरकार की अग्निशमन एवं बचाव सेवाएं, विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकारी और मंत्री बचाव कार्यों में अथक रूप से भाग ले रहे थे।

लाखों राज्य सरकार के कर्मचारी गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पूरे राज्य में राहत कार्यों में लगे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद 16 नवंबर को राहत एवं पुनर्बहाली

कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए। जिन 169 लोगों की जान चली गई थी उनके परिवारों के लिए तत्काल राहत की व्यवस्था की गई। मवेशियों की हानि के 2,038 मामलों, मुर्गियों की हानि के 60,672 मामलों तथा झोपड़ियों की क्षति के 98,650 मामलों में राहत प्रदान की गई। बाढ़ में जिन छात्रों की पुस्तकें, नोटबुक और वर्दियां नष्ट हो गई थीं, उन्हें एक अतिरिक्त सेट पुस्तकें, नोटबुक और वर्दियां प्रदान की गईं। जिन लोगों के राशन कार्ड खो गए थे, उन्हें तुरंत डुप्लीकेट राशन कार्ड दिए गए। सभी राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए गए।

इस समय, मैं तमिलनाडु सरकार की ओर से केंद्रीय बलों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी समय पर सेवा के बिना इतने बड़े राहत कार्य पूरे नहीं हो पाते। क्षति का आकलन करने के बाद, तमिलनाडु सरकार द्वारा भारत सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बाढ़ से हुई क्षति के लिए एन.डी.आर.एफ. कोष से अस्थायी बहाली के लिए 2,630.85 करोड़ रुपये और स्थायी बहाली के लिए 5,850.34 करोड़ रुपये, यानी कुल 8,480.93 करोड़ रुपये की मांग की गई। केंद्रीय टीम ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक आकलन तैयार किया है।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री *अम्मा* ने 23 नवंबर को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तत्काल राहत कार्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का अनुरोध किया था। अपने पत्र में माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रारंभिक आकलन के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता है, जो एसडीआरएफ सहित राज्य के पास उपलब्ध संसाधनों से कहीं अधिक है, तथा नुकसान का आकलन अभी भी जारी है तथा मानसून के कई सप्ताह अभी भी बाकी हैं। मैं हमारी *अम्मा* और उनकी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री को तत्काल राहत प्रदान करने और धनराशि जारी करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि ठाणे में आए अधिक विनाशकारी तूफान के दौरान पिछली यूपीए सरकार - जिसमें डी.एम.के. भी भागीदार थी - ने केवल 500 करोड़ रुपये जारी किए थे और वह भी काफी हिचकिचाहट और देरी के बाद। इसके बाद हमारी सरकार को राहत कार्य स्वयं ही प्रचालन

करना पड़ा। डी.एम.के., जिसने *अम्मा* द्वारा आरंभिक तौर पर आवंटित 500 करोड़ रुपये को अपर्याप्त बताते हुए उसकी आलोचना की थी, ने केवल एक करोड़ रुपये का दान दिया। तमिलनाडु के लोग पूछ रहे हैं: "ठीक है, अब राहत कोष के रूप में एक करोड़ रुपये आ गये हैं। बाकी 1.75 लाख करोड़ रुपये कहां हैं? तमिलनाडु की जनता यही जानना चाहती है।

विपक्ष के दल इस आपदा का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे राहत अभियान में मदद करने के बजाय, वे राहत कार्य की आलोचना कर रहे हैं। भाजपा की तमिलनाडु इकाई और केन्द्रीय मंत्री भी इसका अपवाद नहीं हैं, लेकिन वे प्राकृतिक आपदाओं के आपदा प्रबंधन में *अम्मा* सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को भूल जाते हैं। सुनामी प्रलय के दौरान हमारी प्रिय *अम्मा* के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाए गए उत्कृष्ट और त्वरित राहत अभियान की पूरे विश्व ने प्रशंसा की थी। इसकी प्रशंसा किसी और ने नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने की थी। ठाणे तूफान के दौरान *अम्मा* सरकार द्वारा किए गए आपदा प्रबंध का कार्य को पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में सराहा गया। इस बार भी हमें तमिलनाडु के लोगों को बचाने और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए हमारे द्वारा किए गए जबरदस्त काम के लिए सही सोच वाले लोगों की सराहना मिलेगी।

हमारी *अम्मा*, जैसा कि वे अक्सर कहती हैं, 'जनता से' और 'जनता के लिए' हैं। रेल, सड़क और इमारतों सहित नागरिक अवसंरचना को वर्षा और उसके परिणामस्वरूप आने वाली बाढ़ का सामना करने के लिए मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए शहरी नियोजन के तरीकों और मानदंडों में भी बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। दीर्घावधि में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे बाढ़ भी वरदान बन सकती है, तथा सक्रिय उत्तर-पूर्वी मानसून का एक महीना और शेष रहने पर राज्य में वर्षा के आंकड़े वास्तव में बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 29 नवंबर 2015 से भारी वर्षा का एक और दौर शुरू होने की भविष्यवाणी की है, विशेष रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में। अभी भी लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिससे चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिले तबाह हो रहे हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में देखे क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है तथा तमिलनाडु राज्य को बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से मांगी गई पूरी राशि 8,480.93 करोड़ रुपये तुरंत जारी करे।

मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त धनराशि जारी करने से तमिलनाडु को युद्ध स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य उपयोगिताओं की अस्थायी और स्थायी बहाली करने में मदद मिलेगी।

महोदया, विचारशील होने की हार्दिक प्रार्थनाओं के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ।

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): नियम 193 के अधीन जिस मुद्दे पर उन्होंने अभी बात की, वह बहुत गंभीर मामला है। केंद्रीय टीम ने हमारे राज्य का दौरा किया, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं। इसके अलावा एक बार फिर भारी वर्षा शुरू हो गई है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अगर हमारे गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह यहां होते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन वैसे भी राज्य मंत्री यहां हैं। मैं श्री राजनाथ सिंह जी से यहां आने का अनुरोध करूंगा। यह बहुत गंभीर मामला है और यही मैं कहना चाहता था।

माननीय अध्यक्ष: अभी चर्चा शुरू हुई है। आप भी इस मुद्दे पर बोल सकते हैं। अभी जो चर्चा शुरू हुई है, वह देश के कई भागों में व्याप्त बाढ़ और सूखे की स्थिति पर है।

अब मैं श्री पी.सी. मोहन को बुलाता हूं।

श्री पी.सी. मोहन (बंगलौर केन्द्रीय): महोदया, मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

हमारे देश के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु और पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में पिछले तीन सप्ताह से भारी वर्षा हो रही है। तमिलनाडु, विशेषकर चेन्नई में स्थिति बदतर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम टीवी पर भी देख रहे हैं और वहां से आने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि स्थिति इतनी खराब है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं, रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और लोग वहां बहुत ही गंभीर स्थिति में रह रहे हैं।

मैं केंद्र को उसके हस्तक्षेप के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दूसरे दिन तमिलनाडु की मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें केन्द्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पर जयललिता जी से बात की और इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में उन्हें हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया। मैं प्रधानमंत्री जी को इतना अच्छा बयान देने के लिए धन्यवाद देता हूं जिससे लोग बहुत खुश हैं।

राष्ट्रीय आपदा बचाव बल की दस टीमें पहले ही भेजी जा चुकी हैं, जिनमें से चार चेन्नई में हैं तथा शेष टीमें कल पहुंच जाएंगी। साथ ही, हम सभी एन.डी.आर.एफ. के प्रमुख से बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश से और टीम भेजने का अनुरोध कर रहे हैं।

कर्नाटक, उनका पड़ोसी होने के नाते, हम तमिलनाडु और आंध्र के लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। हम जानते हैं कि वे किस स्थिति का सामना कर रहे हैं और मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन्हें हमारा पूरा समर्थन है। धन्यवाद।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदया, स्थिति बहुत गंभीर है क्योंकि बाढ़ और सूखे दोनों ने हमारे देश को प्रभावित किया है। विशाल क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है और आधा भारत सूखे से प्रभावित है। आंकड़ों से पता चलता है कि 614 में से 302 जिले सूखे की चपेट में हैं, जो 2009 के बाद से सबसे अधिक है; और भारत के विभिन्न भागों में चालीस प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है।

चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य भागों के साथ-साथ बाढ़ ने पश्चिम बंगाल राज्य को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। मैंने 25 नवंबर को आपके द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में यह मुद्दा उठाया था। राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपये की राहत मांगी और मैंने सरकार से पूछा कि स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने कितनी धनराशि आवंटित की है। इसके बाद बहुत ही तत्परता से श्री वेंकैया नायडू ने मुझे आश्वासन दिया कि वे जवाब भेजेंगे और उन्होंने जवाब भेजा भी, जिसमें कहा गया था कि, "प्रिय सुदीप *दा*, हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बंगाल को इस वर्ष के लिए एसडीआरएफ से जारी की गई पूरी राशि 367 करोड़ रुपये मिल गई है।"

आगे का ब्योरा कल दोपहर तक उपलब्ध होगी।" मुझे संभवतः आगे की जानकारी मिल जाएगी। जब हमने 6,000 करोड़ रुपये मांगे तो एसडीआरएफ ने केवल 387 करोड़ रुपये ही कैसे जारी किए? मूल्यांकन की प्रणाली क्या है? केन्द्रीय टीम वहाँ जाती है और वापस आ जाती है। वे स्थिति की गंभीरता का आकलन कैसे करते हैं? वे स्थिति का आकलन करने के लिए एक साथ जाते हैं। लेकिन जब वे निर्णय लेते हैं, तो वे स्वयं ही करते हैं। हम मोटे तौर पर इससे इनकार करते हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं कि तमिलनाडु बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्हें अधिक धन मिले। हमारा उनको पूरा समर्थन है। कल मैंने सुना कि उनकी मांग एक निश्चित सीमा तक थी। लेकिन बहुत ही न्यूनतम राशि जारी की गई है। राज्यों के अपने मौद्रिक संसाधनों से इस स्थिति से निपटना बहुत कठिन होता जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तरफ तो केन्द्रीय सरकार समय पर धनराशि जारी नहीं कर रही है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अपने स्रोतों से उस सीमा तक स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं हैं। कई केंद्रीय

परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अगस्त से ही देश में कुछ स्थानों को छोड़कर कहीं भी वर्षा नहीं हुई है। इसलिए, सूखा भी समान रूप से प्रभावित कर रहा है। पश्चिम बंगाल बाढ़ और सूखे दोनों से पीड़ित है। चार जिले विशेष रूप से बर्दवान, बांकुरा, पुरूलिया और पश्चिमी मिदनापुर बाढ़ से प्रभावित हैं। एक तरफ अभूतपूर्व वर्षा है तो दूसरी तरफ सूखा है। यह वास्तव में एक गंभीर परिस्थिति है। हमारा प्रस्ताव है कि किसानों और बाढ़ प्रभावित लोगों को पेयजल, भोजन और वैकल्पिक बीज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अन्य तरफ डी.वी.सी. पानी नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल की तेनुघाट परियोजना में पानी नहीं है। इस स्थिति पर कैसे काबू पाया जा सकता है? मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार के परामर्श से यथाशीघ्र इस उद्देश्य के लिए डीवीसी का पानी छोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश दे।

बाढ़ और सूखे के कारण बहुत गरीब लोग और किसान अपनी आय और संपत्ति खो देते हैं। उन्हें संकटपूर्ण बिक्री का सामना करना पड़ेगा। वे सिर्फ गरीब नहीं रह जाते, बल्कि सबसे गरीब हो जाते हैं। मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा। सरकार के पास एफसीआई के अंतर्गत भारी मात्रा में खाद्यान्न का भंडार उपलब्ध है। खाद्य निगम, बाढ़ प्रभावित और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता है।

मानसून की कमी के कारण किसानों की मृत्यु भी बहुत चिंताजनक है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आई.सी.डी.एस. परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता भी कम की जा रही है। इससे पहले, केन्द्रीय सरकार उन्हें आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को चलाने के लिए फंड का बड़ा हिस्सा देती थी। अब यह कहा गया है कि राज्य अधिकतम हिस्सा देगा और केंद्र शेष हिस्सा देगा। यह सरकार के कंधों पर एक और बोझ है। हम यहां यह कहते रहते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को 2,30,000 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना है और पिछली सरकार द्वारा लिए गए उस कर्ज के एवज में केन्द्रीय सरकार हर वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार से 20,000 करोड़ रुपये लेती है। इस संबंध में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हम वर्तमान सरकार द्वारा दिए जा रहे ऋणों में से पिछली सरकार द्वारा लिए गए पुराने ऋणों को चुका रहे हैं, तो यह एक खतरनाक स्थिति है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: सुदीप दा, आप यहां मौजूद हैं और सौगत जी भी यहां हैं। सिस्टम ऐसा ही है। चाहे यह सरकार हो या वह सरकार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार का तात्पर्य पश्चिम बंगाल सरकार है। पहले सी.पी.आई. (एम) की सरकार थी और अब तृणमूल सरकार है। भारत में यही प्रणाली है। अगर अन्य कोई और रास्ता हो तो बताइये। आप एक नया विचार दे सकते हैं कि नई सरकार को पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति संविधान में नहीं है। मैं यह स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने यह मुद्दा पहले भी उठाया था।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: मैं आपसे सहमत हूँ। मेरा तात्पर्य यह था कि पश्चिम बंगाल पर 34 वर्षों तक शासन करने वाली सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपये का भारी कर्ज ले लिया था और उसके भुगतान का भार नई राज्य सरकारपर पड़ा, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार स्वाभाविक रूप से हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपये काटती है।

अब केन्द्रीय सरकार को कुछ सकारात्मक कदम उठाने होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि निम्नलिखित केन्द्र-सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्य क्या हैं? ये बातें बहुत व्यापक रूप से घटित होती हैं। क्या हम मनरेगा परियोजना के अधीन अतिरिक्त कार्य दिवस शामिल कर सकते हैं? प्रभावित क्षेत्रों में किसानों के लिए डीजल सब्सिडी योजना, बीज सब्सिडी की अधिकतम सीमा में वृद्धि, बागवानी फसलों को बचाने के लिए हस्तक्षेप, अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का आबंटन , *खरीफ* 2015 के लिए बीज और अन्य आदानों की उपलब्धता, वर्ष 2015 के लिए सूखे के लिए संकट प्रबंधन योजना, ये सभी योजनाएं किस प्रकार इस अवसर पर खरी उतर रही हैं?

महोदया, इस प्रकार की बाढ़ और सूखे की घटनाओं से निपटने के लिए कल्पनाशीलता, दूरदर्शिता और पूर्व योजना की आवश्यकता है। हमें पहले से ही एक उचित योजना बनानी होगी। ये आपदाएँ किसी भी समय, किसी भी क्षण हमारे देश को प्रभावित कर सकती हैं, कोई नहीं कह सकता। वैश्विक ऊष्मीकरण इन मौसमीय बदलावों के रूप में स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। अब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के

प्रति सचेत हो रहा है। हाल ही में पेरिस में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया और चर्चा की गई।

जहां तक राज्य आपदा राहत कोष (एस.डी.आर.एफ.) के कामकाज का सवाल है, आजकल ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र सरकार राज्य कोष में पहले से धनराशि दे देती है। लेकिन यदि बाढ़ या सूखे की स्थिति बदतर हो जाती है, तो सरकार को प्राथमिक तौर पर धन खर्च करना होगा। पश्चिम बंगाल सरकार भारी वित्तीय संकट के बावजूद पहले ही 1,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए मांगे थे लेकिन केवल 367 करोड़ रुपए ही जारी किए गए और वह भी अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। मुझे इस राहत आदेश के बारे में श्री वेंकैया नायडू जी से पता चला।

महोदया, मैं यह कहना चाहूंगा कि तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति से प्राथमिकता के आधार पर निपटा जाना चाहिए। लेकिन बाढ़ और सूखे के कारण पश्चिम बंगाल के सामने जो स्थिति है वह बहुत गंभीर है। भारत सरकार को इस अवसर पर हर प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस विषय पर राज्य के मुख्यमंत्री से व्यापक चर्चा होनी चाहिए। स्थिति का आकलन करने वाली केंद्रीय टीमों की सिफारिशों को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। राज्यों के मुख्यमंत्री जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाये जाते हैं। जब वे वित्तीय सहायता मांग रहे हों तो इसे प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए।

यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और मेरा मानना है कि जो राज्य सूखे और बाढ़ से प्रभावित हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, और तमिलनाडु को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, नियम 193 के अधीन जो मुद्दा उठाया गया है वह बहुत ही प्रासंगिक और संवेदनशील है। हम सभी ने हाल के दिनों में तमिलनाडु में प्रकृति की उग्रता और उन्माद को देखा है। वस्तुतः पूरा देश प्रकृति के प्रकोप से बार-बार तबाह हो रहा है, जिसमें भारी वित्तीय नुकसान के अतिरिक्त कई लोगों की जान भी चली गई। हम एक गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय आपदा का सामना कर रहे हैं और विश्व समुदाय इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए इस पर विचार कर रहा है।

भारत में विभिन्न मौसम विज्ञान प्रभाग हैं। कहीं सूखा, कहीं बाढ़ और अब तो प्रकृति के प्रकोप के कारण रेगिस्तान में भी बाढ़ आ गई है और जिन क्षेत्रों में पहले भारी वर्षा होती थी, वहां भी सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से अब किसी भी क्षेत्र को बाढ़-प्रवण या सूखा-प्रवण क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रकृति का ही चमत्कार है जो हमारे देश के किसी भी क्षेत्र का भाग्य निर्धारित करता है।

मैं भी ऐसे राज्य से हूं जो अन्य बाढ़-प्रवण क्षेत्रों की तरह बाढ़-प्रवण है। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ से तबाह हो गया है। लोगों ने अपनी फसलें, अपनी संपत्तियां, अपने पशुधन आदि गवा दिए हैं, लेकिन राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों को नाम मात्र की कोई सहायता या सहायता प्रदान नहीं की गई है, जबकि बार-बार बड़े-बड़े वादे किए गए थे।

मैं सभा और सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हम अपनी शर्तों पर प्रकृति को निर्धारित नहीं कर सकते। कम से कम हम आम लोगों की परेशानियों को कम कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास आपदा-पश्चात प्रबंधन की उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हों।

इन अप्रत्याशित और अभूतपूर्व स्थितियों से निपटने के लिए कई संस्थाएँ बनाई गई हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं ओडिशा में आए चक्रवात फैलिन और आंध्र प्रदेश में आए चक्रवात हुदहुद का उदाहरण दे सकता हूं। चक्रवात फैलिन के कारण ओडिशा को 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ;

चक्रवात हुदहुद के कारण आंध्र प्रदेश को 1,00,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत, यानी 3,00,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

यहां मेरे सम्मानीय सहयोगी श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने बंगाल की बाढ़ का मुद्दा उठाया था। वह अपनी नेता, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जो *मेले,* उत्सव आदि आयोजित करने में व्यस्त रहती थीं, जिसके तहत करोड़ों रुपए केवल उनके अहंकार की तुष्टि के लिए खर्च किए जा रहे थे, लेकिन जहां तक किसानों और बाढ़ प्रभावित लोगों का सवाल है, वह हमेशा उन असहाय लोगों के प्रति उदासीन रहीं। … *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: वह *मेलों* और त्यौहारों की बात कर रहे हैं। इसका सम्बन्ध किस प्रकार है? … *(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह प्रासंगिक है। आपने अभी अपनी सरकार का उल्लेख किया... *(व्यवधान)*

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: यह आपकी सरकार भी है। … *(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी: यह राज्य सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार है, अर्थात आपकी सरकार है। ... *(व्यवधान)*

पश्चिम बंगाल सरकार एक ऋणी सरकार है। आप केन्द्रीय सरकार से वित्तीय अधिस्थगन आदि की मांग कर रहे हैं, लेकिन तथ्य यह है कि जब आपने सत्ता संभाली थी तो आपको अच्छी तरह पता था कि आपको एक ऐसा राज्य विरासत में मिला है जो कर्ज में डूबा हुआ है। इसलिए, शुरू से ही आपको अपने व्यय और सरकार चलाने में व्यावहारिक होना था, जिसमें आप बुरी तरह विफल रहे। अब कर्ज का बोझ 3,00,000 करोड़ रुपये हो गया है; भगवान के अलावा कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। … *(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष: आपकी पार्टी के दो और सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं।

… *(व्यवधान)*

श्री अधीर रंजन चौधरी: पश्चिम बंगाल में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह एक नियमित विशेषता है। पश्चिम बंगाल में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है, ताकि उन्हें मजबूरी में अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। पश्चिम बंगाल में सम्पूर्ण बुनियादी ढांचा खस्ताहाल है।

पश्चिम बंगाल में सभी संस्थाएं बुरी तरह से राजनीतिक हो चुकी हैं। यही कारण है कि धनराशि उपलब्धता के बावजूद किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अब 1410 रुपये तथा 1415 रुपये प्लस बोनस है। लेकिन किसानों को अपनी उपज बिचौलियों द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए, गरीब किसानों का भाग्य अब पश्चिम बंगाल राज्य के राजनीतिक लोगों की मिलीभगत से बिचौलियों द्वारा तय किया जा रहा है। यह कि सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। इसका उल्लिखित मेरे सम्मानित सहकर्मी ने किया है। डीवीसी का संचालन केवल केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य डी.वी.सी. में संयुक्त हिस्सेदारी कर रहे हैं। पानी छोड़ने से पहले आप अपना तर्क उचित तरीके से रखें ताकि भविष्य में सिंचाई में कोई व्यवधान न हो।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य के लिए आवश्यक धनराशि उस तरीके से उपलब्ध कराए जो केन्द्र सरकार को अच्छी तरह ज्ञात है। उन किसानों को संस्थागत ऋण दिया जाना चाहिए। भारत में गरीब और सीमांत किसानों को केवल 2.3 प्रतिशत संस्थागत ऋण दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के कितने क्षेत्र फसल बीमा के दायरे में हैं, क्योंकि हमारे देश का केवल 18 से 19 प्रतिशत क्षेत्र ही फसल बीमा के दायरे में है। इसलिए हमारे देश के बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को कुछ राहत देने के लिए, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उन्हें इस स्थिति में जीवित रहने में मदद मिल सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, जब चेन्नई में वर्षा हो रही थी तो मैं स्वयं इसका साक्षी तथा पीड़ित था। रेल अभिसमय समिति संयुक्त रेलवे कन्वेन्शन सिमिति दौरे पर थी और मैं भुवनेश्वर से चेन्नई जा रहा था। यह 15 नवंबर 2015 की बात है और उस दिन चेन्नई में काले बादल छाये हुए थे और सड़कें पानी से भरी हुई थीं। जैसे ही हमारा विमान चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरा, मैं सचमुच बहुत चिंतित हो गया कि क्या मैं अपने होटल तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। लेकिन दक्षिणी रेलवे के महाप्रबंधक ने मुझे बताया कि हम नेविगेट कर सकते हैं। उन्होंने 'नेविगेट' शब्द का प्रयोग किया। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और उन्होनें कहा कि वह 'नेविगेट' शब्द का प्रयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि महोदय, हमें जल के विशाल क्षेत्र से होकर गुजरना होगा। लेकिन हमारी सड़कें अच्छी हैं और हम जा सकते हैं।

मैं थोड़ा आशंकित था, क्योंकि समिति का दौरा किसी एक सदस्य का मामला नहीं होता और इसका प्रभाव तभी हो सकता है जब अधिक सदस्य आएं और इसमें भाग लें। इसके बाद श्री वेणुगोपाल और अन्य सदस्य भी वहां पहुंचे। लेकिन हम सभी को दो दिन तक उस होटल में ही रहना पड़ा। हम बाहर नहीं जा सके। यह चेन्नई का मुख्य केन्द्र माना जाता है और हमारी चर्चा का विषय चेन्नई मुख्य स्टेशन से संबंधित था जो निचले क्षेत्र में है। यातायात को नियंत्रित करने वाले अधिकांश अधिकारी इस बात को लेकर अधिक चिंतित थे कि ट्रेनों की आवाजाही को कैसे रोका जाए और यात्रियों को कम से कम आने-जाने में कैसे मदद की जाए, ताकि कोई यह न कह सके कि ट्रेन सेवा ध्वस्त हो गई है। उन्होंने इसमें बेहतर काम किया। लेकिन कल हम सबको पता चला, हमने टेलीविजन पर देखा कि पूरा चेन्नई हवाई अड्डा पानी में डूबा हुआ है। इससे पता चलता है कि पिछले कई दिनों से, पिछले 20-21 दिनों से, लगातार वर्षा हो रही है, ये उत्तर-पूर्वी मानसून है जो आमतौर पर नवंबर के मध्य में आता है और जनवरी के मध्य तक जारी रहता है, लेकिन कभी भी, जैसा कि मैंने उस दिन चेन्नई में सुना था, उन्होंने तमिलनाडु में इस प्रकार की भारी वर्षा नहीं देखी थी। तमिलनाडु के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है। लाखों लोग जलमग्न हो गये हैं। उनके घरों में बाढ़ आ गई है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तीन जिलों में भी लगातार वर्षा हुई है। इसका कुछ संबंध अल नीनो प्रभाव से है। यदि प्रशांत

महासागर का पानी गर्म हो जाता है, तो कुछ भागों में मूसलाधार वर्षा या भारी वर्षा होती है तथा कुछ भागों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई क्षेत्रों में सामान्यतः जितनी वर्षा होनी चाहिए, उतनी नहीं होती।

जब हम वहां थे, तो तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री वहां गए थे, श्री वेणुगोपाल जि मुझसे सहमत होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह केवल चेन्नई में ही चर्चा का विषय नहीं था। जब पूरा शहर जलमग्न हो तो मुख्यमंत्री शहर में कैसे घूम सकते हैं? राज्य में एक योग्य नेता को इसी तरह कार्य करना चाहिए। उसने इसका प्रदर्शन किया। उनके अनुदेश जनता के पास जाने का था। एआईएडीएमके के हमारे एक माननीय संसद सदस्य हमारी समिति के सदस्य हैं और जब हमने उनसे फोन पर पूछा कि वे कहां हैं और हम उनके राज्य में हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं और उनकी पार्टी की ओर से अनुदेश है कि उन्हें लोगों के बीच रहना है। वह चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर था। लेकिन वह स्थान भी लगातार वर्षा से प्रभावित था और लोग कष्ट में थे। लोगों को यथासंभव सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। कोई भी सरकार सामान्य परिस्थितियों में जो कुछ भी संभव है, वह सब कुछ प्रदान नहीं कर सकती। जीवन चलता रहता है और सरकार अपनी ओर से जो कुछ कर सकती है, वह करती है। लेकिन कम से कम सरकार ने यह अहसास अवश्य दिलाया कि आपदा की घड़ी में सरकार की मशीनरी जनता के साथ खड़ी है। जब कोई आपदा आती है, तो प्रारंभिक प्रतिक्रिया में प्रशासन को इसी भावना से कार्य करना चाहिए।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, जब कोई आपदा आती है तो सबसे पहला काम लोगों को बचाना होता है। दूसरा काम लोगों को राहत पहुंचाना है और उसके बाद पुनर्वास का काम करना है। ये तीन 'आर' हैं जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब कहीं भी आपदा आती है। सबसे पहले लोगों को बचाया जाना चाहिए। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने किया था, जब 2013 में फैलिन तूफान ने ओडिशा पर हमला किया था। ओडिशा का दक्षिणी भाग प्रभावित हुआ। प्रभावित क्षेत्र से 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। यह वह सबक है जो हमने 1999 के महाचक्रवात के बाद सीखा था। उस समय राज्य में एक अलग सरकार सत्ता में थी। जब प्रशासन ने लोगों को बताया कि हवा इतनी तेज गति से आ रही है तो

उनसे आश्रय के लिए बेहतर स्थान पर जाने को कहा गया। लोग वहां से नहीं गए। वर्ष 1999 में जब प्रशासन ने लोगों को बताया कि हवा इतनी तीव्र गति से चल रही है और उनसे आश्रय के लिए बेहतर स्थान पर चले जाने को कहा गया, तो लोग वहां से नहीं गए। लेकिन वर्ष 2013 में जब फैलिन के बारे में भविष्यवाणी हुई थी, तो 10 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया था और लोग स्वयं ही विभिन्न स्थानों पर चक्रवात आश्रयों में आ गए थे। बचाव कार्य किया गया। बमुश्किल दो अथवा तीन लोगों की मौत हुई और वह भी अन्य स्थानों पर हुई दुर्घटना के कारण। लेकिन लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों तक पहुंचाया गया। वे उन स्थानों पर 7 से 10 दिन तक रहे और फिर चक्रवात के समाप्त होने के बाद वापस चले गए।

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

लेकिन मेरी चिंता यह है। तमिलनाडु सरकार ने तत्काल सहायता के लिए लगभग 8480.93 करोड़ रुपये की मांग की है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का खर्च भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ओडिशा भी यही मांग कर रहा है। फालिन के समय में बार-बार अनुरोध किया गया था।

मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं पहले भी चेन्नई तथा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा है।

मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि मुंबई में बाढ़ आ गई है। हम सभी यह जानकर आश्चर्यचकित थे कि मुंबई में इतनी बाढ़ कैसे आ सकती है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि मीठे पानी की नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी की निकासी सामान्य रूप से नहीं हो रही थी। उन क्षेत्रों में बहुत सारी बस्तियां बस गई हैं, जहां वर्षा जल या तूफानी पानी का निर्वहन अवरुद्ध हो गया है। इससे वास्तव में मुंबई में बाढ़ आ गई थी। चेन्नई में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके बाद, जब बाढ़ कम हो जाएगी, तो मैं समझता हूं कि इस पहलू पर

भी विचार करने की आवश्यकता है। यह कानूनी या अवैध हो सकता है, लेकिन आपको समुद्र में पानी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देनी होगी। यदि ऐसा हुआ तो इस प्रकार की बाढ़ नहीं आएगी।

महोदया, भुवनेश्वर एक नियोजित शहर है। यह ऊँचे स्थान पर है। बचपन में मैं सामान्यत: देखता था कि जब भी सुबह वर्षा होती है तो पूरी गली जलमग्न हो जाती है, लेकिन तीन-चार घंटे बाद पूरा शहर साफ और सूखा हो जाता है। लेकिन आज वे अधिकांश क्षेत्र अवरुद्ध हो चुके हैं, जिनसे पानी बाहर निकलना चाहिए। इसीलिए, जब संसदीय कार्य मंत्री सहित शहरी विकास मंत्री यहां आए थे, तो मैं हमारे शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास पर चर्चा करने का सुझाव देने के बारे में सोच रहा था। इसका मतलब यह है कि शहरी विकास तो हो रहा है लेकिन योजनाबद्ध विकास वास्तव में नहीं हो रहा है।

मैं एक ऐसे शहर से आता हूं जो 1100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह एक लिखित इतिहास है। उससे भी पहले वहां बस्तियां रही होंगी। शहर के दोनों ओर दो विशाल नदियाँ भी बहती हैं। लेकिन हम नदी के पानी से नहीं घिरे हैं। हम अपने नाले के पानी से भर जाते हैं क्योंकि शहर एक कढ़ाई की तरह है। नदी का तला ऊंचा है और हमें पानी को पम्प करके नदी तल में निकालना होगा। मैं केंद्र सरकार से कुछ और धनराशि प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे दुर्भाग्य से, पिछले 18 वर्षों के दौरान, जब भी ओडिशा पर विचार किया गया, तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बेशक, इसमें योग्यता की आवश्यकता है लेकिन भुवनेश्वर और पुरी को पहली प्राथमिकता दी जाती है और कटक को हमेशा पृष्ठभूमि में धकेल दिया जाता है। लेकिन यहां, मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए इसका लाभ उठाऊंगा। पिछले दो-तीन दिनों से मैं इस मुद्दे को 'शून्यकाल' में उठाने का प्रयास कर रहा हूं। किसी न किसी तरह, मैं इसे उठाने के लिए भाग्यशाली नहीं रहा हूं। यह फेलिन मुद्दे से संबंधित है जिसका उल्लेख श्री अधीर रंजन चौधरी ने किया था। वर्ष 2013 में हम पर इसका असर हुआ। इस पर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ओडिशा में सर्वोत्तम आपदा प्रबंधन किया गया है। लेकिन चूंकि गृह राज्य मंत्री यहां मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान इस पहलू की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष का सवाल है, तत्कालीन केंद्रीय

कृषि मंत्री श्री शरद पवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई थी। राज्य सरकार ने एक त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया। चूंकि यह प्रतिबद्धता थी कि इतनी धनराशि आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और राज्य सरकार ने त्रुटि की ओर ध्यान दिलाया।

मुख्यमंत्री को 10 सितम्बर, 2014 को गृह मंत्रालय से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि 399.83 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तो मंत्री महोदय ने स्वयं इस सभा में इसकी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। लेकिन बाद में इस पर अमल नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने 15 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री को भी यह बात बताई थी। 4 मार्च, 2015 को उच्च स्तरीय समिति में औपचारिक निर्णय लिया जाना था। इस बीच तीन उच्च स्तरीय समिति की बैठकें हो चुकी हैं। एक 14 जनवरी को, दूसरा 24 मार्च को तथा तीसरा 29 मई को था। मुख्यमंत्री के बार-बार अनुरोध के बावजूद, हमारी दलीलों के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी सराहना के बावजूद, गृह मंत्रालय द्वारा भी इसे मंजूरी दिए जाने के बावजूद, यह पैसा नहीं आया है। यह ज्यादा नहीं है। यह सिर्फ 400 करोड़ रुपये है। हमारा मानना है कि यह ऐसी बात है जिसे नकार दिया गया है। हमें इसकी अनुमति नहीं दी गई है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

हम देश में सूखे की स्थिति पर बाद में चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, इस चर्चा में सूखा भी शामिल है।

श्री भर्तृहरि महताब: सूखा कहीं अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ है और देश इससे बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। लेकिन यदि हम इस पर बात करें, तो मूल विषय से भटक जाएंगे। मैं इस समय सूखे की स्थिति पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा बाढ़ की स्थिति से संबंधित है।

बेशक, आज मंत्री ने कहा है कि बाढ़ की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और वर्षा की भविष्यवाणी की जा सकती है। यह बात उन्होंने तब कही जब वह महाराष्ट्र की एक माननीय सदस्य श्रीमती पूनम महाजन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। वह आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाढ़ की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन आज अनियमित मानसून के कारण जो हो रहा है। अचानक एक जगह बादल फट

गया। ऐसा 1982 में ओडिशा में हुआ था। हीराकुंड से आगे बादल फट गया और भारी वर्षा हुई जिससे ओडिशा के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई। वैसा ही हुआ था।

अब तो विज्ञान विकसित हो गया है। मुझे लगता है कि हमारे देश में भी मौसम का पूर्वानुमान विकसित हो चुका है और यह अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर चुका है। हाल ही में, पारादीप में उन्होंने एक अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान तंत्र भी स्थापित किया है। इसे अन्य तटीय क्षेत्रों में भी दोहराने की जरूरत है, जो हमें यह भी बता सकता है कि हम चक्रवात की उम्मीद कर रहे हैं जो अधिक वर्षा लाएगा।

इन शब्दों के साथ, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को देंखे; और बीच में ओडिशा भी है। तो, ओडिशा पर भी नजर डालें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: धन्यवाद।

सभा की कार्यवाही अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 01.09 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर चौदह मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई।

<u>अपराह्न 02.13 बजे</u>

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् अपराह्न दो बजकर तेरह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(माननीय उप सभापति *पीठासीन हुए*)

नियम 193 के अधीन चर्चा

तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ और सूखे की स्थिति... <u>जारी</u>

माननीय उप सभापति: श्री एम. वेंकैया नायडू।

... *(व्यवधान)*

प्रो. सुगाता बोस(जादवपुर): महोदय, मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा।

भोजन करने से ठीक पहले एक माननीय सदस्य ने दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां कीं, जबकि श्री भर्तृहरि महताब ने तमिलनाडु और ओडिशा के मुख्यमंत्री की उचित ही प्रशंसा की। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जुलाई में जब पश्चिम बंगाल में बाढ़ आई थी, तो मुख्यमंत्री हममें से कुछ लोगों के साथ लंदन में थे। हम पश्चिम बंगाल राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौरे पर गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने मौसम पूर्वानुमान और आसन्न बाढ़ की स्थिति के बारे में समाचार सुनकर अपना दौरा बीच में ही रोक दिया। हम सब वापस आ गए। मुख्यमंत्री ने 'नबन्नो', अपने मुख्यालय से बाढ़ की स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की और अनुकरणीय कार्रवाई की। मैं वर्तमान बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहे तमिलनाडु के लोगों के साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की एकजुटता भी व्यक्त करना चाहूंगा।

शहरी विकास मंत्री, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। यहां तक कि मैं सुबह महसूस कर रहा था कि यह एक ऐसी बहस है जहां हम लोगों के दुख के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि हम इसे भी राजनीतिक बहस में बदल दें और एक-दूसरे की आलोचना करने लगें, तो अन्य सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। लोग संकट में हैं। हमें सभा से उन लोगों तक अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए ताकि उन्हें थोड़ा विश्वास हो कि भारत की संसद हमारे बारे में चर्चा कर रही है, हमारे लिए कुछ होगा। उनमें कुछ विश्वास आएगा। किसी भी मुख्यमंत्री का संदर्भ, मैंने सुना है कि उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया था, और ऐसा करने से बचना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की गई है तो उसे रिकार्ड से हटा दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात, मैं यहाँ इस बहस का उत्तर देने नहीं आया हूँ। मैं एक व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूँ, जो उस क्षेत्र में कुछ समय तक रहा है - कुछ समय चेन्नई में, कुछ बेंगलुरु में, कुछ हैदराबाद में, कुछ दिल्ली में और कुछ अपने स्थान पर। मैं लगातार यात्रा करता रहता हूँ। अभी-अभी मेरी बेटी और नातिन ने मुझे चेन्नई की कुछ तस्वीरें दिखाई हैं। वे वास्तव में दिल को छू लेने वाली हैं। मैं चेन्नई से प्रतिदिन संपर्क में हूँ। साथ ही, आंध्र प्रदेश के छह ज़िले भी प्रभावित हैं, वहाँ से भी हमें नियमित रूप से जानकारी मिल रही है।

अभी-अभी मौसम विभाग ने एक और चेतावनी जारी की है कि अगले 24 घंटों में स्थिति और खराब हो सकती है। हवाई अड्डे और रनवे तक में पानी घुस गया है; सभी उड़ानें ठप पड़ी हैं; रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं। अभी खबर यह है कि एग्मोर रेलवे ट्रैक आंशिक रूप से बह गया है, आंशिक रूप से डूब भी गया है। बस स्टैंड कार्यात्मक नहीं हैं। कुछ लोग पहली और दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर में पानी घुस गया है। मैं आम लोगों की दुर्दशा को बयां नहीं कर सकता। सौभाग्य से, देश के अन्य भागों की तुलना में चेन्नई में झुग्गी-झोपड़ियाँ अपेक्षाकृत कम हैं, क्योंकि उत्तरोत्तर सरकारों ने झुग्गी-झोपड़ी उन्मूलन बोर्ड स्थापित करके कल्याणकारी उपाय किए हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी स्वयं तमिलनाडु सरकार में मंत्री थे। कूवम नदी के किनारे स्थित क्षेत्र, विशेषकर वेलाचेरी और उत्तरी चेन्नई के निचले इलाके, पानी से भरे हुए हैं। महिलाएँ तैरने की

कोशिश कर रही हैं, लेकिन वे तैर नहीं पा रही हैं; कितनी भी नावें लगाई जाएँ, स्थिति को नहीं संभाला जा सकता।

आज सुबह, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय वित्त मंत्री तथा मेरे साथ प्रारंभिक चर्चा की है। हमने सूचना का आदान-प्रदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने मैडम जयललिता *जी* से बात की और उन्हें बताया कि जो भी सहायता अपेक्षित होगी, वह भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन मुद्दा यह है कि यह कोई सामान्य स्थिति नहीं है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में बाढ़ आ रही है, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में भी, लेकिन चेन्नई और निकटवर्ती कांचीपुरम में स्थिति बिल्कुल अलग है। 100 वर्षों में यह सबसे अधिक वर्षा और बाढ़ है। जहां भी नावें उपलब्ध हैं, लोग नावों के द्वारा से आवागमन कर रहे हैं। शहर में कहीं भी सड़क यातायात नहीं है। लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जा रही है।

अब चेतावनी आ रही है कि अगले 24 घंटों में स्थिति और भी खराब हो सकती है। आज सुबह के समय मैं सिर्फ तमिलनाडु के लोगों को, विशेष रूप से चेन्नई और बाढ़ से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के लोगों को यह संदेश देने के लिए खड़ा हुआ हूं कि भारत की संसद आपके बारे में चिंतित है, कुछ किया जा रहा है; थोड़ा आश्वस्त रहें। यह एक दूसरे की आलोचना करने का समय नहीं है। स्वाभाविक रूप से लोगों में चिंता होगी। कुछ टेलीविजन चैनल लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या मिला है। स्वाभाविक रूप से, हमें इसे समझना होगा। पीड़ित लोगों की सेवा कौन लोग करेंगे? फिर, वे हि कर्मचारी हैं, वो भी इंसान हैं, और उनके घर भी पूरी तरह से डूब गए हैं। वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह एक और समस्या है। इसीलिए, जहां भी आवश्यकता है, नौसेना को सेवा में लगाया गया है; सेना को अलर्ट पर रखा गया है; वे मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं और वे चेन्नई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं। इसके लिए और अधिक टीमों की आवश्यकता है तथा केंद्र से भी सहयोग की आवश्यकता है, जो उन्हें दिया जाएगा।

चेन्नई हवाई अड्डे की स्थिति के संबंध में, सभापीठ की अनुमति से, मैं यहां कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर कुछ बच्चों की है जो हवाई अड्डे की पहली मंजिल पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नदियों से पानी हवाई अड्डे में आ रहा है। हवाई अड्डे के अंदर की स्थिति ऐसी ही है। यह एक अन्य तस्वीर है जिसमें एक व्यक्ति दो पहिया वाहन पर है। उनका दो पहिया वाहन पूरी तरह डूब गया है। इसलिए, यह स्थिति अप्रत्याशित एवं अनसुनी है। अधिकांश स्थानों पर लिफ्टें पूरी तरह से पानी से भर चुकी हैं।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी-अभी मेरे छह रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मिली है जो चेन्नई में हैं। वे अपने हवाई टिकटों की पुष्टि के लिए हवाई अड्डे गए। लेकिन एयर इंडिया कोई जवाब नहीं दे रहा है। न तो उनके टिकट पर पुनः पुष्टि की मुहर लगाई जा रही है और न ही किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है। उन्हें केवल इतना कहा जा रहा है कि सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान किया जाना चाहिए।

श्री एम. वेंकैया नायडू: आप सही हैं। मुझे अभी जानकारी मिली है कि चेन्नई हवाई अड्डे पर लगभग 300 लोग फंसे हुए हैं तथा उनके आवागमन के लिए कोई संचार साधन नहीं है। मैंने नागर विमानन मंत्रालय को भी सचेत कर दिया है तथा उनसे यात्रियों तक भोजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने को कहा है। उन्हें वैकल्पिक उड़ान से निकालने के लिए तत्काल कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब रनवे पानी से भरा हो तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई विशेष विमान वहां आकर उतरेगा। लेकिन साथ ही उनकी दैनिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा। यह अच्छा है कि आपने यह बात मेरे ध्यान में लायी। मैंने पहले ही नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों से बात की है और मैं उनसे पुनः अनुरोध करूंगा।

महोदय, तमिलनाडु सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा सेना की सहायता मांगे जाने के बाद, आर्मी गैरिसन इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों को ताम्बरम और चेन्नई के उरप्पक्कम क्षेत्रों में सेवा में लगाया गया है। नौसेना किसी भी मदद के लिए तैयार है। मैं जो सोच रहा हूं, - यह सिर्फ मेरी सोच है - सामान्यत: यदि आप सेना को सामान्य काम में लगाते हैं, तो इसका राज्य प्रशासन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? इस पर विचार करना होगा। इसलिए, राज्य सरकार को निर्णय लेना है और मुझे लगता है - मुझे यही प्रतिक्रिया मिला है - कि सेना को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाने और राज्य सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, लोगों की मदद करने की कोशिश करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह है कि राज्य और केंद्र लोगों की

सहायता के लिए आगे आएं और उन्हें आवश्यक दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करें और उन्हें तुलनात्मक रूप से सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। यह प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस चर्चा के तुरंत बाद गृह मंत्री एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही उन्हें यह बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। वे विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करने का भी प्रयास कर रहे हैं। चेन्नई हवाई अड्डे के निदेशक श्री दीपक शास्त्री ने बताया है कि चेन्नई हवाई अड्डे पर 400 यात्री फंसे हुए हैं। उनकी देखभाल की जा रही है। एन.डी.आर.एफ. की टीमें उनकी मदद के लिए वहां मौजूद हैं।

बिना कुछ और जोड़े, मैं केवल सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि पूरे सभा को उस राज्य और क्षेत्र में पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने दें। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि चाहे आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति हो या देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति हो, माननीय सदस्य सार्थक सुझाव दे सकते हैं कि अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर क्या किया जा सकता है। सुदीप दा ने एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ. मानदंडों का मुद्दा उठाया। माननीय गृह राज्य मंत्री यहां हैं तथा मंत्रिमंडल मंत्री भी आ रहे हैं। वे इसके बारे में विस्तार से समझा सकेंगे और यदि कोई और सार्थक सुझाव हैं, तो सरकार उन्हें स्वीकार करने और गंभीरता से लेने के लिए तैयार होगी और सुनिश्चित करेगी कि जो भी किया जा सकता है, वह किया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विचारार्थ एक सुझाव रखना चाहता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मैंने कहा कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर मुद्दा है। पश्चिम बंगाल भी बाढ़ से प्रभावित है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, इस चर्चा को केवल बाढ़ तक ही सीमित रखा जाए। हम सूखे की स्थिति पर किसी ओर दिन अलग से चर्चा कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में व्याप्त बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए ताकि हम सभी इस स्थिति के बारे में एक स्वर में बोल सकें और प्रभावित लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष: यदि आप सभी इसे स्वीकार करते हैं, तो हम इसे बाढ़ की स्थिति तक सीमित कर सकते हैं।

.... *(व्यवधान)*

श्री एम. वेंकैया नायडू: गंभीरता महसूस नहीं होगी। सूखा एक अलग मुद्दा है और बाढ़ एक अलग मुद्दा है। मैं भर्तृहरि *जी* से सहमत हूं। आइए हम आज बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रहें और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।... *(व्यवधान)* हालांकि सरकार को दो बार जवाब देना पड़ता है; मंत्री को भी दो बार जवाब देना पड़ता है; मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अपने सहयोगियों से भी अनुरोध करूंगा कि आइए आज हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जहां भी बाढ़ आई है, वहां बाढ़ की स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ... *(व्यवधान)* पुडुचेरी में भी बाढ़ की गंभीर स्थिति है। माननीय सदस्य ने भी इस बारे में नोटिस दिया है। इसलिए, आइए हम इस पर ध्यान केंद्रित करें और इसके बाद हम उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जहां अधिकांश जिले सूखे की स्थिति में हैं, ओडिशा, महाराष्ट्र विशेषकर मराठवाड़ा क्षेत्र आदि में सूखे की स्थिति पर चर्चा करने के बारे में सोच सकते हैं।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : उपाध्यक्ष जी, चूंकि स्पीकर साहिबा ने कह दिया था कि बाढ़ के साथ सूखे पर भी चर्चा सम्भव है। चूंकि स्पीकर साहिबा ने कोट किया तो मेरी रिक्वैस्ट यह है, वह चाहे स्पीकर साहिबा के समय की कही हुई बात हो, कोई निर्णय हो या कोई अन्य निर्णय हो, स्पष्ट कर दिया जाये। जहां हमारी भावनाएं, संवेदनाएं तमिलनाडू की जनता के साथ हैं, आन्ध्र प्रदेश की जनता के साथ हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के लोग भी सूखे की चपेट में हैं तो उस पर चर्चा होनी है या नहीं होनी है, इस पर उपाध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दें, यह हमारी प्रार्थना है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : चचार् होनी चाहिए, साइमलटेनियसली हो जाये। … [अनुवाद] *(व्यवधान)* मैं इसे सदन की बुद्धिमत्ता पर छोड़ता हूँ, महोदय। मैं इसे सामूहिक विवेक पर छोड़ता हूं। दूसरों को भी जो कहना है कहने दीजिए।… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: आप दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कहा है कि सूखे पर अलग से चर्चा की जा सकती है। आज हमें सिर्फ बाढ़ और उससे जुड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो, बेहतर है। [हिन्दी] अगर वह सैपरेट लिया गया तो उसका उत्तर भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर देंगे। इसके लिए होम मिनिस्टर और सम्बन्धित मंत्री उत्तर देंगे, इसीलिए दो डिफरेंट मिनिस्ट्री रहने की वजह से यह बेहतर होगा कि ड्राउट अलग लिया जाये और फ्लड को अलग लिया जाये। मोर्निंग में ऐसा हुआ, वह निश्चित है कि कन्फ्यूज़न हुआ, इसीलिए इसको सैपरेट करके फिर उसको आप कल या परसों कर दीजिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। जो भी सभा महसूस करता है, वह अध्यक्ष को भी बताया जा सकता है। हम अध्यक्ष महोदय को बता सकते हैं कि आपने क्या महसूस किया। उसे उसी के अनुसार बदला जा सकता है।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : अध्यक्ष जी ने पहले ही यह राय दे दी है, इसीलिए मैं यह कह रहा हूं।

… *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदय, इस सदन में नायडू साहब के अलावा कोई नहीं सुनता। इसलिए, हम उससे अनुरोध कर रहे हैं। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है, यह बात अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाई जा सकती है।

… *(व्यवधान)*

श्री एम. वेंकैया नायडू: लोग बाढ़ में डूब रहे हैं; फिर भी आप मेरे पीछे पड़े हैं... *(व्यवधान)*

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं आपके पीछे नहीं पड़ा हूँ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है; श्री थोटा नरसिम्हम।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

आंध्र प्रदेश की तटरेखा लगभग 974 किलोमीटर लम्बी है, जो गुजरात के पश्चिमी तट के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है। भारत के पूर्वी तट पर हमारी सबसे लम्बी तटरेखा है। हमारा राज्य चक्रवातों, भारी वर्षा और बाढ़ के प्रति भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है, जिसे चक्रवातों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूरी दुनिया में सबसे अप्रत्याशित समुद्र माना जाता है। महोदय, आंध्र प्रदेश की 341.9 लाख लोग - यानि 69.2 प्रतिशत जनसंख्या - नौ तटीय जिलों में रह रही है।

14 नवम्बर, 2015 को बने निम्न दबाव के कारण 15 से 22 नवम्बर, 2015 तक नेल्लोर, चित्तूर, कडप्पा और प्रकाशम जिलों तथा अन्य जिलों, अनन्तपुर, पश्चिमी गोदावरी, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई है। नेल्लोर और चित्तूर जिलों में वर्षा अभी भी जारी है।

अधिकतम प्रति घंटा वर्षा 106 मिमी हुई। हमारे राज्य में पहले हुई किसी भी घटना में यह अभूतपूर्व है। नेल्लोर जिले के बोडीपाडु में अधिकतम 400 मिमी वर्षा हुई है।

पड़ोसी जिलों कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी और अनन्तपुर में हुई भारी वर्षा से खड़ी फसलों के साथ-साथ सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान पहुंचा।

महोदय, अब मैं क्षतिपूर्ति पर आता हूँ। इस भारी वर्षा के कारण छोटे, मध्यम और प्रमुख सिंचाई टैंकों में बड़े पैमाने पर दरारें आ गईं और कई नदियाँ उफान पर आ गईं, जिससे खेतों, गांवों और कस्बों में बाढ़ आ गई। परिणामस्वरूप, कुल 2,273 गांव, नेल्लोर जिले के 46 मंडल, कडप्पा जिले के 39 मंडल, चित्तौड़ जिले

के 53 मंडल तथा अन्य जिलों के कुछ हिस्से प्रभावित हुए। लगभग 25 लाख आबादी प्रभावित हुई और 146 गांव जलमग्न हो गए।

बड़ी संख्या में घर तबाह हो गए। कृषि एवं बागवानी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। सभी एक्वा फार्म बह गए तथा नाव और जाल जैसे मछली पकड़ने के उपकरण भी प्रभावित हुए। सड़क और पुल, पेयजल, बुनियादी ढांचे और बिजली उपयोगिताओं को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। इस वर्षा से नेल्लोर सबसे अधिक प्रभावित जिला है। इसके बाद चित्तूर और कडप्पा आते हैं। अनातापुर जिले, प्रकाशम जिले, कृष्णा जिले, पश्चिम गोदावरी जिले, पूर्वी गोदावरी जिले आदि में भी नुकसान हुआ है।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू और हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने नेल्लोर और चित्तूर के प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया है। हमारे मुख्यमंत्री ने 19 नवंबर, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर तबाही के बारे में बताया तथा हमारे राज्य, आंध्र प्रदेश के लिए अग्रिम राशि के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की मांग की।

मानवीय क्षति के संबंध में 54 मौतें होने की सूचना मिली। 2,514 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए तथा 16,672 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए।

कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान के संबंध में, प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, नौ जिलों में कुल 3.10 लाख हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गईं। इसका मूल्य 1,419.34 करोड़ रुपये हो सकता है।

अब मैं बिजली क्षेत्र में हुए नुकसान पर आता हूं। 3,769 खंभे, 539 वितरण ट्रांसफार्मर, 146 उप-स्टेशन और 364 किलोमीटर बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं। बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों और सब-स्टेशनों आदि को हुए नुकसान की कीमत 26.30 करोड़ रुपये आंकी गई है।

सिंचाई क्षेत्र में कुल 331 टैंक और 263 आपूर्ति चैनल और नहरें टूट गईं। सिंचाई क्षेत्र से संबंधित नुकसान 780.77 करोड़ रुपये अनुमानित है।

सड़क एवं भवन क्षेत्र में कुल 1,441.33 किमी सड़क क्षतिग्रस्त हुई। अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की बहाली के लिए अनुमानित राशि 699.27 करोड़ रुपये है।

इसी प्रकार, पशुपालन, मत्स्यपालन, बागवानी, पंचायती राज, नगरपालिका और शहरी क्षेत्र, आरडब्ल्यूएस, हथकरघा और कपड़ा तथा अन्य सभी क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुए। इन सभी क्षेत्रों के विषय में प्रारंभिक अनुमानित हानि 3,819 करोड़ रुपये है।

जब हुदहुद चक्रवात ने विजाग को प्रभावित किया, तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने 14 अक्टूबर, 2014 को दौरा किया और अग्रिम राशि के रूप में 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की। आज तक हमें केवल 844.59 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि शेष राशि तुरन्त जारी की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य एक नया विभाजित और विकलांग राज्य है। यह चक्रवात ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका है। तेलुगु में कहावत है, “मुलिगे नक्का मीडा तटिकाय पडी नादुम विरिगिंदी अणि”। यह सही मायने में आंध्र प्रदेश की आज की स्थिति को दर्शाता है।

हम कई वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय सहायता के बिना, हमारे लिए राहत कार्यों को करना बहुत मुश्किल है। भारी तबाही को देखते हुए हम केंद्र सरकार से एन.डी.आर.एफ. से 1,000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने का अनुरोध करते हैं।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

*(footnote marker) **श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं तमिलनाडु के पीड़ित लोगों के प्रति अपना पूर्ण समर्थन और एकजुटता व्यक्त करना चाहती हूं। हम तमिलनाडु के बहुत करीब हैं। महोदय, आपका राज्य और हमारा राज्य निकटतम पड़ोसी हैं।

हम सभी भारतीय हैं, इसलिए तमिलनाडु के लोगों का दुःख हमारा दुःख है; तमिलनाडु के लोगों की परेशानियाँ हमारी परेशानियाँ हैं। पूरा सभा तमिलनाडु के साथ है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी ने तमिलनाडु में हुई तबाही और विशेष रूप से चेन्नई तथा आसपास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा सामना की जा रही गंभीर एवं चिंताजनक स्थिति का वर्णन किया। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करूंगी कि वह तमिलनाडु राज्य को इस आपदा से उबरने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करे।

महोदय, अब मैं मलयालम में बोलना चाहूंगी क्योंकि तमिलनाडु के मेरे मित्र, भाई और बहन मेरी मलयालम अच्छी तरह समझते हैं। तो, मुझे मलयालम में बोलने दें। हमारे देश में तरह-तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, तो कभी भूकंप या अन्य आपदाएं आती हैं।

जब सूखा पड़ता है तो हम जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की बात करते हैं, लेकिन जब बाढ़ आती है तो हमारी चिंता यह होती है कि पानी को कैसे पम्प करके समुद्र में पहुंचाया जाए। हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। हमारी अपनी उपलब्धियां हैं। हम मंगलयान के बारे में गर्व से बात करते हैं।

लेकिन आज भी आपदा प्रबंध के क्षेत्र में जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो हम उसका पूरी तरह से सामना नहीं कर पाते हैं। चाहे सूखा हो, बाढ़ हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हों, हमने इनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी तौर-तरीके विकसित नहीं किए हैं।

---

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यह दुःखद तथ्य है कि हम आपदा प्रबंधन में असफल रहे हैं। सरकार द्वारा स्मार्ट शहरों के बारे में लगातार बात की जाती है; और हम इसका स्वागत भी करते हैं। हमें स्मार्ट शहरों की जरूरत है। लेकिन महोदय, स्मार्ट शहरों के बारे में सोचने से पहले, हम प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता क्यों नहीं हासिल कर सकते?

चेन्नई एक प्राचीन शहर है। लेकिन वह प्राचीन शहर आज एक अग्रणी महानगर बन गया है। आज चेन्नई में लाखों लोग बाढ़ की चपेट में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सिर्फ भारतीय ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर हम पर है।

चेन्नई के लोगों को सभी भारतीयों का समर्थन प्राप्त है। उनके पास भोजन, पीने का पानी और रहने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है। दुकानें जलमग्न हो गई हैं। हवाई अड्डों और रनवे में पानी भर गया है।

"हर जगह पानी ही पानी

पीने के लिए एक बूंद नहीं"

स्थिति यह है कि हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। अगर मैंने जो सुना है वह सच है तो यह इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा है। तमिलनाडु के लोगों को जिस त्रासदी का सामना करना पड़ रहा है, वह बहुत बड़ी है।

तो, अगर हम इस बाढ़ से किसी तरह बच भी गए, तो उसके बाद आने वाली अन्य आपदाओं का क्या असर होगा?

तमिलनाडु में इससे भी बड़ी त्रासदी आने वाली है। मैं मंत्री जी और सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे भोजन और पीने का पानी भेजें। लेकिन इसके साथ ही, एक विशेषज्ञ चिकित्सा दल को जल्द से जल्द

तमिलनाडु भेजा जाना चाहिए। उन्हें प्रभावित क्षेत्र में हवाई मार्ग से भेजा जाना चाहिए। अब से कुछ ही दिनों बाद तमिलनाडु को महामारी का सामना करना पड़ेगा।

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली) : तमिलनाडु सरकार द्वारा सभी कदम उठाए गए हैं...(व्यवधान)

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर: भविष्य में हमें इसका सामना करना पड़ेगा। मैं वर्तमान की बात नहीं कर रही हूं। माननीय अम्मा ने पहले ही सभी कदम उठा लिए हैं। हम जानते हैं और हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आपने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने भी कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री को फोन किया। हमने इसके बारे में अखबारों में पढ़ा है। मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ लेकिन जहां भी हमारे देश या दुनिया में बाढ़ आती है, मैं बाद के प्रभावों के बारे में सोच रही हूँ। हजारों की संख्या में लोग महामारी का शिकार हो रहे हैं। मैं महामारी के बारे में उल्लेख कर रही हूँ। यह होने जा रहा है। महामारी का अर्थ है बीमारियां। भविष्य के लिए हम इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहते हैं। चिकित्सा टीम, भोजन, पेय और सभी आवश्यक सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य सरकार ऐसा कर रही है। केन्द्र सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है कि राज्य को जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी, हम उपलब्ध कराएंगे। हम इसका स्वागत करते हैं।

महोदय, मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि तमिलनाडु आज जिस समस्या का सामना कर रहा है, किसी अन्य राज्य ने उतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं किया है। क्या हमारे शहरों में जल निकासी की उचित सुविधाएं हैं? क्या हमारे शहरों में, यहां तक कि हमारे राज्यों में भी, कोई जल निकासी व्यवस्था है? वहाँ कोई जल निकासी नहीं है। त्रिवेंद्रम में दो दिन से वर्षा हो रही है और हर जगह बाढ़ आ गई है। इन बाढ़ों का सामना करने का वैज्ञानिक प्रणालीक्या है?

इसलिए जब हम स्मार्ट शहरों की बात करते हैं, तो हमें ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीकों और साधनों के बारे में भी सोचना होगा, इससे पहले कि वे हमें प्रभावित करें। राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए तथा इसके तौर-तरीके और साधन विकसित करने चाहिए।

कम से कम भविष्य में हम ऐसी आपदाओं की तीव्रता को रोकने या कम करने में सक्षम होंगे। हमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में बड़ी प्रगति की है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जब आपदा प्रबंध की बात आती है तो हम अभी भी पीछे रह जाते हैं? हम इस चुनौती का सामना करने में अभी भी असफल रहे हैं।

भविष्य में, हमें आपदाओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी। ऐसे आपदा प्रबंधन कौशल सभी क्षेत्रों तक पहुंचने चाहिए, विशेषकर जब बाढ़ आपदाएं आती हैं।

सचमुच सूखा भी एक आपदा है। और यह भी एक तथ्य है कि पूरे भारत में, महिलाएं, विशेषकर माताएं, प्राकृतिक आपदाओं का खामियाजा भुगतती हैं। जो भी कदम होगा, हम भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार का पूरे दिल से समर्थन करेंगे। धन्यवाद।

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर): तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में आई विनाशकारी बाढ़ पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

महोदय, पिछले तीन वर्षों से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में वर्षा नहीं हुई। दरअसल, हम आमतौर पर उत्तर-पूर्वी मानसून के अधीन वर्षा का अनुभव करते हैं। पिछले तीन वर्षों से वर्षा नहीं हुई तथा उत्तर-पूर्वी मानसून पूरी तरह विफल रहा। दरअसल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ा था।

शुरु-शुरू में जितनी वर्षा से हम उससे बहुत खुश थे। सभी किसान यह सोचकर बहुत खुश थे कि वर्षा हो रही है और कम से कम इस साल तो उनकी फसलें अच्छी होगी। लेकिन दुर्भाग्यवश, भारी वर्षा , वह भी अल्प अवधि में, विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर गई। उदाहरण के लिए, चेन्नई में वर्षा ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 साल पहले तमिलनाडु में 108 सेमी वर्षा हुई थी। इस वर्ष, वह भी सिर्फ पिछले महीने, 119.73 सेमी वर्षा हुई है। चेन्नई से सटे नेल्लोर में भी इसी तरह वर्षा हुई। इस तरह से बहुत सारी खड़ी फसलें, जो भी तैयार फसलें हैं, वे नष्ट हो गई हैं। विशेष रूप से, अकेले नेल्लोर में लगभग 25,000 एकड़ में जलीय कृषि थी। हो सकता है, यह इससे भी अधिक हो। एक एकड़ फसल की कटाई पर किसानों को 6 से 7 लाख रुपये तक का खर्च आता है। सभी 25,000 एकड़ जलीय कृषि बह गई है। यह राशि स्वयं 1500-1700 करोड़ रुपये होती है।

केले और पान की सभी तैयार फसलें नष्ट हो गई हैं। नेल्लोर में धान की नर्सरी नष्ट हो गई है, जबकि पश्चिमी गोदावरी और पूर्वी गोदावरी में धान की तैयार फसलें नष्ट हो गई हैं। पश्चिमी गोदावरी में दो लाख एकड़ और पूर्वी गोदावरी में शायद 1.5 लाख एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई है। इसी तरह, अनन्तपुर में, जो वास्तव में सूखाग्रस्त क्षेत्र था, किसानों ने मूंगफली की कुछ फसलें उगाई थीं और उनकी फसलें भी नष्ट हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में, विशेषकर नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं।

चेन्नई को कोलकाता से जोड़ने वाला राष्ट्रीय हाइवे सं. 5 नेल्लोर जिले के गुडूर के पास टूट गया है। दोनों तरफ हजारों वाहन फंसे हुए हैं। यह वहां 5-6 दिनों तक रहा और उसके बाद ही वे उस कमी को भर सके। यह उल्लंघन संभवतः उचित डिजाइन के बिना बनाए गए अपर्याप्त वेंट के कारण हुआ है। श्री वेंकैया नायडू ने भी उस स्थान का दौरा किया। वह भी इसी धारणा के अधीन हैं और यह बात प्रेस में भी आई है। जबकि रेलवे ट्रैक बरकरार है, क्योंकि उन्होंने पानी के मुक्त प्रवाह के लिए पर्याप्त निकास प्रदान किए हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय हाइवे पर ऐसे वेंट उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। इसीलिए, यह उल्लंघन हुआ है। अभी भी कल की वर्षा के कारण एक और दरार आ गई है और वे अभी तक उस दरार को बंद नहीं कर पाए हैं। इस प्रकार, जब राष्ट्रीय हाइवे का मामला है, तो सभी राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें बह गई हैं। कई गांव बाहरी दुनिया से कट गये हैं। इसलिए, सरकारी विभाग, राज्य राजमार्गों और जिला राजमार्गों की लगभग सभी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। यहां तक कि मुर्गीपालन को भी नुकसान पहुंचा है। कई मुर्गीपालक किसान भी भारी संकट में हैं।

अतः ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आना होगा। अन्यथा, जैसा कि सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा कुछ अन्य स्थानों पर किसानों द्वारा आत्महत्या के अनेक मामले सामने आ रहे हैं। जब तक केन्द्रीय सरकार किसानों के साथ-साथ लोगों की सहायता के लिए आगे नहीं आती, तब तक अकेले राज्य सरकार के लिए लोगों की सहायता के लिए आगे आना बहुत कठिन है। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त एक टीम भेजे, नुकसान का उचित आकलन करे तथा राज्य सरकार को इस कठिनाई से उबरने में भरपूर सहायता करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ए. अरूणमणिदेवन (कुड्डालोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी प्रिय नेता तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री - पुरात्ची थलाइवी अम्मा के प्रति हार्दिक आभार और ऋण ग्रस्तता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे देश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया।

तमिलनाडु समय-समय पर विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं, विशेषकर चक्रवाती तूफानों और बंगाल की खाड़ी में दबाव के क्षेत्रों का सामना करता रहता है। चक्रवात निशा और ठाणे ने पहले भी भारी नुकसान पहुंचाया था। पूर्वोत्तर मानसून के दौरान तमिलनाडु में हाल ही में हुई अत्यधिक वर्षा के कारण कुछ ही दिनों में इतनी भारी वर्षा हुई, जो कई दशकों से पहले कभी नहीं हुई थी। तमिलनाडु मूसलाधार वर्षा और प्रचंड हवाओं से प्रभावित है। तटीय और आंतरिक जिलों जैसे कुड्डालोर, कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुवल्लूर के कई इलाके जलमग्न हो गए। इन जिलों में लोगों, मवेशियों और मुर्गियों को भारी और व्यापक क्षति हुई थी।

हाल ही में हुई लगातार वर्षा के कारण तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में भारी नुकसान हुआ। इस जिले के नेवेली, कुरिंजिपडी, पनरुति और चिदम्बरम क्षेत्रों में 9 नवंबर, 2015 को मात्र 6 घंटों में 437 मिलीमीटर वर्षा हुई। जिला कुड्डालोर में 8 नवंबर, 2015 और 9 नवंबर, 2015 को 324 मिलीमीटर वर्षा हुई, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ आई और जान-माल को भारी नुकसान हुआ।

13 नवम्बर 2015 को 342 मिलीमीटर की अत्यधिक भारी वर्षा से कांचीपुरम शहर में बाढ़ आ गई। 16 नवंबर, 2015 को कांचीपुरम जिले के कई *तालुकों* में 275 मिलीमीटर की भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा हुई। कांचीपुरम जिले में 12 *तालुके* और 686 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। जहां तक जिला तिरुवल्लूर का प्रश्न है, वहां 10 दिनों की छोटी सी अवधि में 604.5 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई, जो कि उत्तर-पूर्वी मानसून की पूरी अवधि के दौरान होने वाली औसत वर्षा 604.1 मिलीमीटर से अधिक है।

इसी प्रकार, चेन्नई में नवंबर 2015 के पहले 20 दिनों में ही पिछले 100 वर्षों में दूसरी सबसे भारी मासिक वर्षा दर्ज की गई, जो अभी भी जारी है। चेन्नई में 28 अक्टूबर, 2015 से 20 नवम्बर, 2015 के बीच 1139 मिलीमीटर की अभूतपूर्व वर्षा हुई। चेन्नई शहर में 859 स्थान कई दिनों तक जलमग्न रहे। चेन्नई और

आसपास के क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं और वर्षा से संबंधित घटनाओं के कारण राज्य भर में 170 से अधिक लोगों की जान चली गई है।

मूसलाधार वर्षा से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 24 नवम्बर, 2015 को अप्पुक्कल नदी उफान पर आ गई और अनैकट के निकट दो गांवों में बाढ़ आ गई। भारी वर्षा के कारण जिले के अन्य गांवों के साथ-साथ वेल्लोर शहर में भी बाढ़ आ गई है, जहां से प्रभावित परिवारों को निकाला गया है। बाढ़ और भारी वर्षा से 432 गांव प्रभावित हुए हैं।

दक्षिणी तमिलनाडु में तूतुकुड़ी जिला काफी प्रभावित हुआ। 20 इलाकों से लोगों को बचाया गया और नावों के माध्यम से बाहर निकाला गया। विस्थापित लोगों के लिए छह राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। स्थानीय अधिकारी पीड़ितों को भोजन एवं अन्य राहत सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। यद्यपि वर्षा और बाढ़ ने तमिलनाडु के उत्तरी भाग तथा तटीय जिलों को तबाह कर दिया है, फिर भी मैं कुड्डालोर जिले तथा मैं पड़ोसी स्थानों में बाढ़ से हुई भारी क्षति पर प्रकाश डालना चाहूंगा। इससे जनजीवन में काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ तथा जनता को असुविधा हुई। संपत्ति का नुकसान बहुत बड़ा है। क्षतिग्रस्त संरचनाओं और सुविधाओं के पुनर्निर्माण की आर्थिक लागत बहुत अधिक होगी।

चूंकि वर्षा का प्रकोप जारी है, इसलिए प्रभावित लोगों के पुनर्वास में काफी समय लगेगा, जिनमें से अधिकांश गरीब हैं। लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण जान-माल की हानि हुई, झोपड़ियों और घरों, फसलों और आजीविका को नुकसान पहुंचा। सड़कों, पुलों, जल निकासी और सीवेज, सरकारी भवनों आदि सहित बुनियादी ढांचे को भी व्यापक नुकसान हुआ। यद्यपि सभी एहतियाती उपाय किए गए थे, फिर भी कई दिनों तक तेज तथा अत्यंत भारी वर्षा हुई, जिससे बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचा। जलाशय और लघु सिंचाई टैंक तथा तालाब जल्द ही भर गए और उनके अतिप्रवाह से समस्या और बढ़ गई।

इस बीच, कुड्डालोर जिला और चेन्नई जिला प्रशासन भारी वर्षा की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई कदम उठा रहे हैं।

कुड्डालोर जिले के 16 स्थानीय निकायों में बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर का उपयोग किया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों से 1,000 कर्मचारियों को खराबी की मरम्मत और बिजली बहाल करने के लिए तैनात किया गया है। लगभग 35 चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए थे और चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही थीं।

मत्स्य पालन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। समुद्र तट पर लंगर डाले मछली पकड़ने वाली नावें समुद्र में खो गईं। कई मशीनीकृत नौकाएं, एफआरपी वल्लम और कटमरैन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। कुल मिलाकर 3,047 इंजन और मछुआरों के 8,106 जाल क्षतिग्रस्त हो गए।

बाढ़ से सड़क नेटवर्क भी प्रभावित हुआ। भारी वर्षा के कारण 5,694 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पांच पुल और 234 पुलियाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यह अनुमान लगाया गया है कि तमिलनाडु राज्य में क्षतिग्रस्त सड़कों की अस्थायी मरम्मत के लिए 405.35 करोड़ रुपये तथा स्थायी बहाली के लिए 1,426.53 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

लेकिन तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व और राज्य प्रशासन द्वारा समय पर की गई कार्रवाई के बिना, राज्य को अनगिनत दुख और अभूतपूर्व विनाश का सामना करना पड़ता।। माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने राज्य में राहत और मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये की तत्काल निधि की घोषणा की। जब तीन महीनों में होने वाली वर्षा कुछ ही दिनों में होने लगे, तो कितने भी निवारक उपाय पर्याप्त नहीं होंगे, क्योंकि ठहराव और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति अपरिहार्य है।

वर्षा के कारण हुई इतनी बड़ी परेशानी को देखते हुए सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है। पुलिस और अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं सहित मंत्री और अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दिन-रात अथक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही, राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं।। माननीय *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के गतिशील नेतृत्व में सरकारी मशीनरी सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात काम कर रही है।

पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने नुकसान को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। निचले इलाकों से लोगों को निकालकर आश्रय स्थलों पर पहुंचाया गया। जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया तथा उन्हें भोजन, आश्रय, कपड़े और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। बाढ़ से बचाए गए और प्रभावित लोगों को 22 लाख भोजन पैकेट वितरित किए गए।

सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने तथा विद्युत आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के लिए उपाय किए गए। बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, मवेशियों और मुर्गियों की हानि के लिए भी राहत प्रदान की जाती है । इसके अलावा, झोपड़ियों के नुकसान के 98,850 मामलों और घरों के नुकसान के 3,202 मामलों में राहत वितरित की जा रही है। हजारों बिजली के खंभे बदले गए और सभी राहत शिविरों में चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के मार्गदर्शन में बाढ़ प्रभावित लोगों और छात्रों को किताबें, नोटबुक, राशन कार्ड और यूनिफॉर्म सेट प्रदान किए गए।

अपराह्न 03.00 बजे

नेयवेली में, एन.एल.सी. बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लिग्नाइट खनन और विद्युत उत्पादन पर असर पड़ा है क्योंकि खदानें जलमग्न हो गई हैं। कुल स्थापित क्षमता 2,990 मेगावाट के मुकाबले विद्युत उत्पादन केवल 600 मेगावाट रह गया। भारी वर्षा के कारण प्रबंधन ने थर्मल स्टेशनों तक लिग्नाइट ले जाने वाली कन्वेयर बेल्ट प्रणाली को भी बंद कर दिया है। एक आकस्मिक योजना लागू की गई है और शीघ्र ही लिग्नाइट

की खुदाई तथा विद्युत उत्पादन दोबारा शुरू किया जाएगा। नेयवेली टाउनशिप के अधिकांश ब्लॉक बाढ़ के पानी से जलमग्न हो गए, और घरों में पानी घुस गया। नेयवेली की ओर जाने वाली सड़कों का संपर्क भी भारी वर्षा के कारण टूट गया। वर्षा लगातार जारी रहने के कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति भी स्थगित कर दी

नेयवेली खदानों से अतिरिक्त पानी बाहर निकालने से एनएलसी के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एन.एल.सी. खदानों से कुरिंजिपडी तालुक में परवनार नदी में लगभग 300-1200 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से भारी बाढ़ आ गई तथा आसपास के गांवों में जान-माल का नुकसान हुआ। मैं यह बताना चाहता हूं कि अतिरिक्त पानी की पंपिंग के कारण होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी जिम्मेदारी एन.एल.सी. की है। एन.एल.सी. के लिए यह उचित होगा कि वह अपनी सी.एस.आर. गतिविधियों के लिए निर्धारित निधि से खर्च करे। इसके अलावा, एनएलसी को जिला प्रशासन और राज्य प्राधिकारियों को सभी एहतियाती और क्षति नियंत्रण गतिविधियों जैसे बांधों को मजबूत करना और ऊंचा करना तथा परवनार नदी से गाद निकालना आदि के लिए अपना सहयोग देना चाहिए।

वर्षा और बाढ़ का सामना करने के लिए नालियों, सड़कों और इमारतों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए शहरी नियोजन के तरीकों और मानदंडों में भी बदलाव और सुधार की आवश्यकता है। दीर्घकालिक आवश्यकता बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के उपायों की है, जो बाढ़ को भी वरदान में बदल सकते हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि मुख्य कृषि ऋतुएँ जैसे सम्भा, थालाडी और नवरई पूरी तरह से उत्तर-पूर्वी मानसून पर निर्भर करती हैं। इस अवधि के दौरान होने वाली वर्षा तमिलनाडु राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था की दिशा तय करती है। अतः, हालिया बाढ़ के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को गंभीर आघात पहुँचा है। तमिलनाडु को फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचे में भारी नुकसान हुआ है। यह

आपदा इतनी भीषण है कि इसे एक प्राकृतिक आपदा के रूप में माना जाना चाहिए और राहत एवं पुनर्वास पर होने वाला पूरा व्यय — राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से परे — भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें तमिलनाडु राज्य द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान के लिए अस्थायी पुनर्स्थापन के लिए 2,630.58 करोड़ रुपये और स्थायी पुनर्स्थापन के लिए 5,850.34 करोड़ रुपये की सहायता मांगी गई है, कुल मिलाकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 8,480.93 करोड़ रुपये की मांग की गई है। माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने 23 नवंबर 2015 को एक पत्र के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री को 2,000 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है।

राज्य में बाढ़ से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय टीम ने दौरा किया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में इस टीम में दिल्ली से कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास, पेयजल और विद्युत मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल थे; चेन्नई से सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि; और बेंगलुरु से केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधि भी इस टीम में सम्मिलित थे।

मैं ईमानदारी से यह प्रार्थना और आशा करता हूं कि केंद्र सरकार हाल ही में आई बाढ़ के कारण राज्य में हुए नुकसान का आकलन करने के बाद इस संबंध में अधिक विचारशील होगी। माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में कम से कम 170 लोगों की मौत पर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त की। *मन की बात* रेडियो कार्यक्रम के 14 वें संस्करण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में तबाही और मौतों को देखकर उन्हें दुख हुआ है और उन्होंने तमिलनाडु की ताकत पर विश्वास व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री ने प्रकृति के इस प्रकोप के लिए ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया। अभी भी चेन्नई, कुड्डालोर और आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही है और नुकसान बढ़ता जा रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने चेन्नई और उपनगरीय क्षेत्रों में व्याप्त चिंताजनक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा माने क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है तथा तमिलनाडु राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से मांगी गई पूरी राशि 8,480.93 करोड़ रुपये तत्काल जारी करे। मैं यह कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर पर्याप्त धनराशि जारी करने से तमिलनाडु को युद्ध स्तर पर बुनियादी ढांचे और अन्य उपयोगिताओं की अस्थायी और स्थायी बहाली करने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर): श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। तमिलनाडु राज्य को प्रभावित करने वाली अभूतपूर्व बाढ़ का विषय बेहद दुःखद है । यह गंभीर चिंता का विषय है कि जान-माल की क्षति विनाशकारी है। टेलीविजन या प्रिंट मीडिया में मैंने जो कुछ दृश्य देखे हैं, वे बहुत ही चौंकाने वाले हैं। राष्ट्र इस कठिन परिस्थिति में प्रभावित लोगों और तमिलनाडु सरकार के साथ खड़ा है।

असम राज्य से संसद सदस्य के रूप में अपने अनुभव से मैं समझती हूं और सराहना करती हूं कि कोई भी राज्य चाहे कितना भी प्रगतिशील क्यों न हो, चाहे वह आर्थिक रूप से कितना भी समृद्ध क्यों न हो, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के समय हम सभी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार की ओर देखते हैं। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात की है। मुझे आशा है कि भारत सरकार तमिलनाडु सरकार की सुविधा के लिए हर संभव उपाय करेगी। वहां लोग फंसे हुए हैं, जिससे मुझे लगता है कि राज्य को अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों और नौकाओं की आवश्यकता होगी। जिन लोगों ने अपना घर खो दिया है, उन्हें कपड़े, दवाइयां और सबसे महत्वपूर्ण, खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या एन.डी.आर.एफ. बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है और भारत सरकार द्वारा कितने डॉक्टर भेजे गए हैं।

असम राज्य में अपने अनुभव के कारण मैं जानती हूं कि प्राकृतिक आपदा किसी राज्य पर क्या असर डाल सकती है। मैंने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य भागों में आई आपदाओं को देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस अवसर पर उचित कदम उठाएगी। बाढ़ के बाद असम राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की थी, जिसे मेरे अन्य सहयोगियों ने भी कहा है। असम के माननीय मुख्यमंत्री ने सितम्बर 2015 में आई बाढ़ के बाद केवल बुनियादी ढांचे और संचार नेटवर्क के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमें केवल 300

करोड़ रुपये ही मिले हैं। हमने बचाव कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये भी मांगे थे, जो हमें नहीं मिले। यहां यह कहना उचित होगा कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 31.60 लाख हेक्टेयर है।

यह देश के कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 9.4 प्रतिशत है। असम राज्य ने बार-बार अनुरोध किया है कि हर साल आने वाली बाढ़ को केवल ऐसी चीज नहीं समझा जाना चाहिए जो बार-बार आती रहती है और जिस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। असम सरकार ने लिखा है। लेकिन असम की बाढ़ को कवर करने वाले कुछ मीडिया घरानों को छोड़कर, हमने ऐसा कोई ध्यान नहीं देखा है जो राष्ट्रीय मीडिया ने असम की बाढ़ पर दिया हो, जो चेन्नई में आई है। मैं इसके लिए खुश हूं। हर दिन सुबह उठकर मैं चेन्नई की बाढ़ में फंसे युवा महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को देखती हूं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं कि वे इससे बाहर आ जाएं।

मैं असम राज्य के बराक घाटी नामक क्षेत्र से आती हूँ। बराक नदी हमारी संपत्ति है, लेकिन हर साल ब्रह्मपुत्र घाटी की तरह यह भी बाढ़ लाती है। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि वर्ष 1981 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई थी। मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्तमान सरकार ने इसके पुनर्गठन की योजना बनाई है। लेकिन आज तक, जब हम संसद के समय के सदुपयोग पर चर्चा कर रहे हैं, जल संसाधन मंत्री द्वारा वह विधेयक अब तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अगले सत्र में कृपया वह नया विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिसमें ब्रह्मपुत्र बोर्ड के पुनर्गठन का प्रस्ताव है, जिसे भंग किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि हम इस दिशा में रचनात्मक कदम देखेंगे। मैं यह भी अनुरोध करती हूँ कि बराक नदी में आने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर हम सबको उम्मीद थी कि टिपाईमुख बांध से राहत मिलेगी। लेकिन आज तक उस परियोजना की स्थिति क्या है, यह हमें नहीं पता। मैं आशा करती हूँ कि यह सरकार बांग्लादेश सरकार से इस मुद्दे को उठाएगी ताकि बराक घाटी के नदी बेसिनों को बाढ़ से बचाया जा सके।

मैं एक बार फिर यह कहकर अपना भाषण समाप्त करती हूं कि हम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ खड़े हैं जो हाल की बाढ़ के कारण पीड़ित हैं।

डॉ. कंभमपति हरिबाबू (विशाखापत्तनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में बने दबाव के कारण भारी वर्षा हुई तथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और अन्य राज्यों में नुकसान भी हुआ।

आंध्र प्रदेश को 974 किलोमीटर की बहुत लंबी समुद्री तट रेखा का वरदान प्राप्त है। लंबे समुद्री तट होने के कारण हमारे पास फायदे भी हैं और नुकसान भी। इसका लाभ यह है कि समुद्री तट राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसका नुकसान यह है कि राज्य में बार-बार चक्रवात आएंगे। चक्रवातों के कारण राज्य के विभिन्न भागों में काफी नुकसान हुआ है। पिछले वर्ष हमने 'हुदहुद' नामक एक बहुत बड़े चक्रवात का सामना किया था, जिसने विशाखापत्तनम शहर को प्रभावित किया था। इस वर्ष चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश के तीन जिलों चित्तूर, कडप्पा, नेल्लोर में भारी वर्षा हुई तथा पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, प्रकाशम और कृष्णा जिले में भी नुकसान हुआ।

भारी वर्षा के कारण परिवहन व्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। वाहनों का आवागमन ठप हो गया है। चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-16 टूट गया है और सड़क यातायात रुक गया है। जहां तक राष्ट्रीय हाइवे के उल्लंघन का सवाल है, मैं सरकार और विशेष रूप से सड़क परिवहन विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं। वाई.एस.आर.सी.पी. के मेरे सम्मानीय मित्र श्री रेड्डी ने इस बारे में बात की। राष्ट्रीय हाइवे और रेलवे लाइन समानांतर गुजरती हैं।

जब रेलवे पुल सही स्थिति में हैं तो राष्ट्रीय हाइवे टूटने का क्या कारण है? इसका मुख्य कारण उचित डिजाइन का अभाव है। बाढ़ के पानी को एक ओर से दूसरी ओर निकालने के लिए रेलवे पुलों पर उचित निकास की योजना बनाई गई थी। लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार एक चेक डैम की तरह कार्य करता है और

बाढ़ के पानी को एक तरफ से दूसरी तरफ बहने नहीं देता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो वेंट्स और कलवर्ट्स बनाए गए हैं, वे बहुत संकरे होते हैं और वे बाढ़ के पानी को दूसरी ओर प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देते। यही राष्ट्रीय राजमार्ग पर टूट-फूट का मुख्य कारण है। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर निकास द्वार और पुलिया की क्षमता की जाँच करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति फिर से उत्पन्न न हो।

जहां तक रेलवे का सवाल है, उन्होंने कुछ ट्रेनों का मार्ग बदल दिया है और कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। नेल्लोर और चित्तूर जिलों में राज्य सरकार ने लगभग 61 राहत शिविर स्थापित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया गया था और संकटग्रस्त लोगों की देखभाल की जा रही थी। आंध्र प्रदेश सरकार को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने और राहत कार्य प्रचालन का अनुभव है। हमारे मुख्यमंत्री बचाव कार्यों की निगरानी के लिए संकटग्रस्त स्थानों पर रुके। माननीय केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी क्षेत्र का दौरा किया, राहत कार्यों की समीक्षा की और आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को उचित सहायता दी जाएगी।

चक्रवात से होने वाली सबसे बड़ी क्षति कृषि को हुई है। फसलें बर्बाद हो गईं, मवेशी और बकरियां नष्ट हो गईं। दूसरा बड़ा नुकसान जलीय कृषि को हुआ है। नेल्लोर जिला जलीय कृषि गतिविधि का केंद्र है। आन्ध्र प्रदेश देश से झींगा निर्यात में एक तिहाई का योगदान देता है। मुझे लगता है कि लगभग 8,000 हेक्टेयर झींगा पालन क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया और बहुत अधिक नुकसान हुआ।

जीवन की क्षति को न्यूनतम रखा गया है। लगभग 35 लोगों की जान गई और लगभग 14,000 लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मैं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी (आईएफआरसी) ने इंडियन रेड क्रॉस के

माध्यम से कुछ राहत सहायता प्रदान की है, जिसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह आगे आकर आवश्यक राहत सहायता प्रदान करे ताकि आंध्र प्रदेश में बाढ़ के कारण उत्पन्न समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : उपाध्यक्ष जी, पिछले कई दिनों से जिस तरह से तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर चेन्नई और उसके आस-पास क्षेत्रों में जो बाढ़ के हालात हैं, उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी, अपनी पार्टी और प्रदेश की ओर से वहां के जनमानस को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय पूरा देश आज उनके साथ है।

मैं सुन रहा था एआईएडीएमके के साथियों को, मैं समझता हूं कि तमिलनाडु सरकार बेहतर काम करने का प्रयास कर रही होगी। मैं केन्द्र सरकार से अपील करूंगा कि जो तकरीबन 8500 करोड़ रुपये तमिलनाडु सरकार ने मांगे हैं, उसकी बिना ज्यादा समीक्षा किए, क्योंकि केन्द्र सरकार समीक्षा बहुत करती है, कई बार सदन में घोषणाएं भी कर देती है, उसके बाद भी पैसा नहीं देती है, यह मेरा अनुभव है उत्तर प्रदेश के मामले में और अन्य प्रान्तों के मामले में भी। इसलिए चाहे कोई योजना रोकनी पड़े, लेकिन ऐसे संकट के समय, जहां देश का बड़ा भूभाग, बड़ा जनमानस प्रभावित हो, जहां जन, धन, मकानों और जानवरों के रूप में तमाम तरीके से नुकसान हुआ है और लगभग 200 लोगों की डेथ हो चुकी है, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि तमिलनाडु एवं आन्ध्र प्रदेश सरकार की जो भी मदद हो सकती है, पूरी मदद करें। मैं वहां के जनमानस को यह विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश इस संकट में उनके साथ खड़ा है। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री आर. राधाकृष्णन (पुडुचेरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को आपात कालीन आधार पर इस चर्चा को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं। पिछले कुछ दिनों से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही है। पुडुचेरी और कराईकल के बड़े इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में मकान, कृषि भूमि और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। पुडुचेरी कुड्डालोर का एक निकटवर्ती जिला है। तो आप जान सकते हैं कि पुडुचेरी में जो नुकसान हुआ है, वह बहुत बड़ा और अनोखा है।

माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर नुकसान की जानकारी दी है तथा 182.45 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया है। इस समय, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को स्थिति का आकलन करने के लिए तत्काल केंद्रीय टीम भेजने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। केन्द्रीय टीम के जाने के बाद, मौजूदा वर्षा ने बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है तथा वहां स्थिति बहुत गंभीर है। इसलिए, माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री को 100 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत जारी करने के लिए पत्र लिखा है। इससे पुडुचेरी के लोगों की मदद करने तथा वहां राहत कार्य जारी रखने में काफी लाभ होगा।

हम एस.डी.आर.एफ. का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए, आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यू.टी.डी.आर.एफ. का गठन नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तुरंत यू.टी.डी.आर.एफ. का गठन करें। इससे हमें निश्चित रूप से समय पर धनराशि देने में मदद मिलेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करे। चूंकि हम तमिलनाडु से स्थल-रुद्ध हैं, इसलिए हम अपने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु की चिंता भी उठाना चाहेंगे जो बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित है। निश्चित रूप से, हम तमिलनाडु के सदस्यों की चिंता से भी सहमत

हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए हमें केन्द्रीय सरकार से समय पर अच्छी सहायता की आवश्यकता है। कृपया इसे प्राथमिकता से लें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, देश के साउथ में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, उस पर आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का दिया।

महोदय, मैं पंजाब से आता हूं। इस संकट के समय में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी के लोगों के साथ हम खड़े हैं। जब बाढ़ आती है तो ज्यादा नुकसान किसानों का होता है। उनकी फसलें मर जाती हैं। पंजाब में हर साल कोई न कोई प्राकृतिक आपदा आती है। पिछले साल ओलावृष्टि हुई, बेमौसमी वर्षा हुई और बाढ़ भी आयी। उसके बाद सूखा भी पड़ा। लेकिन किसानों को मुआवजा देने का क्राइटेरिया बहुत वीक है। यह केवल चर्चाओं और घोषणाओं तक ही सीमित रह जाता है। यह ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचता है। इस तरह की प्राकृतिक आपदा जब देश में कहीं भी आती है तो वह सिर्फ चर्चा या घोषणा तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर वहां के लोगों की मदद की जानी चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वह प्रॉपर्टी का हो, चाहे फसल का हो या जान-माल का नुकसान हो। ऐसे संकट के समय में पूरा देश तमिलनाडु के लोगों के साथ खड़ा है। पंजाब में घग्गर नदी है, जिसमें हर साल बाढ़ आती है। यह कन्फर्म होता है और घग्गर नदी बाढ़ के साथ नुकसान लेकर आती है। उसकी सफाई और घोषणाओं पर जितने पैसे का ऐलान कर दिया जाता है, उसका आधा भी ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचता है, इसलिए घग्गर नदी के आस-पास रहने वाले लोगों ने, जिनमें खनोरी, सरदूलगढ़, सतराणा और मूनक हैं, बाढ़ को अपनी किस्मत का हिस्सा मान लिया है कि सरकारें कुछ नहीं करती हैं, यह हमारी किस्मत में है। लोगों को किस्मत पर न छोड़ कर यदि सरकार अमली रूप में, ग्राउंड लेवल पर प्राकृतिक आपदा जहां आती है, वहां पहुंचे, सिर्फ चर्चा और

घोषणाओं तक सीमित न रहकर जो ऐलान हुए हैं, वह ग्राउन्ड लेवल तक पहुंचे। इसके अलावा पूर्व अनुमान के यंत्रों को भी अपडेट करने की जरूरत है। बाढ़ का पूर्वानुमान और उसके बाद लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने का काम अपडेट होना चाहिए।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि वह तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और आंध्र प्रदेश के लोगों की इस संकट के समय में ज्यादा से ज्यादा सहायता करे। धन्यवाद।

श्री बदरुद्दीन अजमल (धुबरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस सीरियस इश्यु के ऊपर, जिसने आज पूरे मुल्क को हिला दिया है, इस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तमिलनाडु, हैदराबाद और पुद्दुचेरी में आज फ्लड की गंभीर स्थिति है। मैं इस मामले में आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ में हैं। पूरे मुल्क की हमदर्दी आपके साथ में है और भारत सरकार से उन्होंने जो भी डिमांड की है, वह उन्हें पूरी की पूरी देनी चाहिए। चूंकि मैं असम से आया हूं और हमारे होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, उन्हें भी असम के बारे में पता है कि असम की बाढ़ का मसला हमारा नसीब बन गया है। अभी अगर पूरे मुल्क की बात करें तो 2008 में बिहार में कोसी नदी की बाढ़ के कारण बहुत जबरदस्त तबाही हुई, 2013 में उत्तराखंड में तबाही हुई, 2014 में कश्मीर में सैलाब से तबाही हुई। उत्तराखंड की तबाही की जब इस साल बरसी हुई तो दिखाया गया कि वहां के लोगों को कुछ भी नहीं पहुंचा। इसी तरीके से कश्मीर में भी हालात अभी तक बहुत खराब हैं। लेकिन आज जो बाढ़ से तबाही हुई है, मैं समझता हूं कि इसके मामले में हुकूमत कोई परमानैन्ट सोल्यूशन सोचे, ताकि यह बार-बार न आये और यदि यह आती है तो पहले से लोगों को इत्तिला दी जा सके, ताकि इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी से बचा जा सके।

इसी के साथ मैं असम के बारे में कहना चाहूंगा कि हर साल ब्रहमपुत्र नदी में बाढ़ आती है। इससे पहले भी मैंने कई मर्तबा इस मामले को यहां उठाया है कि ब्रह्मपुत्र की वजह से खासकर मेरा इलाका धुबरी, जहां से मैं आता हूं, इसके अलावा बारपेटा, ग्वालपाड़ा और पूरे असम में माजुली और धेमादी में हर साल तबाही और बर्बादी आती हैं। वहां लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लाखों हैक्टेअर जमीन बर्बाद हो जाती है। अभी हमारे असम में 2014 में धुबरी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, 2015 में सितम्बर के महीने में असम के मुख्तलिफ इलाकों में बाढ़ आई। इससे पहले वाले में 42 लाख से ज्यादा लोग मुतास्सिर हुए और घरों से बेघर हो गये, फसलें बर्बाद हो गईं, उनकी तबाही हो गई। इसी तरीके से इसी साल अगस्त और सितम्बर के महीने में 12 लाख से ज्यादा लोग मुतास्सिर हुए। इसके अलावा 1988, 1984, 1977,1972, 1962, 1954, 2004 और 2012

में इसी तरीके की तबाही पूरे असम में आई। इस फ्लड और इरोशन की वजह से माली नुकसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं धुबरी से आता हूं, वहां भी बहुत इरोशन होता है।

इसके अलावा इंडो-बंगलादेश बार्डर के बारे में मैं श्री किरेन रिजीजू से खास करके कहूंगा कि वहां के कालीरल्गा और मालीरल्गा के मामले को मैं पांच सालों से उठा रहा हूं। वहां बंगलादेश का बार्डर भी टूट गया है और वहां का पूरा सब-डिविजन खत्म हो जायेगा। मैंने बार-बार मिनिस्टर से कांटैक्ट किया, लेकिन उस मामले में कोई काम अभी तक नहीं हुआ।

[अनुवाद] आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 1997 से 2007 तक 1,050 वर्ग किलोमीटर, यानी 1,27,245 हेक्टेयर भूमि का कटाव हुआ है, जिससे 30 लाख लोग अपने मूल स्थानों से विस्थापित हो गए हैं, जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी की कुल भूमि का सात प्रतिशत है। इसके अलावा, एक अध्ययन से पता चला है कि 1951 से 2000 तक असम में नदियों द्वारा 4,29,697 हेक्टेयर क्षेत्र का कटाव हुआ है।

स्वतंत्रता के बाद से राज्य को बाढ़ के कारण लगभग 13,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। असम में बाढ़ के कारण औसत वार्षिक क्षति 200 करोड़ रुपये तक है। वर्ष 1998 में यह घाटा लगभग 500 करोड़ रुपये था तथा वर्ष 2004 में यह घाटा लगभग 771 करोड़ रुपये था।

[हिन्दी] सर, असम सरकार ने अभी 2000 हजार करोड़ रुपये का पैकेज मांगा था, लेकिन हर साल यह तबाही ऐसे ही हो रही है, आखिर ये़ लोग कहां जायेंगे। जब माननीय प्रधान मंत्री जी जब इस मर्तबा जीतकर आये थे तो हमने बधाई दी थी तो उन्होंने कहा था कि नार्थ-ईस्ट के लिए हम कोई स्पेशल पैकेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि वह तमिलनाडु और अन्य जगहों का जरूर ख्याल रखें, लेकिन असम को भी न भूलें।

असम को भी बाढ़ के समय पूरी मदद दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई केन्द्रीय): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। तमिलनाडु राज्य, विशेषकर चेन्नई, पिछले लगभग एक महीने से लगातार वर्षा का सामना कर रहा है, जो सदियों में कभी दर्ज नहीं की गई। इसने हमारे राज्य के अधिकांश भागों तथा सम्पूर्ण चेन्नई शहर का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई आवासीय घर और इमारतें बाढ़ के पानी में डूब गईं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और करोड़ों रुपए की कीमती संपत्ति नष्ट हो गई है।

पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में हमारी तमिलनाडु सरकार लोगों को बचाने और किसी भी महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए चौबीसों घंटे निगरानी और काम कर रही है।

1 दिसंबर 2015 से फिर से हुई भारी वर्षा से स्थिति और बिगड़ गई है जिससे इससे प्रभावित लोगों को अधिक क्षति और असुविधा का सामना करना पड़ा। कई झीलें और तालाब लबालब भरे हुए हैं। चेन्नई हवाई अड्डा पूरी तरह जलमग्न हो गया है और 700 से अधिक यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए हैं। चेन्नई हवाई अड्डा हवाई यातायात के लिए बंद कर दिया गया है।

चेन्नई मूर मार्केट से अराकोन्नम तक उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और ताम्बरम से कांचीपुरम तक की ट्रेनें तथा 20 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मौसम पूर्वानुमान में चेतावनी दी गई है कि अगले चार दिनों तक चेन्नई और तमिलनाडु में भारी वर्षा होने की संभावना है। बचाव कार्य के लिए तटरक्षक, नौसेना और आर्मी की टीमों को तैनात किया गया है।

हमारी राज्य सरकार भी राहत प्रचालन में सहायता के लिए केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा भोजन, अस्थायी आश्रय, परिवहन, विशेष चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था चौबीसों घंटे की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी तमिलनाडु राज्य में वर्तमान बाढ़ की स्थिति पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, मैं केंद्र सरकार से विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वह पूरे तमिलनाडु और चेन्नई राज्य को सामान्य स्थिति में लाने के लिए तत्काल आवश्यक धनराशि जारी करे। धन्यवाद।

डॉ. जय जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में बहुत भारी और मूसलाधार वर्षा हुई है, तथा बहुत ही कम समय में अर्थात् 8 नवंबर, 2015से 16 नवंबर, 2015 तक अचानक दो बार भारी वर्षा हुई है। इससे झोपड़ियों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और जानमाल की भी हानि हुई है। इस अत्यधिक भारी वर्षा के कारण चेन्नई, कुड्डालोर, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में बाढ़ आ गई है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में सम्पूर्ण राज्य और जिला मशीनरी को तत्काल राहत और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए तैनात किया गया। नौकाओं और भारतीय वायु सेना के तट रक्षक हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके युद्ध स्तर पर बचाव प्रचालन चलाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को भी सेवा में लगाया गया। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना और तटरक्षक बल की भी सहायता ली।

महोदय, चेन्नई के संबंध में, चेन्नई में 28 अक्टूबर से अत्यधिक वर्षा हुई है। चेन्नई में 28 अक्टूबर 2015 से 20 नवम्बर 2015 के बीच 1039 मि.मी. वर्षा हुई है। एक दिन में अधिकतम वर्षा 235.5 मि.मी. 15/11/2015 को हुई। चेन्नई के निवासियों का सामान्य जीवन न केवल भारी वर्षा के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ, बल्कि चेम्बरमबक्कम और पूंडी झील से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के परिणामस्वरूप कूम, अडयार और कोसस्थलायर बेसिन में जल स्तर बढ़ने के कारण भी प्रभावित हुआ। इस तीव्र एवं निरंतर अत्यधिक वर्षा के कारण सड़कें, सबवे, स्ट्रीट लाइटें और स्टॉर्म मोटर नालियां क्षतिग्रस्त हो गईं। नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण, बाढ़ के पानी की निकासी नाले द्वारा नहीं हो सकी, जिससे शहर में लगातार चार से छह दिनों तक जलमग्नता रही। चेन्नई शहर में 859 स्थान कई दिनों तक जलमग्न रहे।

तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री, पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने तत्पर होकर कदम उठाए हैं। महोदय, 550 भारी पम्पसेट, 57 जेसीबी, पोकलेन मशीनरी और 49 अग्निशमन वाहन तैनात किए गए। भारी वर्षा और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण 898 पेड़ गिर गए। भारी वर्षा के कारण चेन्नई शहर के सभी 22 सबवे जलमग्न हो गए और अतिरिक्त पानी निकालने के प्रयास किए गए। अन्य

विभागों की मदद से बचाव कार्य के लिए 50 नावें तैनात की गईं तथा लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए राहत केंद्र खोले गए। चिकित्सा शिविर स्थापित किये गये और बाढ़ से पीड़ित लोगों को उपचार दिया गया।

चेन्नई शहर को व्यापक क्षति हुई है और लोगों की परेशानियों को कम करने, आवश्यक सेवाएं शुरू करने, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने और शहर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए भारी व्यय करना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाखों लोगों को स्थानांतरित कर राहत केंद्रों में ठहराया गया है तथा उन्हें भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान की गई है। राज्य को फसल, पशुधन, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचे का भी भारी नुकसान हुआ है। ऐसे समय में पीड़ितों की पीड़ा को कम करने और उनके संकट को दूर करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है ताकि वे अपने जीवन यापन के साधनों के अचानक समाप्त हो जाने के कारण उत्पन्न हुए आघात और मानसिक तनाव से बाहर आ सकें। इसलिए राज्य को आजीविका, सामान और कर्मियों के नुकसान के लिए तत्काल सहायता के रूप में अनुग्रहपूर्ण सहायता देकर राहत प्रदान करनी होगी।

अवसंरचना सुविधाओं की तत्काल बहाली समय की मांग है। एस.डी.आर.एफ. और अन्य के तहत राज्य सरकार के पास उपलब्ध धनराशि से तत्काल आवश्यकता को पूरा करना संभव नहीं है। अत: 2630.58 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकार को तत्काल अस्थायी बहाली के लिए 2630.59 करोड़ रुपये तथा बाद में स्थायी बहाली के लिए 5850.34 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। केन्द्रीय सरकार से मांगी गई कुल धनराशि 8480.93 करोड़ रुपये है।

यह आपदा इतनी गंभीर प्रकृति की है कि इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए। तमिलनाडु की हमारी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने अनुरोध किया था कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अतिरिक्त राहत और पुनर्स्थापन पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। अपनी और अपनी पार्टी की ओर से मैं तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लोगों के लिए बहुत चिंतित हूं। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह हर संभव मदद मुहैया कराए। उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए धन दिया जाना चाहिए।

महोदय, मेरा राज्य ओडिशा हर वर्ष बाढ़ और हुदहुद और फैलिन जैसे चक्रवातों से जूझता है। ओडिशा में हर वर्ष ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। इस वर्ष भयंकर सूखा पड़ा है। लगभग 25 जिले और 173 ब्लॉक सूखे से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने चुनौतियों से निपटने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। वह पहले ही किसानों को 1000 करोड़ रुपये दे चुके हैं। साथ ही, हमने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार से लगभग 1667 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है।

इसलिए, अपने राज्य की ओर से मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र धनराशि जारी करे। हमें फैलिन के लिए संस्वीकृत 400 करोड़ रुपये की राशि नहीं मिली है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ओडिशा सरकार को भी 400 करोड़ रुपये दे।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, नेचर गाइड बाई गॉड, गॉड गाइड बाई नेचर, दोनों प्रकृति और परमात्मा, जब इन दोनों के नेचर को मनुष्य छेड़ेगा तो ऐसा ही कुछ होगा। अभी देश के प्रधानमंत्री ने भी विदेशों में जाकर ग्लोबल वार्मिंग की बात कही है। मैं बहुत ही आग्रह के साथ कहना चाहूँगा कि भगवान ने इंसान को बनाया और अब इंसान भगवान को बनाने लगा है। जब इंसान भगवान को बनाने लगेगा तो फिर क्या भगवान किसी को छोड़ेगा? बुरा जो देखन मैं चला, हम तो उसमें नहीं जाएंगे, एक इंसान, एक आदमी सड़क पर जा रहा था। एक व्यक्ति मर गया, उसने पूछा तो कहा कि आदमी मर गया और देखने गया तो कहता है या अल्लाह, आँख बच गया। इस सदन में बैठने वाले हम लोग वैसे ही हैं, हर साल यह देश मर जाता है और हम लोग यहाँ बैठकर रोते हैं या अल्लाह आँख बच गई। मैं पूरी संवेदना के साथ अंतःकरण से, हृदय से तमिलनाडु के तमाम गरीबों को, वंचितों को, आम आदमी को बिहार की ओर से, पूरे देश की ओर से हम उसके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। जिस हिम्मत के साथ वहाँ की मुख्यमंत्री अम्मा ने, जो इस प्राकृतिक विपदा में खड़े होकर वहाँ के लोगों की मदद की है, वह इसके लिए एक बार नहीं हजार बार बधाई की पात्र हैं। उनको पूरे देश की ओर से बधाई देनी चाहिए। वैसे ही वह एक बड़ी पुरूषार्थ वाली महिला हैं। गृह मंत्री जी, मैं दिल से कहना चाहूँगा कि आपसे आग्रह है कि कश्मीर में सुनामी आई और बहुत सारी चीजें हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। मैं चाहता हूँ कि यह इतनी बड़ी विपदा है तो इस भाषण से पहले और यहाँ, जो हम लोग करते हैं कि हमरा ब्याह में तू नटवा, तोरे ब्याह में हम नटवा, यह जो पगड़िया की तरह हम लोग नाचते फिरते हैं, गरीबों के आँसू नहीं पोछते हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले वहाँ जाकर देश के प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को, किसी एक व्यक्ति को जाकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ कितनी चीजों की आवश्यकता है। वहाँ बिना गए, यहाँ से भाषण देकर, 193 पर चर्चा करके कुछ भी नहीं किया जा सकता है।इसीलिए हम चाहेंगे कि पूरा देश ऐसे क्षण में तमिलनाडु की जनता के साथ खड़ा हो। ...(व्यवधान) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी सबकी बात मैं कह रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को अभी भी देख रहे होंगे कि इस देश में सामाजिक संदर्भों में कुछ बातें आई थीं। हमारे आध्यात्मिक गुरू ने 12 लाख वर्षों के बाद साउथ और नॉर्थ पोल चेन्ज होने की बात कही है और कई आध्यात्मिक गुरुओं ने इस बात को कहा है, कई साइंटिस्टों ने भी इस बात को कहा है। यह नॉर्दर्न इलाके से चेन्ज होने की बात को हमारे साइंटिस्टों ने संज्ञान में लाने का काम किया है। मेरे दो तीन सबमिशन इस संबंध में हैं कि भारत के वैज्ञानिकों को ज़रूर इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर जब इतना बड़ा नेचर का चेन्ज होना है जिसमें सब कुछ का बदलाव होना है और हमारे प्रधान मंत्री ने विदेश में जाकर ग्लोबल वार्मिंग और विकसित कंट्रीज़ के बारे में जो बात कही है, हमको उन बातों से भारत में भी सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हम आग्रह करना चाहेंगे कि इन सारी संभावनाओं को हमारे वैज्ञानिकों को तलाशना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम जहाँ से आते हैं, वहाँ बिहार में कोसी, महानंदा, गंडक, गंगा, कमला, बलान नदियों का अंबार है। बिहार 14 नदियों का अंबार है जितनी नदियाँ हिन्दुस्तान में कहीं नहीं हैं। सबसे ज्यादा बाढ़ की त्रासदी यदि किसी ने देखी है तो वह कोसी ने, हमारे क्षेत्रों ने, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, सुपौल, सहरसा, इन इलाकों ने देखी है। [अनुवाद] आज तक बिहार सरकार की संवेदना तो रहती नहीं है, अतः मैं आग्रह करना चाहूँगा कि बाढ़ का स्थायी निदान कैसे हो, कैसे नेपाल में हाई डैम बनाकर हो या नेपाल से वार्ता करके हो, हमारे प्रधान मंत्री जी के अच्छे संबंध हैं। मेरा सिर्फ इतना सबमिशन है कि कोसी, गंगा और महानंदा तथा गंडक नदियों को जोड़कर कैसे उस पानी को मध्य बिहार में ले जाया जाए और वहाँ बाढ़ की रोकथाम कैसे की जाए, यह किया जाना आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि प्रकृति से छेड़छाड़ न करें और जो नॉर्थ और साउथ पोल चेन्ज हो रहे हैं, इस पर वैज्ञानिकों को काम करना चाहिए कि बहुत बड़ा बदलाव आने की बात है और प्रधान मंत्री जी को तमिलनाडु जाकर वहाँ की जनता के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रातःकाल माननीय अध्यक्ष जी ने सभा की भावना व्यक्त की कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ की स्थिति तथा देश के कुछ भागों में सूखे के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत तत्काल चर्चा कराई जाए। चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री और नेताओं सहित कई सदस्यों ने कहा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चर्चा को विशेष रूप से बाढ़ की स्थिति तक सीमित रखा जा सकता है। यदि सभा सहमत हो तो हम बाद में सूखे की स्थिति पर विचार कर सकते हैं। तदनुसार, हम चर्चा और उत्तर को केवल बाढ़ की स्थिति तक ही सीमित रख सकते हैं। मुझे आशा है कि सभा इससे सहमत होगी।

अनेक माननीय सदस्य: महोदय, हाँ।

श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक तिरुपति निर्वाचन क्षेत्र है, जहां सभी सात विधानसभा क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। कृषि गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं। नर्सरियाँ भी बह गयीं। अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और अन्य स्थानों से कट गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री तथा मेरी पार्टी के नेता श्री जगनमोहन रेड्डी ने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। कई घर जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं, उनके फूस के मकान और मिट्टी के मकान पूरी तरह बह गए हैं। हमारे क्षेत्र, तिरुपति संसदीय क्षेत्र में जो जल-संस्कृति अत्यंत प्रसिद्ध है, उसकी लगभग 10000 हेक्टेयर भूमि, जिसकी कीमत 15000 करोड़ रुपये है, बह गई तथा इस गतिविधि में लगे लोगों को बिजली में रियायत तथा अन्य सहायता की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि तिरुपति का पवित्र मंदिर 100 वर्षों के इतिहास में कभी भी जलमग्न नहीं हुआ। लेकिन प्रबंधन, कार्यकारी अधिकारी और टीटीडी के अध्यक्ष को धन्यवाद, जिसके लिए वे लोगों को भगवान के *दर्शन* कराने में सफलतापूर्वक मदद करने में सक्षम हैं।

इसी प्रकार, हमारे पास कालहस्ती में भी एक महत्त्वपूर्ण मंदिर है। वह भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जो बुरी तरह प्रभावित हुआ है वह है वेंकटगिरी जो बुनकरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से अधिकांश हथकरघा बुनकर हैं। उनकी मशीनों में पानी चला गया है, इसलिए वे पिछले एक महीने से बुनाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार और राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वे मत्स्यपालन करने वाले किसानों और बुनकरों की सहायता के लिए तुरंत आगे आएं।

अंत में, मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस पहलू पर अनुरोध करता हूं क्योंकि बाढ़ की स्थिति अत्यंत गंभीर है। वह विशेष रूप से चेन्नई और तिरुपति क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं ताकि लोग भारत सरकार के प्रति आभारी बनें।

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवन्ति)(अनकापल्ली): माननीय महोदय, इस गंभीर मुद्दे पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

20 नवंबर को उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण जारी वर्षा के कारण विभिन्न वर्षाजनित घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई है। पिछले एक सप्ताह में इसने आंध्र प्रदेश के कई जिलों को प्रभावित किया है। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, भारी वर्षा के कारण कई जिलों में दीवार गिरने जैसी विभिन्न वर्षाजनित घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो गई। नेल्लोर और चित्तूर जिलों में कम से कम 14,000 लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया।

भारी वर्षा के कारण चित्तूर, नेल्लोर, कडप्पा और अनंतपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। वर्षा के बाद कई नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रभावित जिलों के गांवों और कस्बों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। इसके परिणामस्वरूप फसलों को व्यापक क्षति हुई।

पिछले वर्ष आंध्र प्रदेश में हुदहुद आया था। हमारा राज्य दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य है। इसलिए, हर वर्ष, हमारे यहां न्यूनतम तीन से चार चक्रवात आते हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। इन चक्रवातों से हमें जान-माल की भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक आकलन के अनुसार, लगभग 3000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने एहतियाती और राहत उपायों सहित सभी आवश्यक कदम उठाए हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से मैं भारत सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि वह हमारे राज्य को अंतरिम राहत के रूप में तुरंत 1000 करोड़ रुपये मंजूर करे। तभी हम अपने आप को पुनः सुसज्जित कर सकेंगे क्योंकि हमारा राज्य एक नया राज्य है। ऐसे में हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत परेशानी का कारण बन रही हैं। ...*(व्यवधान)*

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए एक केंद्रीय टीम भेजें, ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके तथा लोगों के सामने आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. (लक्षद्वीप): महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति के विषय पर नियम 193 के अधीन चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया।

सबसे पहले, मैं यहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के प्रति हमारी पार्टी की एकजुटता व्यक्त करने के लिए खड़ा हूं, और हम उनके साथ खड़े हैं। साथ ही, मैं तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. जयललिता द्वारा वहां प्रभावित लोगों को बचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए भी अपनी पार्टी की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

हम पहले भी ऐसी मुद्दे देखते रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब हम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। हम इससे पूर्व भी कई बार नियम 193 के अधीन इन मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं। लेकिन मैं यहां एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि बाढ़ क्यों आ रही है और हमारे वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों को बैठकर इस पर विचार-विमर्श करना होगा, ताकि कारण का पता लगाया जा सके और फिर समस्या से छुटकारा पाया जा सके।

जैसा कि श्री महताब बता रहे थे, इस बाढ़ का कारण पानी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना है, हो सकता है कि इसका कारण निर्माण कार्य हो या कोई अन्य कारण हो। हमें एक स्थायी समाधान ढूँढना होगा। हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां हमारे देश को ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना न करना पड़े जो हमारे लोगों की जान ले लें।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसे समाधान निकाले जिससे भविष्य में ऐसी आपदाएं दोबारा न आएं। मैं तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई मांग का भी समर्थन करता हूं और उन्हें यथाशीघ्र सभी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर तेली (डिब्रूगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु में जो बाढ़ आई है, उसमें जितना हो सके, वहां के लोगों की सहायता की जाए। बाढ़ आने के बाद वहां अम्मा ने जिस तरह से कार्रवाई की, वह सराहनीय है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को जितना हो सके, उतना हेल्प करे।

महोदय, मैं असम से हूं। असम एक ऐसा स्टेट है, जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। पहाड़ी स्टेट में जब वर्षा होती है तो असम में भी वर्षा आ जाती है और असम में भी बाढ़ आ जाती है। असम में हर साल बाढ़ आती है। केन्द्र से जिस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए, उस तरह की सुविधा नहीं मिलती है।

असम में शायद अगले साल भी बाढ़ आएगी। मैं केन्द्र सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि उसे इसके लिए पहले से जागरूक रहना चाहिए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से लगातार भयंकर वर्षा के कारण बहुत क्षति हुई है। इसमें लगभग 170 लोगों की जानें गई हैं। खासकर, चेन्नई शहर पूरा पानी में डूबा हुआ है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग इससे लगातार बाधित हैं। दिल्ली की सरकार एन.डी.आर.एफ. के द्वारा जो सहायता कार्य कर रही है, वह सराहनीय है। अम्मा जी, जो इस आपदा में वहां के लोगों के साथ खड़े रहकर जो उनकी मदद कर रही हैं, उसके लिए मैं अम्मा जी की कार्य की सराहना करता हूं।

महोदय, मैं बिहार से हूं और बिहार के बारे में बोलकर दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। बिहार लगातार दस वर्षों से कभी कोसी नदी, तो कभी कमला नदी की त्रासदी से उबर नहीं पा रहा है। मैं समझता हूं कि इसका स्थायी रूप से निदान करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को पहल करना चाहिए। वे नेपाल सरकार से बात करें। अभी पप्पू जी भी बता रहे थे कि नेपाल सरकार से बात करके उत्तरी बिहार को बाढ़ से निज़ात दिलाएं। इसके लिए निश्चित रूप से एक केन्द्रीय टीम बने। वह सारी ज़गहों की स्थिति को समझे, चाहे वहां सुखाड़ हो या बाढ़ हो, और इस तरह से उसका निदान निकलना चाहिए, न कि सिर्फ संसद में इस पर चर्चा होती रहे और हम लोग उससे पीड़ित होते रहें।

महोदय, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ आज पूरा देश खड़ा है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि उनके लिए शीघ्र संसाधन जुटाएं जाएं। यहां माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे भी विनती करूंगा कि इस स्थिति में वहां के लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आप उनका सहयोग करें।

श्री निनोंग ईरींग (अरूणाचल पूर्व) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो भाई-बहन हैं, उनके प्रति सहानुभूति और संवेदना हम लोग रखते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि प्राकृतिक आपदा के समय उनको राहत और बचाव की सहायता देनी चाहिए। सरकार को इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करना चाहिए। खास तौर से उपाध्यक्ष हों या उनकी जो टीम ऑफ एमपीज है, जो सांसद हैं, जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु के लोगों की दुःख और तकलीफ के लिए संवेदना भेजी है, उसके लिए हम आभारी हैं।

मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी, असम, अरूणाचल प्रदेश आदि सब जगहों पर बाढ़ से पीड़ित होते हैं। हमारे वहाँ जो इश्यूज हैं, खास तौर से हमारे गृह राज्य मंत्री जी अरूणाचल प्रदेश से ही हैं।...(व्यवधान) एक चीज है कि जब भी हम बोलते हैं, तो आप हमें दो मिनट ही देते हैं। अगर आप अरूणाचल प्रदेश के विषय में नहीं सुनना चाहते हैं तो आप हमें क्यों बुलाते हैं? जब हमें बुलाते हैं तो कम से कम दो मिनट का समय तो हमें देना ही चाहिए। हमें एक मिनट में ही बन्द करने के लिए कहते हैं। जो हमें जवाब देंगे, वे राज्य मंत्री तो अरूणाचल प्रदेश से हैं। इसलिए हमारी बात को वे सुनेंगे और उनको जवाब भी देना होगा। सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि असम में भी, आप देखिए इस बार भी असम में बाढ़ आई थी तो 92 हजार हेक्टेअर में लोग प्रभावित हुए है, कम से कम 90 हजार लोग बाढ़ पीड़ित हुए हैं। हमने दो हजार करोड़ की माँग की, असम में 520 करोड़ रूपए ही दिए। हमने 500 करोड़ की माँग की तो हमें 96 करोड़ की राशि दी, यह पिछले साल की बात है। अभी तमिलनाडु में जो 900 करोड़ घोषित किया है, यह पिछले साल का है। इस साल के लिए आप क्या कर रहे हैं, वहाँ किस प्रकार से लोगों को हेलीकाप्टर से मदद दे रहे हैं, किस प्रकार से रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मैटर्स टेक अप कर रहे हैं, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा।

महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वह हमारे एरिया के हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार मैंने बोला था कि अरूणाचल प्रदेश के ऊपर जो चार डैम चीन बना रहा है, उसके विषय में आपने कुछ नहीं बोला, चुप बैठे

हैं। आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा। [अनुवाद] यह नहीं होने से असम में बाढ़ की जो समस्या है, वह हर वर्ष आएगी। यह दुःख की नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी रिवर ऑफ सॉरो है। यदि आप इसकी जांच नहीं करेंगे तो आपको उसके साथ समस्या होगी। धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) :** हमारा देश लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के आगोश में हैं। वर्तमान में भी जहां देश के आधिकांश भाग सूखे की चपेट में हैं वहीं तमिलनाड़ लगातार नवम्बर माह से आतिवृष्टि के कारण संकट से घिरा हुआ है। जहाँ वर्षा ने पिछले सौ साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है। सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। अरबों की सम्पत्ति का नुकसान हो चुका है। विमान, ट्रेन व बस सेवायें बंद हैं। अधिकतर इलाके जलमग्न हो गए हैं। परीक्षायें स्थगित कर स्कूल कालेज बंद कर दिए गए हैं। मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी सहित माननीय गृहमंत्री व पूरी मंत्रिपरिषद इस विषय पर गंभीर है और त्वरित निर्णय लेते हुए राज्य सरकार से वार्ता कर यथा संभव सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रही है अभी 23 नवम्बर को ही माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर राज्य को 939.63 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। और एक विशेष टीम का गठन कर वहाँ भेजने का कार्य किया गया है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश तमिलनाडु की जनता के साथ खड़ा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्य को इस संकट से निबटने के लिए जिस प्रकार की भी जरूरत हो उसे पूरा करने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। वहाँ एक उच्चस्तरीय केन्द्र की टीम मौजूद रहे और वहां के नुकसान का यथा शीघ्र आकलन कर नवीन सहायता यथा शीघ्र जारी किया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचार एवं आवागमन की सुविधाएं शीघ्र बहाल करने हेतु यदि आवश्यक हो तो सेना की भी सहायता ली जाए ।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

*श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): पूरा देश अभूतपूर्व वर्षा से उत्पन्न गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए तमिलनाडु के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करता है, जो पिछले 100 वर्षों में नहीं हुई। मैं ओडिशा से आता हूँ, जिसकी समुद्र तट रेखा लगभग 425 किलोमीटर लंबी है, और मेरे निर्वाचन क्षेत्र बालासोर में लगभग 80 किलोमीटर की समुद्री तटरेखा है।

हम बार-बार बाढ़, चक्रवात, सूखे जैसे सुपर साइक्लोन, फैलिन, हुदहुद आदि से तबाह हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग विश्व जलवायु के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अनियमित मानसून कृषि क्षेत्र में संकट पैदा करता है, जो भारत की 1.2 अरब आबादी के आधे से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत की 60 प्रतिशत से अधिक कृषि वर्षा पर निर्भर है। बढ़ता तापमान चिंता का कारण है।

विश्व बैंक के अनुसार, तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से भारत का मानसून अत्यधिक अप्रत्याशित हो जाएगा और खाद्य आयात की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी।

चूंकि पिछले 20 वर्षों में 90 प्रतिशत बड़ी आपदाएं मौसम से संबंधित रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि भारत सरकार चेन्नई की घटना को एक अलग घटना के रूप में न देखे, यह एक बड़े संकट की चेतावनी है जो आने वाला है और इसलिए इस गंभीर संकट से निपटने के लिए एक निश्चित कार्य योजना की आवश्यकता है।

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*__श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु):__ नवंबर-दिसंबर 2015 में वार्षिक पूर्वोत्तर मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण दक्षिण भारत में बाढ़ आई। इनका प्रभाव दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी पर पड़ा। चेन्नई में नवंबर माह में पिछली शताब्दी की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। बाढ़ के कारण लगभग 200 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे 1.8 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं तथा 20000 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है।

जहां तक तमिलनाडु का प्रश्न है, 9 नवंबर 2015 को चेन्नई में छह घंटे की अवधि में 43 मि.मी. (1.7 इंच) वर्षा हुई। नेवेली में 9 नवंबर को 139 मि.मी. (5.5 इंच) और 10 नवंबर को 483 मि.मी. (19.0 इंच) वर्षा दर्ज की गई; कुड्डालोर, चिदम्बरम और चेन्नई में वर्षा जारी रही, लगातार वर्षा के कारण 13 नवंबर तक चेन्नई के निचले हिस्से जलमग्न हो गए, जिसके परिणामस्वरूप 1000 से अधिक लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना पड़ा। 15-16 नवम्बर को चेन्नई में 24.65 सेमी (9.70 इंच) वर्षा दर्ज की गई, जो कि नवम्बर 2005 के बाद से अब तक की सबसे अधिक वर्षा थी। इससे शहर के अधिकांश हिस्से जलमग्न हो गए। चेन्नई में बाढ़ की स्थिति वर्षों की अवैध निर्माण गतिविधियों और अपर्याप्त बाढ़ प्रबंधन तैयारियों के कारण और भी गंभीर हो गई। 17 नवम्बर को भी शहर का अधिकांश भाग जलमग्न रहा, हालांकि उस समय तक वर्षा लगभग बंद हो चुकी थी।

यद्यपि पहले निम्न दबाव प्रणाली से होने वाली वर्षा 25 नवम्बर को समाप्त हो गई थी, परन्तु 29 नवम्बर को एक दूसरी प्रणाली विकसित हुई, जिससे अतिरिक्त वर्षा और बाढ़ आ गई। भारतीय मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत तक तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना जताई है। 1 दिसंबर को भारी वर्षा के कारण चेन्नई के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, जिसके कारण ट्रेनें रद्द कर दी गईं और चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री जयललिता ने घोषणा की कि लगातार बाढ़ और

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

वर्षा के कारण 7 दिसंबर को होने वाली अर्धवार्षिक स्कूल परीक्षाएं जनवरी के पहले सप्ताह तक स्थगित कर दी गयी हैं।

चेन्नई में नवंबर में 104.9 से.मी. (41.3 इंच) वर्षा हुई, जो नवंबर 1918 में 108.8 से.मी. (42.8 इंच) वर्षा के बाद सबसे अधिक है। 1 दिसंबर तक, 8 नवंबर से आई बाढ़ के कारण तमिलनाडु में 147 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि 70,000 से अधिक लोगों को बचाया गया था। चक्रवात और वर्षा के कारण पुडुचेरी और तमिलनाडु के चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं तथा मछुआरों को उच्च जल और अशांत समुद्र के कारण नौकायन न करने की चेतावनी दी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से 8481 रुपये (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की प्रारंभिक क्षति की सूचना दी, तथा तत्काल राहत प्रयासों के लिए 2000 करोड़ रुपये (299 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की सहायता का अनुरोध किया। लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण क्षेत्र की कई प्रमुख वाहन निर्माता कंपनियों, जिनमें फोर्ड मोटर कंपनी, रेनॉल्ट, निसान और डेमलर एजी शामिल हैं, को अस्थायी रूप से उत्पादन को विराम देना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित 200 करोड़ रुपये (30 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि बाढ़ के परिणामस्वरूप कुल औद्योगिक नुकसान 10000 करोड़ रुपये (1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से 15000 करोड़ रुपये (2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के बीच होगा। सब्जियों और फलों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, क्योंकि कई ट्रकों के फंस जाने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक आपूर्ति प्रभावित हुई।

स्थिति अभी भी बदतर बनी हुई है क्योंकि अगले एक सप्ताह तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। अड्यार नदी में बाढ़ आ गई है और पानी चेन्नई शहर में घुस गया है। ताम्बरम और अराकोन्नम हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है। कई लोग पानी में फंसे हुए हैं और बिना भोजन और पानी के राहत प्रचालनकी राह देख रहे हैं। शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति बंद है। हवाई अड्डा बंद है और सभी प्रकार के संचार बुरी तरह प्रभावित हैं। यद्यपि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय जयललिता इस आपदा का सामना करने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं, तथापि केन्द्रीय सरकार को भी हर संभव सहायता प्रदान करनी होगी।

आंध्र प्रदेश में 16 नवंबर को स्थानीय प्राधिकारियों ने जिलाचित्तूर में स्कूल बंद कर दिये। जिले भर में हजारों झीलें और तालाब उफान पर आ गए, तथा कुछ क्षेत्रों में टूटने की भी खबरें आईं। क्षेत्र के एक अन्य तीर्थस्थल श्री कालहस्ती में स्वर्णमुखी नदी के जलस्तर में वृद्धि होने की सूचना मिली है। जिला चित्तूर के वरदैयापालम मंडल में बाढ़ के पानी में तीन लोग बह गए और कुछ घरों में पानी घुस गया। जिला नेल्लोर के कई हिस्सों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे परिवहन सेवाएं बाधित हुईं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ टेलीकांफ्रेंस की और आपदा प्रतिक्रिया कर्मियों को सतर्क रहने को कहा।

नेल्लोर, चित्तूर और कडप्पा जिलों में भारी वर्षा के कारण गांवों में बाढ़ आ गई और परिवहन नेटवर्क बाधित हो गया। 18 नवंबर तक यह अनुमान लगाया गया था कि बाढ़ के कारण कम से कम 500 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, चेन्नई-कोलकाता राजमार्ग पिछले दिन कट गया था और सैकड़ों वाहन और मोटर चालक फंस गए थे; अधिकारी ने कहा कि संपर्क बहाल करने में कई दिन लगेंगे। तमिलनाडु की तरह, दक्षिणी रेलवे ने भी कई रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित कर दिया या उन्हें रद्द कर दिया। जिला नेल्लोर में टाडा-कावली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10,000 से अधिक ट्रक चालक फंसे हुए थे; जिला अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 61 राहत शिविर स्थापित किए तथा गुडूर, नायडूपेट और आत्मकुर डिवीजनों में राहत कार्यों की देखरेख के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को तैनात किया। नदियों के उफान पर होने के कारण 500 से अधिक तालाब टूट गए, जिससे प्रशासन को बाढ़ग्रस्त गांवों के लिए बचाव अभियान स्थगित करना पड़ा, हालांकि प्रशासकों ने रेल नेटवर्क के माध्यम से 10,000 भोजन और पानी के पैकेट उपलब्ध कराए, जिससे कुछ ट्रेनें चलने में सफल रहीं, जबकि ए.पी.एस.आर.टी.सी. ने आत्मकुरु, उदयगिरि, मर्रिपाडु और सीतारामपुरम जैसे कम बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए बस सेवाएं जारी रखीं।

जिला कडप्पा में बुधवार तक वर्षा कम हो गई और तिरुपति-कडप्पा के बीच सड़क संपर्क बहाल हो गया; प्रारंभिक अनुमान है कि जिले में लगभग 29 करोड़ रुपये (44 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कृषि क्षति

हुई है। पेंडलीमेरी, चिंताकोमादिन्ने, सिद्धवतम और खाजीपेट मंडलों में बागवानी फार्म भी वर्षा से नष्ट हो गए। रायलसीमा, नेल्लोर, प्रकाशम, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में भी भारी कृषि नुकसान की खबर है; मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों से फसलों को बचाने के लिए जल्द से जल्द खेतों से पानी निकालने को कहा है।

19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे एक पत्र में, मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश में बाढ़ से संबंधित नुकसान का प्रारंभिक अनुमान लगभग 3000 करोड़ रुपये (448 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जिसमें 1250 करोड़ रुपये (187 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की कृषि संबंधी क्षति और 1025 करोड़ रुपये (153 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की बुनियादी संरचना को हुई क्षति शामिल है; उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों से तत्काल राहत प्रयासों के लिए 1000 करोड़ रुपये (149 मिलियन अमेरिकी डॉलर) जारी करने का अनुरोध किया। नायडू के अनुसार, नेल्लोर जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां अनुमानित 1395 करोड़ रुपये (208 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ है, इसके बाद चित्तूर जिले का स्थान है, जहां 818 करोड़ रुपये (122 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ है। कडप्पा जिला भी गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में व्यापक फसल क्षति हुई है, तथा अनंतपुर, प्रकाशम और कृष्णा जिलों में भी कम क्षति हुई है। नेल्लोर जिले में एडेक्वाकल्चर उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जहां 8000 हेक्टेयर से अधिक मछली और झींगा तालाब नष्ट हो गए, जिससे अनुमानित 250 करोड़ रुपये (37 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का नुकसान हुआ।

20 नवंबर तक राज्य में बाढ़ से 35 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14,000 से अधिक लोगों को नेल्लोर और चित्तूर जिलों में राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में यही स्थिति है, इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन की रक्षा की जा सके। हम केंद्र से यह भी अनुरोध करते हैं कि

वह इस आपदा से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं से निपटने में राज्यों की मदद के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए।

मेरा राज्य आंध्र प्रदेश लंबी तटीय रेखा के कारण आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गया है। जैसा कि मेरे सहयोगी माननीय हरिबाबू गारू ने सही कहा है, हमारे पास फायदे के साथ-साथ नुकसान भी हैं। हम पहले से ही भारी वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और यह स्थिति और भी अधिक पीड़ादायक है, जिसमें कई लोगों की जान दांव पर लगी है और आर्थिक रूप से राज्य हर तरह से प्रभावित होगा। अतः हम सभी प्रभावित राज्यों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं तथा संघ से भी हरसंभव सहयोग देने का अनुरोध करते हैं। हम प्रभावित परिवारों तथा इस आपदा के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करते हैं तथा हम सर्वसम्मति से उनका समर्थन करते हैं। जैसा कि सुस्मिता देव ने सही कहा है कि चाहे राज्य आर्थिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों न हो, जब किसी राज्य पर आपदा आती है, तो राज्य आमतौर पर सहायता के लिए केंद्र सरकार की ओर देखता है। हम केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि वे इस स्थिति को समझें और राष्ट्र के हित में हर संभव सहायता प्रदान करें।

[हिन्दी]

*श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) :** बाढ़ एक ऐसी आपदा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है। मवेशियों के लिए चारा के अभाव के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान होता है। बाढ़ के कई एक कारण भी होते हैं, नदियों में जलस्तर के बढ़ने के साथ आतिवृष्टि भी बाढ़ के कारण हाती हैं।

वर्तमान में आतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ के प्रकोप से भयावह रूप से जान-माल को हानि पहुंची है।

बाढ़ प्रभावित राज्यों/जिलों/क्षेत्रों को पहले से चिन्हित कर, उससे निपटने हेतु प्रबंध करना चाहिए। [अनुवाद] बाढ़ से लड़ने में राज्य एवं केन्द्र को आपसी सामंजस्य/सहमति के आधार पर पहले से तैयारी करने की आवश्यकता है। [हिन्दी] चूंकि पहले से तैयारी नहीं रहने के कारण हानि का अनुपात काफी बढ़ जाता है। बाढ का कारण जो भी हो, तैयारी लड़ने की पहले से होनी चाहिए।

मैं अपने स्तर से अपने क्षेत्र एवं राज्यवासियों की तरफ से तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश पांडिचेरी के बाढ़ प्रभावित आम-जन को इस दुःख की घड़ी में हर स्तर का सहयोग देने का विश्वास दिलवाना चाहता हूं। [अनुवाद] साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं, कि इस क्षण में उन्हें ताकत दे ताकि वे इस दुःख की घड़ी से लड़ने में सफलता प्राप्त कर सकें।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : तमिलनाडु में बाढ़ पर हो रही चर्चा पर मैं भी अपने विचार रखता हूँ। तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में बिना मौसम के भारी वर्षा से जो तबाही हुई है, उससे पूरा देश दुखी है। मैं बिहार से आता हूं। बिहार को प्रत्येक वर्ष बाढ़ और सूखा से जूझना पड़ता है खासकर कोसी और कमला नदी से प्रत्येक साल तबाही होती है और लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। कोसी में तो प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ भूमि कटकर कोसी नदी में समा जाती है और उसको कोई सहायता सरकार की ओर से नही मिलती है जिससे वहां के किसानों को भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी विपत्तियों के लिए कमेटी गठित कर उचित मुआवजा दिया जाए जिससे पीड़ित परिवारों को जीने का मौका मिले।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : आज किसानों के सामने सिर्फ समस्या के अलावा कुछ नहीं है। किसानों को कदम-कदम पर मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें आज़ादी के बाद लगातार सरकारी नीतियों में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। आज हरित क्रांति के 45 वर्ष होने के बाद भी किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। हरित क्रांति के आतिरित्त श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, सिल्वर क्रांति, सुनहरी क्रांति आदि क्रांतियों ने अपने देश में कई दशक बीत गये परंतु किसान की स्थिति में मामूली सुधार की किरण नहीं दिखी है। यह सोचने के लिए मजबूर करती है। आज कृषि एक बहुत ही जोखिम भरा काम हो गया है। इसलिए किसान खेती करना छोड़ना चाहते हैं, किसान पहले कर्ज लेते हैं फिर फसल उगाते हैं, कभी वर्षा नहीं होती तो कभी बाढ़ आ जाती है। अगर फसल अच्छी हो तो फसल की इतनी कीमत नहीं मिलती कि किसान का घर चल सके। इस तरह आनिश्चित मौसम, आनिश्चित बाज़ार और कर्ज का दबाव किसानों पर बहुत भार डाल रहा है जिसकी वजह से वे पूरी तरह थक चुके हैं, वही जीवन के दूसरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और कृषि से होने वाली आय छोटे किसानों के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। अतः किसानों की समस्याओं को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

कई बार हमारी फसल जल जाती है। मेरे राजस्थान के अंदर आज सांचोर और जालौन के अंदर ईशवगोल, घोड़ाजीरा सब खत्म हो गया। अगर उसको बचाना है तो जो खत्म हुआ है, वह डायरेक्ट बीमे से पैसा पूरा दिया जाए। उसको एक रूपया कर्जा चुकाना न पड़े, तब जाकर हमारा किसान बचेगा। इसीलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर हम सब मिलकर किसानों का दुख-दर्द दूर करना चाहते हैं तो यही काम करें कि किसान को बचाएं नहीं तो यह देश खत्म हो जाएगा।

कम वर्षा की वजह से काम नहीं रहा है अब इनके (किसानों के) खेत में ही काम नहीं है, तो ये लोग कहां से दाढ़ी बनवाने आएंगे, ये भी खाली बैठे हैं, दाढ़ी बनवाने के लिए पैसा नहीं है। अगर बनवाते हैं तो उधार करते हैं, हम भी चार-आठ दिन तक धकेलते हैं, सोचते हैं कि चलो आज नहीं तो कल कर देंगे।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मध्य प्रदेश में बेमौसम वर्षा और ओले की मार से पीड़ित एक किसान ने अपने दो बेटों टीसू और बैजू को एक गड़रिये के पास गिरवी रख दिया। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में जब सरकारी आधिकारियों को 13 वर्षीय टीसू और 11 वर्षीय बैजू को गिरवी रखे जाने की खबर लगी तो वे हैरान रह गए। तफ्तीश के बाद पता लगा कि तीन बच्चे और गिरवी हैं।

राजस्थान प्रदेश के जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में पिछले दो महीने से लगातार हुई मूसलाधार वर्षा के कारण नदियों एवं नालों के जल स्तर व तेज बहाव के कारण कई छोटे-मोटे बांध टूट गये। इस प्राकृतिक आपदा से स्थानीय लोगों के आवास (मकान) पानी में बह गये। कई पशुपालकों के दुधाय एवं पालतू पशु पानी के साथ चले गये। क्षेत्र में कई गांव-ढ़ाणियां एवं खेत जलमग्न हो गये तथा हज़ारों हैक्टेयर बरसाती फसल पूर्णतया नष्ट हो गयी हैं। व्यापारियों की दुकानों में पानी भर जाने से भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस प्रकार यह आतिवृष्टि नहीं बल्कि आतिवृष्टि से उत्पन्न बाढ़ है।

इस प्रकार प्राकृतिक प्रकोप से सरकार एवं स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के कारण जनहानि नहीं होने दी गयी। क्षेत्र में 31 जुलाई, 2015 तक औसतन 796 एम.एम. वर्षा दर्ज की गई। पूर्व में लगभग 70 वर्षों में इतनी भारी वर्षा नहीं हुई थी।

इस प्रकार क्षेत्र में नदियों एवं नालों के तेज बहाव के कारण क्षेत्र में किसानों की खातेदारी भूमि का कटाव हो गया, जो कृषि योग्य नहीं रही। अतः मनरेगा योजनान्तर्गत भूमि सुधार हेतु किसान सहित सभी वर्गों को शामिल करने की छूट दी जाये। ताकि पुनः भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाई जाये।

इसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहे जाने वाली एक मात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पूरी तरह से बर्बाद हो गया। माउंट आबू जाने वाली एक मात्र सड़क पूरी तरह टूट गयी। जिससे हज़ारों पर्यटक ऊपर फंस गये। मेरे क्षेत्र का एक बड़ा पर्यटक केंद्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहां एक ओर सड़क मार्ग गुलाबगंज से है, जो वन विभाग के कारण रूका है। उसे भी बनाया जाए ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी समस्या से निज़ात मिले और जान-माल का नुकसान भी न हो।

[अनुवाद]

श्रीमती के. मरागाथम (कांचीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हमारी प्रिय नेता माननीय तमिलनाडु की मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे इस महती सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं यह कहना चाहूंगी कि उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण अत्यधिक भारी वर्षा हुई और उसके बाद बाढ़ आई, जिसके परिणामस्वरूप पूरे कांचीपुरम जिले में जान-माल की भारी क्षति हुई तथा व्यापक पैमाने पर अशांति फैल गई। 13 नवम्बर, 2015 को 342 मि.मी. की अत्यधिक भारी वर्षा से कांचीपुरम शहर में बाढ़ आ गई। 16 नवम्बर, 2015 को जिला कांचीपुरम के कई तालुकों में 275 मि.मी. की भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा हुई। जिला कांचीपुरम और आसपास के इलाकों में हजारों स्थान जलमग्न हो गए। जिला कांचीपुरम के सभी तालुके सबसे अधिक प्रभावित हुए तथा 686 गांव बुरी तरह प्रभावित हुए। भारी वर्षा और बाढ़ से संबंधित घटनाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई है।

कांचीपुरम जिले के प्रमुख क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया था और चेम्बरमबक्कम तथा मदुरंतकम जैसे अधिकांश जलाशयों में सामान्य क्षमता से अधिक जल भर गया था। कुछ स्थानों पर जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। कई जगहों पर जलाशयों के टूटने या उनसे जल छोड़े जाने के कारण पानी का स्तर बढ़ता गया और फैलकर भारी नुकसान पहुंचाया। आपदा की तीव्रता इतनी अधिक थी कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सशस्त्र बलों की मदद तक लेनी पड़ी। वर्षा का कहर जारी रहने के कारण प्रभावित लोगों, जिनमें अधिकांश गरीब हैं, के पुनर्वास में काफी समय लगेगा। लगातार वर्षा और बाढ़ के चलते जनहानि हुई, झुग्गियों और मकानों को नुकसान पहुंचा, फसलें और आजीविकाएँ नष्ट हो गईं। इसके साथ ही, सड़कों, पुलों, जल निकासी और सीवेज लाइनों, सरकारी भवनों आदि सहित अधोसंरचना को भी व्यापक क्षति पहुँची।

अपराह्न 04.00 बजे

यद्यपि सभी एहतियाती उपाय किए गए थे, फिर भी कई दिनों तक बहुत भारी और अत्यंत भारी वर्षा

हुई, जिससे अवसंरचना को व्यापक नुकसान पहुंचा। जलाशय और लघु सिंचाई टैंक तथा तालाब जल्द ही भर गए और उनके अतिप्रवाह से समस्या और बढ़ गई।

माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के गतिशील और कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने राज्य में बाढ़ प्रभावित विभिन्न स्थानों का दौरा किया है।

मैं प्रार्थना और आशा करती हूं कि केंद्र सरकार हाल ही में आई बाढ़ के कारण राज्य में हुए नुकसान का आकलन करने के बाद इस संबंध में अधिक विचारशील होगी।।

माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में हुई जानमाल की हानि पर बहुत दुःख और पीड़ा व्यक्त की तथा तमिलनाडु में हुई तबाही और मौतों को देखकर दुखी हुए और तमिलनाडु की शक्ति में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री *अम्मा* से बात की थी और केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया था।

लगभग छह दिनों तक लगातार हुई वर्षा के कारण तालाबों और नहरों में दरारें आ गईं, तथा झीलों और नदियों में उफान के कारण हजारों लोग बेघर हो गए तथा जान-माल की हानि हुई। हाल ही में आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान चली गई। आपदा राहत कोष के मानदंडों के अनुसार मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

मैं यह दर्ज करना चाहती हूं कि यदि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा प्रदान किया गया नेतृत्व और उनके राज्य प्रशासन द्वारा समय पर की गई कार्रवाई नहीं होती, तो तमिलनाडु को अनगिनत दुख और अभूतपूर्व विनाश का सामना करना पड़ता। वर्षा के कारण हुई भारी परेशानी को देखते हुए सरकारी मशीनरी पूरी तरह सक्रिय है तथा मंत्री और पुलिस तथा अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं के अधिकारी सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* युद्धस्तर पर राहत कार्य करने के लिए प्रशासन का नेतृत्व कर रही हैं।

पुरात्ची थलाइवी अम्मा के मार्गदर्शन में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने और बिजली आपूर्ति की शीघ्र बहाली के लिए उपाय किए गए। बाढ़ के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, हजारों लोगों को मवेशियों और मुर्गियों की हानि के लिए भी राहत प्रदान की जाती है। इसके अलावा, झोपड़ियों और मकानों को हुए नुकसान के हजारों मामलों में राहत वितरित की जा रही है। हजारों बिजली के खंभे बदले गए और सभी राहत शिविरों में चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक और यूनिफॉर्म सेट उपलब्ध कराए गए। बाढ़ के दौरान जिन गरीब परिवारों के आजीविका के दस्तावेज नष्ट हो गए थे, उन्हें नए राशन कार्ड प्रदान किए गए हैं।

हाल ही में आई बाढ़ से कृषि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। तमिलनाडु में फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। यह आपदा इतनी गंभीर है कि इसे राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए तथा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अतिरिक्त राहत एवं पुनर्वास पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

वर्षा और उसके परिणामस्वरूप आने वाली बाढ़ का सामना करने के लिए नालों, सड़कों और भवनों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता है। अभी भी चेन्नई, तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिलों में लगातार भारी वर्षा हो रही है।

युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने के लिए सेना को दो उपनगरीय क्षेत्रों में तैनात किया गया है। सेना गैरिसन इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों को ताम्बरम और उरापक्कम में सेवा में लगाया गया है। चेम्बरमबक्कम जलाशय के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण अधिकारियों को अड्यार नदी में 20,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ना पड़ा।

मुख्यमंत्री *अम्मा* ने स्थिति की समीक्षा की और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए मंत्रियों को तैनात किया। भारी वर्षा और जलस्तर बढ़ने के कारण कांचीपुरम जिले में कई छोटी झीलें टूट गईं। *अम्मा* ने पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव, राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा बलों, तटरक्षक बल और अन्य अधिकारियों को जलाशयों से अतिरिक्त पानी छोड़ने से पहले एहतियाती कदम उठाने तथा निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटाने के निर्देश दिए थे।

तमिलनाडु में ताजा मूसलाधार वर्षा के बाद के प्रभावों से निपटने में अधिकारियों के संघर्ष के कारण रेलगाड़ियां विलंबित हो गईं और कुछ रद्द कर दी गईं। जिला, कांचीपुरम में कल 18 से.मी. से अधिक वर्षा हुई थी। चेम्बरमपक्कम झील के ओवरफ्लो होने और अभूतपूर्व 26,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आने से ताम्बरम और मुदिचूर के उपनगरीय इलाकों में स्थिति और खराब हो गई है। इन क्षेत्रों में पहले भी भारी वर्षा के कारण भारी नुकसान हुआ था।

अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा मानकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 8,480.93 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल जारी की जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में वर्षा से हो रही तबाही पर चर्चा करवाई। यह सदन उनके प्रति चिंतित है। केन्द्र ने भी इसे गंभीरता से लिया है। लगातार 25 दिनों से हो रही वर्षा से तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल और दूसरे क्षेत्रों में तबाही हो रही है। इससे पूरा देश चिंतित है और अवगत भी है। मैं जानता हूं कि बाढ़ की तबाही से काफी दुष्परिणाम होते हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के शहरों में पानी भर गया था और गांवों में भी पानी भर गया था। कई लोगों की मौतें भी हुईं। घर ढह गए थे, पशु मारे गए थे, कई पुल नष्ट हो गए थे, रोड, फसल, जमीन, पानी आदि काफी नुकसान हुआ था। टेलीफोन आदि कुछ नहीं चल रहा था। तीन मंजिला मकान डूब गए थे, कश्मीर घाटी पूरी झील बन चुकी थी। जम्मू कश्मीर सरकार बेबस नजर आ रही थी तो उस समय केन्द्र सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ, मैं इस देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने तुरंत कार्यवाही करते हुए केन्द्र से एक टीम जम्मू कश्मीर भेजी और पल-पल की खबर लेते हुए राहत कार्यों में तेजी लाई। उस समय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी स्वयं जम्मू कश्मीर गए, लोगों से मिले, उनकी बातें सुनीं, उनकी समस्याओं का समाधान किया और यहां तक कि दीपावली के दिन भी कश्मीर घाटी में उस दुख की घड़ी में लोगों के साथ रहे। उनका दुख-दर्द बांटा और तुरंत राहत पैकेज की घोषणा भी की। पहली बार ऐसा हुआ है कि बाढ़ पीड़ित लोगों के स्वयं के खाते में राहत राशि भेजी गई। इससे यह दिखता है कि केन्द्र सरकार और आदरणीय प्रधान मंत्री जी अपने स्वाभाव के अनुसार विपदा की घड़ी में सबके साथ रहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी तमिलनाडु और दूसरे क्षेत्रों में जो विपदा आई है, केन्द्र सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और आगे भी उनकी पूरी सहायता करेगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*प्रो. रिचर्ड हे (मनोनीत): मैं, एक साथी सांसद के रूप में, तमिलनाडु के उन सभी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करता हूँ जिन्हें भारी वर्षा और बाढ़ के कारण उत्पन्न भयानक और दुखद प्राकृतिक आपदा ने प्रभावित किया है।

प्रकृति का यह प्रकोप अत्यंत क्रूर है, जैसा कि मेरे पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में महसूस किया गया।

इस संकट की घड़ी में, हमें अचानक आई बाढ़ से उत्पन्न समस्या का समाधान मिलकर खोजना चाहिए।

क) सभी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में, जिनके विनाशकारी दुष्परिणाम होते हैं, आपदा, आकस्मिकता या संकट प्रबंधन तंत्र को तत्काल प्रभाव से सक्रिय होकर पेशेवर ढंग से अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

ख) ऐसे तंत्र को सबसे पहले जीवन की हानि और मकानों व भवनों के विनाश को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

ग) जिला प्रशासन को सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए लोगों की जान बचाने और युद्धस्तर पर राहत उपाय प्रदान करने के लिए ठोस और त्वरित रूप से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं को लागू करना चाहिए।

घ) जलमग्न सड़कों और रास्तों से मानव जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे प्रणाली मुख्य रूप से दोषपूर्ण योजना के कारण अपंग हो गई है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ङ) नालों में जलभराव और नालियों की ढाल (gradient) में खामी, नहर प्रणाली की कमी, निचले इलाकों में मकानों का निर्माण तथा बांधों का समय पर बंद न किया जाना — ये सभी समस्याएं स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती हैं। इन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

पुनर्वास कार्यक्रमों को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाना चाहिए जिससे पीड़ितों के साथ न्याय हो सके।

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): उपाध्यक्ष महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट होकर तमिलनाडु और अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों की सहायता करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास सभी वैज्ञानिक तरीके होने के बावजूद हम इस प्राकृतिक आपदा का प्रारंभिक चरण में पूर्वानुमान नहीं लगा सके।

इसलिए, यह हमारे राष्ट्र और केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य बन गया है कि हम सभी प्रकार की सहायता प्रदान करें। मैं तमिलनाडु के माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने नुकसान के संबंध में तथा अन्य समस्याओं के संबंध में बहुत विस्तृत विवरण दिया है तथा स्थिति से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया है। बेशक, हम आशा कर सकते हैं कि तमिलनाडु में बहुत कुशल प्रशासनिक व्यवस्था है। ताकि वे स्थिति से निपट सकें। लेकिन, साथ ही, प्राकृतिक आपदा के अपने दुष्प्रभाव भी होते हैं। इसलिए, हमें इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना होगा।

महोदय, खबर है कि लगभग 200 लोगों की जान चली गई है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। सामग्री और अन्य संपत्तियों की हानि भी अत्यधिक है। रिपोर्टों में बताया गया है कि हवाई अड्डे की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और दूरसंचार प्रणाली भी प्रभावहीन हो गई है। यह स्थिति तमिलनाडु के लिए वास्तव में एक गंभीर राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। केंद्र सरकार को चाहिए कि तमिलनाडु को हरसंभव सहायता प्रदान करे। विशेष रूप से इस आपदा के बाद के प्रभावों से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें पूरी गंभीरता के साथ सहायता दी जानी चाहिए।

आज ही यह देखा जा रहा है कि चेन्नई में अगले दो दिनों तक वर्षा जारी रहेगी। वहीं, खबर है कि तमिलनाडु में अगले सात दिनों तक वर्षा हो सकती है। इसका आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केन्द्र सरकार और संबंधित राज्यों को गंभीर कदम उठाने चाहिए।

तमिलनाडु को हर कीमत पर हर तरफ से हर तरह की सहायता की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्रीय मंत्री सहित एक केन्द्रीय दल जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए तमिलनाडु का दौरा करे। न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस बल्कि टेलीफोन संदेश भी निश्चित रूप से अच्छा है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने प्रारंभिक कदम उठाये हैं। लेकिन साथ ही, केन्द्रीय मंत्री के साथ एक केन्द्रीय दल को तमिलनाडु का दौरा करना चाहिए और चर्चा कर वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए। यह देश के लिए एक बड़ा सबक है जिसे हमें सीखना होगा। जब बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा आती है तो उससे न्यूनतम क्षति के साथ कैसे निपटा जा सकता है? जहां तक इस देश का संबंध है, अभी भी एक कमी है।

अपनी पार्टी की ओर से मैं पीड़ित लोगों के प्रति पूरे दिल से अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ तथा जिन लोगों की जान गई है उनके प्रति गहरा दुःख व्यक्त करता हूँ। मैं तमिलनाडु और अन्य राज्यों तथा केन्द्र सरकार को इस संबंध में कोई भी कदम उठाने के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

*श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : चेन्नई में जिस प्रकार की स्थिति बनी है, जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन तथा सड़कों पर पानी आ गया है। यह स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। ऐसे में हमारी सरकार ने बेहद तत्परता से विपरीत परिस्थितियों से लोगों को निकाल कर, जन जीवन सामान्य हो सके उसके लिये प्रयास प्रारंभ किया है तथा तमिलनाडु की सरकार ने भी बेहद तत्परता से प्रभावी कार्य किया है तथा केन्द्र सरकार ने भी पूरा समर्थन प्रदेश सरकार को दिया है जिससे लोगों का विश्वास व्यवस्था पर कायम है, यह संतोष जनक है।

परंतु ऐसे प्रदेश जहां पर परंपरागत बाढ़ आती रहती थी जैसे उ0प्र0 व बिहार आदि इनके अलावा व देश के अन्य हिस्सों में भी बाढ़ सहित अन्य आपदायें आ रही हैं, जिससे कृषि, व्यवसाय सहित आम जन जीवन भी प्रभावित हुआ है। यह निःसंदेह चिन्ताजनक है व ऐसी परिस्थितियों से निबटने के लिये एक प्रमाणित व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज पूरा देश तमिलनाडु सरकार के साथ खड़ा है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं तमिलनाडु के लोगों की वर्तमान स्थिति के बारे में एक गंभीर चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले 20 दिनों से भारी वर्षा हो रही है और 200 लोगों की जान जा चुकी है। इसी तरह आंध्र और ओडिशा के लोग भी पीड़ित हैं। सबसे अधिक प्रभावित राज्य तमिलनाडु है। माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा सभी सेवाओं को बहाल करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे प्रशंसनीय हैं। लेकिन, साथ ही, मैं सबसे पहले जानमाल के नुकसान को लेकर चिंतित हूं। मुझे लगता है कि मौसम विभाग यह पूर्वानुमान लगाने में सक्षम नहीं था कि वास्तव में क्या होने वाला है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मौसम विभाग को इसका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। यह असामयिक, अप्रत्याशित वर्षा थी। आंध्र में मेरे सहयोगी कह रहे थे कि उन क्षेत्रों में भी वर्षा हुई है जिन्हें सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता था। वहां कभी वर्षा नहीं हुई और वहां भारी वर्षा हुई।

दोपहर में जब मैं मध्याहन भोजन पर गया था, तो मुझे अपने एक सहकर्मी का फोन आया, जिसकी बेटी चेन्नई हवाई अड्डे पर फंसी हुई है। मुझे बताया गया कि उसे हवाई अड्डे से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। बाद में हवाईअड्डा अधिकारियों ने उन्हें हवाईअड्डे में रुकने की अनुमति दे दी। लेकिन, उन्होंने कहा कि बाहर तो परिस्थिति और भी खराब है। दोपहर में माननीय सदस्य हेमा मालिनी ने कहा कि उनका घर तीसरी मंजिल पर है और तीसरी मंजिल पर भी पानी है। मैंने तमिलनाडु की स्थिति का चित्रात्मक दृश्य देखा।

मैं अपने साथियों की मांग का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। वे 8,000 करोड़ रुपये की मांग कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार सक्रियता से आगे आए और उन्हें यथासंभव राहत प्रदान करे, ताकि तमिलनाडु के लोगों को राहत मिल सके। समितियों द्वारा अपनी प्रतिवेदन देने का इंतजार न करें।

इस स्थिति पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अब वैज्ञानिकों की एक समिति गठित की जाए। पूरी दुनिया में हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। यह जलवायु परिवर्तन का एक उदाहरण है। हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा। समिति को सुझाव लेकर आगे आना चाहिए और ऐसी स्थिति को

रोकने के लिए सरकार को सुझाव देना चाहिए। उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।

मैं तमिलनाडु के लोगों के समक्ष अपनी चिंता पूरी तरह से व्यक्त करता हूं। मैं केन्द्रीय सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर गौर करे और लोगों की यथासंभव मदद करे। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय इतिहास में 100 वर्षों से अधिक समय हो गया है जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कभी भी ऐसी बाढ़ की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के हमारे मित्रों ने मुझे बताया कि यह एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहां इस बार बाढ़ आई है। यह केवल जलवायु परिवर्तन के कारण है।

हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए पेरिस गए थे। उन्होंने पहल की कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा की ओर ध्यान देगा। मेरा मानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा से भी अधिक हमें इस बारे में बात करनी होगी कि जलवायु दिन-प्रतिदिन कैसे और क्यों बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें वृद्धि हुई है। हाल ही में विश्व बैंक ने सुझाव दिया है कि यदि भारत में तापमान में दो डिग्री की वृद्धि होती है तो कृषि उत्पादों का आयात लगभग 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के हमारे मित्र जानते हैं कि इस बाढ़ की स्थिति के कारण मूंगफली, गन्ना, सोया, आम, अमरूद, केला, चीकू, सीताफल आदि की भारी कमी हो जाएगी। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम कैसे लोगों तक भोजन की सुविधा पहुंचाएंगे। उन्होंने केन्द्र सरकार से धनराशि मांगी है। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे धनराशि के साथ-साथ एन.डी.आर.एफ. और सेना के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराएं।

अंत में, मैं बस इतना कहना चाहूंगा:

तमिल नट्टुक्कु नांगलुम अदारवु थेरिविक्केरेन

डॉ. ममताज संघमिता (बर्धमान दुर्गापुर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे कुछ मिनट देने के लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं।

सबसे पहले, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के हमारे *देशवासियों* के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ। माननीय सदस्यों ने बाढ़ की स्थिति और देश के विभिन्न हिस्सों में बार-बार आने वाली बाढ़ की स्थिति के बारे में अपनी बात रखी है, जिसमें मेरा राज्य पश्चिम बंगाल भी शामिल है। हम हर साल इससे प्रभावित होते हैं। इस वर्ष, जैसा कि सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल के 12 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे भारी मात्रा में आर्थिक, फसल, मानव और पशुधन की क्षति हुई है। अन्य राज्यों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। अब समय आ गया है, जैसा कि हम सभी ने कहा है, कि हम कुछ ठोस कदम उठाएँ। हम यह भली-भांति जानते हैं कि यह आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन जब भी आए, हमें उसका डटकर सामना करना होगा। कभी-कभी हम पूरी तरह सफल होते हैं, लेकिन कभी-कभी हम सभी को बचा पाने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते। आज भी हम राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाले राहत पर निर्भर हैं। लेकिन यह राहत हमारी ज़रूरतों को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाती। हमने केंद्र सरकार से 6000 करोड़ रुपये की मांग की थी, लेकिन अब तक हमें बहुत कम राशि ही प्राप्त हुई है।

वैसे भी सवाल यह नहीं है। अम्मा जी अब स्थिति से निपटने के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं। मैं हमारी महान नेता कुमारी ममता बनर्जी से ईर्ष्या करती हूं, जिन्होंने बाढ़ की स्थिति को बहुत ही समझदारी से और बिना किसी जन-जीवन, मवेशी और फसलों की हानि के संभाला है। वहां पर्याप्त भोजन और वस्त्र आपूर्ति, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय उपलब्ध था।

अब मेरा अनुरोध है, जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने भी कहा है, कि हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपट सकते हैं। हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक तो नहीं सकते लेकिन हम उनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हमें यह पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को शामिल करना चाहिए कि ऐसी आपदाएं क्यों हो रही हैं तथा हम प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं। मैं

केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करती हूँ कि वह बाढ़ के मौसम के दौरान बाढ़ आश्रय स्थलों तथा फसल आश्रय स्थलों का निर्माण करे, जिनकी तत्काल आवश्यकता है। ये कार्य केन्द्रीय सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। यह मेरा अनुरोध है कि सरकार को भी इन प्राकृतिक आपदाओं पर गंभीरता से शोध करना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ आमतौर पर बांधों का जलस्तर बढ़ने से और कभी-कभी भारी वर्षा के कारण आती है। इसलिए, हमें उन चीजों पर चर्चा करनी चाहिए। हमें देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने और इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारियों का एक अलग आयोग या निकाय बनाना चाहिए।

धन्यवाद।

*श्री पी.के. बीजू (अलथूर):** प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं और मैं इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आभारी हूं।

वर्तमान समय में हमारे देश में बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर आती रहती हैं। इससे न केवल कृषि और बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि गरीबों के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है।

हमारे यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं, जिसका नेतृत्व संबंधित मुख्यमंत्री करते हैं। लेकिन आपदा के बाद आपदा की केवल घोषणाएं ही की जा रही हैं। श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष चक्रवात प्रभावित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया गया।

मुआवज़ा और पुनर्वास, आपदा प्रबंधन की सबसे कमज़ोर कड़ी बन गए हैं। सूखे की स्थिति में मुआवज़ा मानसून के दौरान मिलता है और बाढ़ की स्थिति में आपदा के गुज़र जाने के बाद। फिर भी यह मुआवज़ा न तो पर्याप्त होता है और न ही वास्तविक नुकसान के अनुपात में होता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री राहत कोष और एनसीआर से जो मुआवज़ा दिया जाता है, वह प्रति हेक्टेयर आधारित होता है, जो एक अवैज्ञानिक पद्धति है। मुआवज़ा प्रति व्यक्ति फसल नुकसान के आधार पर तय किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मुआवज़ा केवल नुकसान के लिए दिया जाता है, लेकिन पुनः खेती के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती। आज की आवश्यकता यह है कि मुआवज़ा केवल फसल क्षति के लिए नहीं, बल्कि भूमि को फिर से कृषि के लिए तैयार करने के लिए भी प्रदान किया जाए। केरल में तो स्थिति और भी खराब है – वहाँ तो क्षतिग्रस्त फसलों के लिए भी मुआवज़ा नहीं बांटा गया है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

पीड़ितों के पुनर्वास का मुद्दा भी गंभीर चिंता का विषय है। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों, जैसे आपदा प्रबंधन, तथा खाद्य आपूर्ति के लिए नागरिक आपूर्ति जैसी एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव है। यद्यपि किसान क्रेडिट और फसल बीमा की व्यवस्था है, फिर भी जवाबदेही बहुत कम है। आपदाओं से निपटने के कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में नौकरशाही की उदासीनता एक बड़ी बाधा है। आपदा पर्यटन नौकरशाहों के लिए फैशन बन गया है।

लगातार आपदाओं की घटना के बावजूद, जापान और अमेरिका जैसे विकसित देश अग्रणी आर्थिक शक्तियाँ हैं। यह दर्शाता है कि, आपदा नहीं बल्कि दृष्टिकोण और प्रबंधन ही बाधा हैं। हमें अपनी प्रणालियों में सुधार के लिए इन देशों से प्रेरणा लेनी होगी।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इन मामलों पर अत्यंत गंभीरता से विचार करे। जवाबदेही, पारदर्शिता और समय पर क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना ही एकमात्र उपाय है। अन्यथा देश को विनाशकारी भविष्य का सामना करना पड़ेगा।

***डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर):** चर्चा के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वार्षिक उत्तर-पूर्वी मानसून के दौरान हाल ही में हुई भारी वर्षा के परिणामस्वरूप दक्षिण भारतीय राज्यों अर्थात् तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी में भयंकर बाढ़ आई है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल की हानि हुई है। नवम्बर माह के दौरान चेन्नई में अब तक की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। इस प्राकृतिक आपदा के कारण उपरोक्त राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश में लगभग 200 लोगों की जान चली गई और 18 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस आपदा ने ₹20,000 करोड़ से अधिक की क्षति और नुकसान पहुँचाया है। इस संबंध में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने आपदा से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए राहत उपाय किए हैं। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा संस्वीकृत राशि, विकट स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती। इसलिए, मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाएं, जिससे उक्त राज्यों में बढ़ रही समस्या का उचित समाधान किया जा सके।

धन्यवाद।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री सी.आर. चौधरी (नागौर):** मैं आपके निर्णय का स्वागत करता हूं, जिसके तहत नियम 193 के अधीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे - "तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बाढ़ से हुई तबाही" पर चर्चा की अनुमति दी गई।

इस समय मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति में असंतुलन का परिणाम हैं।

हर साल भारत के पूर्वी तट पर सर्दियों में उत्तर-पूर्वी मानसून के द्वारा से वर्षा होती है। दुर्भाग्यवश बंगाल की खाड़ी में मौसमी गड़बड़ी के कारण उत्तर भारत में प्रत्येक मानसून पूर्वी तट पर मूसलाधार वर्षा के साथ आता है। पिछले सौ वर्षों में चेन्नई में थोड़े समय में सबसे अधिक वर्षा हुई। यह बहुत विनाशकारी वर्षा थी और इसके कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में बहुत अधिक संपत्ति और जान माल का नुकसान हुआ।

तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा समय पर राहत और बचाव के उपाय किए गए, हमारी केन्द्र सरकार तो कहीं अधिक चिंतित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक क्षति का आकलन करने के लिए केन्द्रीय अंतर-लिपिकवर्गीय दल भेजा गया। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए एन.डी.आर.एफ. से तुरंत मंजूरी प्रदान करेगी।

इस समय, मैं अप्रैल, 2015 में एन.डी.आर.एफ. के प्रावधानों और नियमों के संशोधनार्थ के लिए हमारी सरकार का स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूँ। संशोधित प्रावधानों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितो को उचित वित्तीय सहायता मिलती है।

ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की अग्रिम और शीघ्र सूचना देने के लिए नवीनतम उपकरणों और डाटा केंद्रों को अद्यतन करने और स्थापित करने की आवश्यकता है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

दूसरा, राज्य सरकार को यह देखना चाहिए कि नालों, नदी तलों और नहरों पर से अतिक्रमण हटाया जाए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के अतिक्रमण न हों।

अंत में मैं समस्त मानव समुदाय से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जब तक आवश्यक न हो, प्राकृतिक व्यवस्था और प्रकृति से बार-बार छेड़छाड़ न करें। मैं देश के सभी लोगों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं।

*श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): तमिलनाडु में भारी वर्षा हुई है जिससे लोगों का जीवन दूभर हो गया है। तमिलनाडु को बार-बार इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब भी राज्य में पानी भरा हुआ है।

इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करके उसकी सहायता करे।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

*श्री रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार) : यह अत्यंत दुःखद है कि देश में भीषण वर्षा व सूखे से तमिलनाडु और दक्षिणी भारत के अन्य भागों में 200 से अधिक नागरिक अपनी जान गंवा बैठे हैं। देश के दक्षिण भाग में आयी इस प्रलयकारी बाढ़ और सूखे की पीड़ा को मैं भली-भांति समझ और महसूस कर सकता हूं क्योंकि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां नियमित रूप से भीषण प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। अभी दो साल पहले ही केदारनाथ आपदा के रूप में हमने दस हज़ार लोगों की मौत का वीभत्स दृश्य देखा हैं। मैंने स्वयं इस भयावह त्रासदी को अपनी आंखों से देखा है तथा 22 कि.मी. पैदल चलकर मैंने ही सर्वप्रथम आपदा की गंभीरता के विषय में तत्कालीन प्रधानमंत्री को फोन पर सूचना दी। इस आपदा से हमारे सामाजिक, आर्थिक जीवन की मानों कमर ही टूट गयी हो। केवल पर्यटन के क्षेत्र में इस छोटे से नवोदित राज्य को 12 हज़ार करोड़ की क्षति झेलनी पड़ी।

जब हम देश में विभिन्न प्राकृतिक कारणों से आपदाओं पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि पूरा देश आपदा से जूझता महसूस होता है। आपदाओं की निरंतरता पर दृष्टिपात करने से यह ज्ञात होता है कि समूचा हिमालय क्षेत्र आपदा के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। सभी हिमालयीय राज्य नियमित रूप से आपदाएं झेलते हैं।

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27 आपदा के खतरों से जूझते हैं।
- देश का 58.6 प्रतिशत हिस्सा भूकंप के खतरों से ग्रस्त है।
- 7516 समुद्रीय तट में से 5700 में समुद्र तूफान और सुनामी का खतरा है।
- 68 प्रतिशत भू-भाग पर सूखे की चपेट का खतरा बना रहता है।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

- मेरा मानना है कि उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू-कश्मीर तो 100 तिशत ही आपदा के खतरों को झेल रहे हैं।

- जलवायु परिवर्तन इन सबका मुख्य कारण है और हिमालय इससे प्रभावित होने वाला देश का सामरिक रूप से मुख्य भू-भाग है। प्रयत्न किया जाना चाहिए कि हिमालय से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के प्रयासों की शुरूआत की जाये।

आज देश के विभिन्न भागों में आई हुई बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने हेतु हमें युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर प्रभावितों के जान-माल की रक्षा को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है वहीं इस प्रकार की घटनाओं से होन वाली व्यापक क्षति को कम करने के लिए अल्पकालिक, दीर्घकालिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम सभी प्रभावित परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मौसम विभाग ने तमिलनाडु और समीपवर्ती क्षेत्रों में भीषण वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। ऐसी स्थिति में वहां पर भयंकर वर्षा के कारण जलभराव और जर्जर पुराने भवनो के ढहने की प्रबल संभावना है। मेरा आग्रह है कि केंद्र और राज्य सरकार परस्पर समंवय स्थापित करते हुए सेना, अर्द्धसैनिक बल, स्वयंसेवी संगठनों और अन्य सहायता एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती सुनिश्चित करे। बाढ़ या सूखा हो, इसका असर व्यापक होता है। जान-माल की हानि के आतिरित्त आर्थिक क्षति, संसाधनों की हानि तो होती है पर इसके साथ इसका गंभीर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है।

बाढ़ और सूखे का सामना करने का सरल दर्शन, सुसंगत प्रबंधन तंत्र तभी औचित्यपूर्ण हो सकता है, जब इसमें सरकार एवं जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।

मेरा मानना है कि क्लाइमेट चेंज अर्थात् मौसम परिवर्तन के कारण हम देश में सूखा, व्यापक वर्षा, बाढ़ और कई प्राकृतिक विपदाओं से जूझ रहे हैं। यह चिंतनीय विषय है कि

- वर्ष 2000 से 2010 के बीच विश्व ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 60 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई।
- वर्ष 1990-2010 तक भारत का कार्बन उत्सर्जन 0.8 से 1.7 मीट्रिक टन हो गया।
- भारत ने वचनबद्धता की है कि प्रति व्यक्ति उत्सर्जन किसी भी हालत में विकसित देशों से ज्यादा नहीं होगा।
- जलवायु परिवर्तन का खतरा एक गंभीर वैश्विक चिंता है। वैज्ञानिक इस बात पर एकमत है कि जलवायु परिवर्तन असंदिग्ध है।

मैं इस विषय पर सरकार को कुछ प्रभावी अनुकूलन कार्यनीतियों का सुझाव देना चाहता हूं-

1. आपदा प्रबंधन, कृषकों को बीमा सहायता,

2. कृषि भूमि उपयोग, प्रबंधन में परिवर्तन, संसाधन संरक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास,

3. वन संबंधी योजनाओं और कार्यक्रम का विकास,

4. जल उपयोग का मापन, जल उपयोग प्रबंधन में नीतिगत सुधार आदि।

देश के रूप में भारत वर्षा, सूखे, भूकंप, चक्रवात जैसी विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। जागरूकता का अभाव इस क्षेत्र में रह रहे लोगों की आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। आपदाओं से लगातार हो रही संसाधनों की क्षति देश की गरीबी का मुख्य कारण है। ऐसे में कुशल प्रबंधन का एक ही उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं, समुदायों को मिलकर काम करना होता है परंतु दुर्भाग्य से हम विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में सर्वथा असफल रहते हैं।

यह आवश्यक है कि पूर्व चेतावनी तंत्र से संबंधित विभिन्न भागों व पक्षों का आंकलन करते हुए हम निश्चित समय-सीमा पर क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लेते हुए पूरी तैयारी करें। दुर्भाग्य से देश में आई आपदाओं के

दौरान हमारा पूर्व चेतावनी तंत्र पूरी तरह विफल रहा है। चाहे वह उत्तरकाशी, चमोली का भूकंप रहा हो या केदारनाथ की भयावह त्रासदी हो या कश्मीर में आई बाढ़ या फिर तमिलनाडु में आई हुई प्रलयकारी बाढ़। हमें अपने पूर्व चेतावनी तंत्र को चुस्त-दुरूस्त करने की आवश्यकता है। इसके आतिरिक्त, आपदा से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों में व्यापक समन्वय का अभाव देखने को मिलता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार पूरे आपदा संभावित विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी नेटवर्क की स्थापना करे जिसके तहत डॉप्लर रडार, लाइटिनिंग सेंसर, रेनफॉल मॉनिटरिंग सेंसर, सीस्मो मीटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके आतिरिक्त केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई में रियल टाइम एनालसिस (विश्लेषण) कर प्रभावी रणनीति बनाकर निश्चित समय सीमा में क्रियांवित की जाए। आपदा रोकथाम कार्यक्रमों व उपायों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी क्षमता एवं विशेषज्ञता युक्त सरकारी विभाग, गैर-सरकारी संगठन, पुलिस, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में पूरा समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं प्रदेश अंतरिक्ष उपयोग केंद्रों का समन्वय स्थापित कर आपदा पूर्व चेतावनी तंत्र के विकास के लिए समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। [अनुवाद] यह भी आवश्यक है कि चेतावनी की परिशुद्धता (चेतावनी की सटीकता)चेतावनी प्रसारित होने एवं घटना आरंभ होने के संभावित समय के मध्य का अंतराल आपदा घटित होने से पहले तैयारी व नियोजन का पूरा तंत्र मुस्तैदी के साथ आपदा का मुकाबला करे।

बाढ़, वर्षा और अन्य प्रकार की आपदा का सामना करने हेतु मेरे निम्नलिखित सुझाव हैं-

1. संस्थागत व्यवस्था, 2. नियोजन, 3. संसाधनों का समुचित उपयोग- समन्वय का अभाव, 4. प्रशिक्षण/ क्षमता विकास, तथा 5. शोध एवं विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता।

मैं सरकार का ध्यान संस्थागत व्यवस्थापन नियोजन की कमियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। केदारनाथ में भी हमने देखा कि सभी नदियों के तटों पर नियमों की धज्जियों उड़ाते हुए घर, होटल, लॉज एवं विभिन्न अवस्थापनाओं का विकास किया गया था। हमारे देश में दुर्भाग्य से चेतावनी व्यवस्था एवं चेतावनी

प्रसारण के लिए व्यवस्थित एवं पद्धति बद्ध प्रक्रिया का नितांत अभाव है। केदारनाथ क्षेत्र की आपदा हो या कश्मीर की भीषण बाढ़, हर कहीं हमारी चेतावनी व्यवस्था सर्वथा विफल रही है या तो चेतावनी तंत्र था ही नहीं, यदि था भी तो उसने कारगर काम नहीं किया और यदि किया भी तो हम संबंधित एजेंसियों तक अपना संदेश पहुंचाने में विफल रहे। आज यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि हम अपनी चेतावनी व्यवस्था को सुदृढ़, सशक्त, नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैसे करें नहीं तो आपदाएं यों ही आएंगी और हज़ारों-लाखों मासूम इन आपदाओं की बलि चढ़ते रहेंगे। यह भी आवश्यक है कि चेतावनी हम सभी तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा सके।

पूरे देश में किसी भी निर्माण कार्य हेतु हमें सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी निष्ठा से पालन करना चाहिए। कई बार देखने में आया है कि नियम और कानून तो बना दिए जाते हैं परंतु उनका क्रियांवयन न होने से हमें आपदा दुर्घटनाओं के रूप में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। केंद्र व राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, निर्माण एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठन और हमारे शिक्षा संस्थान इस बात को सुनिश्चित करें कि पूरे देश के लिए समुचित मानकों की व्यवस्था की गयी है।

सरकार की सभी एजेंसियों में सहयोग/समन्वय का अभाव देखने को मिलता है। [अनुवाद] जहां पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए वहीं यह देखने को मिलता है कि इन संस्थाओं के बीच संवाद तक नहीं हो रहा है।

देश में प्रशिक्षित मानव संसाधन क्षमता विकास के मौकों की काफी कमी है। चाहे कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या नेपाल भी रहा हो, कुशल आपदा प्रबंधन कर्मियों की अत्यधिक कमी देखनी पड़ती है। आज देश जहां कौशल विकास में, क्षमता विकास में अपनी पूरी शक्ति लगा रहा है वहीं हमें देखना होगा कि आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की उपेक्षा न हो।

देश की समस्त शोध एजेंसियों एवं विश्वविद्यालयों को आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर शोध और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। आपदा से निपटने हेतु देश की सभी शोध संस्थाओं को प्राथमिकता के

आधार पर समुचित संसाधन मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है। देश-विदेश के सभी संस्थानों में बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सफल हस्तांतरण का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

*श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग):** बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना उच्च तीव्रता का गहरा दबाव 10 नवंबर को मरक्कनम के पास तमिलनाडु तट से टकराया, जिसके कारण भारी वर्षा हुई और जान-माल का नुकसान हुआ। मेरी प्रार्थना और गहरी चिंता उनके साथ है।

अत्यधिक वर्षा, समुद्री ज्वार और झारखंड एवं ओडिशा से छोड़े गए पानी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों के 12 जिले प्रभावित हुए हैं। 1.8 लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 2.10 लाख हेक्टेयर से अधिक फसलें नष्ट हो चुकी हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य की अपनी संसाधनों से बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की है। दक्षिण बंगाल के कई जिलों – हावड़ा, हुगली, बर्दवान, बांकुड़ा, दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर – में भारी वर्षा के कारण खेत, शहर, गांव, सड़कें, पुल आदि जलमग्न हो गए हैं। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र हुगली का अरामबाग इलाका भी जलमग्न रहा है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि मेरे क्षेत्र की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान हेतु 'घाटल मास्टर प्लान' को शीघ्र मंजूरी दी जाए। यह एक लंबित परियोजना है जो लंबे समय से केंद्र की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। मौसम विभाग ने 143.2 मिमी वर्षा दर्ज की है। दर्गापुर बैराज से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की योजना थी, किंतु बिना पूर्व सूचना के 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। कंशाहाटी और दामोदर जैसी नदियाँ और जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं। दामोदर बंगाल का शोक बन चुका है। दामोदर घाटी निगम द्वारा अधिक जल छोड़े जाने के कारण राज्य में बाढ़ की स्थिति और भी विकराल हो गई। दो वर्ष पूर्व, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर डीवीसी के जलाशयों की ड्रेजिंग की मांग की थी ताकि वे दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी रोक सकें। इस बार मानसून भी सक्रिय था और उसके साथ गहरे दबाव के कारण गंगा के मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा हुई। हमारी सरकार ने किसानों और प्रभावित परिवारों को ₹2,00,000 की क्षतिपूर्ति प्रदान की है। यह

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सब जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। अतः मैं इस सदन के माध्यम से सभी से अपील करती हूँ कि हम सब मिलकर ऐसे संकटों से निपटने के लिए एकजुट हों और इसके स्थायी समाधान हेतु कार्य करें।

*__श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा (तुमकुर)__: तमिलनाडु पिछले कुछ दिनों से गंभीर बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा है, जिससे तमिलनाडु और विशेषकर चेन्नई तथा अन्य भागों के लोगों का जीवन दयनीय हो गया है। तमिलनाडु को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है। लोगों को जान-माल की हानि के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि राज्य सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है, फिर भी केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह राज्य की मदद के लिए आगे आए।

इसलिए मैं भारत सरकार से तमिलनाडु राज्य को भारी वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करता हूँ।

[हिन्दी]

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*__कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):__ वर्तमान में आतिवृष्टि से चेन्नई (तमिलनाडु) एवं समुद्री सीमा के अन्य नजदीकी क्षेत्र में आतिवृष्टि के कारण से भारी तबाही की स्थिति है, जो बड़ी भयावह हा। प्रायः प्रत्येक वर्ष असम आधे से अधिक जलमग्न हो जाता हा। रेलमार्ग, सड़क मार्ग एवं कभी कभी वायुमार्ग भी प्रभावित रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय असम की सरकार के आधिकारी काफी संख्या में प्रत्येक वर्ष असम में आने वाली बाढ़ की उत्सव के रूप में प्रतीक्षा करते हैं यह बहुत ही दुःखद बात है। बाढ़ राहत कार्यक्रम में पब्लिक को अस्थाई आवास व्यवस्था के लिए असम सरकार जो सामग्री उपलब्ध करवाती है वह इतनी खराब स्थिति में होती है कि टेन्ट से वर्षा का पानी भी अन्दर जाता है। यह बात मैं इसलिए उद्धृत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने स्वयं देखा है। एक बार अपने क्षेत्र में निर्धन वर्ग को टेन्ट/तिरपाल बाँटने के लिए मैं कानपुर तिरपाल मार्केट गया। वहां पर मुझे थोक विक्रेता ने स्वयं कहा कि मैं व्यापारी हूं लंकिन असम सरकार गरीबों व बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सामग्री मुझसे क्रय करती है उसमें एक दिन वर्षा से बचाव करना नामुमकिन है । मुझे देने में शर्म आती है लेकिन भ्रष्टाचार करने वालों को ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा । जो बाढ़ पीड़ित के लिए संवेदनहीन है, वह एक दिन निश्चित ही वह भ्रष्टाचारी स्वयं भी दुःख के सागर में तिरोहित होगा।

हमारे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, कई छोटी-छोटी एवं कुछ बड़ी निदियां है । पिछले दशक में प्रायः सूखे की मार झेल रहा है । किसान बेहाल है, लाचार है, लाख प्रयास करने के बाद भारी कीमत चुकाकर फसल पैदा करता है । हमारे क्षेत्र में किसानों को आत्महत्या के नाम से बदनामी का सामना करना पड़ रहा है जो बड़ा दुःखद है । वहीं दूसरी तरफ कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ से तबाही होती है । मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि बुंदेलखण्ड की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए बाढ़ एवं सूखे से बचने का सबसे आदर्श कार्य बुंदेलखण्ड की नदियों को आपस में जोड़ने का ही है। कृपया बाढ़ का पानी सूखी नदियों व सूखे बाँधों में डालकर शीघ्रातीशीघ्र बुंदेलखण्ड को बाढ़ व सूखे की तबाही से बचाया जाये ।

[अनुवाद]

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर पूरे देश में बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी गहरी एकजुटता प्रकट करने के लिए खड़ा हूँ, विशेष रूप से तमिलनाडु के लोगों के प्रति, जो इस समय बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं।

माननीय महताब जी ने आज सुबह इस सदन में बाढ़ की भयावह स्थिति का विस्तृत वर्णन किया था। मैं स्वयं रेलवे अभिसमय समिति भी हिस्सा हूं। मैं दो सप्ताह पहले चेन्नई में था। उस समय भी चेन्नई बहुत खराब बाढ़ की स्थिति का सामना कर रहा था।

आज की स्थिति यह है कि चेन्नई की सड़कों पर पानी बह रहा है और कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। इस संकट की घड़ी में, यद्यपि माननीय शहरी विकास मंत्री इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, हमें हमारे शहरों की योजना पर दोबारा गंभीरता से विचार करना चाहिए। जब भी भारी बारिश होती है, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। यह स्थिति चिंताजनक है। तमिलनाडु वर्तमान में भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। चेन्नई शहर में पिछले चार से पाँच दिनों से लगातार भारी वर्षा हो रही है, जिससे स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि चेन्नई में बड़ी संख्या में *मलयाली* लोग रहते हैं। अभी तक सात से आठ ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। चेन्नई हवाई अड्डा भी बंद कर दिया गया है। सैकड़ों लोग वहां बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि तमिलनाडु सरकार को इस गंभीर बाढ़ संकट से निपटने हेतु अधिकतम वित्तीय सहायता तत्काल प्रदान की जाए। मैं यह भी अनुरोध करता हूँ कि केंद्र सरकार की ओर से एक मंत्रियों का दल तत्काल चेन्नई भेजा जाए, जो वहां की स्थितियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करे कि राहत और पुनर्वास के उचित प्रबंध किए जा रहे हैं और जिन धनराशियों की माँग की गई है, उन्हें शीघ्र स्वीकृत किया जाए।

मैं तमिलनाडु सरकार द्वारा अब तक किए गए राहत प्रयासों की सराहना करता हूँ और केरल की जनता तथा कांग्रेस पार्टी की ओर से तमिलनाडु के बाढ़ पीड़ित लोगों को पूर्ण समर्थन और सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

***श्री संजय धोत्रे (अकोला) :** हमारा देश बाढ़ और सूखे के कारण बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है। इस स्थिति के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा किसान है। किसान जिसकी हालत पहले ही बहुत गंभीर है वह इस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकता।

महाराष्ट्र वा 'विदर्भ' और मराठवाड़ा क्षेत्र तो और भी ज्यादा प्रभावित है। पिछले तीन वर्ष से कभी आतिवृष्टि कभी सूखा, कभी असमय वर्षा , तथा कभी आंधी तूफान जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 20 सालों में जितने संकट नहीं आये उतने संकट गत 3 वर्षों में आये है। विदर्भ और मराठवाड़े में 10 प्रतिशत सिचाई की व्यवस्था है। वहां ज्यादातर वर्षा आधारित खेती होती है।

यहां का किसान पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है। सरकार ने गत वर्ष लोन को रिशेड्यूलिंग किया। 2 साल का कर्जा किसान के उपर है। इस वर्ष गुजारे के लिए खेती के लिए उसके पास पैसा नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से 4500 करोड़ रूपये मदद मांगी थी। केन्द्र सरकार ने 1500 करोड़ रूपये दिये, उसके लिए धन्यवाद।

चार महीने पहले जब 4500 करोड़ मदद मांगी उस समय के बाद स्थिति और गंभीर हुई। किसानों की आत्महत्यायें बढ़ गई। रोज विदर्भ में औसतन 4 आत्महत्या हो रही है। पिछले सप्ताह में मेरे अकोला जिले के दघम गांव में 14 साल के बच्चे के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नही थे इसलिए आत्महत्या की। उसके पिता किसान है।

विदर्भ में किसानों के लिए आपातकाल जैसी स्थिति है। एक तरफ कुदरत की मार, के कारण उत्पादन 3 साल में 20%-50% ही हो रहा। लागत का पैसा भी नहीं निकलता जो फसल पैदा होती। उसके उचित दाम नहीं मिलते।

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं सरकार से मांग करता हूं इस गंभीर भयावह स्थिति से बाहर निकालने के लिए तुरंत कदम उठाये जाएं। किसानों की उचित मदद की जाए। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार को 6000 करोड़ रूपये की मदद की जाए।

केंद्र सरकार निश्चित रूप से राज्य सरकार को आर्थिक मदद करेगा लेकिन यह एक टेम्पोरेरी सौलूशन है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए हमें इसका स्थायी समाधान खोजना होगा। इसके लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

1. सरकार द्वारा कृषि के लिए जितनी भी योजनायें हैं उनकी कड़ी समीक्षा की जाए। उन्हें सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
2. फर्टीलाइजर और अन्य सब्सिडी का डाइरेक्ट एकाउंट के ट्रांसफर हो।
3. क्रॉप इंसुरेंस में सरलता लाई जाए और सभी फसल इसमें शामिल हों
4. जहां भी जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते है वैसे क्षेत्र में सरकार द्वारा फेंसिंग की व्यवस्था हो।
5. सबसे महत्वपूर्ण, लागत मूल्य को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पाद का उचित दाम मिले।

मुझे पूरा विश्वास है है कि सरकार पूरी गंभीरता से उचित कदम उठायेगी। जिससे हमारे किसान, मजदूर गांव और सारे देश में खुशहाली आयेगी यही हमारी अपेक्षा है।

[अनुवाद]

श्री एम. चन्द्राकाशी (चिदम्बरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान वर्षा एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य करने के लिए तमिलनाडु को पर्याप्त मात्रा में केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

तमिलनाडु में हाल ही में हुई वर्षा और बाढ़ ने राज्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र चिदम्बरम के एक बड़े हिस्से तथा तमिलनाडु राज्य के कुछ आंतरिक भागों सहित अधिकांश तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ। मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में, पारंगीपेट्टई में कल 159 मि.मी. की सर्वाधिक वर्षा हुई है।

अब तक 170 से अधिक मनुष्य और 2000 से अधिक मवेशी मारे गए हैं। एक लाख से अधिक घर और 90,000 हेक्टेयर फसलें भी क्षतिग्रस्त हो गई है। जल आपूर्ति, सड़क, पुल, बिजली आपूर्ति आदि जैसी अवसंरचना तथा अन्य निजी संपत्तियों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा के कुशल मार्गदर्शन में तमिलनाडु राज्य प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तथापि हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। राज्य ने 8,481 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है तथा 2,000 करोड़ रुपये की तत्काल आवश्यकता मांगी है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि तमिलनाडु में हाल की वर्षा और बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों को राहत और पुनर्वास गतिविधियों को पूरी तरह से चलाने के लिए तमिलनाडु को पर्याप्त केंद्रीय सहायता समय पर जारी करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

डॉ. पोन्नुसामी वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदया और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में व्याप्त अभूतपूर्व बाढ़ की स्थिति पर तत्काल और बिना किसी पूर्व सूचना के चर्चा की अनुमति दी है, तथा तमिलनाडु, विशेष रूप से चेन्नई और मेरे निर्वाचन क्षेत्र तिरुवल्लूर सहित तीन अन्य तटीय जिलों में भारी वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सदन के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को अलग रखा है।

मैं चेन्नई और पूरे तमिलनाडु के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष रूप से माननीय सदस्य श्री भर्तृहरि महताब को, जिन्होंने वास्तविक स्थिति बताई, क्योंकि वे शहर में भारी वर्षा के दौरान मौके पर मौजूद थे।

महोदय, हमारी पार्टी ए.आई.डी.एम.के. के माननीय सदस्यों ने भारी वर्षा से हुई भारी तबाही के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा तमिलनाडु के प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और पुनर्वास के संबंध में उठाए जा रहे प्रभावी कदमों के बारे में भी बताया।

सदन में सभी वर्गों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि पूरा देश, अर्थात भारत, इस संकट की घड़ी में तमिलनाडु के साथ खड़ा है; और मैं इस सद्भावना के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। इस वर्षा ने पूरे तमिलनाडु को प्रभावित किया है। वहां के लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे राष्ट्रीय आपदा या राष्ट्रीय विपत्ति मानकर इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तमिलनाडु में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों के लिए तमिलनाडु को विशेष वित्तीय पैकेज की घोषणा करे तथा तमिलनाडु सरकार को

तत्काल पर्याप्त धनराशि जारी करने का आदेश दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

****श्री पी. पी. चौधरी (पाली) :** भारत देश कृषि प्रधान देश है, हमारे देश में 60 प्रतिशत से ज्यादा खेती मानसून पर निर्भर रहती है। यह सवरविदित है कि मानसून 5 वर्षों में लगभग 2 बार ही ठीक रहता है, जिसका किसान पूरा-पूरा लाभ ले पाता है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, जिन पर हमारी सरकार अन्य देशों की सरकारों के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारे किसान इससे होने वाली परेशानियों से जागरूक नहीं है, लेकिन प्रतिवर्ष इससे होने वाले नुकसान को आंकड़ों में देखा जा सकता है।

किसानों को खेतों में अत्यधिक उर्वरक प्रयोग पर रोक लगाना चाहिए एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके जलवायु में सुधार किया जा सकता है।

वर्षा का जल संचय करने में भी हमारा देश काफी पीछे है, हमारे देश में वर्षा के जल का 6 प्रतिशत हिस्सा ही काम में लिया जाता है बाकी 94 प्रतिशत पानी बहकर समुद्र में मिल जाता है। यदि इस 94 प्रतिशत पानी का बांधों के माध्यम से संचय किया जाए तो इसके माध्यम से 25 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी, 24,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा तथा 10 मि.ली. हैक्टेयर क्षेत्र के ग्राउंड वाटर में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी। इसके साथ-साथ देश खाद्यान्न, फल, सब्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि बड़ा निर्यातक देश भी हो सकता है और हम बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी आर्जित कर सकते हैं। देश के किसान को खेती व युवाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होने लगेंगे तो देश को फूड सिक्योरिटी व मनरेगा जैसी योजनाएं चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जिसके माध्यम से लाखों-करोड़ों रूपए बचा कर

---

* भाषण सभा पटल पर रखा गया।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है, ताकि देश में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, आदि के क्षेत्र में भरपूर विकास किया जा सकेगा।

नदियों को जोड़ना सूखा व बाढ़ की समस्या का ही हल नहीं बल्कि इसके माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार उपलब्ध करवाने के साधन भी उपलब्ध होंगे, कृषि हेतु सिंचाई के लिए भी उपयुक्त मात्रा में जल उपलब्ध करवाकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। कृषि में विकास होने पर जी.डी.पी. में कृषि का योगदान बढ़ेगा और देश तेजी से विकास के मार्ग की ओर बढ़ेगा।

दुग्ध उत्पादक संघ के विशेषज्ञों ने उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान का पूरा सर्वेक्षण करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि प्राकृतिक वनस्पति जिसमें घास एवं पारंपरिक खेती के साथ पशुपालक कृषकों का उत्थान होगा और इससे रोज़गार के नये स्रोत खुलेंगे, जिससे आम नागरिक को फायदा होगा। उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान का जीवन आधार पशुपालन एवं पारंपरिक खेती के साथ घास उत्पादन किया जाना था। स्वतंत्रता के पश्चात् नई तकनीकी अपना कर सेवण घास, भूरट डचाभ गडिया, पाला इत्यादि को पूर्णतया नष्ट कर दिया गया है और पारंपरिक खेती नाम मात्र की रह गयी है, जो बरानी बरसात होने पर की जाती है। इस क्षेत्र के किसानों का पशुओं के लिए उत्तम घास सेवण, भूरट, पाला, डचाभ इत्यादि उगाकर पशुपालन करने से किसान को अधिक लाभ होगा इसके साथ पारंपरिक खेती करने से अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज पैदा होगा।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना व अन्य नहर परियोजनाओं से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सेवण घास उगाकर पशुपालन किये जाने पर प्रति मुरबे की आय में 10 गुणा तक बढ़ोत्तरी होना निश्चित है। मूंगफली, गेहूं, नरमा उगाने के अनुपात में सेवण घास उगाने पर खार्च आधे से भी कम होगा एवं पच्चीस बीघे में तीस गाय एवं 100 भेड़ बकरियों का चारा उत्पादित होगा। इसके साथ ही पारंपरिक खेती का लाभ भी वर्तमान खेती से कम नहीं होगा और तीस गायों का दुग्ध रोज 300 ली. उत्पादित होगा जिसका मूल्य 4500 रूपए प्रतिदिन होगा साथ ही 450 किलों गोबर प्रतिदिन प्राप्त होगा, जिसकी 2250 रूपए प्रतिदिन आय है। इसके आतिरित्त भेड़-बकरियों की आय 100 रूपए प्रतिदिन होगी। इन पशुओं के लिए चारा खेत से ही उगाकर दिया जाएगा

एवं पानी की व्यवस्था सिंचित क्षेत्र में उपलब्ध है। मात्र चारा एवं रख-रखाव का पैसा ही व्यय होगा। पारंपरिक खेती की आय खरीफ व रबी दोनों फसलों को मिलाकर 10,000 रूपए प्रति बीघा निश्चित है। सेवण घास एवं पारंपरिक खेती के लिए सिंचाई का पानी मात्र 2 क्यूसिक प्रति हैक्टेयर लगाकर उत्तम खेती प्राप्त की जा सकती है।

सेवण घास के लिए सिंचित एवं आसिंचित कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सेवण, भूरट डचाभा, फोग, पाला, इत्यादि टिब्बों का श्रृंगार है और फव्वारा सिंचाई से केवल सिलन मात्र से ही उत्तम उत्पादन लिया जा सकता है।

उत्तरी-पश्चिमी राजस्थान में लाखों हैक्टेयर भूमि को नकारा समझकर छोड़ रखा है, जो थोड़े से ही सोना उगलेगी और लगभग 2 करोड़ गायें एवं 20 करोड़ भेड़-बकरियों को आसानी से चारा उपलब्ध करवाया जा सकता है। 2 करोड़ गायों का दुग्ध 20 करोड़ लीटर प्रतिदिन होना निश्चित है, जिसकी आय 300 करोड़ रूपए प्रतिदिन होगी। साथ ही 3 लाख टन गोबर प्रतिदिन मिलेगी, जिसकी आय 150 करोड़ रूपए प्रतिदिन होगी। जिसमें बकरियों का दुग्ध, भेड़ों की ऊन व खाद के रूप में मिगणयों को मिलाकर अनुपात निकाला गया है। इसके आतिरित्त, इनकी बढ़ोत्तरी भी प्रतिवर्ष तीन गुणा होती है क्योंकि भेंड़ बकरी साल में दो बार ब्याहती है और इन पर खर्चा मात्र देख-रेख व रख-रखाव का ही होता है।

इस क्षेत्र में बरसाती पानी को एकत्रित करने का पिछले साठ वर्षों से कोई प्रयास नहीं किया गया है, जिसके फलस्वरूप इंदिरा गांधी नहर एवं कुओं के पानी पर निर्भर रहना महंगा साबित हो रहा है। मेरा इस संबंध में सुझाव है कि राजस्थान राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक किसान के लिए एक लाख लीटर क्षमता वाला वाटर टैंक बनाने की अनुमति किसान के स्वयं के खेत में दी जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा विकसित हो सके एवं किसान अपने स्वयं के खेत में पानी के साथ-साथ बागवानी के लिए भी अग्रसर हो सके एवं आय के आतिरित्त स्रोत भी विकसित हो सके। प्रथमतः राजस्थान के सभी 11 मरूस्थली जिलों में सभी 5 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को इस

कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाये। इसके लिए तकनीकी दृष्टि से 15 फुट व्यास एवं 20 फुट गहरा टैंक बनाना आवश्यक है, जिसके चारों ओर प्रत्येक जिले की औसत वर्षा के आधार पर कम से कम 60 से 80 फुट व्यास का जल ग्रहण क्षेत्र (आगौर) बनाया जाए। इस योजना के क्रियांवयन में हमारा यह भी सुझाव है कि जल ग्रहण क्षेत्र स्थानीय मुरड़ या अन्य सामग्री से कुटाई कर पक्का बनाया जाए, जिससे एक ही अच्छा वर्षा से टैंक पूरा भर जाए। इस माप के टैंक एवं आगौर के निर्माण पर तकनीकी आंकलन के आधार पर लगभग 80,000/- का खर्चा आएगा। जिसमें लगभग 50 प्रतिशत श्रम पेटे एवं 50 प्रतिशत राशि सामग्री पेटे आवश्यक होगी। टैंक का निर्माण सभी की सहभागिता से कृषकों द्वारा स्वयं ही अपने-अपने खेत में किया जाएगा। जिसमें उसके परिवार के सदस्य एवं गांव में उपलब्ध भूमिहीन श्रमिक एवं अन्य बेरोज़गार श्रमिकों को भारी संख्या में श्रम रोज़गार भी उपलब्ध हो सकेगा।

पूरे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देकर प्रत्येक किसान को उसकी रूचि के अनुसार कम से कम पांच पशु उपलब्ध करवाकर किसानों के बीच ए.पी.एल./बी.पी.एल. का भेद मिटाकर प्रत्येक किसान के खेत में 1 लाख लीटर क्षमता का कुण्ड बनवाकर खेती के साथ-साथ पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मेडिसनल प्लांट, हॉर्टीकल्चर आदि को बढ़ावा देकर कृषि का समग्र विकास किया जा सकता है एवं किसानों की माली हालत को सुधारा जा सकता है।

मैं सरकार का ध्यान किसानों को दिये जानेवाले केमिकल फर्टीलाइजर अर्थात् यूरिया और पेस्टीसाईड्स एण्ड कैमिकल्स पर सब्सिडी हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल यूरिया पर 168788.04 करोड़ रूपए की सब्सिडी उर्वरक कंपनियों को जारी की गई है, जिसमें 66270.27 आयातित कंपनी तथा 102517.77 करोड़ रूपए स्वदेशी यूरिया कंपनियों को दिए गए हैं। इसी प्रकार आयातित पेस्टीसाईड्स एण्ड कैमिकल्स पर 52780.87 विदेशी तथा 63355.65 करोड़ रूपए स्वदेशी पेस्टीसाईड्स एण्ड कैमिकल्स कंपनियों को सब्सिडी के रूप में जारी किये गये हैं।

मैं सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि कैमिकल फर्टीलाईजर के रूप में तो सब्सिडी जारी की जाती है, लेकिन प्राकृतिक उर्वरकों तथा फर्टीलाईजर पर किसी प्रकार की कोई सब्सिडी जारी नहीं की जाती है, जिसके चलते किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित नहीं होते।

रासायनिक खाद का प्रयोग पारंपरिक प्राकृतिक खाद के तरीकों को जड़ से खत्म करता जा रहा है। रसायनों के प्रभाव से जमीन भी धीरे-धीरे बंजर होने लगती है और कीड़ों के अधिक पनपने की संभावना बनी रहती है, जिससे बचने के लिए किसान अत्याधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने लगते है। कुछ कीटनाशक तो सिस्टेमेटिक होते हैं जो पानी या खाद के साथ घोलकर प्रयोग में लिये जाते हैं, जिसका असर प्लांट के अंतर और उपज के अंदर तक हो जाता है, ये कीटनाशक ऊपर से स्प्रे किये जाने वाले कीटनाशकों से कहीं अधिक हानिकारक होते है। ऐसे कीटनाशक मानव शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस समस्या से किसान को निज़ात दिलाने के लिए हाल ही में राजस्थान में भूमि स्वास्थ्य कार्ड स्कीम जारी की है, जो कि अपने आप में पहला निर्णय है, जिससे किसानों को अपनी जमीन में रसायनिक खाद के प्रयोग की जानकारी मिल सकेगी और किसान कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकेगा। इसके साथ-साथ आमजन को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकेगी। किसान चाहते हुए भी जैविक खाद और स्प्रे का प्रयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये कैमिकल खाद व स्प्रे से अधिक महंगे है। जैविक खाद पर सब्सिडी नहीं दी गई तो हम चाहते हुए भी जैविक खेती को प्रोत्साहन नहीं दे पाएंगे।

मानसून की आनिश्चितता एवं सूखे के कारण महंगाई और बढ़ने की संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों को निदेरशित करें कि सूखे एवं मानसून की आनिश्चितता से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सुझाव दें। इनमे ऐसे कुछ सुझाव हो सकते है, जैसे जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग, ड्रिप एवं माइक्रो इररिगेशन का ज्यादा प्रयोग, ऑगेरनिक फार्मिंग को बढ़ावा, चारा उत्पादन के क्षेत्र में नवीन तकनीक का प्रयोग करके हरा चारा अधिक से अधिक उगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे पशुधन को भी बचाया जा सके एवं वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए अनाज का भी उत्पादन संभव हो सके।

कृषि क्षेत्र को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता के अलावा कृषि को संरक्षण भी आवश्यकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक घरानों को पिछले तीन सालों में 2.5 लाख करोड़ की प्रोत्साहन राशि तथा 2.5 लाख करोड़ की विभिन्न छूटें प्रदान की गई है। कृषि क्षेत्र को भी इसी तर्ज पर प्रोत्साहन राशि व छूट देने की भी आवश्यकता है।

जिस देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि और उसके संलग्न कार्यों में लगी हो और देश की जी.डी.पी. का केवल 20 प्रतिशत हिस्सा देते हो तो इसी आंकड़े से कृषि की माली हालत को समझा जा सकता है। कृषि क्षेत्र का विकास पिछली कई पंचवर्षीय योजनाओं में लगातार गिरता जा रहा है, जहां 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर 4.8 थी, वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3.5 ही रह गई। जहां एक और किसान खेती छोड़ शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और दूसरी जो किसान खेती में लगे हुए भी है, उनकी आत्महत्याओं की खबरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है।

इस स्थिति के कारणों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। अधिकतर किसानों को कृषि संबंधी सूचनाओं, लाभदायक फसलों, वैज्ञानिक तरीके से कृषि और अपनी जमीन का उपजाऊपन के बारे में जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वह पुरानी तकनीक के आधार पर कृषि करते रहते है, जिससे उन्हें हानि ही होती है। विकसित देशों में खेती में, जिन अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, वे अभी भारतीय किसानों की पहुंच से मीलों दूर है। देश के किसान अभी भी उच्च उत्पादक बीजों विशेष प्रकार के उर्वरकों के बारे में अनभिज्ञ है। प्रतिवर्ष वर्षा की कमी, सूखा और बाढ़ से हमारे राजस्थान का आधिकांश भाग प्रभावित होता रहा है, जिससे प्रभावित किसानों की कमर ही टूट जाती है।

किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर किसानों का शोषण हो रहा है, एक तो किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान को 4 प्रतिशत की दर से ब्याज बताया जाता है जबकि वास्तविक ब्याज की दर जो वसूली जा रही है वह लगभग 10-12 प्रतिशत बढ़ रही है, क्योंकि बैंक के अन्य खर्चे भी किसान से ही वसूले जा रहे है। वहीं

दूसरी ओर किसान से धोखाधड़ी करके उसे बिना बताए लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) भी कर दिया जाता है। ऐसी कई घटनाएं मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ सभी जगह से सामने आ रही है।

जब भी किसान क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा बनाया जाता है, तब किसान को क्रेडिट कार्ड एवं खाते से संबंधित समस्त कागजात नहीं बताए जाते हैं। कोई किसान कागजात देखना चाहे भी तो अंग्रेजी में लिखे कागजात किसानों को समझने में मुश्किकल आती है। ऐसे कई कागजात किसान से एक साथ फटाफट हस्ताक्षर करवा लिए जाते हैं, जिसमें जीवन बीमा के भी कागजात शामिल होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनने के पश्चात् प्रतिवर्ष बीमे की भी किश्त भरनी पड़ती है जो हर साल 10,000 से लेकर 50,000 रूपए तक पड़ती है। प्रीमियम राशि पर भारी भरकम कमीशन मिलने के लालच में बैंक आधिकारी किसान से धोखाधड़ी करने से नहीं चूकते हैं। भविष्य में किसान द्वारा किसी प्रकार का एतराज किए जाने या जांच होने की स्थिति में किसान के दस्तखत शुदा कागजात बता दिए जाते हैं। बेचारा किसान कम शिक्षित, सीधा-साधा व विश्वास करने वाला होने से धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है।

वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी धोखाधड़ी की शिकायतों को गंभीरता से ले और तुरंत ऐसे बैंक आधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करते हुए ऐसी धोखाधड़ी को बंद करायें ताकि अन्नदाता किसान का वास्तव में भला हो सके।

भारत सरकार द्वारा कृषि संबंधी योजनाओं में समय-समय पर काफी सुधार किया गया है पर फिर भी बैंक से लोन हो या वैज्ञानिक तरीके से कृषि करना हो अभी भी इनसे संबंधित योजनाओं में काफी कुछ किया जाना बाकी है। किसान और सरकार के बीच में बैठे बिचौलिए किसान का शोषण करते आए है और आज भी कर रहे हैं। किसान को मिलने वाला सारा लाभ लूट रहे हैं।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण क्षमता के साथ-साथ उचित भंडारण सिस्टम की भी कमी है, जिससे या तो किसान की उपज वहां पहुंच नहीं पाती और यदि पहुंच भी गई तो सड़ जाती है।

इन सभी समस्याओं के साथ-साथ फसलों की काला बाजारी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब किसान के पास फसल होती है, तो उसका दाम एक दम नीचे होता है, वहीं बिचौलिये या आढ़ती के पास आने पर दाम आसमान छूने लगता है। सरकार को कालाबाजारी समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश जैसे कई राज्यों में ए.पी.एम.सी. एक्ट में कई बदलाव किए गए हैं। भूमि आधिग्रहण कानून भी उसी कड़ी में किसानों के डिस्पेलसमेंट रोकने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल जैसे कई राज्यों ने पी.पी.पी. मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज और भंडारण की सुविधा अपने राज्यों में काफी हद तक बढ़ा दी है, ऐसे सभी उपाय सभी राज्य सरकारों के स्तर पर किये जाने चाहिए।

किसान चौपाल हो या इंटरनेट क्योस्क द्वारा किसान को बीज, उर्वरक, मौसम, भूमि की क्षमता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, इन सुविधाओं का विस्तार देश के हर गांवों में किया जाना चाहिए।

भूमि सुधार और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि हेतु बाज़ार संबंधी अवस्थपनाओं का विकास, तकनीकी विकास आदि क्षेत्रों में काफी काम किये जाने की संभावनाएं हैं। [अनुवाद] जैसे हमारे पड़ोसी देश म्यांमार ने इन सभी क्षेत्रों में काफी काम कर स्वयं को संसार का सबसे बड़ा दालों का निर्यातक बना लिया है।

पंचवर्षीय योजनाएं हो या राज्य स्तर पर वार्षिक योजनाएं, कृषि संबंधी योजनाओं को अत्यधिक बजट देने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना मोती राम जी लाहाने कृषि समृद्धि योजना की शुरूआत की है, जिससे किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को रोकने में मदद मिलेगी।

गंभीर सूखे की स्थिति में सहायता कार्यक्रमों को 90 दिन से अधिक तक जारी रखने के लिए एस.डी.आर.[हिन्दी] एफ. के वार्षिक आबंटन की 25 प्रतिशत व्यय की सीमा को समाप्त करने पर भी केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए। इस संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। पहले 90 दिन से अधिक सूखे की स्थिति रहने पर एक कार्यकारी समिति इस संबंध में निर्णय ले सकती थी।

तेरहवें वित्त आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार को राज्य आपदा शमन निधि एवं जिला आपदा शमन निधि का गठन कर 75 प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में केंद्र सरकार से देने का अनुरोध किया जा चुका है। इस पर मेरा केंद्र सरकार से जल्द कार्यवाही करने का अनुरोध है।

इसके साथ मेरा सुझाव है कि किसानों को छोटी और महत्वपूर्ण राहत देने के लिए देश के प्रत्येक किसान को सोलर कृषि पम्प दिए जाए ताकि वह आसानी से कृषि की लागत कम करते हुए खेती कर सके। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि देश के छोटे किसानों के बच्चों को उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ताकि किसान को बेटा-बेटी आत्मनिर्भर बन सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अब, माननीय मंत्री जी।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, जैसा कि आप अवगत हैं, चेन्नई की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और लगातार नई-नई रिपोर्टें सामने आ रही हैं। मौसम की स्थिति भी अभी सुधर नहीं रही है और हालात बुरे से बदतर होते जा रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि आज शाम या अगले 24 घंटों के भीतर एक और भारी वर्षा की संभावना है।

इसलिए, आपके माध्यम से मैं इस सदन से एक अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय गृहमंत्री जी लगातार इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं, स्वयं जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यदि सदन सहमत हो, तो हम माननीय गृहमंत्री से अनुरोध कर सकते हैं कि वे कल दोपहर 12 बजे या उसके बाद किसी उपयुक्त समय पर इस विषय पर विस्तार से उत्तर दें, क्योंकि स्थिति जितनी स्पष्ट दिखती है, उससे कहीं अधिक गंभीर है। अनेक सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। माननीय मंत्री ने उन्हें संज्ञान में लिया है। वे स्वयं सदन में उपस्थित हैं, लेकिन वे सभी उठाए गए बिंदुओं पर विस्तार से उत्तर देना चाहेंगे, विशेष रूप से वर्तमान बिगड़ती स्थिति के परिप्रेक्ष्य में।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मेरा अनुरोध है कि जब स्थिति इतनी गंभीर है तो गृह मंत्री को कम से कम एक दौरा तो करना चाहिए था। चेन्नई ज्यादा दूर नहीं है। जम्मू और कश्मीर के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। इस तरह तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो या तीन घंटे के लिए जा सकते थे और वापस आ सकते थे। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह किया जा सकता है और आप यह कर सकते हैं। आप ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। यह बहुत गंभीर स्थिति है।

श्री राजीव प्रताप रूडी: बिल्कुल, उनकी बात सही है। हमने उसे सुना है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बाढ़ के समय कश्मीर घाटी गए थे। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं, मैं आपकी और सदन की भावना से सहमत हूं। …(*व्यवधान*) आपने जो कहा है, हम सरकार को सूचित करेंगे। हमने इसे नोट कर लिया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: किसी को वहाँ स्थिति का अंकलन करने जाना चाहिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि जब स्थिति इतनी गंभीर हो तो यह ठीक नहीं है। …(*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अन्य लोग कैसे चल रहे हैं?

श्री राजीव प्रताप रूडी: यह सिर्फ दिखावे का मामला नहीं है। चेन्नई में जो कुछ भी हो रहा है उससे हम बहुत चिंतित हैं और निश्चित रूप से, हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री चेन्नई में जो कुछ हो रहा है उस पर नजर रख रहे हैं। गृह मंत्री इस पर नजर रखे हुए हैं और पूरी सरकार इस बारे में जागरूक है तथा वे राज्य के मुख्यमंत्री और प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। आपका सुझाव कि उन्हें हेलीकॉप्टर में जाकर हवाई दृश्य देखना चाहिए, यह एक सुझाव है जो आपने दिया है, लेकिन इसके अलावा सरकार चेन्नई में जो कुछ भी हो रहा है उसे बारीकी से देख रही है और संपर्क में है। मौसम की स्थिति अभी खराब हो रही है। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उससे पूरी तरह सहमत हैं और सरकार भी इससे पूरी तरह अवगत है। इसलिए, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि गृह मंत्री कल पूर्ण विवरण के साथ आपके पास आएं।

महोदय, हम इस विधेयक पर चर्चा करना चाहेंगे। माननीय मंत्री ने अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया है कि विमान वहन संशोधन विधेयक पर विचार किया जाना चाहिए और यदि अध्यक्षपीठ को यह ठीक लगे तो हम विमान वहन संशोधन विधेयक पर विचार कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री जी का उत्तर कल दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सभा इस बात से सहमत होगा।

कई माननीय सदस्य: हां महोदय, हम आपसे सहमत हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : अतः अब हम मद सं 9 पर विचार कर रहे हैं। जैसा कि संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री ने अनुरोध किया है, आप सभी इस बात से सहमत हैं कि माननीय गृह मंत्री का उत्तर कल दिया जाएगा।

अपराह्न 04.33 बजे

विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर विचार कर सकते हैं।

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विमान वहन अधिनियम, 1972 का और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विमान वहन अधिनियम, 1972 का और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 04.34 बजे (श्री के. एच. मुनियप्पा *पीठासीन हुए*)

श्री अशोक गजपति राजू: यह एक छोटा सा संशोधन है जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में मुआवज़े से संबंधित है। समय-समय पर इन चीजों में संशोधन होते रहते हैं और हमें संसद के माध्यम से इनका संशोधन करना पड़ता है। चूंकि यह समय के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक होता है, इसलिए भविष्य में जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें कोई संशोधन किया जाएगा, तब सरकार इसे अधिसूचित कर इस सदन को सूचित कर सकती है। यह संशोधन केवल इसी छोटे से विषय से संबंधित है। बस, यही इसका उद्देश्य है।

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि देश में हवाई सेवाओं के मानकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जा सके।

जैसा कि हम जानते हैं, हवाई दुर्घटना के पीड़ित अंतरराष्ट्रीय और उनके सामान की क्षति के लिए मुआवजा देने के लिए 1929 के वारसॉ कन्वेंशन से शुरू होकर कई महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है, ने 1991 में मुआवजे के लिए एकीकृत नियम निर्धारित किये। इसलिए, इन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों का लाभ हवाई यात्रियों को भी उपलब्ध कराना हमारा परम कर्तव्य है।

कन्वेंशन की भावना के अनुरूप संशोधन में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु या शारीरिक चोट के प्रत्येक मामले में हुई क्षति के लिए विशेष आहरण अधिकारों की सीमा को 100000 एसडीआर से बढ़ाकर 113100 एसडीआर करने का प्रस्ताव करता है। भारतीय रुपये में यह बढ़ी हुई राशि ₹1,03,27,161 होगी। यात्रा में देरी के कारण हुए नुकसान की सीमा एसडीआर 4,150 से बढ़ाकर एसडीआर 4,694 कर दी गई है, जो कि भारतीय मुद्रा में ₹4,28,609 के बराबर होगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान के संबंध में खराब, हानि, क्षति या विलंब को 1000 एसडीआर से बढ़ाकर 1131 एसडीआर कर दिया गया है। वर्तमान में यह 1,03,271 रुपये के बराबर होगा। माल की ढुलाई के संबंध में विनाश, हानि, क्षति या देरी को एसडीआर 17 से बढ़ाकर एसडीआर 19 कर दिया गया है जो कि वर्तमान में ₹1,738 होगी।

जैसा कि हम जानते हैं, देश में यात्रियों की संख्या पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है। इसलिए, हवाई यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा वृद्धि के साथ-साथ उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मैं सरकार से अनुकूल कार्रवाई के लिए कुछ अनुरोध प्रस्तुत कर सकता हूं।

सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजे की राशि को बढ़ाना है। लगभग सभी विकसित देश एक विमान का उपयोग 8-10 वर्षों तक करते हैं। सुरक्षित रूप से उपयोग किये जाने वाले किसी विमान का अधिकतम जीवनकाल 20 वर्ष माना जाता है। इसके बाद, विमान का टूटना-फूटना असुरक्षित हो जाता है। यह पता चला है कि हमारे देश में सेवारत कई विमान 25 वर्षों से अधिक समय से सेवा में हैं तथा कुछ मामलों में तो वे 35 वर्षों से भी अधिक समय से सेवा में हैं। इन विमानों का उपयोग करना जोखिम भरा है और कभी भी खतरे से बाहर नहीं होता। केवल एयर इंडिया ही नहीं, भारत की अन्य निजी एयरलाइन कंपनियाँ भी यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए अन्य देशों से पुराने विमान पट्टे पर लेती हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे पुराने विमानों को सेवा से हटा दिया जाए।

पुराने विमानों में यात्रा करने वाले यात्रियों का बीमा कवरेज दस गुना बढ़ाया जाना चाहिए। मानव जीवन का मूल्यांकन कौन कर सकता है? एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे कई परिवारों में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक दुर्घटना में हुई मृत्यु उनके परिवार को नष्ट कर देती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पुराने विमानों में यात्रा करने वाले यात्रियों का बीमा कवरेज बढ़ाने में संकोच न करे।

अगला मुद्दा जिस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, वह देश भर के हवाई अड्डों पर लगाए जाने वाले उपयोगकर्ता विकास शुल्क के बारे में है। आज, हवाई अड्डे किसी भी हाइपर-मॉल की तरह ही सबसे सफल बाज़ार हैं। दिल्ली हवाई अड्डे के घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनलों पर 500 से अधिक ब्रांडेड अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कंपनियों के शोरूम हैं। हमारे देश के सभी हवाई अड्डे लाभप्रद रूप से कार्य कर रहे हैं। तो फिर, हवाई अड्डों को यात्रियों से उपयोगकर्ता विकास शुल्क क्यों वसूलना चाहिए? वर्तमान में, दिल्ली हवाई अड्डा प्रत्येक यात्री से उपयोगकर्ता विकास शुल्क के रूप में 311 रुपये लेता है। ऐसा अनुमान है कि पिछले वर्ष लगभग 6.5 करोड़ यात्रियों ने दिल्ली हवाई अड्डे से यात्रा की थी और ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष

अकेले लगभग 8 करोड़ यात्रियों ने इससे यात्रा की है। पिछले वर्ष दिल्ली हवाई अड्डे ने उपयोगकर्ता विकास शुल्क के रूप में 221 करोड़ रुपये एकत्र किये। हवाई अड्डे की निर्माण लागत लगभग 1290 करोड़ रुपये ही थी। इसलिए सरकार को इस लूट को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए।

यदि मैं इस अवसर पर खाड़ी क्षेत्र के यात्रियों की दुर्दशा का उल्लेख नहीं करूंगा तो यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मेरे राज्य केरल से खाड़ी देश तक यात्रा में उतने ही घंटे लगते हैं जितने दिल्ली तक यात्रा करने में लगते हैं। यूरोप, अमेरिका अथवा किसी अन्य क्षेत्र की तुलना में एयर इंडिया का सबसे अधिक लाभ कमाने वाला मार्ग खाड़ी क्षेत्र है। खाड़ी देशों के यात्रियों से यातायात किराये का दोगुना वसूला जाता है। अतः इस क्षेत्र से दोगुना शुल्क वसूले जाने के बावजूद प्रदान की जाने वाली सेवाएं बहुत ही खराब हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 70 लाख भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और उनमें से अधिकांश केरल से हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत साधारण मजदूर हैं जो श्रमिक शिविरों में रहते हैं और तीन या चार साल में केवल एक बार अपने देश आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी खाड़ी यात्रा के दौरान इन श्रमिक शिविरों का दौरा किया था और इन साथी नागरिकों की कठिनाइयों को समझा था। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया निम्न आय वर्ग के अनिवासी भारतीयों के लिए उचित हवाई किराया लागू किया जाए। यदि खाड़ी क्षेत्र में जंबो विमानों की सेवाएं सुनिश्चित कर दी जाएं तो हवाई किराये में काफी कमी आ जाएगी। मैं उन अनिवासी भारतीयों के लिए शुल्क मुक्त सामान भत्ते के नियमों को आसान बनाने का भी अनुरोध करता हूं जो दो-तीन साल में एक बार देश आते हैं।

यह पता चला है कि खाड़ी देशों की उड़ानों में दी जाने वाली सेवाएं और भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में हवाई यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

छुट्टियों, विशेषकर स्कूल बंद होने और त्यौहारों का मौसम ही वह समय है जब मध्यम वर्गीय परिवार यात्रा करते हैं तथा इसी समय एयरलाइन कंपनियां किराया तीन गुना तक बढ़ाकर अत्यधिक शुल्क लगा देती

हैं। परिणामस्वरूप इन लोगों की आधी बचत हवाई टिकटों पर खर्च हो जाती है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि छुट्टियों के दौरान हवाई टिकटों की उचित कीमत सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश जारी करें।

महोदय, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले एन.आर.आई. यात्री दिल्ली-कोच्चि-खाड़ी सेक्टर मार्ग से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं। यदि इस क्षेत्र में ड्रीमलाइनर आवंटित किया जाए तो इस क्षेत्र को अधिक लाभ होगा।

देश में घरेलू उड़ानों के लिए एयर इंडिया के लिए सबसे लाभदायक मार्ग दिल्ली-कोच्चि मार्ग है। लेकिन एयर इंडिया ने इस मार्ग पर कोई अच्छा विमान उपलब्ध नहीं कराया। अन्य सभी क्षेत्रों में ड्रीमलाइनर उपलब्ध कराये गये हैं। लेकिन एयर इंडिया जानबूझकर इस मार्ग से बचती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस मुद्दे पर सकारात्मक रूप से विचार करने का अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री जी. हरी (अराकोन्नम): मैं इस अवसर के लिए अपनी प्रिय नेता, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* को धन्यवाद देता हूं।

मुझे खुशी है कि माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा पुर: स्थापित विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 सरकार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप विमान वहन की देयता की सीमा को संशोधित करने में सक्षम बनाएगा, जिसे भारत ने मई 2009 में अंगीकृत किया था। मुझे आशा है कि यह विधेयक यात्रियों को अधिक मुआवज़ा सुनिश्चित करेगा और भारतीय यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकेगा।

यात्रियों की चोट या मृत्यु, सामान और कार्गो के नष्ट होने, खोने या क्षति होने तथा यात्रियों, सामान और कार्गो के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन में देरी के कारण होने वाली हानि के लिए हवाई वाहकों के दायित्व को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था है।

भारत ने अब तक वारसॉ कन्वेंशन , 1929, हेग प्रोटोकॉल, 1955 द्वारा संशोधित वारसा कन्वेंशन, और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अनुमोदित किया है। ये सभी कन्वेंशन वायु द्वारा वहन अधिनियम, 1972 के माध्यम से प्रभाव में लाए गए हैं।

भारत ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को अपनाया ताकि भारत से अपनी यात्रा शुरू करने और समाप्त करने वाले यात्रियों को, जो कि अधिकांशतः भारतीय नागरिक हैं, बढ़ी हुई देयता का लाभ मिल सके। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भारतीय भारत में दावा दायर कर सके, भले ही यात्रा भारत से बाहर की गई हो।

संशोधित मुआवजा पैकेज के अनुसार, विधेयक में प्रत्येक व्यक्ति के लिए मृत्यु या शारीरिक चोट की स्थिति में क्षति हेतु देयता सीमा की समीक्षा कर उसे 1,00,000 एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) से बढ़ाकर 1,13,100 एसडीआर करने का प्रस्ताव है। नवीनतम विनिमय दर के अनुसार, क्षतिपूर्ति की सीमा वर्तमान के लगभग 88.71 लाख रुपये से बढ़कर एक करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा स्थापित एसडीआर प्रमुख मुद्राओं - अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग - की बाजार विनिमय दरों पर आधारित है।

जहां 1,13,100 एसडीआर से अधिक की क्षतिपूर्ति मांगी जाती है, वहां एयरलाइन यह साबित करके दायित्व से बच सकती है कि जिस दुर्घटना के कारण चोट या मृत्यु हुई, वह उनकी लापरवाही के कारण नहीं थी या किसी तीसरे पक्ष की लापरवाही के कारण हुई थी। यह बचाव वहां उपलब्ध नहीं है जहां 1,13,100 एसडीआर से कम की क्षतिपूर्ति मांगी गई हो।

इस कन्वेंशन में वारसॉ कन्वेंशन के क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है तथा अब पीड़ित या उनके परिवारों को उन विदेशी एयरलाइन्स के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है, जहां वे अपना मुख्य निवास रखते हैं, तथा सभी एयरलाइन्स के लिए दायित्व बीमा रखना अनिवार्य किया गया है।

विधेयक के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवहन में देरी के लिए देयता को 4,150 एसडीआर से बढ़ाकर 4,694 एसडीआर करने का प्रस्ताव है, जबकि सामान के नष्ट होने, खोने, क्षतिग्रस्त होने या देरी होने की स्थिति में देयता को 1,000 एसडीआर से बढ़ाकर 1,131 एसडीआर करने का प्रस्ताव है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत एयरलाइनों को सामान की डिलीवरी होने तक यात्रियों को खरीदे गए प्रतिस्थापन सामान की लागत का पूरा मुआवजा देना होगा, जो अधिकतम 1,131 एसडीआर तक होगा। 21 दिनों के बाद, विलंबित सामान को खोया हुआ माना जाता है, भले ही एयरलाइन उसे उस अवधि के बाद डिलीवर कर दे।

सामान को हुए नुकसान के लिए मुआवजे की सीमा 1,131 एस.डी.आर. तक सीमित होने का अर्थ है कि क्षतिग्रस्त गतिशीलता उपकरण का मूल्य अक्सर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत उपलब्ध मुआवजे से काफी अधिक हो सकता है।

गतिशीलता उपकरणों की हानि का प्रभाव, भले ही अस्थायी हो, विकलांग यात्रियों को अन्य यात्रियों की तुलना में जिनका सामान क्षतिग्रस्त हुआ है, काफी अधिक असुविधा में डाल देता है। इसके अलावा विधेयक में माल की ढुलाई के संबंध में विनाश, हानि या देरी के मामले में देयता को 17 एसडीआर से बढ़ाकर 19 एसडीआर करने का प्रस्ताव है।

यह एक तथ्य है कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) नामक संयुक्त राष्ट्र निकाय द्वारा 13.1 प्रतिशत के निर्धारित मुद्रास्फीति कारक के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार देयता सीमाओं को संशोधित किया जाता है, जिससे सीमाओं में समायोजन होता है। यह संशोधन सरकार को दायित्व की सीमाओं को संशोधित करने में भी सक्षम बनाएगा, जब भी संशोधित सीमाएं आई.सी.ए.ओ. द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

यात्री चेक-इन के समय विशेष घोषणा करके तथा अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके उच्चतर देयता सीमा का लाभ उठा सकते हैं। क्षतिपूर्ति का दावा करने के लिए न्यायालय में कोई भी कार्रवाई विमान के आगमन की तिथि से या विमान के आगमन की तिथि से दो वर्ष के भीतर की जानी चाहिए।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन मुख्य रूप से विमान में यात्रा के दौरान मृत्यु या चोट लगने पर परिवारों को दी जाने वाली देयताओं में संशोधन करने के लिए लाया गया था। जुलाई 2015 तक, इस कन्वेंशन में 113 पक्षकार शामिल हैं। भारत ने भी इस कन्वेंशन का अनुसमर्थित कर दिया है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि कन्वेंशन मानसिक चोट या क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा देने से इंकार करता है, जब तक कि वह शारीरिक चोट से अभिन्न रूप से जुड़ी न हो। विशुद्ध रूप से मानसिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जा सकती, जिसकी विमान दुर्घटनाओं में घायल हुए लोगों, कानूनी विशेषज्ञों और उनके परिवारों द्वारा आलोचना की गई है।

ऑस्ट्रेलिया ने मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप अपने कानून में परिवर्तन किया। इसने 'व्यक्तिगत चोट' के संदर्भ को हटा दिया, तथा उसके स्थान पर सी.ए.सी.एल. अधिनियम के अंतर्गत 'शारीरिक चोट' शब्द

को शामिल कर दिया। यह पता चला है, मई 2015 में ऑस्ट्रेलियाई संसद में एक विधेयक भी पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के मनोवैज्ञानिक आघात के लिए मुआवजा दिए जाने के अधिकारों की रक्षा करना था। भारत के बारे में क्या? क्या हम वाहक की देयताओं की सूची में मानसिक क्षति को भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट करें।

यह हाल ही की एक खबर है। जी-20 देशों की बैठक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते समय, संघ के एक मंत्री को अपना चेक-इन सामान नहीं मिल पाया। मैं उन मंत्री द्वारा अपलोड किए गए ट्वीट को उद्धृत कर रहा हूं, जो समाचार पत्रों में आया था। इसमें लिखा था: "मैं केन्र्स जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार हूं।" मेरे सारे फॉर्मल कपड़े खोए हुए सूटकेस में है! मुझे नहीं लगता है कि मुझे केन्र्स में साड़ियां मिलेंगी! स्थिति अनिश्चित बनी हुई है"। बाद में, एयर इंडिया ने खोया हुआ सामान ढूंढ निकाला, जिससे मंत्री को आपातकालीन खरीदारी करने से बचाया जा सका। यह घटना इस दावे को उजागर करती है कि हवाई यात्रा के दौरान कोई भी व्यक्ति सामान खोने के डर से बच नहीं सकता। एक और एयर इंडिया यात्री, जो अपने खोए हुए सामान के बारे में भयावह अनुभव से निराश था, ने एक वेबसाइट भी बनाई थी। इसका उद्देश्य उन यात्रियों को एकजुट करना था जिन्होंने इसी तरह का सामना किया है और एयर इंडिया के खिलाफ समय पर सामान न पहुंचाने की लापरवाही के लिए संयुक्त कार्रवाई करना था।

हवाई अड्डों पर यात्रियों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। चेन्नई हवाई अड्डे पर कांच के पैनल गिरने की अनेक घटनाएं हुई हैं, जिनसे कई हवाई यात्री घायल हुए हैं। यहां तक कि चेन्नई हवाई अड्डे पर कांच के पैनल दुर्घटनावश गिरने से वीआईपी लोग भी बाल-बाल बच गए। यह पता चला है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ऐसे गुणवत्तापूर्ण उपकरण नहीं हैं जो ग्लास पैनलों में समस्या का पता लगा सकें। साथ ही, इमारत के अंदर खराब एयर-कंडीशनिंग और कांच के दरवाज़ों पर निम्न गुणवत्ता के धातु फिटिंग्स का उपयोग भी इन दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। चूंकि यह मामला हवाई यात्रियों की सुरक्षा

से जुड़ा है, इसलिए मैं माननीय केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर गौर करें और आवश्यक कार्रवाई के आदेश दें। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा अतीत में ऐसे गंभीर घटनाओं की जांच के आदेश के परिणाम क्या रहे हैं।

कोलकाता हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ कांस्टेबल की उस समय मौत हो गई जब वह कांच के फर्श वाले पुल पर टूटे हुए कांच के टाइल से बने छेद को ढकने के लिए बिछाई गई शीट पर पैर रख दिया। मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से तत्काल कार्रवाई की अपील करता हूं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा केंद्र सरकार को हाल ही में जारी निर्देश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जब यात्री विमान में सवार हों, तो किसी भी प्रकार का कीटाणुनाशक धूमन न किया जाए। यह आदेश एक अमेरिकी न्यूरोलॉजिस्ट द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था, जिसमें तर्क दिया गया था कि ऐसे कीटनाशकों के छिड़काव से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यद्यपि अन्य देशों की एयरलाइनों ने कीटनाशकों का छिड़काव बंद कर दिया है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचालन करने वाली सभी भारतीय एयरलाइनों में यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। एनजीटी ने भारतीय एयरलाइन्स कंपनियों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, "आपसे मच्छरों को मारने की अपेक्षा की जाती है, मनुष्यों को नहीं।" आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ जोखिम नहीं उठा सकते।"

भारतीय हवाई यात्रियों को अधिक मुआवजा देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* द्वारा जारी विजन 2023 दस्तावेज में तमिलनाडु के हवाई अड्डों पर मानकों और सुविधाओं में सुधार करने का आह्वान किया गया है, जिनकी कुल क्षमता प्रति वर्ष आठ करोड़ यात्रियों को संभालने की है, तथा अकेले चेन्नई में आधी क्षमता के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा मौजूद है।

यह दावा किया जाता है कि चेन्नई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल जल्द ही संतृप्ति बिंदु पर पहुंच जाएंगे और 2021 के बाद यात्री भार को संभाल नहीं पाएंगे। चूंकि व्यवहार्यता पर परियोजना प्रतिवेदन पहले ही

प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए चेन्नई के निकट श्रीपेरम्बुदुर में कम से कम पांच करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा समय की मांग है। मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे हवाईअड्डा संबंधी परियोजनाओं, विशेषकर तमिलनाडु में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करें।

इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, महोदय। एक बार फिर, मैं हमारी माननीय नेता, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* को धन्यवाद देता हूँ।

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): सर, विमान वहन अमेंडमेंट बिल पर यह मेरा थोड़ा सा इंटरवेंशन है। मूल रूप से यह विषय हम सबके जीवन में है, हवाई यात्रा सबके जीवन को छूती है और सामान्य रूप से हम देश के भीतर भी यात्रा करते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यात्रा करते हैं। लेकिन दुनिया में जब से हवाई यात्रा प्रारंभ हुई है, दुनिया को अनुमान नहीं था कि आखिर किस प्रकार के समझौते किए जाएंगे, जिससे हम देश के बाहर भी सुरक्षित हों और यह कौन सा कानून होगा, कौन सा समझौता होगा। इसकी शुरूआत वारसो पैक्ट से हुई, उसके बाद हेग कंवेशन हुआ, फिर मांट्रियल हुआ। ताकि जो अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जिन पर हम हस्ताक्षर करते हैं, पूरी दुनिया, जो आई.सी.ए.ओ के सदस्य हैं, यह वह संस्था है, जो पूरी दुनिया के हवाई संस्थाओं को संचालित करती है, उसके साथ हम जोड़कर चलते हैं। उसी क्रम में यह समझौता हुआ, लेकिन यह समझौता उन लोगों के लिए हुआ, जो दुनिया भर में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान यदि उनका सामान चोरी हुआ, यात्रा के दौरान उनको चोट लगी या यात्रा के दौरान दुर्भाग्य से यदि कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें जो नुकसान हो गया, यह उसके लिए है। उसको एसडीआर राइट्स कहते हैं। एसडीआर ड्राइंग राइट्स के तहत, जिसमें दुनिया भर की करेंसीज को, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो मुआवजा मिलना है, वह मुआवजा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए? दुनिया भर की जो करेंसीज होती हैं, उसका बास्केट बनाकर, डॉलर्स में तय किया जाता है कि यह हमारा मुआवजा है और उसी मुआवजे के बारे में इसमें चर्चा की गई है। जैसे माननीय मंत्री जी ने यह बिल्कुल सही कहा कि यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है और किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को देश में लागू करने के लिए अपने सदन के भीतर लाकर के, उस समझौते को अपने सदन में, अपने सांसदों के सामने रखना पड़ता है ताकि उसकी रेक्टिफिकेशन हो जाए। अगर हमारी असहमति हो कि जो मुआवजा देने की बात की जा रही है अन्तर्राष्ट्रीय दुर्घटना में मृत्यु पर, अन्तर्राष्ट्रीय दुर्घटना में चोट पर या अन्तर्राष्ट्रीय दुर्घटना में सामान चोरी हो जाने पर तो तीन महीने के भीतर अपने सदन

से इस बात का हमें कि यह हमें स्वीकृत नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और बहुमत के साथ देशों को यह प्रस्ताव आई.सी.ए.ओ के पास भेजना पड़ेगा, उस कन्वेन्शन के लिए भेजना पड़ेगा। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारी मान्यता है कि जो इसमें सुधार किया गया है, जो वृद्धि की गई है, वह हमारे लिए स्वीकार्य है।

महोदय, यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है और कोई भी सावरेन स्टेट इस समझौते को रेक्टिफाई करता है। यह छोटा सा संशोधन है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे यह तय हुआ है कि इस प्रकार का जो अन्तर्राष्ट्रीय संशोधन होगा, उसको पार्लियामेंट में लेकर नहीं आया जाए। अब मुझे तो लगता है कि ऐसे प्रस्ताव जब पार्लियामेंट के सामने आते हैं तो इस विषय पर और एवीएशन पर चर्चा करने का एक आधार बनता है, क्योंकि हमारे माननीय संसद सदस्य एन्टोनी साहब और सब लोगों ने कहा है। [अनुवाद] लेकिन फिर यदि हमने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में ऐसे सभी अनुसमर्थनों को संसद में लाने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें कार्यकारी आदेश द्वारा किया जा सकेगा, तो मैं समझता हूं कि इस पर निर्णय लेना सरकार के लिए बुद्धिमानी होगी। लेकिन इस संशोधन को पुनरीक्षित करने और कार्गो संशोधन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल की सदस्यता लेने का प्रावधान एक बड़ा मुद्दा है, जो संभवतः अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को लाभ पहुंचाता है, और यह एक बहुत छोटा संशोधन है जिसे सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी] महोदय, सिविल एवीएशन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जिस पर माननीय मंत्री जी और सरकार की सहमति हम लोगों की तरफ से हो जाए तो एक विस्तार से चर्चा करें ताकि सभी सदस्य इस पर चर्चा कर सकें। प्रतिपक्ष के माननीय नेता खड़गे साहब बैठे हैं, इस विषय पर भी अगर कभी आपकी सहमति बने तो पूरे विस्तार से हम लोग सिविल एवीएशन सेक्टर पर माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में चर्चा कराना चाहेंगे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप अच्छे पायलट हैं, चेन्नई में जो हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को आप लेकर जा सकते हैं और सेफली लाकर छोड़ सकते हैं। एरीअल सर्वे के लिए आप जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): वह शहर को ऊपर से देखकर वापस आ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : हमारे नेताओं का मानना है कि हम हवाई नेतागिरी नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हवा में जाकर के चेन्नई का दर्शन करके आएं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सिर्फ कश्मीर का करते हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : कश्मीर में तो प्रधानमंत्री जी जाकर उतरे, उनसे बात करके आए। हवाई राजनीति पर हमारा भरोसा नहीं है। हम तो धरती पर उतरकर राजनीति करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. तापस मंडल (राणाघाट) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने की अनुमति दी। विधेयक में किए जा रहे संशोधन वर्तमान की मांगों का प्रतिबिम्ब है। यह विधेयक सरकार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप वायु वाहकों की देयता सीमाओं को संशोधित करने में सक्षम बनाएगा, जिसे भारत ने 2009 में स्वीकार किया था।

यह संशोधन सरकार को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन की अधिसूचना के अनुसार देयता सीमाओं को संशोधित करने का भी अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन ने 13.1 प्रतिशत का मुद्रास्फीति कारक निर्धारित किया, जो देयता की सीमा में समायोजन के लिए निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से अधिक था।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 में यात्रियों, सामान और कार्गो के परिवहन से संबंधित क्षति के लिए हवाई वाहकों की देयता सीमा में पांच वर्ष के अंतराल पर संशोधन का प्रावधान है।

<u>अपराह्न 05.00 बजे</u>

संशोधित क्षतिपूर्ति पैकेज के अनुसार, विधेयक में किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा शारीरिक चोट के कारण होने वाली क्षति के लिए देयता सीमा की समीक्षा कर उसे 1,00,000 एसडीआर से बढ़ाकर 1.131 एसडीआर करने का प्रस्ताव है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1.00 करोड़ रुपये के तुल्य इसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति के सामान के नष्ट होने, गुम होने या देरी होने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसका दायित्व भी 1,000 एसडीआर से बढ़ाकर 1,131 SDRs कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि कार्गो के नष्ट होने, गुम होने या उसमें देरी की स्थिति आती है, तो उसका दायित्व 17 एसडीआर से बढ़ाकर 19 एसडीआर किया गया है। वर्तमान में एक एसडीआर भारतीय मुद्रा के लगभग 88 या 89 रुपये के बराबर है। जैसा कि श्री रूडी ने बताया, एसडीआर का मुद्रा मूल्य अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन और यूरो जैसी प्रमुख मुद्राओं की बाजार दरों के साथ बदलता रहता है।

मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं जो उचित क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करता है और भारतीय यात्रियों के साथ भेदभाव को रोकता है। मैं नागर विमानन मंत्रालय के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

हवाई यात्रियों के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू सुरक्षा, संरक्षा और आराम है। क्या मंत्रालय ने इस पर कोई ध्यान दिया है? सरकार अक्सर कहती रहती है कि भारत एक वैश्विक खिलाड़ी है, एक शक्तिशाली देश है। हां, भारत एक देश है। लेकिन अगर हम हवाई अड्डों पर सुरक्षा और आराम को देखें तो भारत अप्रभावशाली नजर आता है। क्या देश के विभिन्न हवाई अड्डों से सर्वोत्तम प्रस्थान समय आवंटित करके निजी एयरलाइनों को बढ़ावा देने के लिए कोई गैरकानूनी सांठगांठ है? एयर इंडिया को अपनी उड़ानों के लिए प्राइम टाइम क्यों नहीं आवंटित किया जाता है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एयर इंडिया ही एकमात्र पुल क्यों है, निजी एयरलाइंस क्यों नहीं? सरकार देश के आम यात्रियों की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? एयर इंडिया के पायलटों के सेवा के बारे में क्या कहेंगे? सबसे कुशल और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पायलट एयर इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं? क्या वे बेहतर वेतन, कर मुक्त आय के लिए निजी एयरलाइन्स और विदेशी एयरलाइन्स में शामिल हो रहे हैं? यदि सरकार की ओर से एक पायलट का व्यय लगभग 30 लाख रुपये है, तो सेवा बांड की राशि क्या है? सेवा बांड की राशि बढ़ाने के संबंध में सरकार की क्या स्थिति है? मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस मामले को बहुत गंभीरता से देखें।

यह विधेयक दायित्व से संबंधित है। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप करने का क्या कर्तव्य है? हम जानते हैं कि रोकथाम, उपचार से सदैव बेहतर होती है। आम यात्रियों के लिए सुरक्षा, संरक्षा और आराम के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रस्थान और आगमन का निर्धारित समय सुनिश्चित करने और बनाए रखने का प्रयास करें, समय पर क्षमा मांगें, यदि ऐसा न हो तो यात्रियों को अद्यतन जानकारी दें, बेहतर भोजन परोसें, बोर्डिंग पास सावधानीपूर्वक जारी करें, तब आपको देयता वृद्धि की राशि के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी।

सरकार को देयताओं पर अधिक धनराशि खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अंततः यह धनराशि आम लोगों की जेब से आती है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): माननीय सभापति महोदय, विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

विमान वहन अधिनियम एक विशेष कानून है, जो वारसॉ, द हेग और मॉन्ट्रियल जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के मंच पर एयरलाइनों और यात्रियों से संबंधित कई प्रावधानों से संबंधित है। इन सम्मेलनों का उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न एयरलाइनों द्वारा संचालित उड़ानों के प्रसंस्करण में एकरूपता बनाए रखना है, जिससे दुनिया के सभी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के साथ एकरूपता से व्यवहार किया जा सके। जब एयरलाइंस विभिन्न देशों के बीच यात्रियों को ले जाती हैं, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजे के मामले में समान रूप से उपचारित किया जाना चाहिए, चाहे वह मृत्यु, व्यक्ति को चोट या संपत्ति को क्षति का मामला हो।

वर्तमान स्थिति के अनुसार, सम्मेलनों के प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इसलिए, विमान वहन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2015 को विमान वहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। विचाराधीन विधेयक, यदि पारित हो जाता है, तो सरकार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुरूप वायु वाहकों की देयता सीमाओं को संशोधित करने में सक्षमता मिलेगी, जिस पर भारत ने मई 2009 में हस्ताक्षर किया था। इस अभिसमय के अनुसार, विमान वहन अधिनियम, 1972 की तीसरी अनुसूची के अध्याय 3 के नियम 24 के अंतर्गत, विनाश, हानि, क्षति या देरी के मामले में एयरलाइन वाहक की देयता को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

इस विधेयक में क्षतिपूर्ति के चार स्तर प्रस्तावित हैं। अधिनियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, प्रथम स्तर के तहत प्रस्तावित मुआवजा, प्रत्येक यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में हुई क्षति के लिए, एक लाख विशेष आहरण अधिकारों (एस.डी.आर.) से बढ़कर 1,13,100 एस.डी.आर. हो जाएगा, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1 करोड़ रुपये है। क्योंकि एस.डी.आर. का मुद्रा मूल्य कई प्रमुख मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग के समावेशी बाजार विनिमय दरों पर आधारित है।

विधेयक के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिवहन में देरी के लिए देयता को 4,150 एस.डी.आर. से बढ़ाकर 4,694 एस.डी.आर. करने का प्रस्ताव है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि 1972 के अधिनियम में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार दिए जाने वाले मुआवजे को यात्रियों के हित में बढ़ाया जा सकता है।

इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो केन्द्र सरकार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार मुआवजा प्रदान करने के लिए एयरलाइनों के संबंध में दायित्व की सीमाओं को संशोधित करने तथा अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार मिल जाएगा। यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं, अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से, इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैं देश में हवाई यात्रा से संबंधित एक और बात कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले जब मैं दिल्ली से भुवनेश्वर जा रहा था, तो मैंने एक आपातकालीन स्थिति देखी जिसमें एक यात्री को सीने में दर्द हो रहा था। मैं पेशे से डॉक्टर हूं। जब यह घोषणा की गई कि विमान में कोई डॉक्टर यात्रा कर रहा है, तो मैंने खड़े होकर मरीज की जांच की और उसके साथ खड़ा रहा। भुवनेश्वर पहुंचने पर मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच हवाई यात्रा का समय लगभग दो घंटे है। मेरा सुझाव है कि अच्छा होगा यदि सरकार की ओर से विमान में एक डॉ. तैनात किया जाए।

धन्यवाद, महोदय।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): सबसे पहले मैं नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू को इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं, जिसे पिछली सरकार द्वारा उपेक्षित किया गया था। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री जी की पहल के कारण ही यह विधेयक यहां आया है। मैं उनकी पहल की सराहना करता हूँ जो हवाई यात्रा के पीड़ितों को लाभ पहुंचाती है।

अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन में क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की गई हैं। विमान वहन अधिनियम, 1972 को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 में शामिल कर लिया गया। अधिनियम में हवाई वाहकों के दायित्व को नियंत्रित करने वाले नियम तथा अंतरराष्ट्रीय परिवहन में क्षति के लिए मुआवजे की सीमा निर्धारित की गई थी। विमान वहन अधिनियम को 2009 में संशोधित किया गया था, ताकि अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रावधानों को शामिल किया जा सके।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का अनुच्छेद 24, जो विमान वहन अधिनियम की तीसरी अनुसूची के नियम 24 के अनुरूप है, यात्रियों, सामान और कार्गो के संबंध में क्षति के लिए उनके वाहकों की देयता की सीमाओं की पांच वर्ष के अंतराल पर समीक्षा का प्रावधान करता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के डिपॉजिटरी ने दायित्व की सीमाओं की पहली समीक्षा की तथा 30 जून, 2009 को एक अधिसूचना जारी की।

चूंकि पांच वर्ष की अवधि पहले ही व्यपगत हो चुकी है, इसलिए हमारे नागर विमानन मंत्री ने इस संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया है। मैं इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करता हूं और इस विधेयक को हमारी तेलुगू देशम पार्टी का समर्थन देता हूं। विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं सभी केंद्रीय मंत्रियों, विशेषकर नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश राज्य पर विशेष जोर दें। विजयवाड़ा, तिरुपति, विजाग, राजमुंदरी और शिरडी हवाई अड्डों को इस स्तर तक विकसित किया जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को इन हवाई अड्डों पर आने और प्रस्थान करने की सुविधा हो। मैं उनसे विशाखापत्तनम से तिरुपति और राजामुन्दरी से दिल्ली के लिए उड़ान सेवा उपलब्ध कराने का भी अनुरोध करता हूं। इन स्थानों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं। आजकल

हवाई किराया सस्ता हो गया है। अधिकांश लोग अपना समय बचाने के लिए हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं। मैं नागर विमानन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे आंध्र प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में हवाई अड्डे विकसित करें।

इन शब्दों के साथ, मैं माननीय अध्यक्ष को मुझे यह अवसर देने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसे 7 अगस्त 2015 को नागर विमानन मंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया था।

वास्तव में यह विधेयक इस सदन में वायुयान द्वारा परिवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह अधिनियम वायुयान द्वारा किए जाने वाले परिवहन को विनियमित करता है तथा वार्सा कन्वेंशन, हेग प्रोटोकॉल, 1955 तथा मॉन्ट्रियल कन्वेंशन, 1999 के प्रावधानों को प्रभाव में लाता है। अधिनियम में अपवाद और अनुकूलन के अधीन रहते हुए, घरेलू यात्रा पर भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने का प्रावधान है।

महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2008 वर्ष 2008 में लोक सभा द्वारा पारित किया गया था। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर विचार करने के बाद विधेयक को राज्य सभा द्वारा भी पारित कर दिया गया। उस समय, मूल अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का मुख्य उद्देश्य हवाई मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को स्वीकार करना था। अब मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को 86 देशों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जिनमें से 25 देशों का भारत के साथ सीधा हवाई संपर्क है। भारत मई 2009 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में भी शामिल हो गया।

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 में यात्रियों के सामान और कार्गो से संबंधित क्षति के लिए हवाई वाहकों के लिए पांच वर्ष के अंतराल पर देयता सीमा में संशोधन का प्रावधान है।

अनुच्छेद 24, पैरा 2 में यह भी प्रावधान है कि राज्य पक्ष एक निश्चित समय सीमा के भीतर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के समक्ष अपनी अस्वीकृति दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान संशोधन विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुसार एयरलाइनों की देयता और मुआवजे की सीमाओं को संशोधित करने का अधिकार देना है। मेरा प्रश्न यह है कि जहां मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में हवाई वाहकों के लिए पांच वर्ष के अंतराल पर दायित्व सीमाओं के संशोधन का प्रावधान है तथा बहुसंख्यक राज्य पक्षों द्वारा

असहमति दर्ज करने का भी प्रावधान है, वहां केन्द्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए संशोधन क्यों आवश्यक है?

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अलावा, क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहकों के मामले में देयताओं की सीमाओं को संशोधित करने की कोई गुंजाइश है? विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2008 के पारित होने के बाद, भारत मई, 2009 में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में शामिल हो गया। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के अनुसार, हमारी केन्द्र सरकार को इस प्रश्न में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है।

मुझे इस संशोधन विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इन बिंदुओं को स्पष्ट करे और फिर आगे बढ़े।

इस विधेयक के अलावा, मैं संबंधित मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एयर इंडिया की कुछ उड़ानें देरी से चलती हैं - विशेष रूप से एआई-020 हर बार देरी से चलती है - और वह भी बिना किसी विशेष कारण के। इसका कारण चालक दल, पायलटों की कमी, सीमा शुल्क की देरी से निकासी आदि है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी देरी के लिए मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। इसे भी इस संशोधन विधेयक के दायरे में लिया जाना चाहिए ताकि एयर इंडिया के कुछ यात्रियों को लाभ मिल सके।

धन्यवाद।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं मंत्री श्री अशोक गजपति राजू को विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 लाने के लिए बधाई देता हूं। मेरा दल इसका पूर्ण समर्थन करती है। मेरा मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, हालांकि इसे बहुत पहले ही लागू किया जाना चाहिए था। शायद कम से कम अब हमारे मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान मृत्यु, नुकसान, अथवा देरी से सामान की हानि से पीड़ित लोगों को पर्याप्त राहत देने की पहल की है। यह मृत्यु अथवा विकलांगता के समय पूरी तरह से मुआवजा नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम यह हमारे अंतरराष्ट्रीय विमान यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कुछ राहत तो देगा।

<u>अपराह्न 05.18 बजे</u> (माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

हालांकि हम जीवन की भरपाई नहीं कर सकते, जीवन एक समान होता है चाहे वह अंतरराष्ट्रीय हो अथवा राष्ट्रीय विमानन। मैं इस अवसर का उपयोग करते हुए मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि राष्ट्रीय विमानन यात्रियों के लिए भी इसी प्रकार के नुकसान, मृत्यु, सामान में देरी के मामलों में समान राहत प्रदान करें।

साथ ही, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अब हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती हैं, चाहे वह देरी हो, ओवर-बुकिंग हो, अनुचित रख-रखाव हो या अनुचित सेवा हो। इसलिए, मैं मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि एक शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली पेश करें, जो वर्तमान प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी हो।

हम केवल शारीरिक परेशानी, क्षति और मृत्यु की बात कर रहे हैं। कई बार यात्रियों को एयरलाइन्स स्टाफ की चूक, देरी, क्षति अथवा खराब सेवा के कारण भी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अनुचित सेवा के मामलों में मुआवजा देने के लिए एक और संशोधन लाएं या कुछ धाराएं पेश करें।

मैं एक विशिष्ट उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। हाल ही में सात सदस्यीय संसदीय दल दिल्ली से हवाई यात्रा पर गया है। पूरे आठ घंटे तक एयर कंडीशनर काम नहीं कर रहा था। मजेदार बात यह थी कि एयर इंडिया के विमान के कर्मचारी यह भी नहीं बता पा रहे थे कि इसकी मरम्मत हो पाएगी या नहीं। वे यात्रियों को वहां स्थानांतरित करने के लिए भी आगे नहीं आ रहे थे जहां एयर कंडीशनर काम कर रहा था, इस तथ्य के बावजूद कि वहां सात माननीय संसद सदस्य मौजूद थे। सबसे मजेदार हिस्सा यह था कि एक सांसद ने सेवा कर्मचारियों से भोजन के लिए अनुरोध किया क्योंकि उन्हें भूख लग रही थी।

केबिन क्रू का जवाब था कि जब तक शराब परोसने का काम खत्म नहीं हो जाता, वे खाना नहीं परोसेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यात्री, चाहे वह सांसद हो अथवा कोई अन्य सामान्य व्यक्ति, को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक चालक दल शराब या वाइन नहीं परोसता। एयर इंडिया में ऐसी अनुचित सेवा पर भी तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं एक और उदाहरण भी बताना चाहूंगा। एक बार मुझे अपनी सीट को तीन बार बदलना पड़ा क्योंकि पहली सीट में सीट बेल्ट नहीं थी, दूसरी सीट बेल्ट खिंच नहीं रही थी और तीसरी सीट में सीट नहीं हिल रही थी। जब मैंने केबिन क्रू से विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया कि आजकल हम टीवी से बहुत डरते हैं और हम अधिक विनम्र हैं, तो जवाब मिला कि ऐसा ही होगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि तेलंगाना राज्य में केवल एक ही हवाई अड्डा है, बेगमपेट हवाई अड्डा, जो आजादी से पहले भी मौजूद था। दुर्भाग्यवश, उस हवाई अड्डे को रक्षा विभाग को सौंपने का प्रयास किया गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऐसा कदम न उठाएं।

दूसरा, मेरे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के हिस्से में चार हवाई अड्डे आए हैं, जबकि हमारे पास केवल एक हवाई अड्डा है। चाइना की एक संतान नीति की तरह, हमने तेलंगाना के लिए एक हवाई अड्डा नीति अपनाई है। वारंगल शहर एक विरासत शहर है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। पहले वहां

एक हवाई अड्डा था, लेकिन मौजूदा हवाई अड्डे के साथ कुछ समझौता ज्ञापन के कारण सरकार वारंगल शहर में हवाई अड्डे को मंजूरी नहीं दे रही है, जो हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। मैं इस अवसर पर उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे केवल तेलंगाना राज्य के लिए एक हवाई अड्डे की नीति का पालन न करें। यह चाइना नहीं है। कृपया वहां और अधिक हवाई अड्डे बनाएं क्योंकि यह समय की मांग है। मैं इस अवसर पर टी.आर.एस.पार्टी की ओर से विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सरकार ने अपने अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं प्रोटोकॉल को ध्यान में रख कर बनाया गया है। यह अच्छी बात है। बदलते समय के अनुसार ही हमारी कानून और व्यवस्था होनी चाहिए। विमान वहन विधेयक के द्वारा खासकर किसी भी प्रकार की क्षति में मुआवजा को सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि देश में प्राइवेट एयरलाइंस की सेवायें बढ़ी हैं, तो उनकी मनमानी पर भी अंकुश लगना चाहिए। उन्हें मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उनकी इस मनमानी पर अंकुश लगे और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि चाहे सामान का भाड़ा, किराये में अनाप-शनाप बढ़ोतरी, समय पर पैसेंजर्स के सामानों का न मिलना, आदि को भी ध्यान में रखा जाये। यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की भी घटनायें सामने आती हैं। समय पर फ्लाइट नहीं मिलने पर यात्रियों को काफी परेशानी होती है। इस एवज में भी क्षतिपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया है। हमारी वर्तमान सरकार विशेषकर हमारे माननीय मंत्री जी अशोक गजपति राजू जी यह संशोधन इसलिए लाये हैं कि प्रायः अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान जो सामानों की क्षतिपूर्ति होती थी, उसमें अपने यहां तो हम बहुत त्वरित गति से निर्णय कर लेते थे लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में उनके देश की मुद्रा के हिसाब से व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही थीं।

माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देकर संशोधन लाए हैं। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं मंत्री जी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि निश्चित ही वर्तमान सरकार के मुखिया श्रद्धेय नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री अशोक गजपति राजू जी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के सामान की क्षतिपूर्ति के लिए संवेदनशील निर्णय लेते हुए उसे कानून देने का विधेयक सदन में लाए हैं। हमारे यहां से एक प्रतिनिधिमंडल माननीय लोक सभा अध्यक्ष के नेतृत्व में बेल्जियम गया हुआ था। यह संयोग की बात थी कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप आदरणीय मेघवाल जी यहां बैठे हुए हैं, वे भी उसमें थे। विभिन्न पार्टियों के नौ सदस्य थे। हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आते हैं तो हम भारतीय मान्यताओं, परम्पराओं के अनुसार उन्हें एयरपोर्ट पर अपने लाउंज का उपयोग करने का पूरा आधिकार देते हैं। सामान्य शिष्टाचार का भी पालन करते हैं और उन्हें सम्मान सहित वह लाउंज निशुल्क उपलब्ध भी करवाते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जिस आति विशिष्ट लाउंज में हमारी माननीय अध्यक्ष जी रुकी थीं, हमारे देश के समस्त पार्टियों के माननीय सांसदगण भी रुके थे, यह बताया गया कि हम आति विशिष्ट लाउंज का पर आवर के हिसाब से आपकी सरकार से चार्ज लेते हैं। मैं इस विधेयक में यह संशोधन करने का आग्रह मंत्री जी से करूंगा कि जब हम विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को अपने देश के आति विशिष्ट लाउंज में पूरी सुविधा शिष्टाचार के अनुसार दे रहे हैं, आतिथि देवो भव: की परिकल्पना को साकार करते हुए दे रहे हैं, तो उन्हें भी कम से कम इतनी मर्यादा जरूर निभानी चाहिए कि जब हमारे देश में उन्हें वह सम्मान मिल

रहा है तो उसके आधार पर वे अपने वीवीआईपी लाउंज में हमारे देश के प्रतिनिधियों को भी निशुल्क रुकने का आधिकार प्रदान करें।

मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद से आता हूं। वहीं से सटा हुआ गोरखपुर है जो गोरखनाथ, संत कबीर और बुद्ध की धरती को जोड़ने का एकमात्र एयर स्टेशन है। वहां वर्तमान समय में जैट का सिर्फ एक ही हवाई जहाज चल रहा है। वह मनमाने तरीके से किराया ले रहे हैं। जब यात्री फुल हो जाते हैं तो किराया दो हजार रुपये से सीधे तेरह हजार रुपये और तेरह हजार रुपये से सीधे पच्चीस हजार रुपये पहुंच जाता है जबकि बुद्ध परिपथ जो पूरे विश्व में जाना जाता है, वहां जापान, कोलंबिया, चीन और श्रीलंका के पर्यटक कुशी नगर जाने के लिए आते हैं। मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एयर इंडिया की नियमित उड़ान गोरखपुर में चलाने का कष्ट करें और किराए पर विशेष प्रकार से लगाम लगाने का भी काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, सबसे पहले मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा किए गए हस्तक्षेप का समर्थन करना चाहूंगा कि नागरिक विमानन क्षेत्र के संबंध में गहन चर्चा की आवश्यकता है। यह बहुत आवश्यक है और हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार नागरिक विमानन क्षेत्र - हमारे देश के वर्तमान परिदृश्य - पर चर्चा कराने की पहल करेगी।

मैं विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 का पूर्ण समर्थन करता हूँ। जैसा कि हमारे अधिकांश विद्वान ने अपने वक्तव्यों में पहले से ही विस्तार से बताया है, यह विधेयक 1999 के मोंट्रियल समझौते में किए गए प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है। लेकिन ध्यान देने योग्य एक रोचक तथ्य यह है कि 1999 में ही इस अधिनियम को संशोधित किया गया था। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 1972 के विमान वहन अधिनियम को 1999 में संशोधित किया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश, उस समय हम इसके परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में ही कन्वेंशन दस्तावेज में यह प्रावधान था कि पांच वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन या डिपोजिटरी द्वारा दायित्व में संशोधन किया जाएगा। इसलिए डिपॉजिटरी को पांच वर्षों के दौरान देयता की दर या देयता की सीमा को संशोधित करने का अधिकार है। लेकिन वर्ष 1999 में हमने जो संशोधन किया था, उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया था, जिसके कारण यह सभा संशोधन करने के लिए बाध्य हुआ है।

अब मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित दो संशोधनों का पूर्ण समर्थन करता हूं। पहला संशोधन दायित्व की सीमा के संबंध में है जिसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार संशोधित किया जाना है। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय मंत्री जी तथा सरकार के समक्ष विचारार्थ केवल एक ही सुझाव रखना चाहता हूँ। यह दरों में संशोधन और देयता में संशोधन के लिए है। इससे देयता कभी कम नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में भी यदि देयता में वृद्धि के बजाय इसे कम किया जाएगा तो इससे निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मैंने एक संशोधन पेश किया है और मैं उस समय इस पर

बोल सकता हूं। इन सभी प्रतिबद्धताएँ और अभिसमयों को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरे संशोधन के माध्यम से विशेष नियम तैयार किए जाने होंगे। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं लेकिन फिर भी इससे जुड़ी मेरी कुछ आपत्तियां हैं।

दूसरा मुद्दा क्षति के बारे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा ही मुख्य मुद्दा है, या जहां तक हमारा सवाल है, यह हमारी मुख्य चिंता है। मृत्यु या शारीरिक चोट के कारण हुई क्षति तथा सामान के मामले में बताई गई राशि संशोधित की जाती है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार को यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में अधिक सतर्क रहना होगा।

महोदय, मैं जानता हूं कि एयर इंडिया हमारे देश की राष्ट्रीय विमानन कंपनी है। यह हमारे देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब एयर इंडिया को जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है ताकि निजी विमानन कम्पनियों के हितों की रक्षा की जा सके। यह हमारे देश में हो रहा है। मैं एक बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दे सकता हूं। मुझे पता है कि तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे के संबंध में एयर इंडिया की वित्तीय पुनर्गठन योजना है तथा एयर इंडिया की एक कायाकल्प योजना भी है। जिसे वर्ष 2010 में स्वीकृत किया गया था। टर्न अराउंड योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना के अनुसार यह एयर इंडिया ग्राउंड हैंडलिंग सेवा को एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को सौंपा जाना था। टर्न अराउंड योजना में यही प्रतिबद्धता है। लेकिन दुर्भाग्यवश एयर इंडिया के अधिकारियों ने इसे संयुक्त साझेदारी को आवंटित कर दिया है। ग्राउंड हैंडलिंग सेवा को संयुक्त साझेदारी को दे दिया गया है, जो कि की गई प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है, तथा टर्न अराउंड योजना और वित्तीय पुनर्गठन योजना के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके अलावा, यह कार्य किसी समझौते या समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए बिना किया गया है।

महोदय, मैं यहां एक बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि इस मामले को एक मजदूर संघ के नेता ने चुनौती दी थी। उन्होंने उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर की। करोड़ों रुपये की लूट

हो रही है। इसे एयर इंडिया को दिया जाना था। इसका लाभ एयर इंडिया को मिलना है लेकिन निजी भागीदारी द्वारा इसे लूटा जा रहा है। इस पूरे मामले में उस ट्रेड यूनियन नेता का तबादला एक झूठे यौन उत्पीड़न के मामले के आधार पर हैदराबाद कर दिया गया। यह व्यक्ति एक संरक्षित कर्मी हैं और एक मान्यता प्राप्त तथा पंजीकृत ट्रेड यूनियन के राज्य सचिव भी हैं। मैंने इस विषय को लेकर माननीय मंत्री जी को तीन पत्र भी लिखे हैं। दुर्भाग्यवश, मुझे कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। केवल यह कह दिया गया कि यौन उत्पीड़न के आरोप के आधार पर उनका तबादला किया गया है। सीबीआई ने जांच की और यह बात सामने आई कि याचिका झूठी, मनगढ़ंत और आधारहीन थी तथा एयरहोस्टेस के हस्ताक्षर भी नकली थे तथा उन्हें प्रस्तुत किया गया था। एक बहुत ही रोचक तथ्य जो मैं सभा के समक्ष लाना चाहता हूं, वह यह है कि तीन दिन पहले सीबीआई ने तिरूवनन्तपुरम हवाई अड्डे पर छापा मारा था और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा था, 'सीबीआई ने याचिका के आधार पर हवाई अड्डे पर छापे में 14 करोड़ रुपये की हेराफेरी पाई है।' दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति का तबादला कर दिया गया। इस तरह से मामलों को संभाला जा रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया इस मामले पर गौर करें। हम संसद सदस्य किसी व्यक्तिगत कारण से याचिकाएं प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के हितों का पूर्ण समर्थन करते हैं। हम उनकी रक्षा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की सुरक्षा करना हमारा कर्त्तव्य और जिम्मेदारी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब हम याचिकाएं प्रस्तुत करें तो उन्हें गहराई से पढ़ें और देखें कि यह याचिका में दर्ज करने योग्य है या नहीं। मैं संसद सदस्य के रूप में अपनी शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ।

महोदय, मैं दोनों संशोधनों का पूर्ण समर्थन करता हूं तथा मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे द्वारा उल्लिखित मामले पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे तथा अपनी शिकायत का निवारण करेंगे। एयर इंडिया के पक्ष में खड़े हुए व्यक्ति को बिना किसी कारण के झूठे आधार पर परेशान किया गया है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको माननीय नागर विमानन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू द्वारा प्रस्तुत विमान वहन (संशोधन) विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

मैं अब तक बोलने वाले माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से लगभग सहमत हूँ। मैं समझता हूं कि यदि मैं शेष आंध्र प्रदेश में नये हवाई अड्डों के बारे में उल्लेख करूं तो यह अनुचित नहीं होगा। नेल्लोर, कुरनूल, नागार्जुनसागर और डोनाकोंडा में हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है, विशेषकर नेल्लोर में, जो मेरा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रहै आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले ही 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली है और वह आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। यह प्रस्ताव काफी समय से लंबित है और यह नेल्लोर के लोगों की लंबे समय से विचाराधीन मांग रही है।

नेल्लोर एक बहुत ही संभावित तटीय क्षेत्र है जहां कई ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। केवल इतना ही नहीं है। वहां कई अन्य औद्योगिक इकाइयां भी हैं। इस तरह से यह एक बहुत ही संभावित क्षेत्र है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी वहां मौजूद है। यह एक स्मार्ट सिटी भी बनने की सम्भावना है। निश्चित रूप से, वहां एक नये हवाई अड्डा बनने की संभावना है।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रस्ताव पर गौर करें। केन्द्रीय सरकार की ओर से भी माननीय मंत्री महोदय बार-बार यह कहते आ रहे हैं कि यह विधेयक पारित होने वाला है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन प्रस्तावों पर गौर करें और नेल्लोर, कुरनूल, नागार्जुनसागर और दोनाकोंडा हवाई अड्डों का विकास करें।

नागर विमानन मंत्री (श्री अशोक गजपति राजू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ।

जैसा कि सभी ने समझा और व्यक्त किया है, यह मूलतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दरों को बढ़ाने के लिए है। हर पाँच साल में वे बैठक करते हैं और इसे बढ़ा रहे हैं। 30 दिसंबर, 2009 को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन था जब इसमें संशोधन किया गया था और हम 2 दिसंबर, 2015 को हैं। इसमें समय का अंतराल है। बेशक, भारत इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता है और यदि कुछ होता है तो प्रतिबद्धता लागू हो जाएगी, लेकिन जब इसे इस सदन की मंजूरी मिल जाती है तो इसका विशेष महत्व होता है। दुर्भाग्यवश, जैसा कि पहले बताया गया है, 2009 में जब उस अधिनियम को संशोधित किया गया तो इसे किसी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें दोषारोपण की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसी किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चीजें ध्यान में आती हैं, तो उन्हें सुधारा जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन ने एक संशोधन के लिए सूचना दी है। उनका कहना है कि राशि में कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में भी इस बात का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से देखा जाए तो आजकल महँगाई हर जगह है, और विभिन्न मुद्राओं का एक समूह में भी कभी गिरावट देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब हम किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जाते हैं, तो संभवतः यह आवश्यक हो जाता है कि कोई शर्तें न लगाई जाएं, क्योंकि यदि कोई टकराव उत्पन्न होता है, तो समस्या खड़ी हो सकती है। मुझे लगता है कि चीजें इस तरह से कम नहीं होतीं, यह उनकी भावना है।

दूसरी बात यह है कि सरकार के पास अधिकार होना चाहिए ताकि हमें हर पांचवें वर्ष विधेयक में संशोधन के लिए सभा में न आना पड़े। जहां तक विधेयक का प्रश्न है, यह सरल है और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपना संशोधन वापस ले लें, क्योंकि इससे यह काम सुचारू रूप से चल सकेगा। बेशक, हर जगह बहुत सारी विसंगतियां हैं। नागरिक विमानन पर अधिक चर्चा

और ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसमें समस्याएं भी हैं। यह समस्याओं से मुक्त नहीं है। बहुत से सदस्यों ने एयरलाइंस सेवा गुणवत्ता के बारे में बात की है। बेशक, सुरक्षा और संरक्षा दो ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारी सरकार कभी समझौता नहीं करेगी। एक माननीय सदस्य ने सुविधा की भी बात की। मैं समझता हूं कि यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए, सुधार की गुंजाइश बहुत अधिक है। मैं इन सभी बातों को काम करने के सुझाव के रूप में लूंगा। सरकार ने हाल ही में विमानन नीति का प्रारूप जारी किया है। यह मामला सार्वजनिक हो गया है। 30 नवंबर सार्वजनिक सुझाव हेतु अंतिम दिन था। हम भाग्यशाली थे कि हमें नागरिक विमानन संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति की सलाह मिली। इनमें से अधिकांश सुझाव और वे सुझाव कमोबेश एक जैसे हैं। हमें इस पर ध्यान देना होगा और इस पर काम करना होगा। अंतिम लक्ष्य इस सेवा क्षेत्र में सुधार लाना है। इसमें सुधार होना चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें बेहतर सेवा देनी चाहिए।

माननीय सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय पे लाउंज की तुलना में भारत में पे लाउंज की कमी की बात उठाई है। हर देश अपनी संस्कृति के अनुसार विकास करता है। इस पर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम भारतीय हैं और हमारे कार्य करने का अपना तरीका है। हर देश की अपनी कार्यप्रणाली होती है। हम अन्य देशों को यह बाध्य नहीं कर सकते कि वे हमारे जैसे व्यवहार करें।

मैं इन सभी सुझावों को स्वीकार करता हूं। हमारी सोच निरंतर आधार पर सुधार करना और आगे बढ़ना है। मुझे नहीं लगता कि मैं सब कुछ उत्तर देने में सक्षम हो पाऊंगा क्योंकि वे कई मुद्दों से संबंधित हैं, जैसे हवाई अड्डे, एयरलाइंस, शिकायतें, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो, सभी प्रकार की चीजें हैं। लेकिन ये सभी सुझाव अच्छे हैं और हम इन पर काम करेंगे। हम अपने देश की बेहतरी के लिए उन पर काम करेंगे। यही मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को बिना संशोधन के पारित किया जाए। यह मेरा अनुरोध है।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि विमान वहन अधिनियम, 1972 का और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 धारा 4क का संशोधन

माननीय उपाध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडश: विचार करेगा।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): हाँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 1, पंक्ति 9,--

"नुकसान" *के पश्चात्*

“मौजूदा मुआवजे की दर से कम नहीं" अंत:स्थापित करें। । (1)

यह संशोधन निरापद है। इसमें कहा गया है, "मुआवजे की दर वर्तमान दर से कम नहीं होगी"। यह एक निरापद संशोधन है। यह कभी भी मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होगा। यह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के विरुद्ध नहीं है बल्कि यह मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद 24 के पूर्णतः अनुरूप है। इसलिए, इस संशोधन को शामिल करना एक सतर्कता का उपाय है। मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 2 के संशोधन संख्या 1 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 नई धारा 8क का अंत:स्थापन

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): हाँ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 2, पंक्ति 3,--

"इस अधिनियम" के पश्चात

"अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार नियमों और शर्तों को लागू करने के लिए" अंतःस्थापित करें।

(2)

अगला संशोधन, जो प्रस्तावित किया गया है, वह धारा 8क है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि "केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। कोई भी विधेयक हो, इस प्रकार का प्रावधान हर अधिनियम में होता है ताकि उस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। मूल अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इसके संबंध में न ही स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही उद्देश्य एवं कारण कथन में इसका उल्लेख है। कोई भी अधिनियम हो, अधिनियम के उपबंध को प्रभावी बनाने के लिए यह प्रावधान मौजूद है। मुझे खेद है।

संशोधन का प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की निबंधन और शर्तें को लागू करने के लिए है, यदि यह केवल इसके लिए पूरी तरह से लागू होता है। अन्यथा, यह सम्पूर्ण अधिनियम, अर्थात् 1972 के विमान वहन अधिनियम के लिए लागू होगा। मैं केवल नियम बनाने के प्रावधान के संबंध में माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाह रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 3 के संशोधन संख्या 2 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अशोक गजपति राजू: मैं प्रस्ताव करता हूं:

यह विधेयक पारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैंने अब बोलने के लिए नोटिस दे दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष : हां।

श्री पी.पी. चौधरी : महोदय, इस स्तर पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या विमान वाहन यात्रियों को केवल न्यूनतम राशि के रूप में मुआवजा प्रदान कर रहे हैं और उनके नुकसान के लिए उचित राशि नहीं दे रहे हैं, और क्या वे अधिनियम और सरकार द्वारा परिभाषित अधिकतम अनुमत स्तर तक मुआवजा राशि प्रदान कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उनके नुकसान के लिए उचित और/या आनुपातिक मुआवजा प्रदान करने के लिए उठाए गए उपायों या बनाए गए नियमों और विनियमों और उनके प्रवर्तन के बारे में क्या प्रावधान हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस मुद्दे को स्पष्ट करें।

श्री अशोक गजपति राजू : मूलतः यह संशोधन अंतरराष्ट्रीय यात्रा से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के संबंध में, हम सभी अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन के दिशा-निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। कई देश इसके हस्ताक्षरकर्ता हैं और हम भी उन्हीं मानकों का पालन करते हैं। लेकिन हमारे देश के भीतर परिस्थितियाँ अलग हैं। हमारे यहाँ मापदंड अलग हैं; बाकी सारी व्यवस्थाएँ भी अलग हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रा और घरेलू यात्रा के बीच स्पष्ट अंतर है।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

<u>अपराह्न 05.48 बजे</u>

भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम मद सं.8 - भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय मंत्री जी

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, इस पर कल विचार किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम इस पर छह बजे तक चर्चा करेंगे। उन्हें जो कहना है वह कहने दीजिए।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक, 2015 पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं। वर्ष 1986 का आईएस एक्ट पास किया गया था, उसे निरस्त करके नया बिल लाया जा रहा है। आप जानते हैं कि भारत विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जरूरी हो गए हैं।वर्ष 1947 में इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट बनाया गया था, जो इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स के लिए मानक तय करता था। यह एक रजिस्टर्ड सोसायटी थी। इसके बाद वर्ष 1952 में आईएसआई एक्ट बना और जब पंचवर्षीय योजना बनाई गई, उसके बाद इंडस्ट्रीयल ग्रोथ को क्वालिटी के लिए या गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए स्टैंडर्ड बनाने की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद वर्ष 1986 में बीआईएस एक्ट पास किया गया। जो एक्ट वर्ष 1987 में लागू हुआ, उसका मुख्य काम स्टैंडर्ड बनाना था, मार्किंग करना और सटीरफिकेशन था। वर्ष 1986 के बाद से देखेंगे तो तीस साल का समय बीत चुका है। यह एक्ट बहुत पुराना हो गया और इकोनोमी का सिनेरियो बदल गया। बीआईएस को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नए-नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मार्केट में नई किस्म की सर्विसिज की आवश्यकता पड़ रही है और इसके कारण यह महसूस किया गया कि इसमें संशोधन

किया जाए। यूपीए-2 की सरकार ने 3/12 को बीआईएस संशोधन विधेयक लोक सभा में पेश किया और बाद में उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया और समिति की रिपोर्ट भी आ गई लेकिन पन्द्रहवीं लोक सभा भंग हो गई और उसके बाद हम लोगों ने बहुत कंसल्टेशन किया और यह महसूस किया कि अगर इतने संशोधन हो जाएंगे तो यह एक्ट किसी काम का नहीं रहेगा इसीलिए यह निर्णय लिया कि पुराने बिल की जगह नया बिल लाया जाए और यह बीआईएस बिल, 2015 लाया गया।

इस बिल को लाने से पहले हम लोगों ने एक दर्जन बार अलग-अलग तरीके से इस बारे में सोचा। इस बिल को वेवसाइट पर रखा, स्टेक होल्डर्स के साथ विचार-विमर्श किया, पीएमओ के साथ बात की और लीगल विभाग से भी बात की। इन सभी से बात करके अंत में यह बिल लाया गया है। इसमें पहली बात यह है कि बीआईएस को राष्ट्रीय मानक निकाय घोषित किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो अन्य सैक्टर्स हैं, जो अलग-अलग सैक्टर्स में अपने मानक बनाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन्हें बायपास न किया जाए, बल्कि उन मानकों को भी बनाने का उन्हें आधिकार रहे और हम उसे राष्ट्रीय मानक का दर्जा दें। अभी हम मान लें कि अगर हम विदेश में जाते हैं, वहां " बाटा " की दुकान है। जूता सभी जगह बनता है लेकिन जब " बाटा " का मार्क पड़ जाता है तो लोग सोचते हैं कि स्टैंडर्ड है। उसी तरह से हम मानते हैं कि बाहर एफएसएसआई है, हर तरह के आथोरिटीज हैं लेकिन बाहर जो प्रतिनिधित्व करता है वह आईएसआई करता है। इसी कारण यह सोचा गया कि अलग-अलग वह अपना संगठन बना दें लेकिन उन्हें राष्ट्रीय मानक देने का काम बीआईएस करेगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलेगी।

यदि राष्ट्रीय मानक आनिवार्य किया जाता है तो उससे यह होगा कि बाहर से जो घटिया सामान आता है, उस पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। पहले जो बीआईएस एक्ट था, उसका काम केवल सामान और प्रोसेस की गुणवत्ता के लिए मानक तय करना था। फिर उसके अनुसार मार्किंग करता था तथा टेस्ट भी करता था कि यह गुणवत्ता के अनुसार है या नहीं है। अब जो पद्धति है, उसमें सिस्टम और सर्विसेज को भी जोड़ा गया है। जैसे मान लेते हैं कि ऑफिस का मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऑफिस कैसे चलेगा, हम कितने दिनों में

जवाब देंगे, जिस तरह से सिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से जो एजुकेशंस हैं या हॉस्पीटल्स हैं। इन सारी चीजों को जोड़ा गया है। अब आर्टिकल्स के साथ-साथ गुड्स, प्रोसेस, सिस्टम्स, सर्विसेज सभी बीआईएस में आ गये हैं। केन्द्र सरकार को आधिकार होगा कि बीआईएस के अलावा भी दूसरे टेस्टिंग और लाइसेंस का काम सौंप सकती है। मतलब बीआईएस के पास इतना काम बढ़ गया है और बढ़ जाएगा कि स्वाभाविक है कि यदि उस स्टैंडर्ड का दूसरा भी कोई करता है, तो हम उस प्रक्रिया को सरल कर रहे हैं। यदि उसमें दूसरा भी है, तो उसे भी टेस्टिंग और लाइसेंस का काम बीआईएस सौंप सकती है। उसके बाद शिड्यूल इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया जो सामान था, वही आनिवार्य मार्किंग में आता था। अब केन्द्र सरकार को यह शक्ति दी गयी है कि वह नेशनल इंट्रेस्ट में, नेशनल सिक्युरिटी के दृष्टिकोण से, जन-सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से और अनुचित व्यापार को आनिवार्य कर सकता है। इन सब के कारण बीआईएस पर काम का बोझ पड़ेगा और हम इतने वैज्ञानिक नहीं ला सकते हैं, हम चाहते भी नहीं हैं कि कोई इंस्पेक्टर राज फिर से कायम हो। इसलिए सर्टिफिकेशन के लिए सेल्फ-डिक्लेरेशन कर सकेंगे, मतलब जो प्राइवेट प्रोड्याूशर्स हैं, वे चाहें तो कह दें कि हमारा सामान बीआईएस के स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है और हम इसको डिक्लेयर करते हैं। उसको भी हम मान्यता देंगे, लेकिन जब शिकायत आएगी तो हम उस शिकायत की जांच करेंगे। यह नहीं है कि हमारा इंसपेक्टर...(व्यवधान) आप जब बोलेंगे, तब सजेशन दीजिएगा। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अभी जो सर्टिफिकेट बीआईएस देता है, उसके पास इतना मैनपावर नहीं है। आप जाकर देखेंगे कि सर्विसेज के स्टैंडडर् की संख्या चाइना में पांच हजार है, हमारे यहां केवल 87 है, जबकि डब्ल्यूटीओ में 800 के करीब सर्विसेज के स्टैंडडर् बना लिए हैं।

हमारा मेन मकसद है कि प्रक्रिया को सरल करें। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं,...(व्यवधान) जो अलग-अलग संस्थाएं एवं अलग-अलग विभाग हैं, वहां उन्होंने अपने जो स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, हम उनको एडॉप्ट करते हैं। दूसरे, अगर प्राइवेट कंपनी वाला भी कहता है कि हमने आपके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सामान बनाया है, तो हम उनको भी एडॉप्ट करेंगे क्योंकि यदि हम यह कह देंगे कि हम इसे जांच करके एडॉप्ट करेंगे, तो हमें

फिर डर है कि जो इंसपेक्टर्स हैं, जो जांच करने वाले लोग हैं, वे उसमें इतनी दखलंदाजी करना शुरू कर देंगे कि वह काम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब ओपन मार्केट है, हम मार्केट पर छोड़ देते हैं, जब वह मामला मार्केट में आएगा और हमें कोई शिकायत करेगा, तब उस परिस्थिति में हम जांच करने का काम करेंगे। इसी तरीके से, हमने प्रक्रिया को सरल किया है, लेकिन दण्ड को कठोर किया है। इसमें हमने कहा है कि यह पहले संज्ञेय अपराध नहीं था, काग्नीजेबल ऑफेंस नहीं था, लेकिन अब आनिवार्य प्रोडक्ट्स को संज्ञेय अपराध अर्थात काग्नीजेबल ऑफेंस के अंदर आएंगे। दूसरे, पहले 50,000 रुपये जुर्माना था, अब इसे बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये जुर्माना किया गया है और आनिवार्य प्रोडक्ट्स के मामले में दो लाख रुपये और एक साल भर की बिक्री के दस गुना तक जुर्माना होगा। पहले एक साल की जेल का प्रावधान था, अब इसे बढ़ाकर हमने दो साल कर दिया है। यह भी कहा गया है कि यदि सामान पर चिन्ह लगा हो, किन्तु उसकी क्वालिटी घटिया हो, वैसे सामान को वापस किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता को नुकसान पहुंचा हो तो नुकसान की क्षतिपूर्ति का आधिकार भी होगा। इसके साथ ही हमने यह भी कहा है कि छोटी-मोटी चीजों, मुकदमेबाजी आदि को लिंगर करने के बजाय यदि आपस में फाइन वगैरह करके मामले का निपटारा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।...(व्यवधान) हॉल मार्किंग के संबंध में हमने कहा है कि केन्द्र सरकार को शक्ति दी गयी है कि वह सोना, चांदी आदि के लिए हॉलमार्किंग को आनिवार्य कर सकती है। अभी हमने कीमती धातुओं के लिए प्रावधान किया है कि हॉलमार्किंग होनी चाहिए। आप जानते हैं कि सोना, चांदी वगैरह नौ कैरेट से लेकर 22 कैरेट तक होती हैं, गरीब जब खरीदने के लिए जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि नौ कैरेट का सामान खरीद रहे हैं या 22 कैरेट वाला सामान खरीद रहे हैं। उससे पैसा 22 कैरेट वाला लिया जाता है और सामान उसे नौ कैरेट का दिया जाता है। हमने कहा है कि प्रत्येक ज्वेलरी की दुकान में ये सारी चीजें रहनी चाहिए।

[अनुवाद]

<u>सायं 06.00 बजे</u>

लेकिन हॉलमार्किंग को अभी तक ज्वेलर्स के लिए कम्पलसरी नहीं किया गया है। हमने कहा है कि सरकार चाहे तो उसकी मैंडेटरी कर सकता है। इससे सर्विसिज का सेक्टर छोटा था, इसमें शामिल होगा। यह मोटा-मोटी बातें हैं। हमारे पास और भी आंकड़े हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जाऊंगा, जब सब लोगों के सजेशन्स और अमेंडमेंट्स आएंगे, तब उन पर हम बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस बिल पर विचार किया जाए।

[अनुवाद] **माननीय उपाध्यक्ष** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि माल, वस्तु, प्रसंस्कारण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन के क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय की स्थापना के लिए और उससे सबंद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी छह बज रहे हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम शून्यकाल के लिए समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि सभा इससे सहमत होगी।

अब हम 'शून्यकाल' पर विचार कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): किसी ने भी 'हां' में जवाब नहीं दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसका मतलब है कि कि यह स्वीकार कर लिया गया है। अर्थात्, मौन ही स्वीकृति है।

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या है और जो लोग इस समस्या को झेल रहे हैं, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं।

महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों मनमाने निर्णय लिए हैं। पहला मनमाना निर्णय लोकसेवा आयोग का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जिस पर भ्रष्टचार और आपराधिक मुकद्मे थे। मैंने पहले भी इस मामले को सदन में उठाया था, लेकिन हमारी बात को नहीं माना गया। हाई कोर्ट ने भी उस अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। [हिन्दी] सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको नकार दिया। उस व्यक्ति ने 40 हजार भर्तियां की थीं। जिस व्यक्ति को नकार दिया गया था, उसके द्वारा की गयी भर्तियां कैसे सही हो सकती हैं?

महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1 लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों को भर्ती करके शिक्षक बना दिया और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की थी...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष :यह राज्य का विषय है, इसे यहां नहीं उठाया जा सकता।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य: महोदय, मैं इस सदन में शून्य काल में अपने क्षेत्र का मामला उठा सकता

हूं...(व्यवधान)

[अनुवाद] **मा**

ननीय उपाध्यक्ष : यह राज्य का विषय है। आपके सदस्य इसे वहां की विधान सभा में उठायें।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य: उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश आधा देश है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकती।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : अब श्रीमती रंजीत रंजन।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: यहां राज्य का विषय नहीं उठाया जा सकता है।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यह राज्य का विषय है। इस पर यहाँ चर्चा न करें। इसे यहां नहीं उठाया जा सकता है। यदि आप इस विषय को यहां उठाएंगे तो इससे एक बुरी परंपरा की शुरुआत होगी।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, धान की विलम्बता के बारे में सदन में कहना चाहती हूं...(व्यवधान) अभी तक धान की खरीदारी बिहार में नहीं हुई है। पिछले कई सालों से जब भी धान की खरीदारी का वक्त आता है...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : आप कोई अन्य विषय उठा सकते हैं।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: हर बार किसानों का धान पड़ा रह जाता है और वक्त पर खरीदारी न होने के कारण किसानों की हालत दिनों-दिन दयनीय होती चली जा रही है...(व्यवधान) इस बार जो सरकार पक्स के माध्यम से धान को खरीदती है...(व्यवधान) लेकिन अभी तक बिहार में किसानों का धान नहीं खरीदा गया है। एमएसपी 1410 रुपये तय की गयी है। पिछली बार यह 1360 रुपये थी, उस पर 300 रुपये का बोनस बिहार सरकार ने दिया था...(व्यवधान) इस बार 1410 रुपये एमएसपी तय हुआ है और उस पर 300 रुपये बोनस प्रदेश सरकार ने अभी ओरली बोला है...(व्यवधान) लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमेशा बिचोलियों और दलाल के कारण वक्त पर किसानों का धान नहीं खरीदा जाता है। इस बार मौसम की मार के कारण वहां सुखाड़ है। तकरीबन सभी बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स में सुखाड़ है। धान न के बराबर हुआ है। उसके बावजूद अभी तक धान का उठाव नहीं हुआ है। एक तो सुखाड़ के कारण वहां किसानों की दयनीय स्थिति है और दूसरा कुल 1410 रुपये मात्र मूल्य निधाररित किया गया है, कहा गया है कि 'ए' ग्रेड को हम 1450 रुपये देंगे। 'ए' ग्रेड का कभी भी किसान का दाम गवर्नमैन्ट नहीं लेती है, क्योंकि बिचौलिये और दलाल उसे 'ए' ग्रेड का बनने ही नहीं देते हैं। 80 प्रतिशत किसान 600, 800 और 900 रुपये में बिचौलियों द्वारा मार्केट में जाकर अपना धान बेचते हैं और वही जो दस परसैन्ट व्यवसायी वर्ग है, उन्हीं से गवर्नमैन्ट उनका धान लेती है, फिर किसानों को किस तरह से फायदा होगा।

मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि बिचौलियों को किसी तरह से कम करके दलाली को खत्म करके सही वक्त पर सरकार किसानों का धान उठा सके और 1410 रुपये नहीं, बल्कि सरकार को इस बार सुखाड़ के कारण किसानों की जो दयनीय हालत हुई है, उनका एमएसपी कम से कम 1800 रुपये होना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि इस बार बिहार में जो सुखाड़ है, एक विशेष पैकेज किसानों के लिए बिहार को भारत सरकार की तरफ से देना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, आप कोई अन्य मामला उठा सकते हैं, लेकिन राज्य के मामले नहीं उठा सकते।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : कोई भी राज्य संबंधी मामला न उठाएं। आप किसी अन्य मामले को उठा सकते हैं। आपको अनुमति दी जाएगी।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित कोई भी मामला उठा सकते हैं। मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्र, दो लाख शिक्षक पात्रता पास किये हुए बेरोजगार नौजवान और एक लाख से अधिक शारीरिक शिक्षा के लिए जो नौजवान डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, आज वास्तव में वे सड़क पर हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि जो 1 लाख 75 हजार शिक्षकों को उत्तर प्रदेश की सरकार जिसके लिए 'सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का' मनमानी करके जो शिक्षामित्र थे,...(व्यवधान) महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब न करें, यह बहुत बड़ा विषय है, मैं केन्द्र सरकार के पास ही इसे लेकर आ रहा हूं, आप मुझे कम्पलीट करने दीजिए। 1 लाख 75 जो हमारे शिक्षामित्र थे, उन्हें शिक्षक बनाने का आधिकार नहीं था, ... *दो लाख की संख्या में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किये हुए नौजवान, जिन्हें शिक्षक बनाना चाहिए था ...*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है। अब इस मामले पर चर्चा न करें। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार - उपस्थित नहीं।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री केशव प्रसाद मौर्य: 46 हजार की संख्या में लोक सेवा आयोग में भर्ती किया गया। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं जाएगा।

… *(व्यवधान)... ***

माननीय उपाध्यक्ष: ये आरोप रिकार्ड में नहीं जाएंगे।

श्री सतीश चंद्र दुबे

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: श्री राम चरित्र निषाद, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शराद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री विनोद कुमार सोनकर को श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आज बिहार की जो स्थिति है, वहां का किसान एक तरफ सुखाड़ की मार झेल रहा है और दूसरा जिस किसान के पास थोड़ा बहुत धान भी हुआ है, उसके उचित दाम देकर खरीददारी भी नहीं की जा रही है। किसान बिचौलियों के माध्यम से धान बेचने के लिए मजबूर हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना हमारे यहां की मुख्य फसल है। गेहूं बोना है, किसान पटवन करके पम्पिंग सैट के माध्यम से आज गेहूं बो रहा है, गन्ने की बुआई कर रहा है और एक फसल काटने के लिए तीन-तीन बार पटवन करना पड़ता है, लेकिन उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। चाहे वह गन्ना हो, चाहे वह गेहूं हो या धान हो।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार में सुखाड़ घोषित किया जाए और किसान के गन्ने का दाम बढ़ाया जाए और उन्हें उचित मूल्य देकर किसानों को मजबूत किया जाए। आज किसान दिन-प्रतिदिन मजबूर और लाचार होता जा रहा है। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज किसान मजबूरी और लाचारी की स्थिति में बेकरार पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार मेरी मांगों पर ध्यान दे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए. अनवर राजा (रामनाथपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। हमारा पूरा देश धैर्यपूर्वक और सहनशीलता के साथ यह देख रहा है कि यह केंद्र सरकार डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को किस प्रकार स्मरण करना चाहती है। डॉक्टर कलाम आज भी हमारे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा हैं। वह जनप्रिय राष्ट्रपति थे और विशेष रूप से छात्रों और बच्चों द्वारा अत्यंत प्रिय थे। उन्होंने युवाओं को स्वयं पर विश्वास करना सिखाया। उन्होंने उन्हें यह आशा दी कि हम सब मिलकर भारत को एक महाशक्ति बना सकते हैं। उनके आकस्मिक देहान्त से पूरा देश शोक में था तथा पूरे देश में शोक मनाया गया। अनेक लोगों की यह भावना है कि डॉक्टर कलाम की स्मृति में राष्ट्रीय राजधानी में एक भव्य स्मारक-संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे महान राष्ट्रीय आत्माओं का सम्मान करने की हमारी महान संस्कृति का प्रदर्शन होता। लेकिन

एक अशिष्ट तरीके से, डॉक्टर कलाम का सारा सामान दिल्ली से बाहर ले जाया गया। इस असभ्य कृत्य से पूरा देश शर्मसार है। अतः, मैं यह विषय सदन में उठाना चाहता हूँ।

इस अवसर पर, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी आदरणीय नेता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा, डॉक्टर कलाम के सम्मान में प्रतिष्ठित पुरस्कार, सम्मान और योजनाएं शुरू करने वाली पहली व्यक्ति थीं।

तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम तालुका के पेइकरुम्बु में डॉक्टर कलाम स्मारक बनाने के लिए डेढ़ एकड़ जमीन दी।

मेधावी रक्षा वैज्ञानिकों को 5 लाख रुपये का वार्षिक पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ आठ ग्राम का स्वर्ण पदक दिया जा रहा है।

हर साल डॉक्टर कलाम के जन्मदिन को 'युवा जागृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा।

हम भारत के लोगों को उस महान दूरदर्शी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। इसलिए, जिस स्थान पर उन्होंने अंतिम समय तक निवास किया, अर्थात 10, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली को राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय बनाया जाना चाहिए। यहां तक कि विनम्र लेकिन चतुर दिल्ली सरकार भी डॉक्टर कलाम के लिए एक राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र स्थापित करने जा रही है। जबकि शक्तिशाली भाजपा सरकार राष्ट्रीय राजधानी में डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए कोई सराहनीय प्रयास नहीं कर रही है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वह देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करना चाहता हूँ।... *(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है। ... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : जो भी व्यक्ति श्री अनहवर राजा के साथ सबंद्ध करना चाहते हैं, वह अपनी पर्चियां सभा पटल पर भेज सकते हैं।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपसभापतिः श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री पी.के. बीजू, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री ए. अनवर राजा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी – उपस्थित नहीं।

अब, श्री निशिकांत दुबे।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस लड़ाई को एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी ने मिल कर लड़ा और जिसके कारण मुझे लगता है कि एनडीए का रूल आने में एक बड़ा रोल था, वह टू-जी था। आज सारे अखबारों में पूर्व वित्त मंत्री का बयान छपा है। बयान यह है कि विंडिक्टिव हो कर सरकार उनको तंग करने का प्रयास कर रही है। उसी सरकार के एक मंत्री, जो पूर्व टेलिकॉम मंत्री थे, उनको सीबीआई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगातार जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ई.डी. का एक अफसर उनके पीछे पड़ा हुआ है और जिसके पीछे पूरी सरकार चल रही है। लेकिन जब अरूण शौरी साहब को, जसवंत सिंह साहब को, सी.पी. ठाकुर साहब को यही यूपीए सरकार लगातार बुला रही थी, किसी न किसी कारण से तो कभी एनडीए ने यह नहीं कहा कि हम विंडिक्टिव हैं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूँ। जो रेड हुई है कि 23.03.2006 को एफआईपीबी का क्लियरेंस हुआ वह 2-जी में एयरसेल मैक्सिस के लिए हुआ। एयरसेल मैक्सिस का जो क्लियरेंस हुआ, वह यह हुआ कि उस वक्त यह था कि 74% ही एफआईपीबी में क्लियरेंस आ सकता है। 26% आपको हिंदुस्तान की किसी कंपनी को देना पड़ेगा। सिंधिया सिक्युरिटीज़, जिसको कि 26% यह इक्विटी दी गई, सिंधिया सिक्युरिटीज़ ने लिख कर एफआईपीबी में दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है और वह सॉवरन गारंटी के तौर पर उसी एयरसेल-मैक्सिस ने, क्योंकि मैक्सिस ने कहा कि यदि पूरा एयरसेल हम खरीदेंगे तो हम पूरा का पूरा सौ पर्सेंट खरीदेंगे, न कि 74% खरीदेंगे। उसको सॉवरन गारंटी दिया। 23.03.2006 को एफआईपीबी यह क्लियरेंस देती है और 29.03.2006 को 26 लाख रूपया एटवांटेज स्ट्रेटिजिक में दिया जाता है। एडवान्टेज स्ट्रटीजिक वह है, जिसके ऊपर कल रेड पड़ा है। एडवान्टेज स्ट्रटीजिक एक ऐसा है, जो तीन कम्पनियाँ, जो पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र की थीं, हेलिडेन माकेरटिंग, चेस हेल्थ केयर और चेस मैनेजमेंट, ये तीन कम्पनियाँ ऐसी थीं, जिनसे वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2011 तक लगातार उस कम्पनी में कभी 50 हजार, कभी एक लाख, कभी दो लाख आता रहा और जाता रहा। इतना ही

नहीं हुआ वर्ष 2011 में वह कम्पनी अचानक पूर्व... *मंत्री के सुपुत्र के हाथों चली जाती है, पूरा मालिकाना हक उनके हाथ में चला जाता है।...(व्यवधान) पूर्व... *मंत्री के बेटे के हाथ में चला जाता है। उस कम्पनी पर आई.टी. ने कहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, आई.टी. ने कहा है कि 74 करोड़ रूपया इवैल्यूएशन था।

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, यह उचित नहीं है। (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री वेणुगोपाल, मैं आपको बुलाऊंगा।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे: ई.डी. कह रहा है कि 25 करोड़ रूपया इवैल्यूएशन है और 15 लाख रूपए में यह कम्पनी खरीद ली जाती है।...(व्यवधान) ये के.सी.वेणुगोपाल साहब इसीलिए बोल रहे हैं कि आज इन्हीं के ऊपर आरोप है 35 लाख रूपया लेने का।...(व्यवधान) सोलर में ...(व्यवधान) क्योंकि घूस देना और घूस लेना दोनो अपराध हैं।...(व्यवधान) एक उन्हीं के ऊपर आया है।...(व्यवधान) मेरा आपसे आग्रह है कि जिस तरह की सिचुएशन आई है, क्योंकि एफआईपीबी बोर्ड को उस वक्त 600 करोड़ रूपया से ज्यादा क्लियर करने का आधिकार नहीं था।...(व्यवधान) सीबीआई ने 29-08-2014 को जो एफआईआर, चार्जशीट फाइल की है, उसमें कहा है कि एफआईपीबी का क्लियरेंस गलत है।...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इम्मिडिएट सीबीआई को इंस्ट्रक्शन देकर दूध का दूध और पानी का पानी करें और पूर्व वित्त मंत्री को इम्मिडिएट जेल भेजें। जय हिन्द, जय भारत।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भर्तृहरि महताब, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा, श्री विनोद कुमार

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सोनकर, श्री राम चरित्र निषाद, श्री शिवकुमार उदासी, श्री सुनील कुमार सिंह, कुमारी शोभा करंदलाजे, श्री केशव प्रसाद मौर्य और कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को श्री निशिकान्त द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : जी हां, श्री के.सी. वेणुगोपाल।

… *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदय, शून्यकाल में अवसर का उपयोग करते हुए माननीय सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वह लिखित रूप में आरोप लगा सकते हैं। माननीय चिदम्बरम जी और उनके पुत्र इस सदन में नहीं हैं। जो लोग सभा में नहीं हैं, वे अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने या अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं हैं... *(व्यवधान)* वैसे तो वह कोई भी आरोप लगा सकते हैं लेकिन यह नियमों के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। लेकिन यहां उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के 'शून्यकाल' के दौरान आरोप लगाया है। क्या यह स्वीकार्य है, महोदय? इसलिए, उन आरोपों को हटा दिया जाना चाहिए... *(व्यवधान)*

महोदय, आपने पहले ही उत्तर प्रदेश के एक सदस्य के मामले में यह निर्णय दे दिया है, जबकि वह कुछ आरोप लगा रहे थे... *(व्यवधान)* आप पहले ही पहले के मामले में एक व्यवस्था दे चुके हैं... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

… *(व्यवधान)*

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी उनका समर्थन करता हूं... *(व्यवधान)*

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यदि उन्होंने कोई नाम लिया है तो वह नाम रेकॉर्ड में नहीं हो सकता। लेकिन केवल 'पूर्व मंत्री' कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्व मंत्री हो सकता है। इसे कार्यवाही से निकालने का कार्य नहीं किया

जा सकता। यदि उन्होंने किसी विशेष नाम का उल्लेख किया है तो उस नाम को हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उन्होंने नाम का उल्लेख नहीं किया है तो उसे कैसे हटाया जा सकता है?

… *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: उन्होंने आरोप लगाए हैं... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : अब, श्री रवीन्द्र कुमार जेना बोलेंगे।

… *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदय, आपने पिछले मामले में पहले ही यह निर्णय दे दिया है, जब उत्तर प्रदेश के एक सदस्य बोल रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इस पर चर्चा करूंगा। यदि कोई व्यवस्था दी भी जाएगी तो वह दिख जाएगी।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय,... *(व्यवधान)*क्या मैं सदन में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध कर सकता हूं, महोदय? … *(व्यवधान)* मुझे श्रव्य होने की आवश्यकता है... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : श्री वेणुगोपाल, मैं उस फैसले पर विचार करूंगा। यदि उस प्रकार का कोई फैसला दिया गया है, तो मैं उसका अध्ययन करूंगा और उसके अनुसार कार्य करूंगा।

… *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: एक ही बात पर दो तरह के फैसले कैसे दिए जा सकते हैं? *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : ऐसा नहीं है।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यदि मैंने कोई व्यवस्था दी है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मैं उसका अध्ययन करूंगा।

… *(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, जब मेरे मित्र निशिकांत जी ने कल या परसों हुई छापेमारी का वर्णन किया, तो उनके कथन में हमारे साथी वेणुगोपाल जी का नाम भी एक आरोप के संदर्भ में आ गया, जो कि प्रकाशित हुआ है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वेणुगोपाल जी को उस विषय में अपनी बात स्पष्ट करने का अवसर दिया जाए। अन्यथा, उस कथन को कार्यवाही से निकाला जाए। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर विचार करें।

प्रो. सौगत राय : हाँ, महोदय। उन्होंने *इंडियन एक्सप्रेस* की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने किसी रिपोर्ट का उल्लेख नहीं किया है।

… *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: उन्होंने एक रिपोर्ट का उल्लेख किया है… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : मैं रिकार्ड देखूंगा… *(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: क्या हम किसी भी प्रकार के आरोप को यूं ही स्वीकार कर लें? *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : यह कोई आरोप नहीं है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश: उन्होंने चिदम्बरम के पुत्र के बारे में उल्लेख किया है।… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, उन्होंने चिदम्बरम के पुत्र के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। यदि उन्होंने उनका नाम लिया है तो वह नाम हटा दिया जाएगा। … *(व्यवधान)*

श्री के.सी. वेणुगोपाल: माननीय सदस्य द्वारा लगाए गए ऐसे आरोप पर अपना पक्ष स्पष्ट करना मेरे जीवन में वास्तव में बहुत पीड़ादायक है। वह एक अपराधी का उदाहरण दे रहे हैं जिसे अपनी पत्नी की हत्या के लिए

आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है - अपनी ही पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा। उन्होंने उस कैदी की बात उद्धृत की।

सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं यह बात इस महती सदन को बता रहा हूं। आप मानें या न मानें, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा जिसने मुझ पर यह आरोप लगाया हो। संसदीय चुनावों के दौरान विपक्ष के दलों ने मेरे विरुद्ध सीबीआई के आरोप लगाए। लेकिन लोगों ने मुझे चुना और बहुमत के कारण ही मैं यहां उपस्थित हूं।

महोदय, कृपया ध्यान दें कि उन्होंने कई लोगों के विरुद्ध इसी तरह के आरोप लगाए हैं। ये सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। उनके इस बयान में कोई तर्क नहीं है कि मुझे किसी तरह का लाभ मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ रियायतें दी थीं और मैंने उनसे भी नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कुछ रियायतें देने का वादा किया था। मैंने कभी भी नवीकरणीय ऊर्जा का पोर्टफोलियो नहीं संभाला था। अक्षय ऊर्जा मंत्रालय फारूख़ अब्दुल्ला जी के पास था। मेरे पास सिर्फ विद्युत मंत्रालय था। वैसे भी, उन्होंने न्यायिक जांच आयोग को अपना बयान सौंप दिया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनेता संदेह से परे हों। मैंने अपना सार्वजनिक जीवन 13 वर्ष तक एक छात्र नेता के रूप में शुरू किया। मैं केरल छात्र संघ का अध्यक्ष था। मैं केरल युवा कांग्रेस का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं तीन बार विधायक और एक बार केरल का मंत्री रहा हूँ। अब, मैं एक सांसद हूँ। इसलिए हर राजनेता और जनप्रतिनिधि को संदेह से परे होना चाहिए। इसलिए, न्यायिक आयोग वहां है। न्यायिक आयोग जांच कर सकता है।

अंत में, मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि वह किसी भी उचित जांच के माध्यम से इन आरोपों में से किसी एक का भी सत्य समय पर स्थापित कर सके, तो मैं इस सार्वजनिक सेवा के पद को धारण नहीं करूंगा और मैं दृढ़ता से सूचित करना चाहता हूँ कि मैं यह करियर भी जारी नहीं रखूंगा, श्री निशिकांत।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना: महोदय, मुझे इस महती सदन के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ...(*व्यवधान*) महोदय, मैं ओडिशा के तटीय क्षेत्र के

बालासोर जिले से आता हूं जो पूर्वी भारत के सबसे साक्षर जिलों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारी प्रति व्यक्ति आय मात्र 19,000 रुपये है जबकि राज्य की औसत आय 28,000 रुपये है।

महोदय, 9 वर्ष पहले, 2006 में, ओडिशा सरकार ने मेरे जिले के बलियापाल में सभी मौसमों के अनुकूल बंदरगाह स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद रेल-रोड क्लीयरेंस, पर्यावरण क्लीयरेंस, डीआरडीओ से एनओसी समेत कई उपलब्धियां हासिल की गई, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक बिलकुल भी भौतिक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। अब भारत सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सागरमाला परियोजना शुरू की है। आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि कृपया ओडिशा के बालासोर जिले में बलियापाल बंदरगाह को इसमें शामिल करें तथा इसे तटीय आर्थिक क्षेत्र घोषित करें तथा हमारे जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र को समृद्ध बनाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय: धन्यवाद महोदय। सबसे पहले, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने श्री वेणुगोपाल जी को अपनी बात रखने की अनुमति दी। यदि हम यह आदत बना लें कि बिना किसी पूर्व सूचना के, इस प्रकार सदन में चिल्लाकर अन्य माननीय सदस्यों पर आरोप लगाए जाएं, तो मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसी बातों को आप अनुमति न दें।... *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आप अपनी बात बताइए।

… *(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: यह अच्छी बात है कि आपने उन्हें जवाब देने का अवसर दिया। अन्यथा, इतने सारे लोगों के विरुद्ध इतने सारे आरोप लगाए जा सकते हैं जो मैं नहीं करना चाहता।

महोदय, पिछले एक वर्ष में दालों की कीमत में भारी वृद्धि हुई है, जिससे लाखों आम लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके लिए दालें वनस्पति प्रोटीन का प्रमुख स्रोत हैं। *अरहर दाल* की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से

अधिक हो गई है और इस कीमत पर दाल खरीदना आम लोगों की क्षमता से बाहर है। एक वर्ष पहले की तुलना में हाल ही में मूंगफली, *तुअर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल* और *मसूर दाल* की कीमतों में 53 प्रतिशत, 99 प्रतिशत, 86 प्रतिशत, 02.45 प्रतिशत और 26.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी *तूअर दाल* की कीमत में हुई है। अब छह महीने पहले की तुलना में इनमें क्रमशः 21.16 प्रतिशत, 61.87 प्रतिशत, 51.16 प्रतिशत, 6.16 प्रतिशत और 15.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महोदय, इस वर्ष दालों का लक्षित उत्पादन 20.05 मिलियन टन था। वर्ष 2014-15 में वास्तविक उत्पादन 17.2 मिलियन टन था। लेकिन इसमें भारी कमी है क्योंकि मांग 22.68 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 23.62 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है। तो, लगभग 5-6 मिलियन मीट्रिक टन दालों की कमी है।

इस वर्ष आयात नहीं हुआ है। यह अगस्त तक केवल 1.9 मिलियन मीट्रिक टन था। अब उसके बाद भी यह स्पष्ट है कि कुछ व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर दालों की जमाखोरी कर रखी है। पूरे देश में कुछ छापे मारे गए हैं। 22 मिलियन मीट्रिक टन की मांग की तुलना में, पूरे देश में छापों में जब्त की गई कुल मात्रा केवल 1,33,000 मीट्रिक टन थी। सरकार को आम आदमी को बचाने के लिए दालों के छिपे स्टॉक पर तुरंत छापे मारने और जमाखोरी रोकने की ज़रूरत है। उन्हें दालों का आयात करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी की परेशानी दूर हो सके जो *दाल* नहीं खा पाता। आरोप है कि इनमें से कुछ व्यापारियों को सत्ताधारी दलका संरक्षण प्राप्त है।

मैं इस विषय में तत्काल कार्रवाई करने तथा यह जांच कराने का आग्रह करता हूं कि दालों की कीमतें इतनी अधिक क्यों बढ़ गई हैं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.के. बीजू और डॉ. ए. संपत को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह (फ़ैज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार कानून-व्यवस्था बिगड़ रही है और गुण्डागर्दी, लूटपाट, कर्तव्यनिष्ठ आधिकारियों की हत्याएं हो रही हैं। लगातार हमारे क्षेत्र में भी अभी 20-25 दिन के अन्दर 5-7 घटनाएं ऐसी हुई हैं कि उन्हें हम आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहते हैं।

11 नवम्बर की रात अयोध्या कोतवाली में आशापुर मजरे में बेलदारकेपुरवे में होमगार्ड के एक जवान को, उसके पूरे परिवार को कुछ लोगों ने बांधकर के मारा। उसी के बगल में शहनवा एक गांव है, दीनानाथ सिंह, जो ईंट भट्टे के कर्मचारी थे, उनके परिवार को भी मारा, महिलाओं को मारा, पूरे परिवार को मारा। उसमें 11 लोग जख्मी हुए हैं। उसी प्रकार से 16 तारीख पटरंगा थाना क्षेत्र में पटरंगा मंडी में सर्राफा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जिनके यहां सुरक्षा व्यवस्था भी थी, उनके यहां उन सुरक्षा कर्मियों को बांध करके उस दुकान के सोने-चाँदी को लूटने का काम हुआ। वहां लगभग दस लाख रुपए की लूट हुई।

17 तारीख को पटरंगा थाना क्षेत्र में ही बारह बजे दिन में बाइक सेल्समैन अनूप कुमार जायसवाल से दो लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए गए। 17 तारीख को ही कैलाश कौशल, जो मवई में सर्राफा के दुकानदार थे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : यह क्या है? राज्य के विषयों पर यहाँ चर्चा न करें। राज्य के विषयों पर 'शून्यकाल' के दौरान चर्चा नहीं की जा सकती।

… *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लल्लू सिंह: महोदय, हम इस संबंध में केन्द्र सरकार से मांग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, आप ये मुद्दे नहीं उठा सकते।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री शरद त्रिपाठी, श्री राम चरित्र निषाद, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लल्लू सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में धान की जो खरीद हुई है, उसके मामले को उठाने मैं आज आपके बीच आया हूं।...(व्यवधान) इस वर्ष हरियाणा प्रदेश में 42 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई। केन्द्र सरकार द्वारा 1400-1450 रुपए धान का एम.एस.पी. सेट किया गया।...(व्यवधान) हरियाणा प्रदेश के अंदर धान के अंदर नमी दिखाते हुए किसानों से 100-200 रुपए प्रति क्विंटल कम के भाव में धान उठाए गए।...(व्यवधान) प्रदेश सरकार द्वारा धान खरीदी तो गयी, लेकिन अगर किसानों से 100 रुपए कम दाम में यह धान खरीदी गयी, तो इसके अंदर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसके अंदर कई अधिकारी, कर्मचारी व राजनेता मिले हुए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र की सरकार से यह मांग करता हूं कि जहां धान की खरीद में इतनी बड़ी धांधली हुई है, वहां उस पर एक एस.आई.टी. बनाकर इस पूरे मामले की जांच करे, क्योंकि 1450 रुपए प्रति क्विंटल के धान को 1250 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा गया। आज वही धान 3100-3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस तरह व्यापारियों द्वारा किसानों की जेब से करोड़ों रुपए छीने गए हैं।

मेरी यह मांग है कि किसान को वह पैसा किसी न किसी तरह लौटाया जाए और जो दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने का काम सरकार करे।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत शिवहर जिला के अदौरी एवं पूर्वी चम्पारण जिला के खोड़ी पाकड़ के बीच बागमती नदी एवं लालबकेया नदी को जोड़ने वाला आर.सी.सी. पुल का निर्माण जनहित और किसानों के हित में आति आवश्यक है। इस पुल के निर्माण से मेरे संसदीय क्षेत्र के तीनों जिले - शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण - को जोड़ने के साथ-साथ बेतिया-रक्सौल एवं जनकपुर, जो नेपाल के बॉर्डर पर है, तक की दूरी काफी कम हो जाएगी तथा वहां के लोगों का आज़ादी के बाद का सपना पूरा हो सकेगा। इससे बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। साथ ही, पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर जिला के किसानों का गन्ना, सड़क मार्ग द्वारा सीधा सम्पर्क होने से आसानी से सीतामढ़ी जिले के रीगा चीनी मिल आ सकेगा। इससे लगभग 30 किलो मीटर की दूरी कम हो जाएगी तथा लगभग 25,000 काश्तकार सीधे तौर पर अपना गन्ना चीनी मिल को देने लगेंगे। इससे पूर्वी चम्पारण व शिवहर जिले के निकटवर्ती गांवों का आर्थिक विकास संभव हो सकेगा तथा सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जनता के व्यापक हित में अदौरी एवं खोड़ी पाकड़ के बीच आर.सी.सी. पुल निर्माण कराने हेतु समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे कि पिछड़ा हुआ यह इलाका विकास के मामले में खुशहाल हो जाए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र बटवा, वापी, एवं अंकलेश्वर में प्रदूषण के संदर्भ में नए औद्योगिक वित्त निवेश पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाया गया जो प्रतिबंध है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वर्ष 2009 में औद्योगिक प्रदूषण के बदले हुए नए मापदंडों को रद्द करके पुराने मापदंडों को यथावत रखने की गुजरात सरकार द्वारा मांग की गयी है। हाल ही में हमारी प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने भी इस मांग को दुहराया है। इसके कारण तीनों औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंध से बाहर आने की सहूलियत मिलेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2009 में देश भर में औद्योगिक प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरतते हुए प्रवाही औद्योगिक प्रदूषण में केमिकल आक्सीजन डिमांड यानी सी.ओ.डी. का पुराना मापदंड जो प्रति

500 मिलीलीटर का था, उसे 205 मिलीलीटर कर दिया था। बायोकैमिकल आक्सीजन डिमांड बी.ओ.डी. का पुराना मापदंड प्रति लीटर 100 मिलीलीटर था, उसे 50 मिलीलीटर में बदल दिया गया है तथा ऐमोनिकल नाइट्रोजन का नया मापदंड प्रति 100 मिलीलीटर का कर दिया गया है।

गुजरात सरकार की ओर से अद्यतन आंकड़ों के मुताबिक निवेदन किया गया था कि अंकलेश्वर में वर्ष 2007 से तथा वापी, वटवा में वर्ष 2010 से नए औद्योगिक ईकाई का निर्माण करने तथा वर्तमान औद्योगिक एकमों के विस्तृतीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन इसके बाद अंतिम 5 वर्षों के दरम्यान इन तीनों क्षेत्रों में कॉमन एक्युलेंट ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में उसके अपग्रेडेशन में उद्योगकारों द्वारा स्वयं कदम उठाए गए थे।

जीआईडीसी गुजरात सरकार द्वारा कुल मिलाकर 8,500 करोड़ रूपए प्रदूषण को घटाने में खर्च किए गए हैं। जिसके कारण वापी में 70, अंकलेश्वर में 75 और वटवा में 50 प्रतिशत प्रदूषण घट गया है।

प्रतिबंध के कारण तीनों क्षेत्रों में 8,500 करोड़ के नए वित्त निवेश का एमओयू नहीं हो पा रहा है, जो गुजरात और देश के लिए नुकसानदायक है।

अतः मेरी सरकार से मांग है कि वर्ष 2009 के औद्योगिक प्रदूषण मापदंड को रद्द किया जाए।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मुंबई में कुर्ला पीवीआर सिनेमा में राष्ट्रगान के अवमान की जो घटना घटी है, उसके प्रति आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां जो कानून है, [अनुवाद] राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा, तो दर्शकों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। [हिन्दी] दो दिन पहले उस सिनेमाघर में कुछ लोगों ने राष्ट्रगान का अवमान किया, खड़े नहीं हुए। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि उस समय पर जो थियेटर में बाकी दर्शक थे, उन्होंने उस परिवार के प्रति एक चिंता व्यक्त की। मैं इसके द्वारा संसद और गृह मंत्रालय से प्रार्थना करना चाहूंगा कि पूरे देश में नागरिकों में राष्ट्रगान के प्रति प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य और जिम्मेदारी है, उसके प्रति जनजागृति लानी चाहिए और राष्ट्रगान के समय खड़े होकर सम्मान करना चाहिए, यह भाव पैदा करना चाहिए। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को डॉ. किरिट सोमैया द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदय, राजस्थान के कोटा शहर में वर्ष 2008 में घरेलू गैस लाइन बिछाने का निर्णय तत्कालीन सरकार ने किया था। वर्ष 2009 में पूरे पांच वर्ष में एक लाख घरों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2015 तक गेल इंडिया कंपनी के द्वारा केवल 190 लोगों को कनेक्शन दिए गए हैं। 75 हजार लोगों के घरेलू गैस कनेक्शन के लिए पैसा जमा करने के बाद भी सात साल तक उनके घरेलू गैस पाइप लाइन के कनेक्शन नहीं हुए।

मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि मंत्रालय तुरन्त हस्तक्षेप करके गेल इंडिया कंपनी के द्वारा जो उपभोक्ताओं को ठगा गया है और जिस घरेलू गैस पाइप लाइन के लिए वे इंतजार कर रहे हैं, उसकी कार्रवाई तुरन्त करनी चाहिए। पाइप लाइन बिछाने के काम में जो मानक हैं, गेल इंडिया कंपनी ने उन मानकों को पूरा नहीं किया। इसके कारण वह पाइप लाइन बेकार चली गई। 22 करोड़ रूपए तक का नुकसान हो चुका है। मेरा निवेदन है कि 75 हजार लोग जो प्रतीक्षारत हैं, सरकार तुरन्त कार्रवाई करके एक निश्चित समयावधि के अंदर उनको गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री ओम द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 67 वर्षों के बाद भी किसी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग का न होना, वहां के लोगों के लिए कोई सुखद स्थिति नहीं होती है। हमारी सरकार ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 की उद्घोषणा की थी, जो फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनु, चिड़ावा, सिंघाना, हरियाणा सीमा तक मंजूर हुआ था।

मैं आपके माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि वर्तमान स्थिति में कार्य प्रगति के संपादन में कहां क्या चीज है, अभी तक हमें पता नहीं है। डीपीआर भी बनी है या डीपीआर नहीं बनी है, कार्य शुरू नहीं हुआ है, दो वर्षों के बाद भी वह प्रगति कहां तक पहुंची है? धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं जो एन.आर.आई. के मताधिकार से संबंधित है।

यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सदन ने इसे स्वीकृति दी; भारत सरकार ने इसे स्वीकृति दी; चुनाव आयोग ने भी इसकी सहमति दी; और सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। इन सभी स्वीकृतियों के बावजूद, इसे अब तक लागू नहीं किया गया है। यह अत्यंत खेदजनक बात है। एन.आर.आई. मतदान अधिकार का निर्णय इस माननीय सदन द्वारा लिया गया था, जो अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह ऐतिहासिक निर्णय आज तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

हम जानते हैं कि 10 मिलियन भारतीय नागरिक विदेश में काम कर रहे हैं। भारत के 543 संसदीय क्षेत्रों में औसतन 18,000 मतदाता हैं। यह भारत सरकार का रुख है और मुझे लगता है कि यह नकारात्मक बात है क्योंकि उन्हें इसमें अधिक रुचि लेनी चाहिए थी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमें इस मामले में पूरे विश्व को एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस मुद्दे में कोई रुचि नहीं ले रही है।

केरल की स्थिति की बात करें तो, केरल में 2016 की पहली छमाही में चुनाव होने जा रहे हैं। केरल सरकार ने भारत सरकार और चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जहाँ तक केरल का सवाल है, हम सभी जानते हैं कि केरल की अर्थव्यवस्था पर एन.आर.आई. का प्रेषण का बहुत अधिक प्रभाव है। हम इसमें विशेष रुचि रखते हैं। केरल की बात करें तो मार्च 2015 में केरल में एन.आर.आई. का प्रेषण एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में केरल के एन.आर.आई. की जमा राशि ₹64,700 करोड़ है, और निजी बैंकों में ₹14,900 करोड़ है। यह आंकड़ा भविष्य में ₹2 लाख करोड़ तक भी पहुँच सकता है।

जहां तक एन.आर.आई. मताधिकार का सवाल है, हम सभी इस पर सहमत हैं और इस सभा को इस पर सहमति देने में गर्व है। भारत सरकार इस विषय पर इतनी उदासीन क्यों है? मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसे लागू किया जाए और इस विषय पर ईमानदारी से काम करे। भारत सरकार को इस विषय पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि यह विचार अमल में लाया जा सके और पूरा देश इस पर गर्व कर सके। धन्यवाद, महोदय।

श्रीमती आर. वनरोजा (तिरुवन्नामलाई): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण अत्यधिक भारी वर्षा हुई और इसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ के कारण पूरे तमिलनाडु में भारी क्षति हुई तथा जान-माल को व्यापक नुकसान पहुंचा।

हमारी माननीय मुख्यमंत्री, *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के गतिशील और कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता मांगी है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने राज्य में बाढ़ प्रभावित विभिन्न स्थानों का दौरा किया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में हुई जनहानि पर गहरा शोक और पीड़ा व्यक्त की तथा वे तमिलनाडु में हुई तबाही और जान-माल के नुकसान को देखकर अत्यंत व्यथित हुए

और तमिलनाडु की शक्ति और संकल्प में विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा से बात की और केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया था।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि इस आपदा को प्राकृतिक आपदा मानकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 8,480.93 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल जारी की जाए। धन्यवाद।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडकारा): मैं आपको इस अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सभा का ध्यान रक्षा कार्मिकों से संबंधित 'वन रैंक, वन पेंशन' के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मुद्दा काफी समय से बीच में लटका हुआ है। पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन न किए जाने से असंतोषजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उस समय श्री ए.के. एन्टोनी रक्षा मंत्री थे और यू.पी.ए. सरकार द्वारा अंतिम बजट में भी बजटीय आबंटन किया गया था। वर्तमान सरकार ने यह भी दोहराया कि प्रस्ताव को सरकार ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया है।

इस महती सदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन पर वर्तमान रक्षा मंत्री का उत्तर मेरे पास है, "सभी हितधारकों को साथ लेकर रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।" पुल के नीचे पानी भर गया है। सेवानिवृत्त रक्षाकर्मी संघर्ष के रास्ते पर हैं और सरकार की उदासीनता और लापरवाही ने उन्हें इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने के लिए मजबूर किया है। सरकार इस मुद्दे पर टालमटोल कर रही है। सरकार के इस रवैये का सेना में कार्यरत कार्मिकों के मनोबल और अनुशासन पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह रक्षा/सेना कर्मियों के लिए 'वन रैंक, वन पेंशन' लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष मेरे लोक सभा क्षेत्र की सैंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा रखना चाहूंगा। शिक्षा किसी भी समाज और सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सैंट्रल यूनिवर्सिटी पूर्व की यूपीए सरकार के समय मेरे लोक सभा क्षेत्र हमीरपुर के देहरा स्थान के लिए मंजूर हुई और साथ में उसका कुछ हिस्सा धर्मशाला में बनना था। देहरा में बड़ी जगह उपलब्ध करवाई गई। उसकी इनवायरमैंट क्लीयरैंस ले ली गई। अब मजबूरी यह बन गई है कि केन्द्र सरकार चाहते हुए भी वहां काम नहीं कर पा रही है क्योंकि प्रदेश सरकार एक जिले को दो हिस्सों में बांट रही है। उनका ध्यान

केवल धर्मशाला तक सीमित है। नई भूमि दिखाने के चक्कर में पहले जहां स्वीकृति मिली है वहां उसका काम शुरू नहीं हो पा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना निवेदन है कि धर्मशाला में जो जमीन देखनी है, वह देखें, जो जमीन पसंद करनी है, करें, लेकिन देहरा में जहां सैंकड़ो एकड़ जमीन प्रदेश सरकार के माध्यम से केन्द्र को प्रस्तावित की गई है, इनवायरमैंट क्लीयरैंस मिल चुकी है, वहां केन्द्र सरकार की ओर से नींव पत्थर क्यों नहीं रखा जा रहा है और प्रदेश सरकार उस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही है। अगर सही मायने में भारत को नॉलेज हब बनाना है तो उसके लिए इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्याूट्स का बनना बहुत आवश्यक है। केवल राजनीति का शिकार उसे न किया जाए, उसे जल्द से जल्द बनाया जाए और वहां के बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री आर.के.भारती मोहन (मइलादुथुरई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

तमिलनाडु की हमारी मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने केंद्र से आवश्यक कानून के माध्यम से नदियों को आपस में जोड़ने के काम में तेजी लाने का आग्रह किया है, ताकि महानदी-गोदावरी-कृष्णा-पेन्नार-पलार-कावेरी-वैगई-गुंडर को जोड़ने वाले प्रायद्वीपीय ग्रिड के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके। इसके अलावा, तमिलनाडु सरकार ने पेन्नैयार (सथानूर बांध)-पालार लिंक, पेन्नैयार (नेदुंगल एनीकट)-पालार लिंक, क्यूवेरी (मेट्टूर बांध)-सरबंगा लिंक, अथिकादावु-अविनाशी बाढ़ नहर योजना और तमिराबरनी-करूमेनियार-नांबियार लिंक को जोड़ने की योजना लागू करने की योजना बनाई है। इसलिए, मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि वह भूमि अधिग्रहण सहित अन्य परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु को वित्तीय सहायता प्रदान करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र प्राकृतिक रूप से नदियों और जंगलों से घिरा होने के कारण एक बेहद खूबसूर क्षेत्र है, जहां उत्तर प्रदेश का एकमात्र रिजर्व फॉरेस्ट दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, जहां शेर, चीता, तेंदुआ, गैंडा, हाथी व हिरण आदि की कई जातियां मिलती है। इसके साथ लखीमपुर जिला ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर रुक कर रामचरितमानस की रचना की थी, जिसकी हस्तलिखित पांडुलिपी भी यहां पर उपलब्ध है। इसके साथ-साथ ज्योमेट्रिकल मैथ पर एक मेंडक मंदिर भी है। महाभारत के समय में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि पांडव यहां पर अपने अज्ञातवास में रुके थे। राजा परिक्षित ने एक नाग यज्ञ किया था वह भी लखीमपुर में हुआ था। गोला में एक भगवान शिव का मंदिर है, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। [अनुवाद] वहां एक काली मंदिर, अंतर्वेद आश्रम, संकटा देवी मंदिर और मिलौटी नाथ की पौराणिक महत्व के मंदिर हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो रामायण सर्किट बनाया जा रहा है उसमें लखीमपुर को भी शामिल करके पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा जिसे मैंने पिछले सत्र में भी उठाया था और मैं ऐसा करने के लिए बाध्य हूं क्योंकि यह बहुत गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। यह मामला अब तक सुलझा नहीं है।

मैं जो मुद्दा उठाना चाहता हूं वह इस वर्ष 29 जुलाई को लीबिया में अपहृत किये गये चार व्यक्तियों के बारे में है। चार भारतीयों में से दो कर्नाटक से और दो आंध्र प्रदेश से हैं। दो सप्ताह के भीतर कर्नाटक के दो लोगों को रिहा कर दिया गया क्योंकि उनकी पहचान शिक्षण पेशे से जुड़े होने के रूप में हुई। यद्यपि आंध्र प्रदेश के लोग भी शिक्षण पेशे में थे, फिर भी उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है। उनमें से एक मेरे निर्वाचन क्षेत्र से

है। उनका नाम श्री गोपालकृष्णन है और दूसरा व्यक्ति श्री मल्ला रेड्डी के निर्वाचन-क्षेत्र से है। वे दो नों अभी भी आई.एस.आई.एस, के कब्जे में हैं। हमने इस विषय में परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है और हमने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। उन्होंने केन्द्र सरकार से पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है। लेकिन इस बात को पाँच महीने हो गए हैं और उनकी तरफ से कोई संवाद नहीं हुआ है। हम उन परिवारों के अभिभावकों से बात कर रहे हैं। वे जिस पीड़ा और दुःख से होकर गुजर रहे हैं उसे व्यक्त करना बहुत कठिन है। विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार से हमारा बस इतना अनुरोध है कि हमें बताएं कि वे जीवित हैं या नहीं, ताकि हम खबर दे सकें। अन्यथा, इन परिवारों के लिए यह बहुत कठिन है। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): महोदय, सलेम जिले के मणिविझुंथन गांव में सरवॉय रेलवे स्टेशन का निर्माण 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। यह रेलवे स्टेशन 2007 तक 70 वर्षों से अधिक समय तक कार्यात्मक और परिचालनात्मक रहा। वर्ष 2007 में जब रेलवे ने सलेम से कुड्डालरे मीटर-गेज को ब्रॉड-गेज में परिवर्तित किया, तो रेलवे स्टेशन को पुनः स्थापित नहीं किया गया और स्टेशन निष्क्रिय हो गया।

आम जनता और गांव के अध्यक्ष ने रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए रेलवे को पत्र लिखा है। रेलवे ने गांव से लगभग 40 लाख रुपये का योगदान मांगा है तथा यह राशि रेलवे के पास जमा कराना चाहता है। जब पंचायत को ही पेयजल, जल निकासी, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत आ रही है, तो रेलवे आम जनता से 40 लाख रुपये कैसे मांग सकता है? इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे दक्षिणी रेलवे के अधिकारियों को शर्माधाम योजना के तहत धन की मांग किए बिना रेलवे स्टेशन को पुनः स्थापित करने का निर्देश दें।

श्री मोहम्मद बदरुद्दुजा खान (मुर्शिदाबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सम्मान के साथ आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुर्शिदाबाद केंद्र में निधि संकट के कारण उत्पन्न एक गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

वर्ष 2010 में स्थापित और 288 एकड़ भूमि में फैले इस केंद्र का उद्देश्य मुर्शिदाबाद जिले में किफायती शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। केंद्र धर्मनिरपेक्ष विचारों के प्रति प्रतिबद्ध है और समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में केंद्र बुनियादी ढांचे की कमी के कारण केवल तीन पाठ्यक्रम चला रहा है।

संस्था से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा उनके पत्र संख्या एम.एच.आर.डी. 3-9/2008 डेस्क (यू) दिनांक 3 जून, 2013 के तहत 107.8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जारी की गई राशि लगभग पूरी तरह से उपयोग हो चुकी है और अब शिक्षा केंद्र वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि शेष अनुदान शीघ्र जारी किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985 में भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की थी, जिसके अनुसार उसे अपने यहां अफीम के पौधों का उत्पादन और अफीम की खेती बंद करनी थी। साथ ही साथ उस संधि के अनुसार अफीम की जो नीति बनायी गयी, उसके अनुरूप तीन साल के अंदर जितने भी लोग डोडा पोस्त नशे के आदी हैं, उन सबको नशा मुक्त कराना था। वर्ष 1985 में भारत की अफीम नीति बनी, उसके बाद तीस साल तक उस दिशा में कोई भी ठोस काम नहीं हुआ। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर से लेकर बीकानेर, इन दोनों डिवीजन्स के लगभग सारे जिलों में, थार रेगिस्तान में परम्परागत रूप से लोग अफीम और डोडा पोस्त का सेवन करते हैं। अब इस संधि के कारण एकदम अफीम का उत्पादन बंद करने और डोडा पोस्त के उत्पादन और सर्कुलेशन का दबाव बढ़ा है। जबकि पिछले तीस साल से संधि करने के बावजूद सरकार के ठेकों के माध्यम से गांव-गांव तक डोडा पोस्त का नशा उपलब्ध कराया जा रहा है। [अनुवाद] ऐसे में स्थिति यह बन गयी है कि जब एकदम प्रोडक्शन कम किया गया,

तो उसके कारण लाखों-हजारों लोग जो नशे के आदी हैं, वे पंक्तियों में तीन-चार और पांच घंटे तक खड़े रहते हैं। [हिन्दी] इस कारण डोडा पोस्त की कालाबाजारी होने लगी है। अब सरकार इसे बंद करने जा रही है। [अनुवाद] लेकिन डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन की दिशा में कोई भी काम नहीं हुआ है, इसलिए हजारों लोगों का जीवन खतरे में आ गया है। हमारी राज्य सरकार ने जोधपुर में डी-एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सैंटर बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सैंटर के लिए जो 175 करोड़ रुपये की मांग की गयी है, वह तुरंत घोषित करें, ताकि लोगों को डी-एडिक्शन करके राहत प्रदान की जा सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय उपाध्यक्ष जी, भारत सरकार की ओर से देश भर में डायवसीरफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का प्रचार किया गया। [हिन्दी] देश भर के किसानों को कहा गया कि ऐसी फसलों की बुआई हो, जो कम से कम पानी ले और जिनका ड्यूरेशन ऑफ मेच्युरिटी कम से कम हो। पंजाब जो पानी की धरती माना जाता है, वहां पानी का संकट सामने आ रहा है। पंजाब के किसान ने इसे एडॉप्ट किया। धान की एक फसल है, जिसे बासमती कहा जाता है। उन्होंने बासमती की फसल लगायी और पंजाब सरकार की ओर से उन्हें लगातार बिजली मिली, जिसके कारण फसल भरपूर हुई। पिछले वर्षों में उस फसल का मूल्य तीन हजार से लेकर पांच हजार रुपये पर क्विंटल तक मिलता रहा। दुर्भाग्य से इस वर्ष चौदह-पन्द्रह सौ रुपये पर क्विंटल ही किसान को मिला। एक्सपोर्ट पालिसी डिले हुई, क्योंकि बाहर के देशों से समझौते नहीं हो पाये। इस कारण किसान लूटा गया। आज देश में एक्सपोर्ट पालिसी नयी बनी, जिसे अभी मोदी

सरकार लेकर आयी है। [अनुवाद] आज उस फसल का मूल्य तीन हजार रुपये से लेकर पैंतीस सौ रुपये पर क्विंटल मिल रहा है। जो बिचौलिये थे, जो व्यापारी थे, वे करोड़ों रुपये कमा गये, लेकिन किसान लूटा गया।[हिन्दी] मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसान को कहीं न कहीं कम्पेनसेट किया जाये। इस संबंध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भारत सरकार को एक लैटर भी लिखा है।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बासमती खरीदने के लिए बासमती कारपोरेशन होनी चाहिए। जैसे सीसीआई, ट्रेड कार्पोरेशन है, वैसे ही बासमती की कार्पोरेशन होनी चाहिए। एमएसपी की 22 फसलें हैं। इन 22 फसलों में से 23वीं फसल इस बासमती को दी जाये तथा किसान को कम कास्ट में खरीदी गयी बासमती के बदले कम्पेनसेशन दिया जाये।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष :श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सायं 07.00 बजे

श्री पी.आर सेनथिलनाथन (शिवगंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दूरदर्शी नेता अम्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से रेल मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ रेलगाड़ियां सप्ताह में एक अथवा दो बार मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इन्हें दैनिक रेलगाड़ियों के रूप में संचालित किया जा सकता है।

चेन्नई से मनामदुरै तक सिलम्बू एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार संचालित करने के बजाय दैनिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जा सकता है। रामेश्वरम-कोयम्बटूर एक्सप्रेस को साप्ताहिक के बजाय दैनिक चलाया जा सकता है। पुडुचेरी-कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जो एक साप्ताहिक ट्रेन है, को दैनिक ट्रेन के रूप में चलाया जा सकता है। रामेश्वरम-भुवनेश्वर एक्सप्रेस और रामेश्वरम-वाराणसी एक्सप्रेस का शिवगंगा, देवकोट्टई और

पुदुकोट्टई स्टेशनों पर ठहराव होना चाहिए। यदि कराईकुडी पर समाप्त होने वाली पल्लवन एक्सप्रेस को मानमदुरै तक विस्तारित कर दिया जाए तो यह बहुत मददगार होगा।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला पुदुकोट्टई के थिरुमायम और शिवगंगा जिले के मुठाणेंथल में सभी ट्रेनों के लिए ठहराव उपलब्ध कराया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कराईकुडी-पुथुवायल रोड पर पुधुवायल जंक्शन पर एक सड़क ओवर ब्रिज या सबवे का निर्माण किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपकी आभारी हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र मिश्रिख है। मैंने विधान सभा क्षेत्र बालामऊ में ओवर ब्रिज बनाने के लिए माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था और मैं यह मुद्दा सदन में भी उठा चुकी हूं। आज मैं फिर से इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहती हूं क्योंकि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है। बालामऊ विधान सभा क्षेत्र में ओवर ब्रिज की डिमांड बहुत पहले से है लेकिन आज तक यह पूरी नहीं हुई है। अगर यहां कोई बीमार होता है तो वह वहीं दम तोड़ देता है क्योंकि पांच-पांच गाड़ियां एक साथ गुजरती हैं इसलिए यहां ओवर ब्रिज बनाने की बहुत आवश्यकता है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी यहां ओवर ब्रिज का काम शुरु कराया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : अभी सात बज रहे हैं। अभी कुछ और सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है। यदि सदस्य सहमत हों तो मैं प्रत्येक सदस्य को बोलने के लिए एक मिनट का समय दे सकता हूं।

कई माननीय सदस्य: हम सहमत हैं, महोदय।

श्री प्रकाश बी. हुक्केरी (चिक्कोडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 438 पर रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की अत्यावश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 438 कर्नाटक राज्य के जिला बेलगावी के रायबाग शहर और चिंचली गांव के बीच स्थित है। हर दिन, आसपास के क्षेत्रों जैसे हरुगेरी, मुगलखोद, मोराब, अलगावाड़ी, बेक्केरी और कई अन्य गांवों के हजारों लोग रेलवे क्रॉसिंग का उपयोग करते हैं। रेलवे फाटक पर आरओबी न होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

चूंकि रायबाग शहर एक व्यावसायिक केंद्र है और मिराज शहर कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है तथा विशेष अस्पताल के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 438 पर आरओबी के अभाव में व्यापारियों, छात्रों, कार्यालय जाने वालों और विशेषकर मरीजों को प्रतिदिन काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उक्त रेल खंड पर प्रतिदिन लगभग 30 रेलगाड़ियां चलती हैं।

आसपास के क्षेत्रों की ग्राम पंचायत और तालुका पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित लोग लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 438 पर आरओबी की मांग कर रहे हैं।

मैंने इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था और मुझे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि प्रबंधक, संभागीय कार्यालय, दक्षिण-पश्चिम रेलवे, हुबली ने अपने द्वारा भेजे गए पत्र में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही लापरवाही से प्रतिक्रिया दी है।

अतः मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बढ़ते यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय लेवल क्रॉसिंग गेट संख्या 438 पर आरओबी बनाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-2015 में अफीम नीति के तहत 600 किसानों को अफीम उगाने के लाइसेंस दिए गए थे। [हिन्दी] मार्च, 2015 में वहां

जबरदस्त ओलावृष्टि हुई और इस कारण अफीम की फसल काफी मात्रा में नष्ट हो गई। अफीम नीति के तहत ऐसा होता है कि जितनी भी फसल उगाई जाएगी, वह सरकार की संस्था को पूरी ही दी जाएगी। जब वहां अफीम की पूरी फसल नष्ट हो गई है तो वह सरकार को कहां से बेचेंगे। इस कारण उनके लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे हैं। केंद्र सरकार उनके लाइसेंस को रोक रही है।

मेरा आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से आग्रह है कि जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि की वजह से नष्ट हुई है, उन्हें अफीम की फसल के पट्टे वापिस दिए जाएं।

[अनुवाद]

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय।

भारत, औषधीय और सुगंधित पौधों का वास्तविक भंडार है। अनुमान लगाया गया है कि भारत में पाई जाने वाली 15,000 उच्च पौधों की प्रजातियों में से 9,000 सामान्यतः उपयोगी हैं, जिनमें से 7,500 औषधीय हैं, 3,900 खाद्य हैं, 700 सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, 525 रेशे के लिए उपयोगी हैं, 400 चारे के लिए हैं, 300 कीटनाशक और कीटाणुनाशक के लिए हैं, 300 गोंद, रेजिन और रंग के लिए हैं, और 100 धूप और इत्र के लिए हैं।

तमिलनाडु में, माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा सरकार के वन विभाग ने डिण्डीगुल जिले के अलगरकोविल रेंज के अलगरमालाई रिजर्व वन में औषधीय पौधों का संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस वर्ष जिले के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औषधीय पौधों का उत्पादन करने के लिए ग्राम समूह बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। इससे नकदी फसल का *उत्कृष्ट* उत्पादन करने में मदद मिलेगी, जिसका वानस्पतिक नाम *ग्लोरियोसा सुपर्बा* है और जो मेरे डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र के ओड्डनचत्रम तालुक और पोट्टीकमपट्टी, कल्लिमंधयम, चिक्कमनायकेनपट्टी और

ओड्डनचत्रम तालुक के सोलह अन्य गांवों में 65 हेक्टेयर में *कंवली किझांगु* के रूप में लोकप्रिय है। इससे इस फसल के उत्पादन के लिए सभी क्षेत्र एक गांव समूह के अधीन आ जाएंगे।

मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ओड्डनचत्रम के निकट अम्बिलिक्काई में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अधीन बागवानी फार्मों को और विकसित करे। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि एक क्षेत्र में औषधीय पौधों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए अधिक क्लस्टर बनाए जाएं क्योंकि ऐसे प्रयासों से खरीदारों को एक ही स्थान से बड़ी मात्रा में खरीदारी करने में मदद मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. किरिट सोलंकी को श्री एम. उदयकुमार द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में प्रजातांत्रिक तरीके से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के अत्याचारों की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पिछले 14 अक्टूबर को पंजाब के फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के कोटकपूरा के पास बहबलकलां गांव में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के विरुद्ध शांति से रोष व्यक्त कर रही संगत पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इस घटना में दो लोगों की जान चली गई। जनता के प्रैशर के बाद एफआईआर करने में आनाकानी कर रही सरकार ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अन-आईडेंटीफाई पुलिस मैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

उपाध्यक्ष जी, यह सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि क्या पुलिस भी कभी अज्ञात होती है। अज्ञात भीड़ के बारे में तो सुना था लेकिन क्या पुलिस भी कभी अज्ञात हो सकती है? वहां संगत अपना रोष व्यक्त कर रही थी और लंगर खा रही थी। पुलिस वाले भी वहां लंगर खा रहे थे। पुलिस को चलाई गई हर गोली का हिसाब देना पड़ता है और वहां साढ़े तीन सौ से अधिक गोलियां चलाई गईं। अगर पुलिस वाले अज्ञात हैं तो वे गोलियां किसने चलाई हैं? पुलिस वालों को गोली चलाने का आर्डर किसने दिया, क्या वह भी कोई अज्ञात आधिकारी था? यह हैरानी की बात है और सरकार दोषियों को बचाना चाहती है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय से मांग करता हूं कि पंजाब सरकार को आदेश दें कि जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हैं और जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है, उनके नाम पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ताकि दोषियों को सजा मिले और पीड़ितों को इंसाफ मिले।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के संबंध में एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ। भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना चलायी जा रही है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को धन आवंटित कर दिया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले मुझे उत्तर प्रदेश प्रशासन का एक पत्र कहीं से प्राप्त हुआ और पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। मैं अपने जिले की बात करता हूँ। मेरे जिले में 23 प्रतिशत आबादी मायनॉरिटी की है। बाकी में अन्य लोग- दलित, पिछड़े तथा गरीब लोग रहते हैं। लेकिन जो मकानों का आबंटन किया गया है, यदि उसमें पर्सेंटेज निकालें तो टोटल का 77 प्रतिशत मॉयनॉरिटीज के लिए किया गया है। इसके साथ-साथ प्रदेश के कई जगहों पर, जैसे मुजफ्फरनगर में देखें तो मकानों का आबंटन मॉयनॉरिटीज के लिए दिया गया है। बाकी जो अन्य लोग- दलित, पिछड़े तथा गरीब लोग हैं, उन सबके साथ अन्याय किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सदन से आग्रह करता हूँ कि केन्द्र सरकार की जो योजनाएँ प्रदेश सरकार को जाती हैं, उन योजनाओं में केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करके जो गरीबों-पिछड़ों-दलितों का हक है, उनको पूरा आधिकार मिलना चाहिए। उनके साथ भेदभाव प्रदेश सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

****श्री जी. हरि (अराकोन्नम):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मैं हमारी प्रिय नेता और तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महती सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति दी। तमिलनाडु के इतिहास में उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण इतनी अधिक वर्षा और बाढ़ कभी नहीं आई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है साथ ही जान-माल का नुकसान हुआ है। सामान्य जनजीवन भी काही हद तक प्रभावित हुआ है। अराकोन्नम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र भी प्रभावित है। अम्मापल्ली में पानी का अतिप्रवाह आंध्र प्रदेश के नागरी में बांध के कारण तिरुत्तनी, पल्लीपट्टू, पोथट्टूरपेट और आर.के. पेट जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जो बाढ़ के कारण जलमग्न हो गए हैं। नन्दी नदी में बाढ़ का पानी आने से तिरुत्तनी के आसपास के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। कोसास्थलाई नदी में भारी बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हो गए। तिरुवल्लूर जिले के तिरुवालांगडु संघ के कुप्पम-कंदिगई, मदथुक्कुप्पम और मुथुकोंडापुरम गांवों के पास एक नदी पर बना पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके परिणामस्वरूप कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। तिरुत्तनी में एनएम कंडीगई नामक स्थान पर एक पुल ढह गया है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का संपर्क अन्य स्थानों से कट गया है। सड़क और रेल सम्पर्क टूट गया और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। मेरे अराकोन्नम संसदीय क्षेत्र में अराकोन्नम, शोलिंगुर, रानीपेट, अर्काट, काटपाडी और अन्य स्थान बहुत अधिक प्रभावित हैं। जिले में कई तालाबों के उफान पर होने और झीलों में दरार आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जिसके कारण सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों के लिए कई कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के सभी प्रभावित लोगों को राहत राशि प्रदान की जा रही है। तमिलनाडु के इतिहास में कभी भी अकेले चेन्नई में एक महीने में 1139 मि.मी. वर्षा नहीं हुई। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तत्काल 500 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है। माननीय अम्मा ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय आपदा

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रतिक्रिया कोष से राज्य को 8481 करोड़ रुपये तत्काल जारी करने की मांग की है। एक केंद्रीय दल ने तमिलनाडु में कई बाढ़ प्रभावित स्थानों का दौरा किया है और उनकी मूल्यांकन प्रतिवेदन अभी तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है। उनके दौरे के बाद भी लगातार वर्षा हो रही है और बाढ़ से नुकसान बढ़ता जा रहा है। हमारी प्रिय नेता माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा की मांग के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से धनराशि जारी करे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि देश के ढ़ाई सौ जनपदों में जो सबसे पिछड़े जनपद कहे जाते हैं, उनमें संतकबीरनगर जनपद भी है, जो हमारे संसदीय क्षेत्र का मुख्यालय है।

किसानों की नगदी फसल का एक मात्र आधार वहाँ पर केवल गन्ना ही था। लेकिन वहाँ की एक मात्र गन्ना मिल खलीलाबाद सुगर मिल के बंद हो जाने के कारण वहाँ के किसानों में घोर निराशा व्याप्त है और उनके साथ एक प्रकार से यह क्रूर मजाक किया गया है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से सिफारिश करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निदेरशित करने का कष्ट करें और खलीलाबाद सुगर मिल को येन-केन-प्रकारेण किसानों के हित में किसी भी प्रकार से चलवाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री केशव प्रसाद मौर्य को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री थोटा नरसिम्हम (काकीनाडा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, गौ हमारी आस्था का प्रतीक और जीवित देवी हैं, जो प्रत्येक हिंदू के जीवन से जुड़ी हुई है। हम गाय को माता मानते हैं और उसे पशु नहीं, बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं। हमारा मानना है कि गौमाता में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है।

आजकल *गौ दान* के नाम पर कुछ लोग गायों को सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो नगरों और महानगरों में खाने के लिए भटकती रहती हैं। ये गायें कूड़ेदानों से कचरा खा रही हैं, जिनमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल होती हैं। जब गायें प्लास्टिक खा लेती हैं, तो उनका पाचन तंत्र प्रभावित होता है और धीरे-धीरे ये

थैलियाँ उनके पेट में जमा होकर गंभीर पीड़ा देती हैं और अंततः कैंसर जैसी बीमारियों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।

सरकार को आवारा, परित्यक्त गायों, सांडों, हल चलाने या गाड़ियां खींच पाने में असमर्थ बैलों और अनाथ बछड़ों की देखभाल करने का लक्ष्य रखना चाहिए तथा उन्हें भोजन, आटा, ताजा घास, स्वच्छ पानी, चिकित्सा देखभाल और एक ऐसा स्थान प्रदान करना चाहिए जहां इन पशुओं का ध्यान रखा जा सके और वे शांतिपूर्वक रह सकें।

अब समय आ गया है कि गौशालाओं को प्रोत्साहित किया जाए। यदि सरकार इन्हें चलाने की स्थिति में नहीं है, तो उसे सर्वोत्तम संभव रियायतें देनी चाहिए तथा उन स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो गौ आश्रय गृह चला सकते हैं। देश में ऐसे कुछ संगठन हैं। इसलिए उनकी संख्या बढ़ाई जाए।

श्री पी.के. बीजू (अलथूर): महोदय, वालयार-वडक्कनचेरी राष्ट्रीय हाइवे47 मेरे निर्वाचन-क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। यह मार्ग पहले ही यात्रा करने के लिए खोल दिया गया है और यहाँ टोल वसूलना भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। एन.एच.ए.आई. अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार को 80 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद टोल वसूलने का अधिकार है। लेकिन समस्या यह है कि इस मार्ग के खुलने के बाद यहां दैनिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमने कलेक्टर और उस खंड के सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं। आज भी एन.एच.ए.आई. और ठेकेदार जनता से किए गए वादे पूरे करने को तैयार नहीं है। उन्होंने स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई हैं, सिग्नल बोर्ड नहीं लगाए हैं और साइड सड़कें भी तैयार नहीं की गई हैं। ये चीजें आज भी लंबित हैं। महोदय, यहां दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एन.एच.ए.आई., पालक्काड़ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया है। मैंने व्यक्तिगत रूप से मंत्री जी को पत्र भेजा है लेकिन आज तक सरकार ने काम पूरा नहीं किया और निर्दोष लोगों की जान नहीं बचाई।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल कार्रवाई करें और कार्य को शीघ्र पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, झारखण्ड में प्रधानमंत्री सड़क योजना वर्ष 2000 से शुरू हुई थी। आज वहां की स्थिति यह है कि पिछले पांच, छः, सात एवं आठ फेज के काम इरकॉन, एनबीसीसी, एनपीसीसी एवं आरआरईओ द्वारा चलाए जाए रहे थे। पिछले एक साल से पूरा काम बन्द है। पिछले मानसून सत्र में मैंने इस बात को इस सदन में उठाया था और केन्द्रीय एजेंसी द्वारा उसकी पूरी गुणवत्ता की जांच की गयी। जांच में रोड की गुणवत्ता इतनी खराब पाई गयी कि वे लोग हैरान थे। पिछले एक साल से पूरे झारखण्ड में प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम पूरी तरह से बन्द है। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने का यह एकमात्र साधन है, लोगों को काफी आशाएं हैं। अधिकतर क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। वहां लगभग 70 प्रतिशत काम ठप्प पड़ा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वित्तीय सहायता प्रदान की जाए और बन्द पड़ी पीएमजीएसवाय की सभी सड़कों के काम को पुनः चलाया जाए, जिससे आम जनता को लाभ पहुंचे।

आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

*__डॉ. के. गोपाल (नागपट्टिनम):__ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री और हमारी प्रिय नेता डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने भारतीय जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के दौरान तमिल मछुआरों को कई बार हिरासत में लिए जाने के बारे में केंद्र सरकार के संज्ञान में लाया है। माननीय प्रधानमंत्री भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा विवाद के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामले से अच्छी तरह अवगत हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ष 1974 और 1976 में हुए समझौतों की संवैधानिक

---

* मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वैधता को चुनौती देने वाला मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार सब्सिडी की एक योजना लागू कर रही है - जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है - जिससे तमिलनाडु के मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाली नावें खरीदने की अनुमति मिलती है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 30 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करने की यह क्रांतिकारी योजना माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नेतृत्व में तमिलनाडु राज्य में सफलतापूर्वक लागू की गई है। मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 170 मछली पकड़ने वाली नौकाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिससे राज्य के लगभग 581 मछुआरों के परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा ने बुनियादी सुविधाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के रखरखाव के लिए 1520 करोड़ रुपये की लागत और 10 करोड़ रुपये की वार्षिक आवर्ती सब्सिडी के साथ एक विस्तृत परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि केंद्र सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार की इस योजना को मंजूरी दे। आज की तारीख में 55 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाएं श्रीलंका सरकार के अभिरक्षा में हैं। मैं आग्रह करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश मंत्रालय को यह निर्देश दें कि वह इस मुद्दे को श्रीलंका सरकार के साथ गंभीरता से उठाए और भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित कराए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा-चित्रकूट के अन्तर्गत सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। सड़कों की हालत यह है कि वाहन वहीं रास्ते पर ही गड्ढों में फंस कर खड़े हो जाते हैं। मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। प्रसूता मां अपने बच्चे रास्ते पर ही पैदा करने पर मजबूर है और गम्भीर मां प्रसूता की व बच्चे नवजात अवस्था की समय पर प्रसूत गृह न पहुंच पाने के कारण रास्ते में ही मौत हो रही हैं। राज्य की सड़कें, ग्रामीण सड़कें और प्रधानमंत्री

ग्राम सड़क योजना की सड़कें ध्वस्त पड़ी हैं। कई बार कहने और लिखने के बावजूद भी इन्हें ठीक नहीं किया जा रहा है। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकार पर दबाव बनाकर इन सड़कों को आविलम्ब ठीक कराए या सीधे इन सड़कों के मरम्मत और नवनिर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक): महोदय, मैं आपका ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों में क्रियान्वित की जाने वाली बड़ी परियोजनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केन्द्र तथा अन्य बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी परियोजनाओं के स्थान की सिफारिश करने का अधिकार दिया है। ऐसी केन्द्रीय परियोजनाओं के लिए आमतौर पर राज्य के मंत्री अपने निर्वाचन-क्षेत्र में परियोजना स्थान की सिफारिश करते हैं। कभी-कभी किसी विशेष स्थान की सिफारिश का कोई आधार नहीं होता। उदाहरण के लिए, मत्स्य अकादमी का कोई तटीय आधार नहीं है और वन अकादमी का कोई वन आधार नहीं है। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करती है कि परियोजना न्यायोचित हो और बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिले, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं हो पाता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों के लिए मेगा परियोजनाओं की घोषणा करते समय, स्थानों के चयन के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाए जाएं, जैसे स्मार्ट शहरों के चयन के लिए दिशानिर्देश बनाए गए हैं। परियोजना स्थान का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि केवल

साधारण सिफारिश के आधार पर। तभी परियोजना उचित सिद्ध होगी और अधिकतम लोग लाभान्वित होंगे। इस तरह की प्रथा से राज्यों और पूरे देश के संतुलित विकास में भी मदद मिलेगी।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी को श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

***श्री के. परशुरामन (तंजावुर):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। दक्षिण भारत का कुंभ मेला कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध महामहम उत्सव 22.2.2016 को तंजावुर जिले के कुंभकोणम में भव्यता के साथ मनाया जाएगा। प्राचीन कहावतें महामहम तालाब में पवित्र डुबकी लगाने के महत्व पर बल देती हैं, जो आपको भरपूर आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान कर सकती है। देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों से लोग पवित्र स्नान के लिए इस स्थान पर आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा परिवहन सुख-सुविधाएँ, पेयजल, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। 72 स्थानों पर पुलिस बूथ, 55 स्थानों पर सुरक्षा टावर, 132 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, 26 स्थानों पर घूमने वाले कैमरे, 1163 स्थानों पर सड़क बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस भव्य उत्सव के आयोजन के लिए अपने हिस्से के रूप में धनराशि उपलब्ध कराए। मैं रेल मंत्रालय से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह तंजावुर जिले के सभी रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी क्लॉक रूम की व्यवस्था करे, ताकि महामहम उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले रेल यात्रियों, विशेषकर देश के अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की सहायता की जा सके। मैं विशेष रूप से महामहम उत्सव के दौरान तंजावुर जिले के रेलवे स्टेशनों के सभी प्लेटफार्मों पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ चिकित्सा सुविधाएं और पर्याप्त खानपान की सुविधा की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

---

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री एस.पी. मुदाहनुमे गौड़ा(तुमकुर): महोदय, देश में किसानों को बहुत ही विचित्र स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। देश के कुछ भागों में भयंकर सूखा पड़ा है और उनके पास पीने का पानी नहीं है। देश के कुछ हिस्सों में भारी बाढ़ के कारण किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। कर्नाटक के मेरे निर्वाचन क्षेत्र तुमकुर में भी यही स्थिति है। तमिलनाडु में भारी वर्षा के कारण पचास प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसल नष्ट हो गई। तमिलनाडु में भारी वर्षा के परिणामस्वरूप मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पचास प्रतिशत क्षेत्र में फसल नष्ट हो गई। शेष पचास प्रतिशत क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा है। वहां पीने का पानी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वर्ष 2014-15 में, 4,650 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की।

पिछली यूपीए शासन-काल में डॉ. मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए किसानों के कर्ज माफ करने की कृपा की थी। राष्ट्रीयकृत बैंकों का लगभग 72,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया गया। इसलिए, मैं एनडीए सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कम से कम एक कदम उठाए जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए किसानों के कर्ज माफ हो जाएं और देश के किसानों को बचाया जा सके। यही मेरा निवेदन है।

डॉ. ए. संपत (अत्तिंगल): महोदय, वी.पी. सिंह सरकार के समय में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (अब यह तिरूवनन्तपुरम है) को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। केरल की कुल आबादी का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा या तो देश के बाहर काम कर रहा है या रह रहा है।

इस वर्ष 31 नवंबर तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दस लाख से अधिक घरेलू यात्रियों ने तिरूवनन्तपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाओं का लाभ उठाया। दो मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने भी इस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाओं का लाभ उठाया है।

मुझे विभिन्न मीडिया स्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि तिरुवनंतपुरम् हवाई अड्डे की विकासात्मक गतिविधियों में बाधा डाली जा रही है। जबकि हवाई अड्डा प्राधिकरण अच्छा लाभ कमा रही है, फिर भी हवाई अड्डे के निदेशक के पास न तो एक शौचालय निर्माण करने की शक्ति है और न ही चेक-इन

क्षेत्र में एक रिफ्रेशमेंट एरिया या कैंटीन की अनुमति देने का अधिकार है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चेक-इन क्षेत्र में लोगों को चाय का एक कप भी न मिले? यही इस हवाई अड्डे की दयनीय स्थिति है। इस हवाई अड्डे पर एक तिहाई यात्री महिलाएं हैं और उनमें से कई के साथ छोटे बच्चे भी होते हैं। लेकिन जब पर्याप्त महिला सीआईएसएफ कर्मी नहीं होते, तो सुरक्षा जांच में लंबी कतारें लग जाती हैं। टोल गेट पर भी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। अतः, मैं सरकार से, आपके माध्यम से, यह विनम्र अनुरोध करता हूँ कि माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी, आगामी बजट सत्र से पूर्व राज्यवार सांसदों की एक बैठक आयोजित करें, जैसा कि माननीय रेलवे मंत्रीगण किया करते हैं, ताकि विभिन्न हवाई अड्डों की समस्याओं पर चर्चा की जा सके, कुछ समस्याओं का समाधान किया जा सके, और विकासात्मक गतिविधियों की शुरुआत की जा सके। … *(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ।

एयर इंडिया के अंतर्गत अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं। इन सभी गतिविधियों का निजीकरण करके उन्हें बेसहारा छोड़ देने की योजना बनाई जा रही है। … *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आप केवल एक ही मामला उठा सकते हैं।

… *(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष : आप सुविधाओं के बारे में पूछ सकते हैं। यह ठीक है। लेकिन श्रम मुद्दा एक अलग मुद्दा है।

डॉ. ए. संपत : हम सभी को मजदूरों का वोट मिल रहा है। हम उन्हें ऐसे ही बेरोजगार नहीं छोड़ सकते। वे भी इंसान हैं। उनकी भी आवश्यकताएं भी लगती है।

माननीय उपाध्यक्ष : आप यह मुद्दा कल उठा सकते हैं क्योंकि केवल एक ही मुद्दा रिकार्ड में जाएगा। हम कल अनुमति देंगे।

डॉ. ए. संपत: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे बोलने दीजिए।

मैंने पहले ही एक अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है, वह है सांसदों के साथ बैठक बुलाना। दूसरा अनुरोध है कि तिरूवनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक को ड्राइवरों के लिए विश्राम क्षेत्र, शौचालय की सुविधा, जलपान क्षेत्र आदि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.के. बीजू, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, श्री निनोंग ईरींग को डॉ. ए. संपत द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

श्री वी. एलुमलाई (अरणी): मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। राष्ट्रीय हाइवे सं. 66 कई पर्यटन स्थलों और तीर्थस्थलों, जैसे तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलेश्वर मंदिर और मेलमलैयनूर में अंगलम्मन मंदिर, को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग है।

इस राष्ट्रीय राजमार्ग में बिछाने का काम वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। लेकिन अभी भी काम लंबित है। नवंबर 2015 के दौरान उत्तर-पूर्वी मानसून की वर्षा के बाद और इस राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 66 की सबसे खराब स्थिति के कारण, एक दुर्घटना में एक अनमोल जीवन खो गया था। इस राजमार्ग पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं, क्योंकि सड़क बिछाने का काम काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। मैंने माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी और माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री पोन को पत्र लिखा है। राधाकृष्णन से इस मुद्दे पर विचार करने को कहा है।

इसलिए, मैं एक बार फिर इस सम्मानित सभा के माध्यम से संबंधित मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वे सड़क बिछाने के कार्य में तेजी लाएं तथा राष्ट्रीय हाइवे सं. 66 को यथाशीघ्र वाहनों के आवागमन के लिए सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की एक अच्छी बात के लिए मानव संसाधन मंत्री जी से कुछ मांग करने के लिए आज अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं अपनी मुख्य मंत्री माननीय वसुंधरा

जी को धन्यवाद दूंगा कि राज्यों में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े राज्य को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार इतिहास के अंदर पांच हज़ार सैकेंड्री स्कूलों को सीनियर सेकंडरी स्कूल में अपग्रेड किया गया। प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर अब एक सीनियर सेकंडरी स्कूल है। अब जब राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सीनियर सेकंडरी होने के बाद में लाइब्रेरी, लैबोरेट्रीज़ और कक्षाओं के लिए कमरों की काफी आवश्यकता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना जो है, इसके तहत हर स्कूल को काफी फंड एचआरडी मंत्री जी के द्वारा दिए जा रहे हैं। माननीय एचआरडी मंत्री जी से मेरा निवेदन है, क्योंकि यह बहुत बड़ा काम हुआ है, एक साथ पांच हज़ार स्कूलों को अपग्रेड किया गया है तो इसके एक विशेष पैकेज राजस्थान को दिया जाए, ताकि राजस्थान के जो अपग्रेडिड स्कूल हैं उनके पास प्रयोगशाला, ग्रंथालय और बुनियादी ढांचा होना चाहिए। आपके मार्फ़त यह मेरी गुजारिश है।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह को श्री सी.आर. चौधरी द्वारा आज 'शून्यकाल' में उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर): महोदय, मैं आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

ओडिशा के जगतसिंहपुर संसदीय क्षेत्र स्थित पारादीप बंदरगाह क्षेत्र देश और विदेश के कोनों-कोनों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित "नेहरू बंगला" की प्राकृतिक सुंदरता, बंदरगाह के भीतर कार्गो जहाजों का गोदी क्षेत्र, मत्स्य बंदरगाह और क्षेत्र में फैले समुद्र तट ने लंबे समय से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रखा है। हालांकि, यह खेदजनक है कि इन स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

इसलिए, मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान पारादीप बंदरगाह क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की ओर आकर्षित करता हूं।

श्री के. अशोक कुमार (कृष्णागिरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

भारत विश्व में कीटनाशकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में कीटनाशकों के समुचित प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कई देशों में प्रतिबंधित अत्यधिक विषैले कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग की भी अनुमति देता है। भारत में कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए तीन अलग-अलग सरकारी एजेंसियां हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत सी.आई.बी.आर.सी. ने नए कीटनाशकों को लागू करने को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत दूसरा एफ.एस.एस.ए.आई. अंतिम स्तर पर खाद्य फसलों में कीटनाशकों के एमआरएल की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत तीसरा एपीडा जैविक खेतों को प्रमाणित करने के लिए दिशानिर्देश और मानक निर्धारित करता है।

महोदय, हाल के दिनों में सी.आई.बी.आर.सी. कीटनाशकों को आसानी से मंजूरी दे रही है और एफ.एस.एस.ए.आई. रा निर्धारित कीटनाशकों के स्वीकार्य स्तर के मानदंडों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। डी.डी.टी. को उसके खतरनाक प्रभावों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन अब भी जारी है। जो कीटनाशक विश्व के अधिकांश हिस्सों में प्रतिबंधित या आंशिक रूप से प्रतिबंधित हैं, उनका उपयोग भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त, खुदरा स्तर पर कीटनाशकों की बिक्री पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। कई वैज्ञानिकों का सुझाव है कि भारत में कीटनाशकों की अनियंत्रित खपत पर काबू पाने का सबसे प्रभावी उपाय यह है कि इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

अतः महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह भारत में कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए ठोस कदम उठाए।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र गरौठा और भगनीपुर जो बुंदेलखण्ड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यहां पर कई वर्षों से ओलावृष्टि एवं सूखे की

स्थिति से किसान तबाह हो गया है और आज वह भुखमरी के कगार पर है तथा पलायन को मजबूर है। क्योंकि खेती को समय से पानी न मिलने के कारण फसल नहीं हो पाती है। [अनुवाद] विशेष रूप से खेती में पानी न होने की वजह से जमीन सूखी रह जाती है। [हिन्दी] उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मेरे जिले जालौन के ब्लॉक रामपुरा के अन्तर्गत पचनदा एक संगम स्थल है, जहाँ पर पाँच नदियाँ पहूज, क्वारी, सिंध, यमुना और चंबल आकर मिलती हैं। यहाँ अपार जल इकट्ठा होता है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से माँग है कि पाँच नदियों के संगम स्थान पचनदा पर बाँध बना दिया जाए तो जालौन, झाँसी, हमीरपुर, इटावा, कानपुर देहात तथा मध्य प्रदेश व राजस्थान के कई जिलों को सिंचाई हेतु एक स्थाई संसाधन मिल जाने से बुन्देलखण्ड के किसानों की माली हालत बेहतर होगी और पलायन जैसी समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान भगवान अयप्पा के निवास स्थान, सबरीमाला में आने वाले तीर्थयात्रियों के समक्ष आने वाली समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हर साल लाखों भक्त केरल के जिला पथनमथीट्टा में स्थित सबरीमाला मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यह घने जंगल के अंदर स्थित मंदिरों में से एक है और भक्त 41 दिनों के कठोर उपवास और अन्य अनुष्ठानों के बाद इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। वर्षों से भक्तगण सबरीमाला के सन्निधानम तथा प्रवेश स्थल पंबा में सीमित सुविधाओं के बारे में शिकायत करते रहे हैं। हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाएं बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है।

केरल सरकार और विभिन्न भक्त संगठन जैसे अय्यप्पा सेवा संगम और अन्य, केंद्र सरकार से भक्तों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिक भूमि आवंटित करने का अनुरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि सबरीमाला पहाड़ियों की पारिस्थितिकी प्रणाली को प्रभावित किए बिना सुविधाएं बनाई जाएंगी, फिर भी इसके लिए अधिक भूमि जारी करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी प्रकार, केरल

सरकार और आम जनता की ओर से सबरीमाला को राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित करने की भारी मांग है। केन्द्रीय सरकार का संबंधित मंत्रालय इस संबंध में कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हजारों श्रद्धालु सबरीमाला दर्शन के लिए आ रहे हैं और उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। लोगों की एक अन्य प्रमुख मांग परिवहन सुविधा है - जो कि बहुत महत्वपूर्ण है - चेंगनूर, कोट्टायम और एरुमेली से पम्पा तक पहुंचना बहुत कठिन है। सड़क की हालत बहुत खराब है। अतः, हमें सड़कों के निर्माण के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता है। इस पहलू पर भी भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री एस.आर. विजय कुमार (चेन्नई सेंट्रल): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग, जिन्हें एनएचएआई द्वारा संधारित किया जाता है, चेन्नई को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर मानसून के दौरान हुई अभूतपूर्व वर्षा के कारण पूरा चेन्नई बायपास- II तथा एनएच-45 (चेन्नई-तिरुचिरापल्ली-थेनी) और एनएच-4 (चेन्नई-बेंगलुरु-मुंबई) के कई हिस्से तथा एनएच-6 (चेन्नई-विशाखापत्तनम-कोलकाता) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अब वाहन चलाने योग्य नहीं रह गए हैं।

महोदय, एनएच-45 चेन्नई को तमिलनाडु के प्रमुख शहरों से जोड़ता है और सड़क की खराब स्थिति के कारण बड़ी संख्या में आम जनता और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कठिनाई हो रही है। चेन्नई उपमार्ग II की हालत भी ठीक नहीं है। इसके अलावा, सामान्य रूप से वाणिज्यिक गतिविधि और विशेष रूप से संभार-तंत्रआवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कुल राजस्व में भारी नुकसान हुआ है।

तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी* डॉ. *अम्मा* द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल अस्थायी मरम्मत का कार्य सीमित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

इसलिए, मैं भारत सरकार और एन.एच.ए.आई से आग्रह करता हूँ कि वे तमिलनाडु सरकार के पदचिह्नों पर चलते हुए इन चारों राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत का कार्य तुरंत प्रारंभ करें और जब तक ये

राजमार्ग पूर्ण रूप से वाहन-चालन योग्य स्थिति में नहीं आ जाते, तब तक इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क को माफ किया जाए।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, पूरा देश जानता है कि बुन्देलखण्ड आत्महत्या, पलायन, बेरोजगारी, कुपोषण, सूखा और कर्ज से कराह रहा है। वीरभूमि बुन्देलखण्ड की धरती अब पीने के पानी को भी तरस रही है। अभी गर्मी आने में करीब चार-पाँच महीने बाकी हैं। हमारे यहाँ अभी से पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पीने के पानी के लिए लोगों को किलोमीटरों दूर जाना पड़ रहा है। वर्तमान में, यह स्थिति है कि सैंकड़ों गाँवों में, नगरों में, टाउन एरिया में लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से यह निवेदन है कि केन्द्र की सरकार, प्रदेश सरकार को कहकर या यहाँ से इन्तजाम किया जाए, तत्काल राहत के तौर पर कम से कम पूरे बुन्देलखण्ड के लिए और मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, तिन्दवारी, महोबा के लिए दस हजार हैंडपम्पों का इंतजाम किया जाए, वरना आने वाला समय बहुत संकट का समय होगा। इसके साथ साथ जो नदी जोड़ो आभियान चल रहा है केन-बेतवा रिवर लिंकिंग वाला, अगर इस योजना से एक नहर को सलारपुर बांध, बेलाताल बांध और मझगवाँ बांध में डाला जाए ताकि वहाँ क्षेत्र के जितने जलाशय हैं, वे भर सकें और पेयजल एवं कृषि सिंचाई का संकट दूर हो, और साथ ही साथ जल स्तर भी बढ़ सके।

[अनुवाद]

श्री आर. गोपालकृष्णन (मदुरै): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* के नेतृत्व में हमारा राज्य तमिलनाडु सभी मामलों में प्रगति कर रहा है और विशेषकर महिलाओं, बालिकाओं और किसानों को इसका सबसे अधिक लाभ मिल रहा हैं। हमारी *अम्मा* तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए दृढ़ है।

तमिलनाडु के किसानों के कल्याण के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में, अम्मा ने राज्य की सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे किसानों को सोना गिरवी रखकर ब्याज मुक्त कृषि ऋण प्रदान करें। छह महीने की अवधि के लिए सोना गिरवी रखकर लिए गए अल्पकालिक ऋण को तमिलनाडु के सभी किसानों द्वारा अत्यंत सराहा गया है। छोटे और सीमांत किसानों को विशेष रूप से लाभ हुआ है, क्योंकि यदि वे निर्धारित समय के भीतर ऋण चुका देते हैं, तो उनका ब्याज माफ कर दिया जाता है। यह ब्याज मुक्त ऋण है और इस ब्याज को तमिलनाडु सरकार वहन करती है। इस योजना ने किसानों में समय पर ऋण चुकाने की आदत को प्रोत्साहित किया है। सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट समितियाँ प्रेरित होकर अपनी पूरी क्षमता और सामर्थ्य के साथ कार्य कर रही हैं। केंद्र सरकार को भी अम्मा की इस ब्याज माफी योजना को अपनाकर राष्ट्रीयकृत बैंकों में लागू करना चाहिए, ताकि किसानों को कृषि ऋण में राहत मिल सके। मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के बोझ से दबे हुए हैं। मुझे विश्वास है कि यदि केंद्र सरकार ब्याज का वहन करती है, तो किसानों को ऋण देने में वे निराश नहीं होंगे।

पिछले साढ़े चार वर्षों में सहकारिता विभाग द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 4.05 लाख लोगों को 1,849.71 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से 2.31 लाख लोगों को 900.12 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रकार के प्रयासों और पहलों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों और नाबार्ड के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त और रियायती ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार को हमारी *अम्मा* की पहल को एक आदर्श के रूप में अपनाना चाहिए। इसे देश के सभी किसानों तक विस्तारित किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के किसान अब कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचेंगे।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह माननीय *अम्मा* द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए तथा तमिलनाडु राज्य को सहायता के तौर पर उदारतापूर्वक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

[हिन्दी]

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बोलने की अनुमति दी है। हम सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से देश के विभिन्न स्थानों पर तबीबों पर हमले हो रहे हैं। कई जगह पर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तबीब 24 घंटे ड्यूटी पर होते हैं। जब उनके पास कोई मरीज़ लाया जाता है, हो सकता है कि वह सीरियस कंडीशन में हो, उसको कोई हार्ट की या डायबिटीज़ की या अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं। कभी कभी ऐसी घटनाओं में मरीज़ की मृत्यु हो जाती है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जिस हिसाब से तबीबों पर हमला किया जाता है और रिलेटिव पैनिकी हो जाते हैं वह ठीक नहीं है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ कि तबीबों को सुरक्षा दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवानी चाहिए। [अनुवाद] वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगना चाहिए और जो लोग कानून हाथ में लेकर तबीबों पर हमला करते हैं, उनको पिनलाइज़ करना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने की अनुमति दी।

[अनुवाद]

श्री सी. गोपालकृष्णन (नीलगिरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी नेता *अम्मा* के आशीर्वाद से भारत सरकार से मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक रोप कार सेवा शुरू करने की अपील करता हूं।

ऊटी अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय और पर्यटन महोत्सव ऊटी के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है, और मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य भी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। दक्षिण

भारतीय फिल्म उद्योग के साथ-साथ बॉलीवुड द्वारा ऊटी और इसके आसपास के क्षेत्रों में फिल्म शूटिंग की भारी मांग है। इसलिए नीलगिरियों की रानी कहलाने वाला ऊटी अब फिल्म जगत का नया मक्का बन गया है। हिन्दी फिल्म निर्माता अब मुंबई से ऊटी की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। वार्षिक चाय और पर्यटन महोत्सव हर साल दुनियाभर से बड़ी संख्या में लोगों को ऊटी की ओर आकर्षित करता है।

यहां प्रतिदिन लगभग 5,000 पर्यटक आते हैं तथा गर्मियों के मौसम में यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। नीलगिरि पहाड़ी की मुख्य समस्या लगातार भूस्खलन है। वहां पहुंचने के लिए केवल एक ही सड़क है। कई बार छोटी सी समस्या के कारण भी सड़क जाम हो जाती है और इस पहाड़ी क्षेत्र की जीवन रेखा बुरी तरह प्रभावित होती है।

जैसा कि आप अवगत हैं, मेट्टुपालयम और कूनूर के बीच एक हेरिटेज ट्रेन चलती है, जो दोनों दिशाओं में संचालित होती है। कई बार यह ट्रेन भूस्खलन और लोकोमोटिव की तकनीकी खराबी के कारण अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाती है। इसके कारण पर्यटकों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों में भारी निराशा देखी जाती है। यह उल्लेखनीय है कि एक हेलीपैड के निर्माण के लिए कुछ पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ लम्बे समय से लंबित हैं।

देश भर की जनता, विदेशी पर्यटकों और प्रवासी भारतीयों से यह मांग लगातार उठ रही है कि स्विट्ज़रलैंड मॉडल की तरह रोपवे/रोप केबल सेवा शुरू की जाए, जो एक बार में 60 व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम हो। इसकी लागत भी अन्य परिवहन साधनों की तुलना में कम है। साथ ही, आतंकवाद की कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारी अम्मा पूरे तमिलनाडु को आतंकवाद-मुक्त राज्य बनाने का कार्य कर रही हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेट्टुपलायम से कुन्नूर तक रोपवे संपर्क शुरू किया जाए। धन्यवाद।

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी (थूथुकुडी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, *वणक्कम*। मैं हमारी प्रिय नेता, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री माननीय डॉ. पुरात्ची थलाइवी अम्मा के प्रति हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस महती सदन में बोलने का यह सही समय पर अवसर प्रदान किया।

उत्तर-पूर्वी मानसून के कारण अत्यधिक भारी वर्षा हुई है और इसके परिणामस्वरूप आई बाढ़ के कारण पूरे तमिलनाडु में जान-माल की भारी क्षति हुई है तथा व्यापक पैमाने पर अशांति फैली है। दक्षिणी तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में भारी और अत्यधिक भारी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है।

भारी वर्षा के कारण कई झोपड़ियां ढह गईं, गांव जलमग्न हो गए तथा शिवाल्कुलम सिंचाई टैंक से संलग्न बांध आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। श्रीवैकुंडम में दो झोपड़ियाँ तथा विलाथिकुलम में एक झोपड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में ढह गई।

इस बीच, कोविलपट्टी के पास शंकरलिंगपुरम गांव में बाढ़ आ गई, क्योंकि वेप्पनकुलम सिंचाई टैंक के ज्यादा भर जाने के कारण पानी बह गया और 50 घरों में भर गया। तूतीकोरिन में एंथोनीयारपुरम, मारवनमदम, भारती नगर, मुथम्मल कॉलोनी सबसे अधिक प्रभावित स्थान हैं। वे बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गये थे। तूतीकोरिन कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया। बाढ़ प्रभावित लोगों को 5,61,000 से अधिक खाद्य पैकेट वितरित किये गये हैं। उन्हें पाँच सामुदायिक हॉलों में सुरक्षित सुरक्षित रूप से ठहराया गया है, जहां उन्हें भोजन, पानी और चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा रही है।

जिला प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी थी, जिसके कारण उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। पिछले 24 घंटों में जिले में कुल 674 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई।

तमिलनाडु सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के गतिशील नेतृत्व में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से उदार सहायता मांगी है। माननीय प्रधानमंत्री ने लगातार वर्षा और बाढ़ के कारण तमिलनाडु में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुःख और पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने हमारी माननीय मुख्यमंत्री अम्मा से बात की थी और केंद्र की ओर से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया था।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा मानकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से तत्काल पर्याप्त धनराशि जारी करे।

धन्यवाद, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल, 3 दिसंबर, 2015 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 07.48 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा *गुरुवार, 3 दिसंबर, 2015 / 12 अग्रहायण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।*

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित